खण्ड-435, अंक-7
सोमवार, 25 वैशाख, शक संवत् 1922
(15 मई, 2000 ई0)

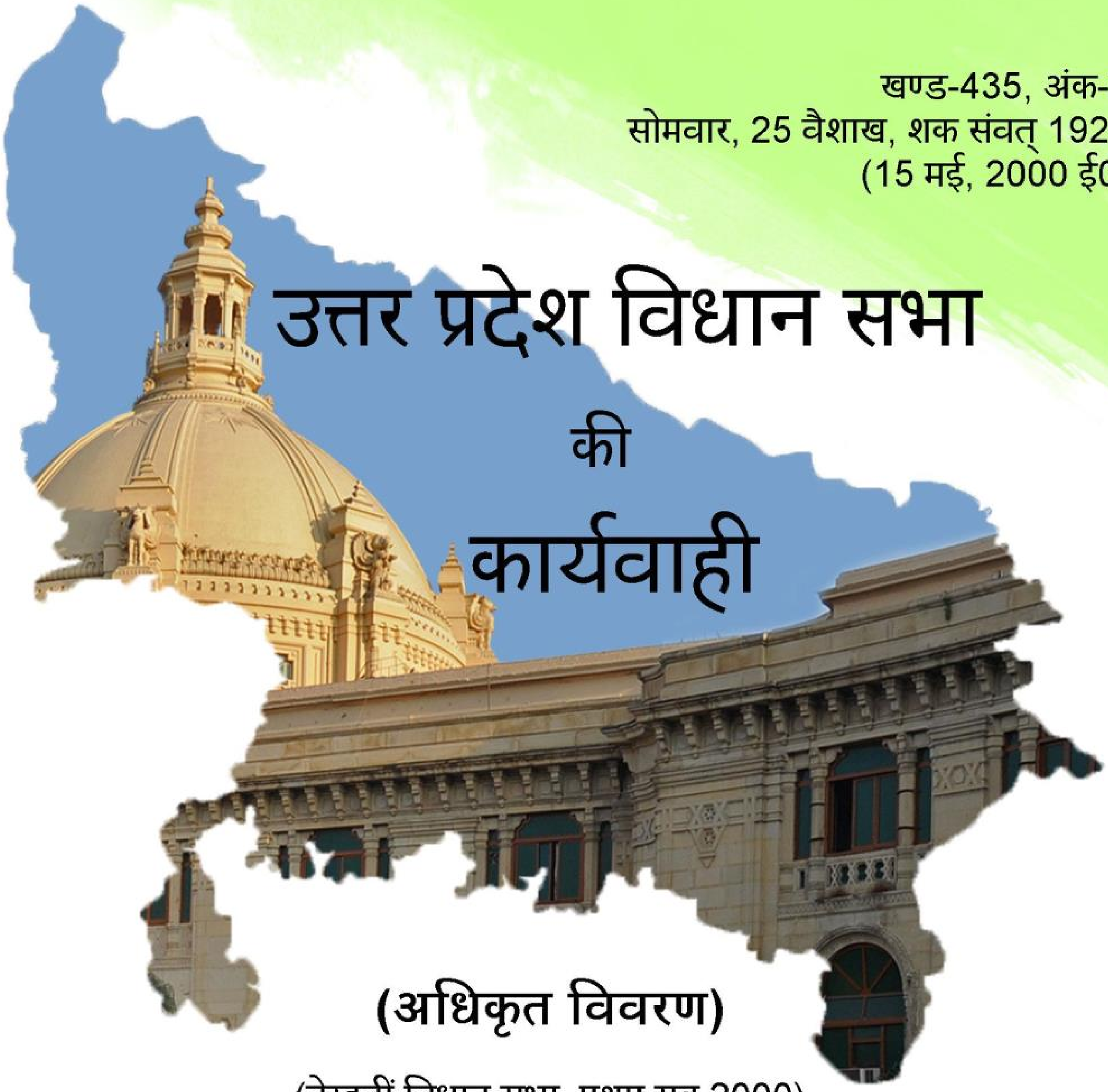

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 435 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
प्रश्नोत्तर	1–40
उपाध्यक्ष विधान सभा का वर्तमान सत्र में निर्वाचन कराने के निर्णय के बावजूद चुनाव न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	40–41
301 के अन्तर्गत सूचनाएं	41
जनपद पौड़ी गढ़वाल में गत वर्ष हुयी अतिवृष्टि एवं भूकम्प से क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	41–42
जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत विद्युतीकरण हेतु गांवों का चयन करके निर्वाध विद्युत आपूर्ति कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	42
जनपद संत रविदास नगर (भदोही) में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गयी किसानों की भूमि का मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
हरिद्वार के रुड़की क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण अंचलों की सड़कों की जर्जर स्थिति सुधारने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति/जनजाति के अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं को उनकी आबादी के प्रतिशत के अनुसार 33% आरक्षण हेतु सरकार द्वारा संकल्प/प्रस्ताव लाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय हुसैनगंज में शासकीय आदेशों के विपरीत क्रमोत्तर कक्षायें चलाये जाने से हो रही शासकीय क्षति को रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
.नपद आजमगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में कथित घपले की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	44–45
मा० अध्यक्ष द्वारा ध्यान आकर्षित सूचनाओं पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत न कराये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	45–46
25 मिली लीटर से अनधिक क्षमता वाली हस्तनिर्मित कांच की शीशी को कर मुक्त किये जाने के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	46
श्री अम्बरीष कुमार स०वि०स० द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न सं०–2 के संबंध में अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में संशोधन हेतु वित्त मंत्री का शोधन वक्तव्य ...	46–47
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 (पुरःस्थापित)	48

विषय	पृष्ठ संख्या
सदन की लाबी में सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा मुख्य मंत्री के प्रति कथित अविश्वास के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	48–50
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	50–76
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–2 आवास विभाग एवं अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग (जारी)	76
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	76–78
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–2 आवास विभाग एवं अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	78–116
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत) ...	116–122
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	122
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खाने एवं खनिज) अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) तथा अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) स्वीकृत	123–134
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–5 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) ...	134–137
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ...	137–143
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	143–144
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना किये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की निर्धारित चर्चा का स्थगन	144
इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के भूगर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भूगर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित किये जाने संबंधी श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	144

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में बढ़ती हुयी पेयजल समस्या और गिरते हुये जल स्तर से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित एक घण्टे की चर्चा का स्थगन	144
इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत एन०जी०ओ० की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनाये जाने संबंधी नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत)	144–145
इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समान नीति बनाने एवं सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किये जाने संबंधी नियम–301 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	145
ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों तथा नगर निगमों को संविधान 73वें एवं 74वे संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति से संबंधित डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घण्टे की निर्धारित चर्चा (समाप्त)	145
यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किये जाने संबंधी नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत)	145–146
प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जनजीवन पर हो रहे हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री राम कुमार एडवोकेट द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी)	146
पोलीथीन बैग्स के कारण जन स्वास्थ्य पर मण्डराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुये प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल रोक लगाने संबंधी नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	146
प्रदेश में आई०एस०आई० की गतिविधियों के विस्तार से आतंक फैलाने तथा जाली नोटों का प्रचलन होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (समाप्त) ...	146
प्रदेश में मध्यांचल के पूर्व विकास हेतु मध्यांचल विकास निधि की स्थापना किये जाने संबंधी डा० कौशल किशोर द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी)	146–147
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	147–148

विषय	पृष्ठ-संख्या
सम्पूर्ण प्रदेश में चिकित्सकों पर लगे लाइसेन्सिंग शुल्क के कारण डाक्टरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	148–149
जनपद बांदा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पैलानी के भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं तथा निर्माण कार्य की टी०ए०सी० द्वारा जांच कराये जाने के संबंध में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य	149
जनपद मेरठ के खेकड़ा क्षेत्र में अनियमित रूप से बसाई जा रही अवैध कालोनियों तथा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	149–150
जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण भारत की भूमि पर नेपाली नागरिकों की अवैध कब्जेदारी के संबंध में श्री गोपाल कृष्ण द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	150–151
जनपद गौतमबुद्ध नगर में किसानों की भूमि के प्रतिकर पर आयकर तथा सरचार्ज की कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ...	151
जनपद लखीमपुर खीरी के हैदराबाद क्षेत्रान्तर्गत श्री कालिका प्रसाद की हत्या तथा थाना मितौली में अबोध बालिका के साथ हुयी दुराचार की घटना के संबंध में श्री अरविन्द गिरि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	151–152
प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिये रोस्टरिंग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	152
प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया ऋण तथा ऋणग्रस्तता को कम करने हेतु सरकार द्वारा विशेष कार्य योजना बनाये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (निरस्त)	153
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में रोगियों हेतु दवाओं के मानकों में कथित विषमता होने विषयक डा० सरजीत सिंह डंग आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	153
नत्थी	154–156

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 15 मई, 2000 ई0

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।

1-अतीक अहमद, श्री इलाहाबाद
2- अनिल कुमार, श्री बलिया
3- अफरोज अली खां, श्री रामपुर
4- अब्दुल कलाम, श्री वाराणसी
5- अब्दुल खालिक, श्री अलीगढ़
6- अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
7- अशफाक अहमद, श्री बरेली
8- अशोक बाजपेयी, डा0 हरदोई
9- आर0 के0 चौधरी, श्री लखनऊ
10- आलमबदी, श्री आजमगढ़
11- उमाकान्त यादव, श्री जौनपुर
12- ओइम्वेश, स्वामी बिजनौर
13- ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
14- कल्याण सिंह, श्री अलीगढ़
15- काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री रामपुर
16- काशिम हसन, श्री फतेहपुर
17- केदार सिंह फोनिया, श्री चमोली
18- के0सी0 सिंह बाबा, श्री उधमपुर
19- कैलाश, श्री गाजीपुर
20- चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री झांसी
21- चन्द्रेश पासवान, श्री गोरखपुर
22- जगपाल, श्री सहारनपुर
23- जगत सिंह, श्री मुज्जफरनगर
24-जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
25- जय नारायण तिवारी, श्री सुल्तानपुर
26- जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइय्या, श्री गोरखपुर
27- तिलकराज बेहड़, श्री उधम सिंह नगर
28- तौफीक अहमद, श्री सिद्धार्थनगर
29- धनराज यादव, श्री सिद्धार्थनगर
30- नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फरूखाबाद
31- नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
32- नवाब सिंह नागर, श्री [illegible]याबाद
33- निर्भय पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
34- पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
35- प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
36- प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
37- बंशीधर भगत, श्री नैनीताल
38- बच्चा पाठक, श्री बलिया
39-बनारसी दास चान्दना, श्री मेरठ
40- बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
41- भगवती प्रसाद, श्री कानपुर देहात
42- मंजू, श्रीमती बलिया
43- मंडलेश्वर सिंह, श्री आगरा
44- महेन्द्र नाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
45- मारकण्डेय चन्द, श्री गोरखपुर
46- मुन्ना चौहान, श्री देहरादून
47- मुस्ताक सोलंकी, श्री कानपुर नगर
48- रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर प्रतापगढ़
49- रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर पडरौना

अपूर्व पूर्व सभा

50- राकेश धर त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद

51- राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी

52- राधेश्याम, श्री कानपुर देहात

53- राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा0 कानपुरनगर

54- रामतेज यादव, एडवोकेट, श्री बहराइच

55- राम नरेश रावत, श्री गाजियाबाद

56- राम नाथ, श्री प्रतापगढ़

57- रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर

58- राम लखन, श्री सुल्तानपुर

59- रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़

60- राम शंकर पाल, श्री उन्नाव

61- रेवती रम्मण सिंह, कुंवर इलाहाबाद

62- लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ

63- लाखीराम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल

64- लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर

65- विजय सिंह, श्री सोनभद्र

66- विरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर

67- वेद प्रकाश सिंह, एम0एस0, डा0 बिजनौर

68- शिव गणेश लोधी, एडवोकेट, श्री रायबरेली

69- शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा

70- श्याम प्रकाश, श्री हरदोई

71- संजय सिंह, श्री मुजफ्फरनगर

72- संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद

73- सत्य प्रकाश सोनकर, श्री वाराणसी

74- सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद

75- सुखपाल पाण्डेय, श्री बस्ती

76- सुधाकर सिंह, श्री मऊ

77- सुरेश चन्द्र आर्य, श्री उधम सिंह नगर

78- हरि प्रसाद उर्फ धमड़ी, श्री सोनभद्र

79- हरि शंकर माहौर, श्री अलीगढ़

80- होराम सिंह, श्री बुलन्दशहर

* श्री ओंकार सिंह, सोरों (एटा) दिनांक 26 फरवरी, 2000 को रात्रि में हुई मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त।

नोट :- दिनांक 14 मार्च, 2000 तक यथासंशोधित।

विधान सभा सचिवालय

सोमवार दिनांक 15 मई, 2000 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 10 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जल विद्युत एवं तापीय विद्युत की प्रति यूनिट उत्पादन लागत औसत विक्रय दर तथा नयी व्यवस्था के अन्तर्गत विद्युत दरों का निर्धारण

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

** 1-क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल विद्युत एवं तापीय विद्युत की प्रति यूनिट उत्पादन लागत कितनी है और उपभोक्ताओं को किस दर पर उपलब्ध करायी जा रही है? क्या सरकार विद्युत उत्पादन की लागत और उसके वितरण में समानता लाने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री लल्लू सिंह)-

वर्ष 1998-99 के संप्रेक्षित लेखा के आधार पर प्रदेश में जल विद्युत एवं तापीय विद्युत की प्रति यूनिट उत्पादन लागत एवं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने वाली औसत विक्रय दर निम्नवत है:-

1-जल विद्युत प्रति यूनिट उत्पादन लागत	33.69 पैसा
2-ताप विद्युत प्रति यूनिट उत्पादन लागत	171.61 पैसा
3-उपभोक्ता छौर पर प्रति यूनिट औसत लागत जिसमें क्रय की गई विद्युत एवं पारेषण एवं वितरण हानियां सम्मिलित हैं।	258.79 पैसा
4-विद्युत की प्रति यूनिट औसत विक्रय दर	187.78 पैसा

नई व्यवस्था के अन्तर्गत विद्युत दरे राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा शासन सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्धारित की जायेगी।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल विद्युत एवं तापीय विद्युत की प्रति यूनिट उत्पादन लागत कितनी है और उपभोक्ताओं को किस दर पर उपलब्ध करायी जा रही है?

माननीय मंत्री जी ने 1989-99 के आधार पर लागत एवं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने वाली दर को बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि वितरण हानियां और छीजन आदि पर खर्च का प्रतिशत क्या है और उत्पादन लागत का आधार क्या है?

मान्यवर, हानियां 41 प्रतिशत हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि किस दर पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है मंत्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर नीचे दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विद्युत की प्रति यूनिट औसत विक्रय दर 187 पैसे बतायी है। जब कम रेट पर बिजली पैदा होती है तो उससे ज्यादा पैसा क्यों वसूल किया जा रहा है? यह दर सभी उपभोक्ताओं पर लगायी जा रही है या इसमें कोई अलग अलग दरें निर्धारित हैं?

श्री लल्लू सिंह-

मान्यवर, विद्युत दरों में अलग अलग वर्गीकरण है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिये 52 रुपये हैं। शहरी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक 180 पैसे, 100-200 यूनिट पर 210 पैसे, 200 से 300 यूनिट्स पर 235 पैसे और उससे अधिक पर 260 पैसे प्रति यूनिट दर निर्धारित है। इसी तरह से 2 किलोवाट पर 100 रुपये प्रति माह और 5 किलोवाट पर 95 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह है। 10 किलोवाट पावर से अधिक पर 85 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पावरलूम बुनकरों से किस दर पर विद्युत मूल्य का भुगतान लिया जाता है? क्या माननीय मंत्री जी पावरलूम उपभोक्ताओं को भी जो औसत दर है उसके आधार पर उनसे विद्युत मूल्य लेने की कृपा करेंगे?

श्री लल्लू सिंह-

मान्यवर, सम्भव नहीं है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि गांवों में दिये जाने वाले विद्युत की दर क्या है और सब्सिडी रेट क्या है?

श्री अध्यक्ष-

मूल प्रश्न से यह प्रश्न नहीं आता।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि पावरलूम बुनकरों को विशेष रुप से 5 हार्स पावर के नीचे तक के बुनकरों को या उससे ऊपर वाले बुनकरों से प्रति यूनिट क्या मूल्य लिया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष-

यदि आपके आफिस में जानकारी हो तो बता दें।

श्री लल्लू सिंह-

जानकारी उपलब्ध नही है।

प्रदेश में निजी बहु विभागीय भण्डार (दुकानें) पर बियर और वाइन की विक्री किये जाने हेतु अलग से लाइसेंस दिये जाने की जानकारी

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

** 2-क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में निजी बहुविभागीय भण्डार (दुकानों) तथा दवा की दुकानों पर वीयर और वाइन की बिक्री किये जाने हेतु अलग से लाइसेन्स दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

जी हां।

सरकार ने बियर और वाइन की फुटकर बिक्री हेतु अलग-अलग लाइसेंस देने का निर्णय किया है।

बियर की फुटकर बिक्री के लिये आबकारी नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति अर्ह होंगे जो इन्कम टैक्स देते हों या सेल्स टैक्स देते हों या भू-राजस्व की एक निश्चित धनराशि से अधिक अदा करते हैं। साथ ही इनका चरित्र सक्षम अधिकारी ने सत्यापित किया हो, पक्की दुकान वाले हों या किसी वर्तमान व्यवसायिक प्रतिष्ठान में भागीदारी हो। बियर के लाइसेंसी 1 लाख रु0 लाइसेंस फीस प्रतिवर्ष और 50 हजार रु0 बैंक गारन्टी भी जमा करेंगे। वाइन की बिक्री प्रदेश में इस समय नगण्य है। नये आबकारी नियमों के अधीन प्रदेश में गिने चुने शहरों में कुछ वाइन की दुकानों का खुलना सम्भावित है। वाइन की दुकान प्राप्त करने के लिये 10 हजार रुपये लाइसेंस फीस निर्धारित की गयी है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, लिखित उत्तर भेजे जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच ने लाइसेंस निर्गत करने पर अग्रिम ओदश तक स्थगनादेश जारी किया है। आप चाहें तो चर्चा करें या छोड़ दें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर अनुमति हो तो एक-दो सवाल पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष-

जब स्थगनादेश हो गया है तो स्वाभाविक है कि प्रतीक्षा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय क्या होता है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश से वर्ष 1998 में सरकार द्वारा दया याचिका पर छोड़े गये कैदियों तथा लम्बित दया याचिकाओं की संख्या की जानकारी

श्री राम औतार शाक्य-

* 1-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1998 में प्रदेश में कुल कितने सजायाफ्ता कैदी दया याचिका पर छोड़े गये और उनका विवरण क्या है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त वर्ष की कितनी दया याचिकायें (मर्सीपिटीशन) लम्बित हैं और कितनी निरस्त की गयी? क्या सरकार ने दया याचिका पर रिहा करने वाले कैदियों की कोई नीति निर्धारित की है? यदि हां, तो वह क्या है?

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

07 (सात)

विवरण संलग्न है।

लम्बित-30।

निरस्त-170।

जी हां, सरकार द्वारा दया याचिका पर रिहा करने हेतु एक नीति शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 92 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है। शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 92 की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी कृपया आगे पृष्ठ ----------पर।)

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कदाचित 1998 में पूछा गया था लेकिन हमारी मंशा यह है कि कारागारों में कैदियों की संख्या बहुत बढ़ रही है और सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो रही है तो आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई नीति माननीय मंत्री जी बनाने जा रहे हैं जिससे बहुत से कैदी ऐसे हैं जो बंद हैं लेकिन आजीवन कारावास के नहीं हैं और उनकी सजा कम है, किसी कि 7 वर्ष, 6 वर्ष व 5 वर्ष है और ऐसे कैदी जो 60 वर्ष की उम्र पार कर गये है उनकी उम्र को देखते हुये और कारागारों में बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये क्या उनको कोई रिलेक्शेशन देगी जिससे उनको रिलेक्सेशन मिल जाये और सरकार पर भार कम हो जाये?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

वैसे जो पूरक प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है यह बिल्कुल भिन्न है। कारागारों की बढ़ती हुई आबादी पर इन्होने सवाल कर दिया। वैसे मर्सी के ऊपर मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस बार 26 जनवरी के अवसर पर लगभग 950 बन्दी रिहा किए गए जिसमें 65 वर्ष के पुरुष की आयु घटाकर 60 वर्ष कर दी एवं 60 वर्ष की महिलाओं की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। इसके अलावा लोक अदालतों के जरिए एक हजार 89 बन्दी अभी छुड़ाए गए हैं लीगल सहायता देकर भी 192 बन्दी छुड़ाए गए हैं। जहां तक जेलों में भीड़ का सवाल है वादों का जल्दी निपटारा करके एवं नई जेलें बनवाकर इसको नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।

* 2-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

(दिनांक 10.4.2000 को नियम-38(2) के ता0 प्र0 सं0-1 द्वारा उत्तरित।)

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सरकारी समर्थन मूल्य के अन्तर्गत प्रदेश सरकार का लक्ष्य एवं लक्ष्य पूर्ति हेतु कृत कार्यवाही

* 3-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री राम नरेश यादव-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सरकारी समर्थन मूल्य के अन्तर्गत प्रदेश में गेहूं की खरीद का कोई लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो पूरे प्रदेश में कुल कितने टन गेहूं खरीद करने का लक्ष्य रखा गया है? उस लक्ष्य के अन्तर्गत गेहूं खरीद के लिये सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)-

प्रदेश में गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद का लख्य 20 लाख मी0 टन निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य (20 लाख मी0 टन की गेहूं खरीद) की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा गेहूं क्रय हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त क्रय केन्द्रों की स्थापना, क्रय केन्द्रों पर किसानों हेतु विभिन्न प्रकार की सुख्-सुविधाएं, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर ही किसानों से गेहूं का क्रय किया जाना, गेहूं की खरीद गुण-निर्दिष्टियों के अनुसार कराया जाना, समय-सारिणी, गेहूं की भण्डारण व्यवस्था तथा आवश्यकतानुसार संचरण की व्यवस्था, विभिन्न क्रय एजेन्सियों को गेहूं खरीदने हेतु अग्रिम ऋण का भुगतान, गेहूं भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में बोरों की व्यवस्था, क्रय केन्द्रों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु विभिन्न क्रय एजेन्सीज, खाद्य विभाग तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारियों का नोडल अधिकारी नामित किया जाना आदि आवश्यक उपाय किए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक प्रदेश में कुल कितने गेहूं को खरीदा गया है और दूसरे क्या सरकार प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से कमीशन पर भी गेहूं खरीद रही हैं?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

अब तक प्रदेश में 6 लाख 49 हजार 718 मी0 टन गेहूं खरीदा गया है यह कल तक की स्थिति है। जहां तक व्यापारियों के जरिए गेहूं कमीशन पर खरीदने का प्रश्न है इस तरह की बात नहीं है। कहीं भी व्यापारियों के जरिए गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है।

श्री राम नरेश यादव-

मंत्री जी कहा कि 20 लाख टन खरीद का लक्ष्य है एवं बताया कि 6 लाख कुछ टन गेहूं खरीदा जा चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कुल कितने क्रय केन्द्र खोले जा चुके है? उनमें से कितने क्रय केन्द्र काम कर रहे हैं। यह देखने में आया है कि सरकार ने 580 रुपए प्रति कुंटल गेहूं का दाम निर्धारित किया है लेकिन गांव में बिचौलिए बोरे ले जाकर कम रुपए में गेहूं खरीद रहे हैं। पिछली बार आपने टार्गेट 20 लाख टन का रखा था लेकिन 12.61 लाख टन ही खरीद हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपने कितने क्रय केन्द्र खोले हैं? यह क्रय केन्द्र कब से काम कर रहे है?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

प्रदेश में कुल 4800 से अधिक क्रय केन्द्र खोले हैं। इसके अलावा जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त क्रय केन्द्र खोले जा सकते हैं। प्रदेश के किसी हिस्से में 580 रुपये से कम में बाजार भाव हो यह रिपोर्ट नहीं आ रही है। गेहूं 580 रुपए प्रति कुंतल पर ही खरीदा जा रहा है।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह जो लक्ष्य की बात है, निर्धारित करने की यह जो मूल्य समर्थन योजना है उसके तहत ही गेहूं खरीदा जाता है ताकि किसानों को 580 रुपये से कम की कीमत न मिले।

बहुत जगह 580 रुपये से ज्यादा भी किसानों को मिल रहा है। खरीद अच्छी हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि किसानो को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। श्री राम नरेश जी बहुत अनुभवी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगर कहीं कठिनाई हो रही है तो हमें लिखकर दे दें हम दिखवा लेंगे।

श्री राम नरेश यादव-

क्या सरकार के संज्ञान में यह बात है कि मानवाधिकार आयोग ने सरकार को इस बात की सूचना दी थी कि जो 100 किलो के बोरे में अन्न भरा जाता था उसकी जगह 50 किलो भरा जाना चाहिए और यह मार्च में ही सूचित किया जा चुका था लेकिन इसके बाद भी सरकार ने क्या कोई व्यवस्था की है? मुझे जानकारी है कि एक अधिकारी कलकत्ता भेजा गया है, जब बोरे हैं ही नहीं तो अनाज रखा कहां जायगा? सरकार ने अब तक कितने बोरों की व्यवस्था की है?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

बोरों की कोई कमी नहीं है सभी जगह बोरे की व्यवस्था पूरी है और पहले से हमारे पास 12 हजार बोरे उपलब्ध हैं इस साल 57500 गांठ और मंगा दिये गये हैं। प्रदेश के किसी हिस्से से बोरों की कमी की रिपोर्ट नहीं है। कल मैं बुलन्दशहर गया था, स्वयं चार क्रय केन्द्र देखे उसमें से दो केन्द्रो पर 50 किलो के बोरे मिले। यह सही है कि 95 किलो का बोरा उठाने में पल्लेदारों को कठिनाई होती थी इसलिए 50 किलो की व्यवस्था की गई है। जहां 50 किलो के बोरे नहीं होंगे वहां पुराने बोरे खत्म होने के बाद 50 किलो के प्रयुक्त किये जायेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनको जानकारी है कि क्रय केन्द्रों पर गेहूं जो किसान ले जा रहा है उसके गेहूं की चलना लगाकर छलनी कर दी जाती है ग्रेडेशन कर दिया जाता है और उनको 500 रुपये की कीमत दी जा रही है। मैंने स्वयं देखा है कि किसानों से चलना छलनी लगाकर कहा जाता है कि आपका गेहूं 580 वाला नहीं है यह 500 वाला है। इन केन्द्रों पर कोई निर्धारित व्यवस्था नहीं है। क्या किसानों की इस लूट को समाप्त करने की कोई व्यवस्था की जायगी?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

इस तरह की कहीं पर कोई शिकायत नहीं मिल रही है। यदि माननीय सदस्य की जानकारी में कोई केन्द्र हैं तो मुझे अवगत करा दें मैं दिखवा लूंगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

आप एक-एक केन्द्र में दिखवा लें। चाहें तो एक कमेटी बना दें चाहे उसमें अपने सदस्य हो, या जिलाधिकारी हों या विधायकों की कमेटी बना दें। चलनी के नाम पर छलनी के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। यह बहुत गम्भीर मामला है। किसानों को पूरी कीमत नहीं मिल रही है। ग्रेडेशन के नाम पर भेद-भाव किया जा रहा है।

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की शिकायतें कहीं से नहीं आ रही हैं। हम लोग भी किसानों से मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं भी अमुख जनपद में गया था जो गेहूं की उपज के बारे में अच्छा माना जाता है। जैसा कि श्री वर्मा जी कह रहे हैं यदि वह हमें केन्द्र का नाम दे देंगे तो हम उसे दिखवा लेंगे। वैसे हम पूरे जनपद को दिखवा लेंगे परन्तु इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत हमारे पास नहीं आ रही है।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस समय गेहूं का मार्केट रेट क्या है? दूसरा क्या मंत्री जी छलनी की व्यवस्था समाप्त करेंगे जिसके नाम पर किसानों का शोषण हो रहा है। तीसरा जो भुगतान होता है वह चेक के माध्यम से या नकदी के रुप में किया जाता है उसके बारे में शासन की कोई नीति हैं?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, जहां तक छलनी की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रश्न है, गेहूं किस ग्रेड का हो वह व्यवस्था पहले से निर्धारित है, उसका इस्पेसीफिकेशन केन्द्रों पर मौजूद है उसी इस्पेसीफिकेशन के जरिये गेहूं खरीदा जाता है लेकिन कहीं हरेशमेंट हो रहा है इसकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि गेहूं की खरीद के लिए हमने किसानों के लिए समुचित सुविधाओं की स्थापना की है इसलिए मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि वे सुविधायें कौन-कौन सी हैं? क्योंकि हम भी जन प्रतिनिधि है इसलिए हमें भी क्रय केन्द्र पर जाने का अवसर मिलता है। दूसरा 580 रुपये प्रति क्विंटलसे अधिक खुले बाजार में व्यापारी दे रहे हैं जिसके कारण क्रय केन्द्रों पर गेहूं की आवक कम हो रही है। यदि स्टेट पूल में गेहूं जमा नहीं होगा तो भारत सरकार गेहूं उत्तर प्रदेश सरकार को उतनी मात्रा में नहीं देगी इसलिए माननीय मंत्री जी जो बाजार भाव में 580 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक है इसको देखते हुए अपना समर्थन मूल्य बढ़ाने पर विचार करेंगे।

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य और सदन को इस बात की पूरी जानकारी है कि समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह समर्थन मूल्य है, लाभप्रद मूल्य नहीं है। यदि किसानों को 580 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक बाजार में मिल रहा है तो हमें प्रसन्नता होगी, हम तो चाहते हैं कि किसान को अधिक मूल्य मिले। दूसरा उन्होंने कोटे की बात की, हमने 20 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया है उस तरफ हमारा प्रयास हो रहा है। भारत सरकार के पास इस समय खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। पिछले साल जितनी खरीद हुई थी हमें विश्वास है कि हम अपना लक्ष्य पूरा कर ले जायेंगे और स्टेट पूल की जो आवश्यकता हैं वह आवश्यकता पूरी हो जायेगी। जहां तक किसानों को सुख-सुविधा देने का प्रश्न है हमने प्रत्येक केन्द्र पर पीने की पानी की व्यवस्था की है, बैठने की व्यवस्था की है और छलनी का इतंजाम किया है।

हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे है कि गुड़ की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था जरुर है और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। इस तरीके की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आ रही है।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैनपुरी जिले की शिकायत थी। जिलाधिकारी और सरकार को भी बताई थी। मैनपुरी में केन्द्र स्थापित नहीं हुए। आढ़तिए गेहूं खरीद रहे हैं 560 और 565 रुपये में। गेहूं का दाम खुले बाजार में बढ़ा है। ज्यादा नहीं हुआ है। अब थोड़ा बढ़ने से किसानों को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए।

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

कृपया अपना प्रश्न फिर से दोहरा दें।

श्री बाबू राम यादव-

मैनपुरी में केन्द्र स्थापित नहीं हुए और केन्द्र खोले गये। वहां पर खरीद नहीं हुई। आढ़तियों ने गेहूं जो खरीदा 560-565 रुपये में। इसकी बहुत शिकायत की गई, डी0एम0 ने भी प्रयास किया लेकिन केन्द्र संचालित नहीं हो पायें। पता नहीं क्यों पैसा नहीं पहुंचा या अन्यत्र कोई कारण से। कुछ आढ़तिये खरीदकर एक ही केन्द्र पर 560 में खरीद कर 580 में बेंच रहे हैं किसानों को तो लाभ मिला नहीं। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि केन्द्र क्यों नहीं खुला? पिछली बार भी इनके विभाग में शिकायत की थी। इस बार भी बोरे का वजन 1 किलो होता है लेकिन 800 ग्राम का बोरा आया है जिसके कारण से प्रति बोरा 200 ग्राम फालतू जा रहा है। उसका लाभ किसानों को कैसे मिले इसको मंत्री जी कृपया दिखवायें?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक पैसे की बात है किसी भी केन्द्र पर पैसे की कमी नहीं है। पैसे की व्यवस्था पूरी है। जहां तक सम्मानित सदस्य ने यह जानकारी दी कि 560 रुपये में खरीद कर 580 रुपये में क्रय केन्द्रों को या क्रय एजेन्सियों को दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अभी तक इस तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने मैनपुरी के बारे में जानकारी दी है तो मैं खास तौर से दिखवा लूंगा।

श्री बाबू राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बोरे के वजन के बारे में बात कही थी माननीय मंत्री जी का इस सम्बन्ध में जवाब नहीं आया।

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बोरा दोष के बारे में ध्यान आकृष्ट किया है। मैं इसकी तरफ दिखवा लूंगा।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों की जो शिकायत है वह यह है कि गेहूं खरीदने के बाद में किसान को जो भुगतान होता है वे चेक द्वारा होता है। वह चेक महीनों तक कैश नहीं हो पाता है। यह किसानों की सबसे बड़ी शिकायत है जिसकी वजह से भी किसान गेहूं क्रय केन्द्रों पर नहीं देना चाहता है, क्या ऐसी बात है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

चेक भुगतान की भी कहीं से शिकायत नहीं है क्योंकि व्यवस्था यह की गई है कि 10 हजार रुपये तक का चेक उन्हें बीयरर चैक दिया जाता है। 10 हजार से अधिक का होता है तो एकाउन्ट पेई होता है ताकि कोई शिकायत न रहे। आपके पास किसी क्रय केन्द्र की ऐसी शिकायत है तो मेरी जानकारी में दे दें।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 10 हजार का चेक। क्या उसी दिन शिकायत आती है। उनको एक एक हफ्ते के बाद चैक दिया जाता है। क्या उसी दिन चैक दिये जाने की व्यवस्था है? ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले से खरीद करने की व्यवस्था नहीं की थी। जहां समर्थन मूल्य के आधार पर क्रय किया जाता है उनको जो पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। विलम्ब से खरीदने का कार्य शुरु किया है। किसानों को जो गेहूं मूल्य का भुगतान किया जाता है उसके लिये क्या उसी दिन देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि उसी दिन चेक दे दिया जाय।

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में और पूरे प्रदेश में क्योंकि बीच-बीच में वर्षा हो गई इसलिए गेहूं बाजार में देर से आया। तो खरीद पूरी तरह से समय से शुरु की गई लेकिन जहां तक यह प्रश्न है कि किसी क्रय एजेन्सी के कारण धन उपलब्ध कराया गया? इसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

श्री रामनरेश यादव-

कुल कितने धन की व्यवस्था की गई?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

पैदावार की खरीद को देखते हुए हर केन्द्र पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि कहीं पर कोई पैसे की कमी नहीं है धन की पूरी व्यवस्था है। विस्तृत जानकारी माननीय सदस्य चाहते हैं मैं उन्हें उपलब्ध करा दूंगा।

श्री रामनरेश यादव-

उसी दिन चेक किसानों को दिया जाए यह सुनिश्चित करायेंगे?

श्री लालजी वर्मा-

कितना खर्चा किया गया कितना बचाया गया यह जानकारी आपके पास होगी?

श्री अध्यक्ष-

इसके लिये विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होगी।

प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को केन्द्र के समान पेंशन में बीस प्रतिशत बढ़ोत्तरी किये जाने पर कृत कार्यवाही

*4-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को केन्द्र के समान पेंशन में 20 प्रतिशत महंगाई बढ़ोत्तरी करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

होम गार्डस, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)-

दिनांक 25.01.2000 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की उपसमिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस विषय को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की समिति की बैठक मे रखा जाय, तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह प्रश्न मैंने उस वर्ग के संदर्भ में पूछा है जिसके प्रति सारा राष्ट्र कृतज्ञ है जिस प्रकार से उत्तर आया है वह चौंकाने वाला है मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र ने 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने का निर्णय कब लिया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की विधिक स्थिति क्या है? इसके द्वारा जो निर्णय लिये जाएंगे उनको लागू करना सरकार के लिए अनिवार्य होगा?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न संगठनों के द्वारा हमें प्राप्त हुए थे, हमने जो दूसरे प्रान्त में उनसे भी सूचना मांगी है अभी यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है फिर भी हमने स्वर्ण जयन्ती वर्ष मानते हुए इस समिति में निर्णय लिया कि सेनानी कल्याण परिषद की समिति के समक्ष रख दिया जाए, समिति में जो निर्णय होगा उसका पालन होगा।

श्री अध्यक्ष-

इसकी विधि क्या है समिति के द्वारा जो निर्णय होता है उसको लागू करने के लिए क्या सरकार बाध्य है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

केन्द्र ने 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का निर्णय कब लिया जो परिषद की चर्चा की इसको समिति को सौंपने का निर्णय लिया है तो उस समिति के द्वारा जो निर्णय लिये जाएंगे क्या शासन के लिए उस निर्णय को लागू करना अनिवार्य है?

श्री श्यामसुन्दर शर्मा-

समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी होते हैं और उपाध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंत्री होते हैं इसमें तमाम संगठन के प्रतिनिधि होते हैं, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय होगा तो निश्चित रुप से सरकार उसका पालन करेगी।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

इसकी बैठक कितने कितने अन्तराल पर होती है क्योंकि 25 जनवरी, 2000 को उप समिति ने निर्णय लिया कि परिषद में जाएगा और परिषद की चार महीने से बैठक नहीं हुई है तो अगली बैठक की कार्यसूची में यह है या नहीं?

श्री श्यामसुन्दर शर्मा-

यह क्योंकि सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रश्न है दूसरे प्रान्तों से भी सूचना प्राप्त कर रहे हैं क्या दूसरे प्राप्त भारत सरकार की योजना का अनुसरण कर रहे हैं या नहीं?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

25 जनवरी, 2000 को उप समिति ने निर्णय लिया कि इसे पूरा समिति को सौंप दिया जाय। कितने-कितने अंतराल में बैठक होती हैं? इसका उत्तर यह नहीं देना चाहते हैं। अगली बैठक की कार्य सूची में इसका विषय है या नहीं, इसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं। मान्यवर, इस वर्ग के साथ लापरवाही उचित नहीं है। इसका जवाब माननीय मंत्री दें।

श्री श्यामसुन्दर शर्मा-

मान्यवर, सीधा जवाब है समिति की मीटिंग के लिए पत्रावली मूव करा दी थी और समिति की मीटिंग शीघ्र करा दी जायेगी और जो निर्णय होगा उससे इस प्रदेश को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय डंग साहब ने सीधा प्रश्न पूछा है। उन्होंने अन्य प्रदेशों के सापेक्ष नहीं पूछा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, उनकी पेंशन में बढ़ोत्तरी कर दी गयी है, तो उसके आधार पर 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने पर विचार कर रही है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश इस निर्णय को लागू करने से पहले अन्य राज्यों से पूछतांछ कर रहा है? उत्तर प्रदेश स्वयं फैसला करे। दूसरा माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यथाशीघ्र बैठक करा देंगे और निर्णय को लागू करेंगे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समिति की एक साल में कितनी बैठकें होती हैं, कितनी बैठकें पिछले वित्तीय वर्ष में हुई और कितनी बैठकें इस वित्तीय वर्ष में जितना समय गुजर गया हैं, में हुई हैं?

श्री श्यामसुन्दर शर्मा-

मान्यवर, अगर हमारी सरकार प्रतिबद्ध और वचनबद्ध न होती तो उप समिति में क्यों रखती। इससे यह सिद्ध होता है कि इसकी सोच रचनात्मक है इसलिए उप समिति ने निर्णय लिया कि इसे पूरी समिति के समक्ष रखा जाय जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी हैं। वहीं पर जो निर्णय माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे उसको हम लागू करेंगे।

जनपद मेरठ के निबन्धन कार्यालयों में स्टाम्प ड्यूटी क्षेत्रीय दर पर अदा कर देने पर भी व्यक्तियों के उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में जानकारी

*5-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या सरकार को जानकारी है कि मेरठ जनपद के निबन्धन कार्यालयों में रजिस्ट्री कराते समय स्टाम्प ड्यूटी क्षेत्रीय दर पर अदा कर देने के उपरान्त भी स्टाम्प ऐक्ट के अन्तर्गत कम स्टाम्प शुल्क दर्शाकर रजिस्ट्री कराने वाले अधिकांश व्यक्तियों पर मुकदमें दर्ज कर उत्पीड़न किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने हेतु क्या उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को नये राशन कार्ड जारी करने हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

*6-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी पुराने राशन कार्ड समाप्त कर गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं के नये राशन कार्ड निर्गत करने का मार्च, 2000 में निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो नये राशन कार्ड कब तक जारी कर दिये जायेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी, हां। पुराने राशन कार्डो के स्थान पर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन (ए0पी0एल0) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन (बी0पी0एल0) श्रेणी के नये बुकलेट फार्म में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को निर्गत करने का निर्णय, वर्ष 1998 में लिया गया है। उपभोक्ताओं को पूर्व में राशन कार्ड निर्गत किये जा चुके हैं। राशन कार्ड बनाया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। जिन व्यक्तियों द्वारा राशन कार्ड बनाये जाने की मांग की जाती है उनके प्रार्थना पत्र पर जांचोपरान्त राशन कार्ड निर्गत कर दिया जाता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इनका निर्णय था कि गरीबी की रेखा के नीचे और गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें राशन उपलब्ध कराने के लिए पुराने कार्ड थे उनको समाप्त करेंगे और वह समाप्त किये गये। अब दो तरह के राशन कार्ड जारी किये गये हैं, एक तो ए0पी0एल0 और दूसरा बी0पी0एल0 लेकिन दोनों के रंग अलग हैं और वह बुकलेट फार्म में है। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि यह राशन कार्ड गांवों में और शहरों की बस्तियों में जारी नहीं हुए हैं। अभी पुराने राशन कार्डो पर ही चीनी देने की व्यवस्था हो रही है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की यह जानकारी अद्यतन नहीं है। सभी लोगों को ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 कैटेगरी के राशन कार्ड जारी कर दिये है। पुराने राशन कार्डो पर कोई वितरण नहीं है अगर किसी दुकान विशेष, ब्लाक विशेष के बारे में माननीय सदस्य जानकारी दे देंगे तो हम उसे दिखवा लेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, फिरोजाबाद तथा नारखी ब्लाक में यह समस्या है। इसके अलावा टापा कलां गांव में 50-50 रु0 वहां व्यक्तियों से लिये गये तब भी राशनकार्ड नहीं मिले, डी0एम0 को कहा गया जांच की गयी, यह बात आयी कि पंचायत के सेकेट्री ने 50-50 रु0 लिये हैं लेकिन अभी तक शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ है। मैंने खुद डी0एम0ओ0 को फोन किया, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने।

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री जी को लिखित सूचना दे दीजिये, मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है।

रघुवर दयाल वर्मा-

कितनी फीस इकट्ठा हुई, कितने राशन कार्ड जारी हुए, इसका कोई लेखा जोखा आपके पास हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, बी0पी0एल0 केटगरी में 95,37,823 कार्ड जारी किये गये। ए0पी0एल0 में 3,01,62,593 कार्ड जारी किये गये। अगर कहीं पर कार्ड जारी नहीं हुए हैं, कोई कठिनाई हो रही है उसकी जानकारी जैसा कि माननीय सदस्य ने हमें बताया एक गांव विशेष, ब्लाक विशेष में, तो हम उसको निश्चित तौर पर दिखवा लेंगे, उसमें कोई दोष पाया जायेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

मान्यवर, यह दो तरह के कार्ड जारी किये गये हैं एक गरीबी रेखा के नीचे और एक गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों के लिये। हमने यह भी कहा है कि कहीं शिकायत हैं तो कैम्प लगवाकर राशनकार्ड बटवा दिये जायेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, विगत दिनों एक निर्णय हुआ केन्द्र सरकार के द्वारा किसको खाद्यान्न 2 हजार तक उपलब्ध करा देंगे? 2 हजार यूनिट पर एक फेयर प्राईज शाप की स्थापना की जायेगी। क्या आपने इसका लक्ष्य पूरा कर लिया?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, हम विभिन्न प्रदेशों से अध्ययन करा रहे हैं, जो व्यवहारिक स्वरुप है वह हमें इस वितरण प्रणाली को देना होगा। हम उस पर बहुत शीघ्र निर्णय लेने जा रहे हैं। एक नई व्यवस्था प्रदेश के सामने आयेगी।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब राशनकार्ड के आधार पर आइडेन्टीकार्ड बनेगा वोट देने का और प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जहां राशनकार्ड नहीं बन पाया है, सोरो विधान सभा में राशनकार्ड नहीं बन पाया है तो क्या सरकार की तरफ से राशन कार्ड बनवाने के लिए कोई विशेष अभियान चला करके, जो राशनकार्ड की कमी है, उसकी पूर्ति की जायेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि जहां कहीं भी कठिनाई होगी, हम कैम्प लगवाकर राशनकार्ड बनवा देंगे, आप हमें उस गांव की सूची दे दें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या 41प्रतिशत से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी ने गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के कार्ड की संख्या कम बताई है, तो क्या उसी अनुपात में जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की तादाद है उसी अनुपात में राशनकार्ड बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष-

जो प्रार्थना पत्र देंगे, उसका बनेगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को, गरीबी की रेखा के नीचे के राशनकार्ड होते हुए भी सामान्य कार्ड दे देते है,तो गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों का जो रेशियों है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या उसी रेशियों से कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगें?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्षजी, यह माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु उठाया है। हमारे प्रदेश में यह जो 95 लाख 37 हजार का कोटा केन्द्र द्वारा निर्धारित किया गया है इतने लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। हमने पिछले दिनों भारत सरकार के खाद्य और रसदमंत्री से बात की थी और उन्हें यह जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या अधिक है और यह जो आप 95 लाख का

कोटा दिया है यह पर्याप्त नहीं है। चूंकि 95 लाख 37 हजार का कोटा निर्धारित हुआ है तो इस पर औसत 96 हजार रुपये सालाना आदमी का है यह गरीबी की रेखा का मतलब है 12 से लेकर 15 हजार तक का है। हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि यह संख्या बढ़ाई जाय लेकिन उन्होंने यह कहा कि यह योजना आयोग से रिपोर्ट आती है और वहां से जो संस्तुति होती है उसी हिसाब से हम कोटा आवंटित करते हैं। हम बहुत जल्दी योजना आयोग में अपनी बात को रखेंगे और प्रयास करेंगे कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जा सके।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वत: 95 लाख की संख्या बताई है। इस प्रदेश की आबादी 16 करोड़ से कम नहीं है और हमारे जो नियोजन विभाग का आंकड़ा है उसके हिसाब से 41 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं तो उस सीमातक जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं उनको कैसे राशन उपलब्ध करायेंगे, इसके बारे में कोई व्यवस्था करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, हमने स्पैष्ट तौर पर कहा कि यह बढ़ना चाहिए, यह उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुकूल होगा।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कार्डों का वितरण जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं अथवा ऊपर हैं, निशुल्क किया जा रहा है, यदि नहीं किया जा रहा है तो क्या शासन की ओर से इसका कोई मूल्य निर्धारित है और दूसरा कैम्प लगाने की योजना माननीय मंत्री जी ने कही तो क्या जिलों में जो खाद्य सलाहकार समितियां है उनके माध्यम से इन कार्डो का समुचित वितरण हो जाय इस पर शासन विचार करेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, राशन निशुल्क उपलब्ध नहीं कराया जाता है, राशन की तो कीमत देनी होती है। राशनकार्ड भी निशुल्क नहीं है, उसकी कीमत है, संभवता अलग-अलग जनपदों में उसकी लागत को देखकर, कहीं 5 रुपये, कही 4 रुपये होगी।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं जानना चाहता था, अधिकतम क्या है और न्यूनतम क्या है? दूसरी बात जाननी चाही थी कि खाद्य सलाहकार समितियां जिले में गठित हैं, क्या उनके माध्यम से राशनकार्ड बांटने पर विचार करेगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जहां तक मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से यह 3 से 5 रुपये के बीच होना चाहिये। मैं इसकी और विस्तृत जानकारी कर लूंगा। जहां तक सलाहकार समितियों का प्रश्न है, सलाहकार समितियों के जरिये से कुछ मदद मिल सकती है, उनका भी सहयोग लिया जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मैं जानना चाहता हूं कि बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत आने वाले लोगों के लिये क्या सरकार निशुल्क कार्ड जारी कराने की व्यवस्था करेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, अभी तक उपभोक्ताओं की तरफ से कहीं से यह मांग नही आई है कि निशुल्क कार्ड जारी किया जाय। इस तरह की अभी कोई मांग नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, विशेष रुप से खाद्यान्न समस्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिये होती है और माननीय मंत्री जी ने बताया कि मात्र 95 लाख राशनकार्ड गरीबी की रेखा के नीचे वालों के लिये दिये गये हैं जबकि गरीबी रेखा के ऊपर वालों के लिये 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं। जैसा कि आपने कहा कि केन्द्र सरकार ने योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिया है। माननीय लाल जी वर्मा ने जानना चाहा था कि जब तक केन्द्र सरकार आपको यह व्यवस्था कर नहीं देती है, तब तक क्या उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिये राशनकार्ड की कोई विशेष योजना करने जा रही है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मैने बहुत स्पष्ट कर दिया कि यह जो मदद हमको मिलती है वह केन्द्र सरकार के जरिये मिलती है, उसी के जरिये हम व्यवस्था कराते है। चूंकि उत्तर प्रदेश के संसाधन बहुत सीमित हैं, इसलिये उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह सरकार गरीब लोगों के लिये राशन कार्ड उपलब्ध कराने में हीलाहवाली कर रही है, यह सरकार गरीबों का भला करने वाली नहीं है, यह गरीब विरोधी है, अत: सरकार के गरीबी विरोधी रवैये को देखते हुये, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन किया।)

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

गरीबों के नाम पर बहुजन समाज पार्टी ने केवल शोषण करने का काम किया है, यह गरीब का रोना रोते हैं, लेकिन कभी करते कुछ नहीं हैं।

प्रदेश के जिला जेलों को आबादी से बाहर स्थानान्तरित किये जाने की कार्य योजना की जानकारी

*7-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जिला जेलों को आबादी से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में सरकार कोई कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

सुरक्षा की दृष्टि से तथा अतिरिक्त बन्दी क्षमता के सृजन हेतु कतिपय शहरों में घनी आबादी के मध्य आ गये कारागारों को शहर के बाहर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है।

घनी आबादी के मध्य आ गयी ऐसे 11 जिला कारागारों को दो चरणों में आबादी के बाहर स्थानान्तरित कर नये कारागार निर्मित कराने पर विचार किया जा रहा है। प्रथम चरण में जिला कारागार-मुरादाबाद, आजमगढ़, वाराणसी, मुजफ्फरनगर तथा शाहजहांपुर एवं द्वितीय चरण में जिला कारागार गाजीपुर, देहरादून, मिर्जापुर, इटावा, झांसी तथा बिजनौर को स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दो कारण बतायें हैं एक तो सुरक्षा की दृष्टि से तथा अतिरिक्त बन्दी क्षमती के सृजन हेतु 5 जिलों के कारागारों को स्थानान्तरित करने की बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो जेलों को स्थानान्तरित किया जायेगा, उन जेलों और उस जेल से लगी हुई जो भूमि है, उन भूमियों का किस प्रकार से उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं और जो सुरक्षा की दृष्टि की बात बतायी है तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से कुछ घटनाओं की जानकारी आप दे सकेंगे कि वहां जेल रहने के कारण सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, 10/5/95 को कैबिनेट के समक्ष यह प्रस्ताव आया था और पास हुआ था कि जितनी भी इस प्रकार की जेलें हैं उनकी समस्त भूमि एवं चल-अचल परिसम्पति से प्राप्त धनराशि उत्तर प्रदेश के स्टेट कन्सोलीडेटेड फण्ड में यथा प्रक्रिया जमा की जायेगी। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो इस सम्पत्ति का निस्तारण करेगी और धनराशि को कन्सोन्लीडेटेड फण्ड में जमा किया जायेगा। जहां सुरक्षा की बात है, चूंकि सैकड़ों वर्ष पुरानी बात हो रही हैं, उस समय आबादी निश्चित रुप से कई किलोमीटर दूर रही होगी और अब ये घनी आबादी के मध्य आ गये हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से जो नयी जेलें बनायी जा रही हैं, उनमें सुरक्षा के पूरे इन्तजाम किए जा रहे हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, जो सम्पत्ति है, परिसम्पत्ति है, उसके निस्तारण के लिए आपने एक योजना बनायी है कि कमिश्नर की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित करके उसके माध्यम से निस्तारित करेंगे। उसको आप किसी को देना चाहते हैं या उसको अपनी सम्पत्ति बनाये रखते हुए किसी अन्य स्वरुप में रखेंगे। यह जिज्ञासा है आप थर्ड पार्टी को बेच देने की मंशा रखते हैं अथवा उसको अपनी कोई और सम्पत्ति बनाने का विचार है?

(इस समय 10 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुये)

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, यह परिस्थिति को देखकर किया जाता है। अभी बुलंदशहर में बाहर शिफ्ट किया है अभी उसको अपना ट्रेनिंग सेन्टर जो पुरानी जेल है, उसको ट्रेनिंग सेन्टर बनाने के लिए प्रस्ताव शासन में विचाराधीन चल रहा है तो जहां इस तरह की परिस्थिति होगी वहां ट्रेनिंग सेन्टर भी खोले जा सकते हैं, विभाग के उपयोग में लाया जा सकता है और जहां ऐसी परिस्थिति नहीं होगी वहां मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में जिस तरह से उसका निस्तारण किया जायेगा, वह धन जमा कराया जायेगा।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो घनी आबादी के अन्दर कारागार हो गये हैं उसकी सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए दो चरणों में स्थानांतरित करने का मन बनाया है मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रथम चरण में जो कारागार स्थानान्तरित करना चाहते हैं वह कब तक कर देंगे?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, यह मामला शासन के विचाराधीन है। 5 जेलों के स्थानान्तरण पर 72 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। जैसे ही व्यवस्था हो जायगी यह कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, क्या भविष्य के लिये कोई ऐसी योजना बनायी जा रही है कि जो नयी जेलें बनें वह आबादी के 2 कि0मीटर की परिधि में न हों।

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, दूरी तो निश्चित नहीं की गयी है लेकिन इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये योजना बनायी जा रही है कि आने वाले समय में नयी जेलों के पास आबादी जल्दी न पहुच सके, इसका ध्यान रखा जा रहा है।

उ0प्र0 एवं मध्य प्रदेश राज्य के हुए पारस्परिक समझौता इलाहाबाद से रीवा, वाराणसी जबलपुर मिर्जापुर से रीवा मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा निजी बसों के संचालन हेतु प्राविधान करने की जानकारी

*8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद से रीवा, वाराणसी जबलपुर मिर्जापुर से रीवा मार्ग पर उ0प्र0 एवं मध्य प्रदेश राज्य के मध्य हुये पारस्परिक समझौते के अनुसार निर्धारित ट्रिपों एवं बसों को स्वीकृत योजना के अनुरुप परिवहन निगम द्वारा चलाया जा रहा है? क्या उक्त योजना में निजी बसों के संचालन हेतु प्राविधान करने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

जी हां। केवल वाराणसी जबलपुर मार्ग पर वर्तमान में सेवायें उ0 प्र0 परिवहन निगम द्वारा नहीं चलायीं जा रही हैं, जिन्हें संचालित किये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

जी नहीं। आवश्यकतानुसार राज्य परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित बसों के रुप में उनका प्रयोग किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्गो का सम्पूर्ण भाग उ0 प्र0 में राष्ट्रीयकृत है। राष्ट्रीयकृत मार्गो पर राष्ट्रीयकरण की योजना के प्राविधानों के अतिरिक्त निजी बसों को संचालन की अनुमति देने का प्राविधान नहीं है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के आखिरी पैरा में कहा है कि निजी बसों के संचालन का प्रतिषेध है। मान्यवर, जहां राष्ट्रीयकरण योजना में संचालन का प्राविधान नहीं है तो क्या राष्ट्रीकरण योजना में निजी बसों के संचालन के प्राविधान की व्यवस्था करेंगे, यदि नहीं तो क्यों?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जो अभी तक व्यवस्था की जो योजना है उसमें निजी बसों को अनुबंधित करके चलाने की व्यवस्था है। जैसा आपने पूछा भविष्य में इस संबंध में ऐसी योजना नहीं है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, राष्ट्रीयकरण की जो योजना है उसमें निजी बसों को अनुबंधित करके चलाने की व्यवस्था है। मोटर यान अधिनियम या अन्य जो नियम हैं उसमें कहां कहां इसकी व्यवस्था है। राष्ट्रीकृत मार्गो पर जहां जहां निगम बसें नहीं चला रहा है वहां निजी बसों को अनुबंधित करके चलाने का किस नियम और अधिनियम का किस उप नियम के अंतर्गत प्राविधान है?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर है। राष्ट्रीयकृत मार्गो पर निजी बसें अनुबंधित करने की व्यवस्था है उस व्यवस्था का पालन किया गया है। अगर नियमों के संबंध में कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहेंगे तो उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, राष्ट्रीयकरण की जो योजना है अगर एक्सक्लूसिव है, अगर नहीं है तो उसमें आप प्राविधान कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि एक मार्ग वाराणसी जबलपुर पर वर्तमान में परिवहन निगम बसें नहीं चला रहा है। यह बसें कबसे नहीं चला रहा है। राष्ट्रीकरण योजना के अधिनियम क्या यह व्यवस्था है कि जहां निगम आवश्यकतानुसार बसें नहीं चला रहा है वहां निजी बसों को परमिट दिये जायं, अगर नहीं दिये जायेंगे तो क्यों?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

आवश्यकतानुसार बसें, चलायी जा रही हैं, अनुबंधित बसें सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं। माननीय विधायक जी ने पूछा है कि कोई योजना है। अभी इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है। अधिनियम से सम्बन्धित जानकारी लेना चाहेंगे तो माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्राविधान करेंगें अगर करेंगें तो कब करेंगे उसकी विधि और प्रारुप क्या होगा? अगर नहीं करेंगे तो जो पब्लिक कन्वीनियन्स सफर कर रही है उसके लिये क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

यह अधिनियम में तो नहीं है लेकिन जहां आवश्यकता होती है योजना लागू की जाती है और आवश्यकता के अनुसार निगम अपनी बसें चलाता है। फिर भी कमी होती है तो अनुबंधित बसें चलाने की व्यवस्था उस मार्ग पर की जाती है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपका संरक्षण चाहिए। 3-4 अनुपूरक के बाद भी विषय स्पष्ट नहीं हो सका। माननीय मंत्री जी अधिनियम की दुहाई दे रहे है। मैं नियम के पालन की बात कर रहा हूं। मैं साफ-साफ कह रहा हूं कि जो राष्ट्रीयकरण की योजना है उसके अनुरुप बसों का संचालन नहीं हो रहा है तो अधिनियम में प्राविधान है कि सेक्शन-66 में शार्ट वैकेन्सी में निजी बसों को अस्थायी परिमिट जनहित में जारी किये जायेंगे जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं कर लेंगे तब तक जारी किये जाते रहेंगे? माननीय मंत्री जी से मेरा यह स्पष्ट निवेदन है कि क्या माननीय मंत्री जी उन मार्गो पर जहां निगम अपनी बसें राष्ट्रीकृत योजना के अनुरुप नहीं चला रहा है तो वहां निजी बसों के संचालन का काम करेंगे?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य ने स्पष्ट पूछा है कि जो राष्ट्रीयकरण योजना है उसके जो प्राविधान है उसके अन्तर्गत जहां पर रोडवेज की बसें नहीं चलायी जा रही है वहां पर जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुये निजी बसें चलायी जायेंगी?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

मान्यवर, आवश्यकतानुसार बसें चलायी जा सकती हैं यह अधिनियम की धारा-103 के अन्तर्गत प्राविधान है। निगम आवश्यकतानुसार अपनी बसें सभी जगह चला रहा है। अगर किसी विशेष रुट पर आवश्यकता है तो इसको दिखवा लेंगें।

*9-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के आदेश पर कांस्टेबिलों के वेतनमान संशोधित किये जाने की जानकारी

*10-श्री राम कुमार एडवोकेट-

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने वर्ष 1996 में जनपद उन्नाव में कार्यरत पुलिस सिपाहियों को मुबलिक चार हजार पचास रुपये का वेतनमान और हेड कान्सटेबिलों को चार हजार पांच सौ रुपया वेतनमान देने का ओदश किया था? यदि हां, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अभी तक कान्सटेबिलों को तीन हजार पचास व हेड कान्सटेबिलों को चार हजार पचास रुपया वेतनमान दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुये उक्त कान्सटेबिलों का वेतनमान संशोधित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

जी नहीं।

पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में युक्ति संगत संस्तुति करने के लिए वेतन समिति गठित की गयी थी। वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1.1.96 से पुनरीक्षत वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं। समिति के निर्णय के आधार पर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों को रु0 3050-4500 तथा हेड कान्सटेबिलों को रु0 3200-4900 का संशोधित वेतनमान दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम कुमार एडवोकेट-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो पुलिस कर्मियों और हेड कांस्टेबिल को वेतन दिया जा रहा है, यह किन राज्य कर्मियों के समकक्ष है और उनकी ड्यूटी समय क्या है? पुलिस कर्मियों का जहां तक सवाल है उनसे जितने समय की ड्यूटी ली जा रही है उसी अनुपात में वेतन वृद्धि की जायेगी या नहीं?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो वेतनमान दिया जा रहा है, वेतन आयोग जो गठित हुआ था और वेतन समिति ने जो निर्णय लिया था उसकी सिफारिशों के आधार पर वेतनमान दिया जा रहा है। जहां तक ड्यूटी पीरियड और सर्विस कन्डीशन की बात है तो इन सब बातों को देखते हुये वेतन आयोग द्वारा विचार किया गया। सरकार ने उन्हीं की संस्तुतियों के आधार पर निर्णय लिया।

श्री राम औतार शाक्य-

सिपाहियों और हेड कांस्टेबिलों के वेतन बढ़ोत्तरी के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अभी एक निर्णय दिया है वह निर्णय सरकार को प्राप्त हो गया है। क्या सरकार ने उस निर्णय के सम्बन्ध में अनुपालन में कोई मामला तय किया है कोई नीति बनाई है कि नहीं?

श्री हुकुम सिंह-

यह जो मूल प्रश्न है वह केवल वर्ष 1996 में जनपद उन्नाव में कार्यरत पुलिस सिपाहियों के सम्बन्ध में उन्होंने रिट याचिका दायर की थी जो निर्णय की प्रति मेरे पास है उस निर्णय के अनुसार उन्नाव में कार्यरत कोई सिपाही नहीं है वह जी0आर0पी0 के दो सिपाही हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी अगर उसी से आपका आशय है तो उसमें निर्णय इतना है कि यह अपना प्रतिवेदन प्रदेश सरकार को देंगे और सरकार एक महीने के अन्दर विचार करके निर्णय देगी। खाली इसमें इतना है कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि इस वेतनमान को पुनरीक्षित कर दिया जाए।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पांचवे वेतन आयोग ने कांस्टेबुलों और हेड कांस्टेबुलों के लिए क्या वेतनमान निश्चित किया था और जो इस सम्बन्ध में एक समिति बनाई गई थी उसने क्या संस्तुति की है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है?

श्री हुकुम सिंह-

इस सम्बन्ध में कहीं न कहीं भ्रांति है। यह सारा प्रकरण तृतीय वेतन आयोग से शुरु होता है तृतीय वेतन आयोग में इनका वेतनमान 354-550 रुपए निर्धारित किया गया था उसके बाद चतुर्थ वेतन आयोग में इनका वेतनमान 1200-1800 की संस्तुति की थी लेकिन वेतन समिति जो गठित हुई उस समय केन्द्र सरकार में सिपाहियों का वेतनमान 950-1400 था इसलिए उस समिति ने 950-1400 वेतनमान की संस्तुति की। एवं 950-1400 का वेतन पांचवे वेतन आयोग में 3050 के समकक्ष बैठता है यही उनको अनुमन्य है। इसमें कोई भ्रांतिकी बात नहीं है। पांचवे वेतन आयोग ने 950 के आधार पर ही सिफारिश की है और अगर 1200-1800 का आधार मानते तो दूसरी सिफारिश होती।

श्री अम्बिका चौधरी-

तृतीय वेतन आयोग और चतुर्थ वेतन आयोग ने कांस्टेबुल और हेड कांस्टेबुल के जिस वेतनमान को देने की संस्तुति की थी उसका एमाउण्ट नहीं पता, पांचवे वेतन आयोग ने जो आधार बनाया और जो रिपोर्ट प्रेषित की उसने कितने एमाउण्ट का स्केल आपको सजेस्ट किया?

क्या स्केल उसने सजेस्ट की? पुलिस सेवा के कान्स्टेबिल और हेड कांस्टेबिल का पद राजस्व विभाग के किस कर्मचारी के समकक्ष हैं और उसको क्या तनख्वाह दी जा रही है?

श्री हुकुम सिंह-

मूल उत्तर पढ़ लें। 1.1.96 से समिति ने कांस्टेबिल का 3050 और हेड कांस्टेबिल का 3200 कर दिया है। जो वेतनमान केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहा है वही प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार दिया जा रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि प्रदेश की पुलिस सेवा के कांस्टेबिल और हेडकांस्टेबिल को राजस्व विभाग के किन कर्मचारियों के समकक्ष रखा गया है और उनको क्या तनख्वाह दी जा रही है?

श्री अधिष्ठाता-

चतुर्थ वेतन आयोग के आधार पर उनको स्केल जो संस्तुति किया गया था वही दिया जा रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं अपने प्रश्न को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। अपनी जान को जोखिम में डालकर 24 घंटे यह कांस्टेबिल और हेडकांस्टेबिल काम करते हैं तो उनको राजस्व विभाग के किन कर्मचारियों के समकक्ष माना जा रहा है?

श्री हुकुम सिंह-

वेतनमान का वह आधार नहीं है जिसका वर्णन आपने किया। यह वेतन समिति द्वारा तय किया जाता है। इनकी मांग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन की मांग थी जो पूरी कर दी गई है।

श्री अम्बिका चौधरी-

क्या कांस्टेबिल लेखपाल के बराबर है, क्या कांस्टेबिल राजस्व विभाग के चपरासी के बराबर है? अमीन के बराबर है? मंत्री जी उत्तर दे दें?

श्री हुकुम सिंह-

कांस्टेबिल सिपाही के समकक्ष है राजस्व के चपरासी के समकक्ष नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मौर्या जी कृपया बैठ जांय।

*11-श्री राम नरेश यादव-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

नोट :- नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के गठन की मांग

*12-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन करने पर सरकार विचार कर रही हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)-

राज्य सरकार द्वारा राज्य में मानवाधिकार आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में राष्ट्रीय राज मार्गों पर डग्गामार वाहनों तथा कानपुर-झांसी, कानपुर-आगरा वाया इटावा राज मार्गों पर शताब्दी ट्रेवेल्स की बसों के संचालन को बन्द करने की मांग

*13-श्री श्रीराम पाल-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय राज मार्गों पर डग्गामार वाहनों के संचालन से परिवहन निगम को आर्थिक क्षति हो रही है? इसकी रोकथाम हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? क्या कानपुर-झांसी तथा कानपुर-आगरा वाया इटावा राजमार्गों पर शताब्दी ट्रैवल्स की दर्जनों डग्गामार बसें चलायी जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इनका संचालन बन्द कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत रुप से संचालित वाहनों की रोकथाम हेतु समय-समय पर जिला प्रशासन पुलिस एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जाता है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वारा नियमित चेकिंग करके अनधिकृत रुप से संचालित वाहनों का चालान का उन्हें मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा-207 के अन्तर्गत बन्द की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*14-श्री बी0आर0 वर्मा-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

अतारांकित प्रश्न

राज्यमंत्रिमण्डल के सदस्यों को स्थानीय (लखनऊ) प्रयोग हेतु स्कोर्ट गाड़ियों को उपलब्ध कराने की जानकारी

1-श्री राम सिंह सैनी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्रिमण्डल के किन-किन सदस्यों को स्थानीय (लखनऊ) प्रयोग के लिए स्कोर्ट गाड़ियां उपलब्ध कराई गई? जिन्हें स्कोर्ट गाड़ियां नहीं उपलब्ध हैं उन्हें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

श्री राम प्रकाश-

राज्य मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों को स्कोर्ट के लिए संबंधित विभागों से गाड़ियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रचलित है। राजधानी क्षेत्र के संबंध में शासनादेश दिनांक 4.12.98 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्कोर्ट वाहन का त्याग किया जाए।

हरदोई डिपो से राजकीय सड़क परिवहन निगम की बस हरदोई से कुरसठ तक पुनः संचालित करने की जानकारी

2-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई डिपो से राजकीय सड़क परिवहन निगम की बस हरदोई से कुरसठ तक संचालित की जाती थी? क्या सोनहार ड्रेन पर पुलिया टूटने के कारण उक्त बस का संचालन रोक दिया गया था? क्या उक्त पुलिया का अब निर्माण करा दिया गया है? यदि हां, तो उक्त रुट पर राजकीय बसों का पुनः संचालन कब से किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

जी नहीं। संचालन प्रतिफल संतोषजनक न होने के कारण जनवरी, 1996 से उक्त संचालन बन्द कर दिया गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग के अनधिसूचित होने के कारण निगम बसों का संचालन अनुमन्य नहीं है।

जनपद कुशीनगर में केवल राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ही अनुबन्धित बसों का संचालन

3-श्री दीपलाल भारती-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर के छितौनी कस्बा तक रेल सुविधा बन्द कर दिये जाने के कारण क्या मंत्री जी यात्रियों की सुविधा हेतु परिवहन निगम की अनुबन्धित बसें छितौनी से खड्डा होकर सिसवां बाजार से गोरखपुर तक चलाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

उक्त मार्ग का सिसवां सबया ढाला भाग राष्ट्रीयकृत है तथा सबया ढाला-खड्डा छितौनी भाग अराष्ट्रीयकृत है। अनुबन्धित बसों का संचालन केवल राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ही किया जाता है, अतः इस मार्ग पर अनुबन्धित बसों का संचालन सम्भव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन की शासन के विचाराधीन जांच रिपोर्ट

4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लाल बहादुर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के विरुद्ध शासन के आदेश दिनांक 30.05.1997 के क्रम में क्या भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या रहे ? कौन-कौन लोग दोषी पाये गये और दण्ड क्या निर्धारित किया गया?

श्री राम प्रकाश-

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है। जो शासन के विचाराधीन है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों पर जांच/कार्यवाही की जानकारी

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-88 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्र सं0-ग-2 नं0 631884, 631885, 631886, 440020, 440036 दिनांक 20.01.1999 की जांच किस स्तर से करायी गयी? तथ्यों की जानकारी हेतु किस-किस से सम्पर्क किया गया? क्या शिकायत कर्ता से भी जांच कर्ता द्वारा सम्पर्क किया गया था? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उपरोक्त पत्र डी0आई0जी0 इलाहाबाद को 20.01.1999, 26.02.1999, 30.03.1999 को भी प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र से करायी गयी थी। प्राप्त सूचनानुसार अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त जांचकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता या अन्य किसी से सम्पर्क करना समीचीन प्रतीत नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त प्रश्न में उल्लिखित पत्र संख्या-440020 एवं 440036 पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाये गये। प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही के विषय में प्रश्न संख्या-88 के परिप्रेक्ष्य में उत्तर दिया जा चुका है। जो पत्र प्राप्त नहीं हुए उन पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

6-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

[दिनांक 27.3.2000 को अता0 प्र0 सं0-120 द्वारा उत्तरित।]

7-श्री अजय कुमार पोइया-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जनपद बलरामपुर गन्ना मिल/किसान महाविद्यालय बभनान गोण्डा व बाजार की दूरी/पेराई क्षमता/मिल में प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था की जानकारी

8-श्री शिव सिंह चक-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-67 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नगत गन्ना मिल से प्रश्नगत डिग्री कालेज तथा बाजार कितनी दूरी पर स्थित है तथा मिल की पिराई क्षमता कितनी है? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त फैक्ट्री में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई संयत्र नही लगाया गया है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)-

बलरामपुर गन्ना मिल तथा किसान महाविद्यालय बभनान, गोंडा सटे हुए है तथा बाजार लगभग 250-350 मीटर की दूरी पर है। मिल में गन्ने की वर्तमान पिराई क्षमता 5500 मैट्रिक टन/दिन की है।

उद्योग में जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निम्न व्यवस्था की गई है।

(1)कुल चार ब्यालरों से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कुल चार संख्या में मल्टी साइक्लोन तथा भूतल से 40 मीटर ऊंची कुल चार चिमनी स्थापित है।

(2)ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सरप्लस एग्जास्ट स्टीम साइलेन्सर, एअरबेट साइलेन्सर्स, हाई प्रेशर स्टीम ड्रेन्स, अन्डर ग्राउन्ड स्टीम ड्रम साइलेन्सर स्थापित किये गये हैं।

(3)जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु बार स्क्रीन्स, आयल एण्ड ग्रीस ट्रेप; इक्वलाइजेशन टैंक, न्यूट्रेलाइजेशन टैंक, न्यूट्रीयन्ट डोजिंग टैंक, प्राइपरी सेटलिंग टैंक, एरीयेशन टैंक, सेकेण्डरी क्लेयरीफायर्स, हापरवाट्य, सेटलिंग टैंक, स्लज ड्राईग बेड्स आदि उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की इकाईयां स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, थाना जैतीपुर में टेलीफोन लगाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

9-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" -

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 10.1.2000 जो थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर में टेलीफोन लगवाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उपरोक्त पत्र पर जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है? यदि हां, तो उस पर जिलाधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर में टेलीफोन एक्सचेंज न होने के कारण टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो पायी है।

प्रश्न नहीं उठता।

10-श्री अजय कुमार पोइया-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जनपद उन्नाव में अपराधों के ग्राफ अनुसार अमूल चूल परिवर्तन की मांग

11-श्री राम कुमार एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में वर्ष 1999 की अपेक्षा वर्तमान वर्ष 2000 मार्च तक तीन माह में कितने प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुई है? क्या सरकार जनपद उन्नाव में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस विभाग में कोई आमूल चूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जनपद उन्नाव में वर्तमान वर्ष,2000 में मार्च, माह तक (अर्थात् प्रथम तीन माह में) 694 अपराध हुये, जबकि वर्ष 1999 की समतुल्य अवधि में 708 अपराध हुये थे। अत: वर्ष 1999 की तुलना में वर्ष, 2000 में अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में ऐसी किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

12-श्री नरेन्द्र सिंह-

[छठे मंगलवार में अता0प्र0सं0-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद इलाहाबाद शहर सीमा के बन्द निबन्धक कार्यालय को पुनः खुलवाने की मांग

13-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या कर एवं संस्थागत वित्त मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद शहर सीमा में दो निबन्धक कार्यालयों में से एक निबन्धक कार्यालय को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में उक्त निबन्धक कार्यालय को पुनः खुलवाने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

नवसृजित जनपद कौशाम्बी के अधिसूचित हो जाने के पश्चात् उपनिबन्धक कार्यालय चायल-द्वितीय के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले अधिकतर ग्राम जनपद कौशाम्बी में चले गये हैं। अतएव उक्त उपनिबन्धक कार्यालय दिनांक 20.5.1999 से बन्द कर दिया गया है। और इसे पुनः खोले जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़, कोतवाली के ग्राम पुरे ईश्वरनाथ के मदन मोहन विश्वकर्मा की हत्या की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानकारी

14-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28/29 जनवरी, 2000 को कोतवाली नगर प्रतापगढ़ के निवासी ग्राम पुरे ईश्वरनाथ के मदन मोहन विश्वकर्मा की हत्या कर दी गयी थी? क्या उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना दिनांक 4.3.2000 को अ0सं0-117/2000 धारा-302/120 बी0भा0द0वि0 के तहत कोतवाली नगर में दर्ज है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? इस घटना में कौन-कौन व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम प्रकाश-

दिनांक 29.1.2000 को प्रातः ए0एन0ए0 ट्रेनिंग सेंटर कैम्पस प्रतापगढ़ में श्री मदन मोहन विश्वकर्मा नि0 ग्राम पुरे ईश्वरनाथ की लाश अमरुद के पेड़ से लटकती हुई पायी गयी थी।

जी हां।

उक्त अभियोग में डा0 फतेहबहादुर सिंह मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ को काइश्तवाह नामजद किया गया है किन्तु अब तक की विवेचना से उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका है। विवेचना प्रचलित है।

जनपद बांदा कोतवाली में दर्ज मुकदमा सं0-198/99 की सी0बी0आई0 द्वारा विवेचना

15-श्री अकबर हुसैन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु0अ0सं0-198/99 धारा-498 ए/306 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज कोतवाली बांदा जनपद बांदा की सी0बी0आई0 से विवेचना कराने हेतु न्याय एवं पुलिस विभाग की संस्तुति प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 को सौंप दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित मु0अ0सं0-198/99 के स्थान पर मु0अ0सं0-196/99 की विवेचना सी0बी0आई0 को माननीय उच्च न्यायलय के निर्णय/आदेशों के अनुपालन में सौंपी गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, परिवहन निगम के सीनियर फोरमैन के विरुद्ध उच्चाधिकारी/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार की पुष्टि उपरान्त अनुशासनात्मक कार्यवाही

16-श्री लाल जी वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन निगम फैजाबाद क्षेत्र में कार्यरत श्री वी0के0 सिंह रघुवंशी, सीनियर फोरमैन, जिनके विरुद्ध पूर्व में दो क्षेत्रीय प्रबन्धकों को मारने-पीटने का आरोप है, श्री बालेश्वर राय, निरीक्षक, सतर्कता विभाग द्वारा की गयी जांच में दोषी पाये गये थे और उनके विरुद्ध पुनः वर्तमान सेवा प्रबन्धक के पत्रांक 933 दिनांक 29.9.1999 पत्रांक 950, दिनांक 11.10.1999 व पत्रांक 7266, 18.12.1999 द्वारा उच्च अधिकारियों के पास रिपोर्ट लम्बित है? क्या श्री वी0के0 सिंह रघुवंशी की जनपद-फैजाबाद में तैनाती पर माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ ने प्रतिबन्ध लगाया है? यदि हां, तो उन्हें फैजाबाद में किन परिस्थितियों में तैनात किया गया है तथा श्री वी0के0 सिंह के विरुद्ध उपरोक्त मामलों में विधिसम्मत कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जांचोपरान्त केवल उच्चाधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर इनके स्थान्तरण की संस्तुति की गयी, जिसके उपरान्त इन्हें बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया।

सेवा प्रबन्धक के पत्रों के आधार पर श्री वी0के0 सिंह को आरोपित किया गया।

वर्तमान में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

कार्यहित में श्री वी0के0सिंह को पुनः फैजाबाद में तैनात किया गया है। श्री सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिशील है।

17-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

[दिनांक 27.3.2000 को अता0प्र0सं0-159 द्वारा उत्तरित।]

जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मुकदमों के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

18-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुरा देवसरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-28/2000, 30/2000 एवं 30ए/2000, 90ए/99, 90बी/99 के अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम प्रकाश-

थाना आसपुरा देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 28/2000 धारा 323/506 भा0द0वि0 के चारों अभियुक्त क्रमशः राम नाथ यादव, हरिश्चन्द्र यादव, सुभाष चन्द्र यादव तथा मूल चन्द्र यादव ने दिनांक 26.4.2000 को न्यायालय में आत्म समर्पण कर जमानत कर ली है।

मुकदमा अपराध संख्या 30/2000 धारा 147/148/307/304/506/323 में पारस नाथ यादव आदि 8 अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 4-5-2000 को आरोप पत्र सं0-37 प्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण को गिरफ्तारी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्टे आदेश हैं तथा मुकदमा अपराध संख्या-30ए/2000 में जुर्म खारिजा की रिपोर्ट प्रेषित की गयी, क्योंकि जुर्म का होना नहीं पाया गया।

मुकदमा अपराध संख्या-90ए/99 धारा 452/342/504/506 भा0द0वि0 व 90 बी/99 धारा 452/342/405/506 भा0द0वि0 की विवेचना से जुर्म का होना नहीं पाया गया अत: जुर्म खारिजा के साथ दिनांक 5.5.2000 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

उपनिबन्धक, सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश फैजाबाद मण्डल द्वारा आरोपित, जनपद फैजाबाद सहकारी जिला बैंक लि0 के सचिव/महाप्रबन्धक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश

19-श्री लाल जी वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0, फैजाबाद मण्डल द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं0-7566-70 दिनांक 24 फरवरी, 2000 में सचिव/महाप्रबन्धक, फैजाबाद सहकारी जिला बैंक लि0, फैजाबाद को उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-103 की उपधारा-1(1) के अधीन आरोपित किया है? यदि हां, तो उक्त आरोपित सचिव/महाप्रबन्धक के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)-

जी हां।

आरोपित सचिव/महाप्रबन्धक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद बुलन्दशहर के डा0 अजीम द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

20-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9.2.2000 जो डा0 राहत अजीम के पठान जाति का होने के बावजूद चिकवा कस्याव पिछड़ी जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में था, जो उनके पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-1/31260, दिनांक 9.2.2000 द्वारा जांच हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को भेजा गया है, क्या उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां, शासन द्वारा उक्त पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को जांच हेतु भेजा गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर ने यह आख्या भेजी है कि उक्त प्रकरण राजस्व, शिक्षा आदि विभागों से संबंधित है। अत: जिलाधिकारी, बुलंदशहर से आख्या शीघ्र अपेक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव थाना अजगैन में पंजीकृत अपराध के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी

21-श्री राम कुमार एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना-अजगैन, जनपद-उन्नाव में दर्ज मु0अ0सं0-1036/2000 धारा 147, 304, 202, 506 भा0द0वि0, दिनांक 15.3.2000 के नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? अभियुक्तों को कब तक गिरफ्तार किया जायेगा?

श्री राम प्रकाश-

प्रश्नगत मु0अ0सं0 1036/2000 धारा 147, 304, 202, 506 भा0द0वि0, दिनांक 15.3.2000 थाना अजगैन, जनपद उन्नाव में पंजीकृत होना नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर अमरजई के श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव के घर पर हुई चोरी की विवेचना/माल बरामदगी सम्बन्धी जानकारी

22-श्री चन्द्रेश पासवान-

विधान सभा के प्रथम सत्र. 2000 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-5 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विवेचना द्वारा किस तिथि से विवेचना आरम्भ की गयी है और पहला पर्चा किस तिथि को काटा गया है? माल बरामदगी एवं मुल्जिमों की गिरफ्तारी हेतु किस-किस तिथि को कहां-कहां छापे मारे गये है? किन-किन बदमाशों से किस-किस तिथि को पूंछतांछ की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

मु0अ0सं0-347/99 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना कोतवाली फतेहपुर की विवेचक द्वारा दि0 28.9.99 को प्रारम्भ की गयी और पहला पर्चा दि0 28.9.99 को काटा गया है।

माल बरामदगी एवं मुल्जिमों की गिरफ्तारी हेतु विवेचक द्वारा दि0 27.1.2000, 29.1.2000, 31.1.2000, 2.2.2000 व 3.2.2000 को मोहल्ला अमरजई, पीरन पुरपनी, मुराइन टोला व अन्य सम्भावित स्थानों पर अज्ञात अभियुक्तों एवं चोरी गयी सम्पत्ति की सुरागरसी पतारसी की गयी।

विवेचना से किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में न आने के कारण किसी व्यक्ति विशेष के यहां न तो दविश दी गयी और न ही पूंछतांछ की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं की समस्त खरीद सीधे किसानों से करने का प्राविधान

23-श्री राम नरेश यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रबी की फसल विशेष रुप से गेहूं की खरीद व भण्डारण के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? क्या उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए व बिचौलियों के शोषण से मुक्ति हेतु कोई योजना है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

वर्तमान रबी खरीद वर्ष 2000-2001 में प्रदेश सरकार द्वारा 20 लाख मी0 टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से 15 लाख मी0 टन गेहूं प्रदेश की आवश्यकता हेतु स्टेट पूल में भण्डारित करने का लक्ष्य निर्धारित है तथा शेष 5 लाख मी0 टन भारतीय खाद्य निगम को सेन्ट्रल पूल हेतु हस्तान्तरित किया जाएगा।

वर्तमान रबी खरीद वर्ष 2000-2001 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुलभ कराने हेतु समस्त खरीद किसानों से सीधे की जा रही है। बिचौलियों के माध्यम से गेहूं की खरीद किए जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत कबीर नगर, तहसील खलीलाबाद निवासी माली टोला के श्री प्रहलाद पुत्र श्री हरखू के भवन निर्माण के अवरोध दूर करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

24-श्री अक्षयवर लाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रहलाद पुत्र श्री हरखू निवासी माली टोला, खलीलाबाद, जिला-संत कबीरनगर के भवन निर्माण में किये जा रहे अवरोध को दूर कराने विषयक श्री वेद प्रकाश, राज्य मंत्री, होमगार्डस, राजनैतिक पेंशन का पत्र संख्या-138/बी0आई0पी0/होमगार्डस रा0पे0ना0सु0/2000, दिनांक 25 मार्च, 2000 पुलिस अधीक्षक, संत कबीरनगर को प्राप्त हुआ है? उक्त पत्र के साथ संलग्नक क्या-क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त पत्र की प्रतियां संलग्नकों सहित सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

उक्त पत्रं के साथ उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनु0-14 लखनऊ का पत्र दिनांक 25.10.99 एवं राज्य मंत्री होमगार्डस, राजनैतिक पेंशन,एवं नागरिक सुरक्षा का पत्र दिनांक 11.12.99 तथा सुभाष चन्द्र गौड़ का प्रार्थना पत्र व चिकित्सकीय प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रार्थना पत्रों की जांच क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद द्वारा की गयी। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया धारा 323/506 भा0द0वि0 का अपराध पाये जाने पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0स0 286/2000 धारा 147/323/506 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया। मामले में मा0 न्यायालय द्वारा भूमि पर हो रहे निर्माण के संबंध में स्थगनादेश पारित किया गया है। अतः इस संबंध में पुलिस द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के स्मृति गैस हाउस चिनहट स्थित गोदाम में पड़ी डकैती में लूटे गये सिलेण्डर, स्पेशल आपरेशन ग्रुप द्वारा बरामद विषयक घटना की पुर्नविवेचना

25-श्री विनोद मणि-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि स्मृति गैस हाउस, लखनऊ के चिनहट स्थित गोदाम में डकैती हो गयी थी जिसकी रपट दिनांक 30.8.1999 अपराध संख्या-205/99 थाना चिनहट में पंजीकृत है? क्या यह सही है कि उक्त डकैती में लूटे गये सिलेण्डर, स्पेशल आपरेशन ग्रुप द्वारा मेरठ में फरवरी, 2000 में बरामद हुए है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकारर इस घटना की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

दिनांक 19.2.2000 को थाना देहलीगेट जनपद मेरठ में एस0ओ0जी0 पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से गैस सिलेण्डर बरामद किये गये थे, जिसमें से 32 गैस सिलेण्डर जनपद लखनऊ से चोरी किया जाना अभियुक्तों द्वारा बताया गया है।

पुलिस द्वारा अभियुक्तों को रिमाण्ड पर लेकर पुर्नविवेचना की जा रही है।

जी नहीं।

पुलिस द्वारा इस अभियोग में पुर्नविवेचना की जा रही है अतः सम्प्रति सी0आई0डी0 जांच का औचित्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पर बकाया यात्री व मार्ग कर एवं उसके भुगतान की जानकारी

26-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 परिवहन निगम के ऊपर वर्तमान समय में कुल कितना यात्री कर, मार्ग कर अतिरिक्त कर का बकाया है? उसका भुगतान न किये जाने का क्या कारण है? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

दिनांक 31.3.2000 तक उ0प्र0 परिवहन निगम पर यात्रीकर/अतिरिक्त कर के मद में रु0 218.88 करोड़ बकाया है। मार्गकर के मद में कोई बकाया नहीं है।

पूर्व वर्ष में परिवहन निगम द्वारा उक्त धनराशि अन्य मदों में खर्च कर ली गयी जिसके कारण यात्रियों से वसूली गयी यात्रीकर की धनराशि पूर्ण रुप से जमा नहीं की जा सकी।

यात्रीकर की बकाया धनराशि रु0 212.62 करोड़ को अंशपूंजी में परिवर्तित करने हेतु परिवहन निगम का प्रस्ताव हुआ है।

27-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[दिनांक 27.3.2000 को अता0प्र0सं0-112 द्वारा उत्तरित।]

जनपद उन्नाव के जिला सहकारी बैंक शाखा प्रबन्धक, बीघापुर के विरुद्ध जांच कार्यवाही की जानकारी

28-श्री कृपा शंकर सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-124 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, लि0, उन्नाव के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये शाखा प्रबन्धक, बीघापुर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

पटेल राम कुमार वर्मा-

जी हां।

जांच में दोषी पाये गये शाखा प्रबन्धक को शाखा बीघापुर से स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोप पत्र निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा, थाना कोतवाली नगर में श्री सन्तूलाल पुत्र गजोधर द्वारा पंजीकृत अपराध के अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

29-श्री राजपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्तूलाल पुत्र गजोधर निवासी ग्राम-सुहाना, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-बांदा द्वारा दिनांक 5.8.99 को थाना कोतवाली नगर बांदा में भारतीय दण्ड विधान

की धारा 504/506/427/323 के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 386/99 के प्रकरण में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी न किये जाने के क्या कारण है? क्या प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, बांदा को कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 25.2.2000 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम प्रकाश-

प्रश्नगत अभियोग के अभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह व अजीत सिंह को दिनांक 5.5.2000 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। चालान द्वारा आरोप पत्र सं0 201/2000 दिनांक 6.5.2000 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

जी हां।

विपक्षीगण सुरेन्द्र सिंह व अजीत सिंह के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गयी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी सन्तूलाल के विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा न्यायालय से आदेश प्राप्त कर पंजीकृत कराये गये अभियोग सं0 सी0-2/99 में विवेचनोपरान्त जुर्म खारिजा रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है।

जनपद बांदा, थाना नगर कोतवाली में उपनिरीक्षक श्रीमती ज्ञानेश वर्मा के विरुद्ध फौजदारी वाद पर जारी गैर जमानती वारंट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

30-राजपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, उन्नाव के कार्यालय में कार्यरत उपनिरीक्षक, श्रीमती ज्ञानेश वर्मा के विरुद्ध वादी फरहत अली खान, निवासी मुहल्ला-अलीगंज, थाना कोतवाली नगर बांदा, जनपद-बांदा, द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धाराओं 420/466/468/469/471/166/267/120-बी0/500 के अन्तर्गत दायर फौजदारी वाद सं0-3887/1x/99 में दिनांक 25.1.2000 को सी0जे0एम0, बांदा की अदालत से गैर जमानती वारंट तथा उसकी चल व अचल सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश निर्गत हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

जी नहीं। प्रश्नगत इश्तगासा के स्थगन हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट पिटीशन सं0-2860/97 में दिनांक 12.5.97 को स्थगनादेश पारित हुआ था। वादी फरहत अली द्वारा सी0जे0एम0 बांदा की अदालत से दिनांक 25.1.2000 को जारी कराया गया वारन्ट व कुर्की का आदेश मा0 उच्च न्यायालय के उक्त स्थगनादेश के अवलोकनोपरान्त पीठासीन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया।

जनपद बांदा, थाना कोतवाली नगर के ग्राम सुहाना के सन्तूलाल पुत्र गजोधर की भूमि पर गेहूं की फसल काट लेने विषय जिलाधिकारी बांदा को प्राप्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

31-श्री उदय राज यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ग्राम सुहाना, थाना कोतवाली, नगर बांदा निवासी सन्तूलाल पुत्र गजोधर आदि की खेतिहर भूमि के रकबा 25 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल नगर बांदा के अजीत सिंह व सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व0 बीरेश्वर सिंह तथा जयसिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासीगण

मुहल्ला सिविल लाइन्स शहर बांदा द्वारा जबरदस्ती काट लेने विषयक जिलाधिकारी, जनपद बांदा का शिकायती पत्र दिनांक 7-4-2000 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

प्रश्नगत जमीन के सम्बन्ध में वाद न्यायालयों में विचाराधीन हैं। अत: न्यायालयों का निर्णय प्राप्त होने से पूर्व प्रश्नगत मामले में पुलिस हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

जनपद मथुरा, एग्लों इण्डियन स्कूल में तोड़फोड़ की घटना की जांच में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

32-श्री पीटर फैन्थम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दिनों मथुरा में घटित एग्लों इण्डियन स्कूल में तोड़फोड़ की घटना हुई है? यदि हां, तो उसके लिये कौन-कौन दोषी है तथा उन दोषियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां,तो क्या? उपरोक्त घटना की जांच कौन कर रहा है? क्या सरकार उपरोक्त घटना की जांच सी0आई0डी0 से कराने जा रही है? यदि नहीं,तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 10/11 अप्रैल, 2000 की रात्रि के समय सन्त टेरेसा स्कूल कोसी कलां में 9-10 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्कूल में घुसकर प्रधानाचार्य के0के0थामस एवं महिला कर्मचारी मिस मेरी एवं मिस्टर गलेनिया पुरम को मार पीट कर नकदी व सामान आदि लूटपाट की सूचना की तहरीर के आधार पर अ0सं0-83/2000 धारा 395/197 भा0द0वि0 9-10 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है।

उपरोक्त अभियोग में 9-10 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है और अथक प्रयास के बाद भी अभी तक सही अभियुक्त प्रकाश में नहीं आये हैं। अत: ऐसी स्थिति में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

उपरोक्त घटना की विवेचना थानाध्यक्ष, कोसीकलां द्वारा की जा रही है।

जी नहीं।

स्थानीय पुलिस जांच कर रही है।

प्रदेश में गेहूं खरीद हेतु खोले गये क्रय केन्द्रों एवं एजेन्सियों के विवरण की जानकारी

33-श्री राम नरेश यादव-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000 में गेहूं खरीद के लिये कितने क्रय केन्द्र खोले गये हैं तथा किन-किन एजेन्सियों से यह व्यवस्था करायी गयी है? क्या यह सही है कि सरकार ने इस वर्ष संबंधित एजेन्सियों को क्रय हेतु उन्हें कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

वर्तमान रबी खरीद वर्ष 2000-2001 में गेहूं खरीद के लिए विभिन्न क्रय एजेन्सियों के अब तक 4418 क्रय केन्द्र खोले गए हैं। खाद्य विभाग की विपणन शाखा, प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडेरेशन, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश कृषि एवं औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, केन्द्रीय भण्डारागार निगम तथा भारतीय खाद्य निगम एजेन्सियां है जिनसे गेहूं की खरीद कराई जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के कोन ब्लाक में पंजीकृत आदर्श महिला सिलाई कढ़ाई एवं उत्पादन सहकारी समिति पचेवरा और उत्पादन समिति सरैया तथा मिर्जापुर नगर हाउसिंग सोसायटी के पंजीकृत होने की जांच की मांग

34-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के कोन ब्लाक में पंजीकृत आदर्श महिला सिलाई कढ़ाई एवं उत्पादन सहकारी समिति पचेवरा एवं महिला सिलाई कढ़ाई और उत्पादन समिति सरैया तथा मिर्जापुर नगर हाउसिंग सोसायटी पंजीकृत है? यदि हां, तो प्रश्नगत समितियों का गठन/चुनाव कब और किस मापदण्ड के तहत कराया गया है? क्या यह सच है कि प्रश्नगत समितियों का गठन/चुनाव मात्र कागजी एवं उसके उद्येश्यों के विपरीत किया गया है? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत समितियों की जांच करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री हर्षदेव की दत्तक पुत्री कनकलता को पेंशन दिलाने विषयक प्रमुख सचिव, राजनैतिक पेंशन (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) को प्राप्त पत्र का शासन के विचाराधीन प्रकरण

35-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-12-99 जो श्री हर्षदेव की दत्तक पुत्री कनकलता को पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, राजनैतिक पेंशन (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या कनकलता को राजनैतिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पेंशन स्वीकृत कर दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

जी हां।

जी नहीं।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

श्री ललित मोहन मेहरोत्रा, बरेली विकास प्राधिकरण के अभियंता के भ्रष्टाचार की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जारी विवेचना

36-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि थाना-प्रेमनगर जनपद बरेली में अपराध संख्या-1089/97 धारा 13 (1) ई0 व 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुख्य अभियन्ता श्री ललित मोहन मेहरोत्रा, बरेली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध पंजीकृत है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

दिनांक 1-10-97 को श्री महेन्द्र कुमार कौशिक, निरीक्षक, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, बरेली, बरेली सेक्टर, बरेली ने अभियुक्त श्री ललित मोहन मेहरोत्रा, अभियन्ता विकास प्राधिकरण, बरेली के विरुद्ध राजकीय सेवा में रहते हुए ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना प्रेमनगर, बरेली पर मु0अ0सं0-1089/97 धारा 13(1) ई सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत कराया था।

इस अभियोग की विवेचना सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत वर्ष 1999-2000 में प्रदेश सरकार को प्राप्त धनराशि की जानकारी

37-श्री राम औतार शाक्य-

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 में नाबार्ड द्वारा आवंटित धनराशि क्या प्रदेश सरकार को प्राप्त हो गयी है? यदि हां,तो कितनी? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव हरीश जी)-

नाबार्ड प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित योजनाओं को स्वीकत देता है। काम होने पर योजनाओं पर हुये खर्च के विरुद्ध धनराशि वितरित करता है। वर्ष 1999-2000 में राज्य सरकार को 319,80,09,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुयी।

जनपद गोरखपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम गोरखपुर के प्रकरण पर शासकीय अधिवक्ता की राय पर हुए नुकसान हेतु कार्यवाही की जानकारी

38-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु वाद न्यायाधीश गोरखपुर ने वाद संख्या 47/87 विट्ठल दास अग्रवाल बनाम उ0प्र0 सरकार ने निर्णय देते हुये लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण मुकदमा है जिसमें शासन को शासकीय अधिवक्ता द्वारा दी गई गलत राय के कारण 80 लाख रुपये का नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शासकीय अधिवक्ता,सिविल के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)-

जी हां।

किन्तु जहां तक शासकीय अधिवक्ता द्वारा दी गयी राय का प्रश्न है, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता को नियुक्त नहीं किया गया था और न ही उनके द्वारा इस वाद में पैरवी करायी गयी और न ही जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा कोई विधिक राय ही दी गई है। नगर निगम की पत्रावली पर भी कोई लिखित राय उपलब्ध नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त वाद संख्या 47/48 के निर्णय दिनांक 25-5-93 के विरुद्ध गोरखपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम, गोरखपुर द्वारा दाखिल अपील संख्या 55/93 दिनांक 30-3-96 को स्वीकार हो चुकी है। अतः निर्णय प्रभावहीन हो चुका है। अब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 509/96 लम्बित है, अतः वर्तमान समय में प्रश्नगत निर्णय के आधार पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद मिर्जापुर के कोन विकास खण्ड ग्राम पचेवरा में कार्यरत आदर्श सिलाई कढ़ाई और उत्पादन सहकारी समिति लि0 में पुरुष बैंक प्रतिनिधि के चयन की जांच एवं कार्यवाही की मांग

39-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के कोन विकास खण्ड में आदर्श सिलाई कढ़ाई और उत्पादन सहकारी समिति लि0 ग्राम पचेवरा में कार्यरत है? क्या प्रश्नगत समिति द्वारा जिला सहकारी बैंक लि0, मिर्जापुर की सदस्यता ग्रहण की गयी है? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत समिति का

कार्यक्षेत्र पचेवरा ग्राम तक ही सीमित है और उसकी सदस्यता केवल महिलायें ही ग्रहण करने के लिये समिति के बायलाज द्वारा अधिकृत है? क्या प्रश्नगत समिति से बैंक प्रतिनिधि के रुप में श्री भगवती प्रसाद पुत्र पुरुषोत्तम का चयन किया जाना वैधानिक है? यदि नहीं, तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

प्रकरण में जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश निबंधक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 को दिये गये है।

जनपद प्रतापगढ़ थाना जेठवारा के श्री उमानाथ पुत्र श्री राम दुलारे की हत्या की विवेचना में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

40-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमा नाथ पुत्र श्री राम दुलारे की हत्या की रिपोर्ट थाना-जेठवारा, जनपद-प्रतापगढ़ में दिनांक 15-12-99 को नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने के बावजूद आज तक दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी?, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

दिनांक 15-12-99 को श्री राम दुलारे मौर्य थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दी गयी सूचना पर श्री उमा नाथ पुत्र श्रीराम दुलारे मौर्य नि0 ग्राम-रसूलपुर थाना सलोन जनपद रायबरेली की हत्या के सम्बन्ध में थाना जेठवारा पर मु0अ0संख्या-निल/2000 धारा 302/201 भा0द0वि0 पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रारम्भिक विवेचना से घटना का सम्बन्ध जनपद रायबरेली से होने के कारण सम्पूर्ण कागज़ात दि0 29-12-99 को पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को भेजा गया। जनपद रायबरेली की विवेचनानुसार घटना सराय भीमसेन नहर थाना क्षेत्र जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ होने के कारण पुलिस अधीक्षक, रायबरेली द्वारा अपने पत्र दि0 8-5-2000 के माध्यम से समस्त अभिलेख एवं केस डायरी पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को वापस कर दिये गये। अब इस अभियोग की विवेचना जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस द्वारा की जायेगी। इस मामले की विवेचना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को दिये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर, तहसील लालगंज से कथित मार्गो में बस सेवा संचालित कराने हेतु प्राप्त विषयक प्रमुख सचिव परिवहन को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

41-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जीरो रोड डिपो (इलाहाबाद) की एक बस सेवा प्रतापगढ़ से शिवमूर्ति नगर (लालगंज) बाया मांडा, बरौधा होकर तथा मिर्जापुर डिपो की बस सेवा रामपुर घाट से मनिगढ़ा बाया हालिया को संचालन किये जाने हेतु मिर्जापुर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव/प्रवक्ता श्री

शशि भूषण दुबे का एक प्रत्यावेदन मूल रूप से प्रमुख सचिव परिवहन को 13 अक्टूबर, 98 को विधायक श्री अखिलेश सिंह की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रश्नगत पत्र के आधार पर मिर्जापुर जिले की लालगंज तहसील मुख्यालय के शिवमूर्ति नगर से बस सेवा संचालन सुनिश्चित न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लालगंज (मिर्जापुर) से इलाहाबाद, प्रतापगढ़ के लिये यातायात की कोई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी जनहित में प्रश्नगत सेवा संचालित करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का माण्डा रोड से बरौधा तक 28 कि0मी0 मार्गांश अनधिसूचित है। अनधिसूचित मार्ग/मार्गांश पर निगम बसों का संचालन अनुमन्य न होने के कारण उक्त सेवा का संचालन सम्भव नहीं हो सका।

लालगंज (मिर्जापुर) से इलाहाबाद-प्रतापगढ़ के लिए कोई सीधी सेवा संचालित नहीं है।

रीवा-मिर्जापुर मार्ग की बसें लालगंज-शिवमूर्तिनगर होकर मिर्जापुर को संचालित हो रही है तथा मिर्जापुर-इलाहाबाद एवं इलाहाबाद-प्रतापगढ़ के लिए अलग-अलग सेवायें संचालित हो रही है।

जनपद अम्बेडकर नगर में शासनादेश के अनुसार समस्त औपचारिकता पूर्ण उपरान्त शस्त्र लाइसेन्स का निस्तारण न होने पर कार्यवाही की मांग

42-श्री लालजी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में शस्त्र लाइसेन्स के कुछ आवेदन पत्र समस्त औपचारिकता पूर्ण होने के उपरान्त भी विगत तीन माह से अधिक समय से लम्बित हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है? क्या तीन माह के अन्तर्गत शस्त्र के आवेदन पत्रों का निस्तारण किये जाने हेतु कोई शासनादेश जारी किया गया है? यदि हां, तो उक्त शासनादेश का पालन न करने के लिये क्या कोई अधिकारी दोषी है? यदि हां, तो कौन-कौन दोषी है? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जनपद अम्बेडकरनगर में शस्त्र लाइसेन्स हेतु 250 आवेदन पत्र/मामलें ऐसे लम्बित हैं जिनमें औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त तीन माह से अधिक समय हो चुका है।

शासनादेश संख्या 1984 आर/छः पु-5-6-678/96 दिनांक 3 जून, 1998 द्वारा शस्त्र लाइसेन्स आवेदनपत्रों पर पुलिस एवं तहसील की जांच आख्या प्राप्त कर शस्त्र लाइसेन्स हेतु आवेदन की उपयुक्तता के आधार पर परीक्षण करके उनका निस्तारण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथासम्भव तीन माह के अन्दर किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

यद्यपि समयबद्ध नीति के तहत यथासम्भव तीन माह में शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थनापत्रों का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है किन्तु विशेष परिस्थितियों में उनके निस्तारण में इससे अधिक समय भी लग सकता है जिसके लिये किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मैनपुरी थाना कोतवाली के केस की विवेचना सिविल पुलिस को सौंपने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

43-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या-967/99 धारा 302 आई0पी0सी0थाना कोतवाली, मैनपुरी, जनपद मैनपुरी के केस की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 की बजाय सिविल पुलिस

को सौंपने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को दिया गया। उनके कार्यालय के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-33034/मैनपुरी/2000, दिनांक 19-4-2000 के साथ प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

परीक्षण किया जा रहा है।

पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वेतन एवं विशेष वेतन की दरों को पुनरीक्षित करने की जानकारी •

44-श्री इकबाल महमूद-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-1/993-दस-219/89, दिनांक 15 जुलाई, 1989 द्वारा कतिपय विशिष्ट पदों पर विशेष वेतन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है? क्या उन पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुति वर्ष 1996 के अनुसार वेतन पुनरीक्षित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-1-993/दस-219/89, दिनांक 15 जुलाई, 1989 द्वारा कतिपय विशिष्ट पदों पर विशेष वेतन दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी बल्कि उक्त ज्ञाप द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 तक विभिन्न दरों पर स्वीकृत विशेष वेतन की धनराशि को दिनांक 1 जनवरी, 1987 से संशोधित किया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति के संदर्भ में विशेष वेतन की दरों को पुनरीक्षित करना फिलहाल संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश लखनऊ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

45-श्री आर0के0 सिंह पटेल-

क्या विज्ञान एवं प्रद्योगिकी मंत्री कृपया बतायेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विभाग के अन्तर्गत रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 13-3-2000 का पत्र मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री (श्री शिवा कान्त ओझा)-

जी हां।

उक्त पत्र में की गई शिकायतों पर जांच के आदेश जारी कर दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पुलिस में क्रीड़ाधिकारी (पुलिस) के पद पर अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की नियुक्ति की जानकारी

46-श्री समर पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1989 में शासन द्वारा प्रदेश पुलिस के अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रादेशिक क्रीड़ाधिकारी (पुलिस) का पद सृजन किया था? यदि हां, तो वर्तमान में उस पद पर कौन अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नियुक्त है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निरीक्षक के उपलब्ध न होने के कारण यह पद रिक्त है।

उपरोक्तानुसार।

47-श्री हरदेव सिंह-

राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त।

48-श्री अजय कुमार पोइया-

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण में पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान सत्र में उपाध्यक्ष विधान सभा का निर्वाचन कराने के निर्णय के बावजूद चुनाव न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[1]*श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि 12 तारीख को उपवेशन में उपाध्यक्ष का चुनाव होना था और उस दिन चुनाव को टालते हुए अध्यक्ष जी ने कहा था कि इसी सत्र के अंत तक चुनाव करा लिये जायेंगे। मान्यवर, हमारी जो नियमावली है इस नियमावली के नियम 9(2) में लिखा है: "इस प्रकार उप नियम (1) के अधीन नियत की हुई तिथि के पूर्व दिन के मध्याहन से पहले किसी समय कोई सदस्य निर्वाचन के लिए किसी दूसरे सदस्य का नाम निर्देशन, सचिव को एक ऐसा नाम निर्देशन पत्र देकर कर सकेंगे जिस पर प्रस्थापक के रूप में उस सदस्य के हस्ताक्षर तथा समर्थक के रूप में किसी तीसरे सदस्य के हस्ताक्षर हों।" मान्यवर, 17 तारीख को उपवेशन का अन्तिम दिन है इस प्रकार 16 तारीख को 12 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल हो सकता है परन्तु आज तक चुनाव की घोषणा नहीं हो पायी है कि किस दिन चुनाव कराया जायेगा,यदि कल निर्णय भी लिया जाय तो भी नामांकन इस नियमावली के अनुसार नहीं हो सकता है। यह कहना कि सब एक नहीं हो पा रहे है इसलिए चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारी नियमावली और संविधान में कही भी यह नहीं है कि सर्वसम्मति से चुनाव होगा, उपाध्यक्ष का। हमारी इस विधान सभा का 1951 और 1952 जब पूरा राष्ट्र राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था तब भी उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन हुआ था। 1951-52, 1975, 1984 और 1992 में उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन हुआ था। हमारी लोकतंत्र की मूल भावना है। यदि विभिन्न लोगों में मतभेद हों तो कुछ लोग नामांकन करेंगे और उनके बीच निर्वाचन होगा। माननीय अध्यक्षजी ने कहा था कि इस उपवेशन के अन्तिम उपवेशन तक इसका निर्वाचन हो जायेगा। 17 तारीख को अन्तिम उपवेशन होना है अगर घोषणा नहीं होगी तो अध्यक्ष पीठ द्वारा जो व्यवस्था दी गयी है उसका परिपालन नहीं हो पायेगा। इसलिए आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि निश्चित रूप से 17 तारीख को उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव हो जाये।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर-मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, लालजी वर्मा जी ने कहा कि उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव का एक निश्चित समय था उस दिन भी इन्होंने यही तर्क प्रस्तुत किये थे। इस तर्क के पीछे कोई न कोई कारण है। बार-बार इनकी रूचि है कि यहां पर विवाद हो, यहां पर चुनाव हो। माननींय अध्यक्ष जी ने इस दिन कहा था, कि माननीय नेता सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सभी दलों के माननीय नेताओं ने यह आम राय जाहिर की थी कि सर्वसम्मति से कर लें। आखिर इसके पीछे सोच क्या है। क्यों ऐसा दृश्य पैदा करना चाहते हैं कि चुनाव होना है। सभी माननीय नेताओं की यह इच्छा है कि आम राय से चुनाव हो परन्तु सारे दलों से ऊपर उठकर एक दल इस पर बल दे रहा है और चुनाव के सम्बन्ध में लम्बे चौड़े भाषण दे रहा है। यह तो कहते है कि न हम इनके साथ हैं और न उनके साथ हैं और न किसी बात को तय होने देना चाहते हैं। इसलिए मान्यवर, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता। आपकी पीठ से निर्देश हुए हैं कि माननीय नेता सदन और माननीय नेता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिपक्ष तथा संसदीय कार्य मंत्री बैठकर इस पर आम राय तय कर लें परन्तु आज यहां पर न माननीय नेता प्रतिपक्ष और न ही माननीय नेता सदन हैं मैं तो तीसरे नम्बर पर आता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष द्वारा पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है और व्यवस्था यह थी कि माननीय नेता, सदन और माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें एक राय बनाने की कोशिश करें। अगर एक राय बन जाय तो फिर उससे वह सदन को अवगत करायेंगे। इसमें व्यवस्था की जा चुकी है। इसलिए इस पर व्यवस्था देना आवश्यक नहीं है, इस व्यवस्था के प्रश्न को रद्द करता हूं।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . .

श्री अधिष्ठाता-

इसके बाद आपको सुन लेगें। आज दिनांक 15 मई . . . .

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री हमेशा नम्बर दो के रहते हैं और नम्बर 2 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से हो जायेगा। ये कह रहे हैं तो हो जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

जो नम्बर मेरा है वह ठीक है लेकिन में 10 नम्बरी नहीं हूं।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

मैं 301 की सूचनाएं ले रहा हूं। इसके बाद आपको सुनूंगा।

आज दिनांक 15 मई, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई।

(श्री सुशील शाक्य और डा0 सरजीत सिंह डंग के अनुपस्थित रहने पर प्रतीक्षा सूची से दो सूचनाएं स्वीकार की गई)।

(निम्नलिखित सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई)।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में गत वर्ष हुयी अतिवृष्टि एवं भूकम्प से क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल में गत वर्ष अतिवृष्टि एवं भूकम्प से लगभग 71 नहरे क्षतिग्रस्त हो गई थी उनकी मरम्मत के लिये कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप सिंचाई नहर से नहीं हुई और किसानों की अत्यधिक क्षति हुई है। एस0आर0डी0 के धन नहीं दिया गया, मुख्य नहरे मालन नहर, खोनहर, बगेडानहर, कर्तिया नहर, खदरासी नहर, रिखेड़ा नहर से अधिक क्षतिग्रस्त हुई है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यदि नहरों की मरम्मत बरसात से पहले नही हुई थी तो खरीफ की फसल नहीं बोई जा सकती है। जिससे किसान आन्दोलित हो जायेंगे।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय समस्या के निराकरण हेतु शासन को निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत विद्युतीकरण हेतु गांवों का चयन करके निर्वाध विद्युत आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विजय पाल सिंह-

[मान्यवर, आगरा में ताजमहल व फतेहपुर सीकरी को प्रदूषण से बचाने के लिए ताज ट्रिपोजियम योजना के अन्तर्गत निर्वाध गति से विद्युत आपूर्ति के किए जाने हेतु विश्व बैंक द्वारा अरबों रुपये उपलब्ध कराये गये है। जनपद आगरा के ताजमहल व फतेहपुर सीकरी की 20 कि0मी0 की परिधि में आने वाले सभी गांवों व उप ग्रामों अनिवार्य रूप से विद्युतीकरण किया जाना सुनिश्चित है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी प्रकार के धुओं चालित वाहनों, आयल इंजनों व उद्योगों पर रोक लगायी हुई है फिर भी किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई हेतु विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 4 से 5 घण्टे बिजली आपूर्ति होने के कारण किसानों को आयल इंजन ट्राली, पम्पिंग सेट आदि का सहारा लेना पड़ रहा है। उक्त विद्युतीकरण विषय पर मेरे क्षेत्र में एक भी ग्राम व उप ग्राम को विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं किया गया है। जबकि अन्य विधान सभा क्षेत्रों की सभी ग्रामों को शामिल किया गया है जबकि मेरा क्षेत्र 20 कि0मी0 की परिधि में आता है। फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के किसी भी गांव को विद्युतीकरण हेतु चयनित न करना द्वेषपूर्ण भावना को उजागर करता है। यह एक अत्यन्त खेद का विषय है। मेरे द्वारा इनायतपुर विकास खण्ड शमशाबाद व विकास खण्ड-फतेहाबाद के डाक्टर का पूरा चौराहा/(निवोहरा) में 33/11 के0वी0 विद्युत उपग्रह केन्द्र की स्थापना हेतु गत वर्ष मेरे द्वारा प्रस्ताव किए गये थे जो कि विद्युत आपूर्ति में निर्वाध गति देने में सहायक होंगे। उक्त उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु शासन द्वारा अभी तक कोई भी निर्णय न लिया जाना खेद का विषय है। शमशाबाद व रूपपुर उपकेन्द्रों की कार्यक्षमता बढ़ाये जाने के साथ ही 132 के0वी0 विद्युत उपग्रह केन्द्र शमशाबाद 40 एम0वी0ए0 बढ़ाये जाने हेतु मेरे द्वारा कई बार अनुरोध पत्र ऊर्जा विभाग को दिये गये परन्तु उक्त विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अत: उपरोक्त गंभीर समस्या पर सदन के संज्ञान में लाकर आपके [माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भाई लाल-

[मान्यवर, कृपया जनपद संत रविदास नगर भदोही अन्तर्गत मार्गो के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। जिससे किसानों में काफी असंतोष है उदाहरण के लिए विकास खण्ड सुरियावां पुरानी बाजार निवासी श्री जगि नारायण उपाध्याय की भूमि नं0 407, 408, 426, 430 लगभग 4 बीघा जमीन वर्ष 1982 में सुरियावां बाई पास के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहीत किया गया है। उक्त भूमि पर उस समय आम, जामुन, बबूल, बैर आदि के कई पेड़ भी थे जो काट कर गिरा दिये गये थे। किन्तु अभी तक मुआवजा न मिलने से किसानों में काफी रोष एवं आक्रोश है। इसी तरह अन्य किसानों की भी भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है।

अत: कृपया जनहित में जनपद संत रविदास नगर में लोकनिर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा शीघ्र प्रदान करने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें।]

हरिद्वार के खड़की क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण अंचलों की सड़कों की जर्जर स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सिंह सैनी-

[महोदय, मैं आप के माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यधिक महत्वपूर्ण महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आप का ध्यान आकृष्टे कर शासन से मांग करता हूं कि इनका निराकरण तुरन्त कराया जाये। ग्राम बढ़ेड़ी राज पुतान से ग्राम बोडा हेड़ी की सड़क जिसकी लम्बाई लगभग 8 कि0मी0 है, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व बनी थी। जर्जर हालत में है। इस सड़क का उपयोग दर्जनों गांव के द्वारा होता है। ऐसी हालत में इस सड़क का पूर्ण निर्माण अत्यआवश्यक है। साथ-साथ धनौरी से जिला मुख्यालय रोशनाबाद की सड़क का कुछ भाग बना हुआ है। और कुछ भाग शेष है तथा कुछ की मरम्मत होती है। इसमें दो नालों के पुल भी आवश्यक है जिससे मुख्यालय पर पहुंचने पर जनता को सुविधा मिल सके। साथ-साथ मेवड कला इमली खेड़ा मार्ग की मरम्मत भी आवश्यक है।

अत: जनहित में शासन से मैं इन कार्यो के कराये जाने की मांग करता हूं।

पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्गो की महिलाओं को उनकी आबादी के प्रतिशत के अनुसार 33% आरक्षण हेतु सरकार द्वारा संकल्प प्रस्ताव लाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बहुसंख्या आबादी पिछड़े वर्गो अनुसूचित जाति/जनजपति एवं अल्पसंख्यक वर्गो की सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से उपेक्षित है तथा उनमें भी उक्त वर्गो की महिलाओं का प्रतिशत अति पिछड़ा है। उक्त वर्गो की महिलाओं को यदि विशेष अवसर नहीं दिया जायगा तो उन्हें लोक सभा एवं विधान सभा में प्रतिनिधित्व मिलना मुश्किल है। यह अत्यन्त ज्वलंत प्रश्न है। प्रदेश में यदि सभी वर्गो में संतुलन कायम नहीं रहेगा तो भविष्य में राष्ट्रीय एकता भी प्रभावित हो सकती है इसलिये समय रहते इस समस्या का निराकरण होना जरूरी है। यह सही है इसका संबंध सीधा राज्य सरकार से नहीं है परन्तु संविधान संशोधन के लिये अथवा भारत के चुनाव आयुक्त के अधिकृत करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार यदि चालू सत्र आगामी सत्र में कोई संकल्प/प्रस्ताव लाती है तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। उक्त वर्गो की समुचित भागीदारी न होने से समूचे प्रदेश में आक्रोश है। यदि आबादी के अनुसार आरक्षित प्रतिशत में आरक्षण न दिया गया तो स्थिति भयावह एवं विस्फोटक होने की संभावना है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं उक्त वर्गो की महिलाओं के आरक्षरण के लिये आबादी के अनुसार आरक्षण के प्रतिशत का प्राविधान करने के लिये सरकार से संकल्प/प्रस्ताव लाने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय, हुसैनगंज में शासकीय आदेशों के विपरीत क्रमोत्तर कक्षायें चलाये जाने से हो रही शासकीय क्षति को रोकने के सम्बन्ध में 301के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30-9-93 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां पर जूनियर हाई स्कूल संचालित हो जाय, वहां पर क्रमोत्तर की कक्षायें नहीं चलाई जा सकती है। सीतापुर जनपद के मो0 हुसैनगंज में नगर क्षेत्र के जू0 हा0 स्कूल प्रारम्भ होने के पश्चात् भी प्रा0 वि0 हुसैनगंज के एक कक्ष में क्रमोत्तर कक्षाएं चल रही है और 2 सहायक अध्यापकों के स्थान पर 6 अध्यापिकाएं नियम विरूद्ध कार्यरत है। इस विद्यालय में छात्रों की सं0 5060 है और नियमों के तहत 50 की संख्या पर केवल एक अध्यापक ही रह सकता है। इस प्रकार अध्यापिकाओं के वेतन के रूप में अध्यापक लगभग 10 लाख रुपया वार्षिक अनधिकृत रूप से दिया जा रहा है। इस प्रकार जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की खुली लूट हो रही है।

अत: इस विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से तत्काल जांच कराकर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में कथित घपले की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, इस लोक महत्व के गंभीर विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि जिला आजमगढ़ में प्राइमरी स्कूलों में दी जा रही छात्रवृत्ति में भारी घपला किया जा रहा है। ग्रामीण छात्र जो छात्रवृत्ति से ही अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। कुछ अधिकारी और प्रधानाध्यापक मिलकर छात्रवृत्ति हड़प कर जाते हैं। जिसमें उदाहरण के तौर में प्राइमरी पाठशाला, नैपुरा का उल्लेख करना चाहूँगा। वहां का प्रधानाध्यपक अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार में लिप्त है। छात्रों की छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं देता है स्वयं ले लेता है, पाठशाला से गायब रहता है। उसके खिलाफ कई बार लिखा पढ़ी भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वह प्रधानाचार्य पद पर बना हुआ है। गांव वालों में काफी रोष है। जनपद अधिकारियों द्वारा बुलाये जाने पर भी वह अध्यापक नहीं जाता है। छात्रों की सन् 95 से 2000 तक की छात्रवृत्ति का कोई रिकार्ड नहीं है, सब मनमाने ढंग से कार्य करता है।

अत: आपसे निवेदन है कि उक्त लोक महत्व के गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर संदर्भित छात्रवृत्ति घपले की जांच कराने का निर्देश संबंधित विभाग को देने का कष्ट करें।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

जिन मा0 सदस्यों के नाम जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गई है, उनके नाम इस प्रकार है। श्री जगदीश नारायण, डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री पूर्णमासी पंकज, श्री श्याम देव राय चौधरी तथा डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी।

माननीय अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षित सूचनाओं पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत न कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। माननीय अध्यक्षजी ने जिस दिन हमने व्यवस्था उठायी थी, कहा था कि 24, 25, 26 तारीख को नियम-51 के अन्तर्गत जो सूचनाएं हैं, उनको 15, 16, 17 को ले लिया जायेगा। हो सकता है कि ले भी गई हों, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा था। इसी के साथ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और व्यवस्था चाहता हूँ। नियम-51 में जो फार्म छपा है उसमें केवल यह लिखा जाता है कि जो ध्यान आकृष्ट करने वाली सूचनाएं है और जो फार्म छपा है जो पटल कार्यालय से जारी होता है, शासन का ध्यान आकृष्ट करते हैं, उन सूचनाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी कार्यवाही की जाती हैं, उसकी सूचना संबंधित माननीय सदस्य एवं इस सचिवालय को यथाशीघ्र दे दी जाय, ऐसे निदेश हैं। यह फार्म जो छपा है कालम-5 पर यह निदेश सं0 19 हैं। निदेश-19, नियम-56 की सूचनाओं के सम्बन्ध में है। नियम-56 में जो सूचनाएं आती हैं, माननीय अध्यक्ष जी जिनमें ध्यान आकृष्ट कर देते हैं, उन सूचनाओं के लिये निदेश 19 हैं। नियम-51 के लिये निदेश 159 है। यह नियम-51 की वे सूचनाएं जो अस्वीकृत कर दी जाती हैं उन सूचनाओं में माननीय अध्यक्ष जी निर्देश दे सकते हैं कि उसमें कृत कार्यवाही शासन द्वारा की जाए उसके रिजल्ट से माननीय सदस्य और माननीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया जाएगा। मेरी बहुत सी ऐसी सूचनायें हैं तथा अन्य माननीय सदस्यों की भी सूचनायें है जो नियमं 51 में दी जाती है, उसमें ध्यान आकर्षित किया जाता है, इसमें किसी मे भी शासन द्वारा कृत कार्यवाही से न तो अवगत कराया जाता है और न ही अध्यक्ष पीठ को अवगत कराया जाता है। मैं दो-तीन उदाहरण दे दूँ-एक सूचना 1206 यह 6 जुलाई 1998 की है। इसमें पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें न लागू होने से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा समस्त प्रदेश में किये जा रहे असहयोग आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, इसी तरह से सूचना संख्या-154 यह 1 जनवरी, 2000 की है इसमें प्रदेश में न्यायिक सेवा में आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में है . . .

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

आंकड़े गलत हैं। मेरा आग्रह है कि नियम 300 (2) को देख लें, व्यवस्था का सवाल उठाया है नियम 300 (3) आप देख लें जहां तक नियम 51 की बात है, इसको भी देख लें क्या प्राविधान होना चाहिए, क्या प्राविधान नहीं होना चाहिए। व्यवस्था के रूप में इसको नहीं उठाया जा सकता है। सदन की कार्यवाही नियमों से चलेगी।

श्री अधिष्ठाता-

शासन का ध्यान आकृष्ठ करने से मतलब फल मिल जाता है। यह व्यवस्था उठाना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसको निरस्त कर रहा हूँ।

श्री प्रमोद कुमार-

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या 6 पुकारा गया)

25 मिली लीटर से अनधिक क्षमता वाली हस्तनिर्मित काँच की शीशी को करमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, 1 सितम्बर, 97 के पूर्व बिना किसी . . . .

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[क्षमता के समस्त प्रकार की काँच की बोतलें एवं शीशियों को करमुक्त किया गया था। इस करमुक्ति का काफी मात्रा में दुरूपयोग किया जा रहा था। उक्त करमुक्ति की आड़ में काँच की अन्य वस्तुओं का निर्माण करके हस्त निर्मित काँच की शीशियों का निर्माण व बिक्री दर्शायी जाती थी और करमुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया जाता था और इस प्रकार इस पर काफी मात्रा में करापवंचन हो रहा था। उक्त करापवंचन को रोकने के उद्देश्य से दिनांक 1 सितम्बर, 97 से उक्त करमुक्ति समाप्त कर दी गयी।

2-उक्त छूट समाप्त कर दिये जाने पर गरीब दस्तकार जो 25 मिली लीटर से कम क्षमता वाली हस्त निर्मित काँच की शीशियों का निर्माण करते थे उन्हें भी कठिनाई होने लगी और उनके उद्योग समाप्त होने लगे। ऐसे दस्तकारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध रहे इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व की भाँति समस्त प्रकार की काँच की बोतले एवं काँच की शीशियों के स्थान पर 25 मिली लीटर की हस्त निर्मित काँच की शीशियों को करमुक्त कर दिया जाय। ऐसा किये जाने से करापवंचन की सम्भावना लगभग नगण्य रहेगी।

3-अत: गरीब दस्तकारों, प्रदेश के कुटीर उद्योग को समाप्त होने से बचाने के लिये दिनांक 15 मई, 2000 से 25 मिली लीटर से अनधिक क्षमता की हस्त निर्मित काँच की शीशियों को करमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।]

श्री अम्बरीष कुमार, स0 वि0 सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न सं0 2 के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में संशोधन हेतु वित्त मंत्री का शोधन वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीशजी")-

मान्यवर, (शोधन वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[दिनांक 29-03-2000 को श्री अम्बरीश कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 2 के संबंध में अनुपूरक प्रश्नों के अन्तर्गत कार्यवाही में पृष्ठ-7 पर किये गये उल्लेख के सम्बन्ध में श्री राम सिंह सैनी, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा गया था कि "अन्य श्रोतों का सृजन कर रहे हैं, तो कौन-कौन से श्रोत हैं, बताने का कष्ट करेंगे।"

1-उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "कर राजस्व में 1999-2000 की तुलना 21 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। इसी तरह के करेक्तर राजस्व में 35 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है।"

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला, सही उत्तर इस प्रकार है "कर राजस्व में 1999-2000 की तुलना में 15 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है, इसी तरह करेत्तर राजस्व में 31.5 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है।

विधान सभा सदस्य मा0 श्री अम्बरीष कुमार द्वारा अनुपूरक प्रश्न में पूछा गया था कि "पिछले तीन वर्षो में प्रदेश का कितना कर्जा बढ़ा।"

3-उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "68,000 करोड़ रु0 इस समय उत्तर प्रदेश पर कर्जा है।

मा0 विधान सभा सदस्य श्री अम्बरीष कुमार द्वारा पुनः पूछा गया कि "तीन वर्ष पहले कितना कर्जा था।"

4-इस पर उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "तीन वर्ष पहले 60,000 करोड़ का कर्जा था, आज 68,000 करोड़ का है।"

5-उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला, सही उत्तर इस प्रकार है:-

	(करोड़ रु0)
(1) दिनांक 31.3.1997 को राज्य की ऋणग्रस्तता	41,767,91
(2) दिनांक 31.3.1998 को राज्य की ऋणग्रस्तता	48,364,99
(3) दिनांक 31.3.1999 को राज्य की ऋणग्रस्तता	55,952,23
(4) दिनांक 31.3.2000 को राज्य की ऋणग्रस्तता	67,346,90 अनुमानित

मा0 विधान सभा सदस्य, कु0 रेवती रमण सिंह द्वारा अनुपूरक प्रश्न में पूछा गया था "पिछले तीन वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता 50,000 करोड़ की है अथवा 60,000 करोड़ की है, क्या इसको स्पष्ट करेंगे।

2-उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मान्यवर 60,000 करोड़ की है।"

3-उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला, सही उत्तर इस प्रकार है "मान्यवर लगभग 42,000 करोड़ की है।"

4-ऋणग्रस्तता के संबंध में मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्रश्नोत्तर दिवस को ही मैंने पत्र द्वारा अवगत करा दिया था और सदन में सही उत्तर न जा पाने के लिये खेद भी प्रकट किया था।

मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर की प्रतियां संलग्न है।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 हेतु मा0 श्री अम्बरीष कुमार, मा0 श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, मा0 श्रीराम सिंह सैनी, मा0 श्री विजय पाल सिंह, मा0 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी विधान सभा सदस्य द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की जर्जर वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु सरकार नये संसाधन जुटाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो उसकी रुप रेखा क्या हैं?	प्रदेश के विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण के उपयुक्त संसाधनों की उपलब्धता के लिए आवश्यक प्रयास किये जाते हैं। वर्तमान में भी राज्य सरकार उपरोक्त प्रक्रिया को अपना रही है। इन प्रयासों में संसाधनों के वर्तमान श्रोतों में अभिवृद्धि के साथ-साथ नये श्रोतों से भी संसाधनों की प्राप्ति के लिए प्रयास किये जाते है, ताकि वार्षिक योजना के वित्त पोषक हेतु संसाधन उपलब्ध हो सके।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000+

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुन:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करता हूँ।

सदन का लाबी में सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा मुख्य मंत्री के प्रति कथित अविश्वास के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न औचित्य के रूप में उठाना चाहता हूँ। मैं आपको सबसे पहले एक परिभाषा पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। कृपया उत्तर प्रदेश विधान सभा का प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम-3 (म) देखें। उसमें यह है "सदन" का तात्पर्य विधान सभा से है, (य) में "सदन के परिसर" का तात्पर्य मुख्य विधान भवन स्थिति सभा मण्डप, सभा कक्ष, दीर्घायें, विधान सभा सचिवालय के अध्यासन कर, मेरा इसी में काम चल जायेगा। अब मैं आग्रह करूंगा कि भारत का संविधान 164(2) देखने का कष्ट करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 में यह है कि एक मंत्रिपरिषद् होती है सलाह देने के लिए। 164(1) में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबन्ध-मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे। इसी में (2) है मंत्रि परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मान्यवर, मैंने तीन बातें स्पष्ट करने की कोशिश की है। एक तो सदन की दीर्घा सदन के परिसर में आती है। दूसरा 164 (2) मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे। मान्यवर, नियम-300 के औचित्य का प्रश्न है। इसमें यह है कि सदन का कार्य विनियमित होता है तो ऐस समय में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। तो मान्यवर, 12 तारीख को हम सभी सदस्य यहाँ पर बैठे हुए थे। सभी की नजर दीर्घा में जो हाँ लाबी है उसकी तरफ गयी। माननीय बरखूराम वर्मा जी ने सबसे पहले देखा और सुना। वहाँ पर कुछ मंत्रीगण और विधायकगण माननीय मुख्य मंत्री जी का घेराव कर रहे थे। मान्यवर, अगर यहाँ पर बैठ जायें तो दिखायी पड़ता है और सुनायी भी पड़ता है। तो यह सदन के संज्ञान में है। वहाँ पर लोग मुख्य मंत्री जी के प्रति अविश्वास प्रकट कर रहे थे और यह कह रहे थे कि वे काम नहीं करते हैं. . . .

श्री अधिष्ठाता-

क्या सब सुनायी दे रहा था।

+ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मुझे दिखायी भी दे रहा था। वर्मा जी ने भी देखा आप इनसे पूछ लें। वे वहाँ पर घेराव कर रहे थे और पूर्णरूप से अविश्वास प्रकट कर रहे थे। फिर संसदीय कार्य मंत्री जी दौड़कर गये उनकी सहायता के लिए। वहाँ का वातावरण बड़ा अटपटा था। मैं भी गया। कुछ कह रहे थे कि एस0एस0पी0 का ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे थे कि आप हमारा काम नहीं करते हैं और कुछ लोग कह रहे थे कि हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है। आप इस्तीफा दें। तो मान्यवर, 164(2) का उल्लंघन हो रहा था। राज्य का मंत्रिपरिषद् अविश्वास प्रकट कर रहा है, लोगों की सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का ह्रास हो रहा है। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली गये है।

श्री अधिष्ठाता-

लाबी में हुई बातों का कभी संज्ञान लिया जाता रहा है और क्या लिया जाना चाहिए?

नियमावली में या निर्देशों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि लाबी में कोई बात हो रही हो, उसका संज्ञान लिया जाय मैं इसे निरस्त करता हूँ। कृपया बैठें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं उस लाबी का जिक्र कर रहा हूँ जहां निर्वाचन होता है। 164(2) का उल्लंघन हुआ है, लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर अविश्वास व्यक्त किया है।

श्री अधिष्ठाता-

लाबी की बात का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, [x x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

आप जो कह रहे है, लिखा नहीं जा रहा है।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, माननीय प्रमोद जी ने एक बात कही है, काफी लोगों ने इस सरकार पर संकट लाना चाहा, बड़ी एकता के साथ संगठन के साथ सारे दल इकट्ठा है और मुख्यमंत्री जी के साथ सब मजबूती के साथ में है, आप अपना कोई षडयंत्र पूरा नहीं कर पाये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, माननीय हुकुम सिंह जी को कह रहे है कि आप सबका हाथ था, हम सब स्वीकार करते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मैं कह रहा हूं कि पहले जो आपने किया था, दिन में तो कोई काम आप करते नहीं हैं रात में ही काम करते हैं। उनकी शपथ भी 11-30 बजे रात में हुई।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय प्रमोद जी, कृपया बैठें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह बात आयी कि लोगों ने साजिश की थी आप लोगों की भी इसमें हाथ था। मुख्यमंत्री जी की ओर से यह बात आ रही थी कि उन्हें राज्य सभा में भेजने की साजिश थी फिर विधान परिषद् में हराने की साजिश थी।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, वे कौन कौन मंत्री थे जो इस साजिश में शामिल थे, माननीय हरीश जी तो नहीं होंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, [x x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

आप जो कह रहे हैं, नहीं लिखा जायेगा।

जिस समय मतदान होता है। उस समय माना जाता है बाकी समय में नहीं माना जाता है।

(श्री लाल जी वर्मा द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर।)

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा। मैं नियम 56 की सूचनाएँ ले रहा हूँ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 15.5.2000 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएँ प्राप्त हुई। दिनांक 12.5.2000 को स्थगित की गई दो सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए आज दिनांक 15.5.2000 को माननीय अध्यक्ष द्वारा चयनित एक सूचना तथा शलाका के आधार पर चुनी गयी एक सूचना मिलाकर कुल सूचनाओं का विवरण निम्नवत है-

पहली सूचना श्री विनोद मणि की प्रदेश के नेपाल की सीमा से सटे पूर्वांचल के जनपदों विशेषत: महराजगंज में पुलिस की निष्क्रियता के चलते बढ़ रही मादक पदार्थो व दवाओं एवं हथियारों की तस्करी तथा जाली नोटों के प्रचलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दूसरी सूचना श्री उदयराज यादव एवं श्री राम कुमार एडवोकेट की प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों में ग्राम प्रधान के पदों पर पिछड़ी जाति के लोगों को नियमत: 27 प्रतिशत आरक्षण न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसरी सूचना श्री राम ललित चौधरी एवं श्री राम प्रसाद चौधरी की प्रदेश की 95 सहकारी गन्ना समितियों द्वारा गन्ना किसानों का लगभग 50 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान कराये जाने के संबंध में, चौथी सूचना श्री राम बिशुन आजाद की प्रदेश के तराई क्षेत्र में जंगलों में रह रहे टांगिया मजदूरों की दयनीय स्थिति के संबंध में। विशेष उल्लेख के अन्तर्गत पहली सूचना श्री अम्बरीष कुमार की हरिद्वार में यात्राकाल प्रारम्भ होने से लाखों यात्रियों के आने तथा ठहरने से उत्पन्न स्थितियां तथा शासन द्वारा कोई प्रबन्ध न किये जाने एवं लाखों की संख्या वाले मेलों के प्रबन्ध हेतु अधिसूचना न जारी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दूसरी श्री राम नरेश यादव की जनपद आजमगढ़ के फूलपुर कस्बा तथा अगल-बगल के ग्रामों में स्थानीय पुलिस की लापरवाही के चलते 13 व 14 मई को हुई लूटपाट, तोड़फोड़ व पत्थरबाजी की घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा तीसरी सूचना श्री वसीम अहमद, श्री राम प्यारे सिंह एवं श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्रान्तर्गत बिलरियागंज कस्बे में अराजक तत्वों द्वारा मस्जिद के नापाक किये जाने तथा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने 12 तारीख को माननीय बी0 आर0 वर्मा और माननीय अहिमर्दन सिंह की सूचना पर कहा था कि 15 तारीख को ले लेंगे तो आज 15 तारीख है, आप कार्यवाही उठाकर देख लें आप अभी अगर आगे पढ़ लेंगे तो नहीं ले पायेंगे। इसलिये निवेदन है कि इसको आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

जो स्थगित सूचना है उसको दिखवा लेते हैं, अगर स्थगित है तो अभी निर्णय ले लेंगे।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गई, अतः अस्वीकृत हुई:-पहली डा0 धर्मज्ञ मिश्र, दूसरी श्री गोपाल कृष्ण, तीसरी श्री बुनियाद हुसैन अंसारी श्री रमेश राही, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, डा0 कौशल किशोर तथा श्री राधेश्याम की, चौथी सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री अम्बिका चौधरी, पांचवी श्री राम सिंह सैनी, छठी श्री कौकब हमीद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री संजय गर्ग, श्री समरपाल सिंह तथा श्री बाबू लाल की, सातवीं डा0 कौशल किशोर की।

श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर, मुझे 2 मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

पहले जो चयनित सूचनाएं है उनको सुनेगें कि आपको सुनेंगे।

(श्री अरविन्द गिरि द्वारा बिना अनुमति बोलने का प्रयास करने पर)

नियमों में नहीं आता तो कैसे सुन लेगें। नोटिस भी आपकी नहीं है, आप तो बहुत पुराने माननीय सदस्य हैं, कृपया बैठें, लिखा नहीं जा रहा है।

(श्री अरविन्द गिरि द्वारा पुनः अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

आपने नोटिस दी नहीं है, उसके बावजूद भी आप बोलना चाहते है तो कैसे अनुमति मिल जायेगी। यह सदन नियमों से चलता है, परम्पराओं से चलता है, इसके लिये प्रक्रिया निर्धारित है, निर्देश अध्यक्ष पीठ के हैं, उससे चलता है, आप कल नोटिस दे दीजिये। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

*श्री विनोद मणि-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अपनी सूचना पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि नेपाल के द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थो हेरोइन, कोकीन एवं अन्य नशीले पदार्थो को पहुँचाया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले इससे खासतौर से प्रभावित हैं और इसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव उन नौजवान छात्रों पर पड़ रहा है जो कम उम्र के विद्यार्थी हैं। इसके अलावा 500 के नकली नोटों का प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े जोर पर है। मैं जनपद महाराजगंज में रहता हूँ, उसके सटे जिले गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर आदि जनपदों में हालत यह है कि बैंकों से प्राप्त किये हुये 500 के नोट आज आम आदमी बाजारों में नहीं चला पा रहा है, उसका कारण यह है कि 500 के जाली नोट बाजार में इतनी ज्यादा मात्रा में आ गये है कि सही नोटों का चलन भी बाजार में प्रभावित हो रहा है। हम आपसे कहना चाहेंगें कि इन मादक पदार्थों के और नकली नोटों के धन्धे में तस्करों के साथ पुलिस का एक बड़ा वर्ग मिलकर इस धन्धे को आगे बढ़ा रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि नेपाल की सीमा जनपद महाराजगंज से मिलती है, जहाँ मेरा निवास-स्थान है. . .

. . .मान्यवर, मेरे जनपद में नेपाल सीमा से सटे हुए, मेरे जनपद के 70 प्रतिशत थाने नेपाल की सीमा पर स्थित हैं। हमारे जनपद में मान्यवर, थाने बेचे जा रहे हैं, उन थानों पर उन्हीं थानेदारों की, उन्हीं सिपाहियों की नियुक्ति होती है, जो भारी रकम देने को तैयार होते हैं। इसी का कारण है कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों में 15-15, 20-20 साल से तमाम पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी लगातार तैनात हैं, उनके स्थानांतरण कई बार हुए हैं लेकिन राजनैतिक दबाव में मान्यवर, उनके स्थानांतरण बार-बार रद्द कर दिये जाते हैं और यही लोग हैं जो इस धंधे में लीन हैं। मान्यवर, मैं खुलेआम सदन में कहना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो एक बार जाता है, नेपाल से सटे जनपदों में जाता है, उसका स्थानांतरण होने के बाद भी बार-बार रोक दिया जाता है, इसका कारण क्या है? यह मैं आप के और संसदीय कार्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा। मान्यवर, महराजगंज जनपद के बारे में बताना चाहता हूँ कि पूरे देश और प्रदेश में, यह देश की आन्तरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज अखबारों में पढ़नें को मिला कि सीतामढ़ी, बिहार में 500 के जाली नोट बरामद हुए और यह प्रकाश में आया कि नोटों का बटवारा गोरखपुर और हाटाकुसी में किया गया था। चाहे जाली नोट हो, चाहे मादक द्रव्य हों, दो साल से एक भी जाली नोट बरामद नहीं हुआ जबकि मेरे जनपद से होकर ही जाली नोटें गोरखपुर, देवरिया और बिहार तक जाती हैं। मुझे मालूम है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन में वहीं जबाव देंगे जो पुलिस के उच्चाधिकारियों ने आपको दिया होगा। यह ऐसा सवाल है और आने वाले दिनों में यह इतना बड़ा रैकेट पनप रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और इससे निजात पाने के लिए अगर अभी से सरकार ने कार्यवाही नहीं की तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी, मान्यवर, यह देश की आन्तरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी के संज्ञान में एक और बात लाना चाहता हूँ, मेरे जनपद के थाने जो बार्डर के हैं, ठूठीबारी, सोनौली, बरगदवा, निचलौल इन थानों पर उसी थानेदार की एक-एक महीने बाद नियुक्ति की जाती है, बीसों बार एक मामला प्रकाश में आया है लेकिन पुलिस अधीक्षक महराजगंज और सरकार के संज्ञान में नहीं है, 20-20 साल से एक-एक थाने पर तैनात है, बार्डर के थानों पर, इसका कारण क्या हैं? मैं संसदीय कार्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहूँगा, थानेदार के ट्रान्सफर माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से रोके जाते हैं। मान्यवर, इतनी छोटी-छोटी बातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्गत कराये जाते हैं। मान्यवर, मेरा सीधा आरोप है, सदन में कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो तस्करों का रैकेट हैं, इस रैकेट के साथ पुलिस का एक बड़ा वर्ग मिला हुआ है। . . . .

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इस पूरी घटना की जांच किसी उच्चस्तरीय टीम के अधिकारियों से करायें। इससे साबित हो जायगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार्डर पर तैनात पुलिस के लोग इस धंधे में लिप्त हैं।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री विनोद मणि जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश खासतौर से महराजगंज का उल्लेख करते हुये कई बातों का जिक्र किया और बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख उन्होंने नहीं किया, सामान्य बाते कहीं। यह कहा कि एक रुपये का जाली नोट बरामद नहीं हुआ। मान्यवर, प्रदेश में कही भी एक रुपये के जाली नोट की शिकायत नहीं है, 500 रुपये के जाली नोटों की शिकायत जरूर मिली है। महराजगंज में एक रुपये का जाली नोट चल रहा है तो मैं दिखवा लूँगा। आपने कहा कि एक रुपये का जाली नोट नहीं पकड़ा गया।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, मैने कहा था कि 500 रुपये का एक भी जाली नोट नहीं पकड़ा गया है।

श्री हुकुम सिंह-

आपने कहा था कि एक रुपये का जाली नोट नहीं पकड़ा गया आपने इसको साफ कर दिया है, ठीक है। बात निकल जाती है, कभी कभी धरा प्रवाह बोलने में बात निकल जाती है। यह सरकार संवेदनशील है, इसकी संवेदनशीलता को देखते हुये सरकार ने एक अपर महानिदेशक पुलिस के नेतृत्व में एक फोर्स का गठन किया हुआ है। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा बल का गठन इसीलिये किया गया है कि सरकार ने मामले की संवेदनशीलता का संज्ञान लिया है। सीमाओं पर बराबर चौकसी रखी जा रही हैं ताकि नेपाल से ऐसे लोग न आ पायें जो कानून व्यवस्था को चौपट करें। आपने यह भी कहा कि उच्च स्तरीय जांच करा लें। आपने किसी भी विशेष घटना का उल्लेख नहीं किया, जांच करानी है तो कुछ लिखकर तो दीजिये लेकिन आपने किसी घटना के बारे में कुछ नहीं कहा। रही शिकायत यह कि स्थानान्तरण नहीं हुआ, रद्द हुआ तो स्थानान्तरण होते हैं और रद्द भी होते हैं, निरस्त होते यह केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, यह एक सामान्य प्रक्रिया रही है और यह सरकार में रही है। प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाते

हैं, इसमें नयी बात कौन सी हो गयी। मेरा आग्रह है कि सामान्य प्रशासन का बजट आने वाला है माननीय सदस्य को पूरा अवसर मिलेगा जो बात हो उसको जरूरी कहिये, उस पर कार्यवाही होगी।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

यह कोई चर्चा तो नहीं हो रही है।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट उल्लेख किया है। मैंने जिलों का उल्लेख किया जो बार्डर पर हैं। मैंने कहा कि इन थानों में लगातार 15-20 सालों से पुलिस कर्मी कार्यरत हैं। मैंने यह भी कहा कि सरकार मानती है कि नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश की सीमा में जाली नोट मादक द्रव्य लाये जा रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिये पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है तो क्या इसकी जांच के लिये कोई उच्चस्तरीय टीम बनायेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने पहले उल्लेख किया, माननीय सदस्य की सूचना मेरे पास है। आपने जो कहा कि अधिकारी कर्मचारी 20-20 साल से हैं, मैं अनुग्रहीत होऊँगा यदि आप उनकी सूची दे दें। मैं कृत-कार्यवाही से आपको अवगत कराऊँगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री और माननीय सदस्य को सुनने के पश्चात् यह नियम 56 में नहीं आती हैं अतः इसे निरस्त कर रहा हूँ।

(श्री विनोद मणि के पुनः खेड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए।

श्री उदयराज यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार द्वार पिछड़ी जातियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उनके अधिकारों को समाप्त करने का काम किया जा रहा है, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में लगभग 53 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं और इस प्रदेश की पिछड़ी जातियों की स्थिति को देखते हुये मण्डल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी, उसके तहत माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होने पंचायतों के चुनाव में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी।

श्री अधिष्ठाता-

उदयराज जी, ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूँ। पिछले पंचायत चुनावों में पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी थी और जो आरक्षण दिया गया था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण देने का काम नहीं किया है। मैं उन्नाव जनपद के 16 विकास खण्डों के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। दो विकास खण्डों को छोड़कर 14 ऐसे हैं जहाँ 4

प्रतिशत से लेकर 15-16 प्रतिशत तक आरक्षण देने का काम किया गया है। क्षेत्र समिति हिनौली में 44 पद प्रधान के हैं जिसमें महिला पिछड़ी जाति को 3 पद और पुरूष को 5 पद आरक्षित करने काम किया गया है। इसी प्रकार से विकास खण्ड असोहा में 62 पद प्रधान के हैं उसमें मात्र 3 पद महिला के लिये और 5 पद पिछड़ी जाति के लिये आरक्षित करने का काम किया गया। पुरवा विकास खंड में 52 में से 3 महिला के लिये और 6 पिछड़ी जाति के लिये आरक्षित किया गया है। सुमेरपुर विकास खण्ड ऐसा है जहाँ पर 27 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया गया है। बीघापुर विकास खण्ड में 58 में से 4 महिला के लिये और 7 पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित करने का काम किया गया।

श्री अधिष्ठाता-

ग्राह्यता पर बोलिये और संक्षेप करिये।

श्री उदयराज यादव-

जो मैंने सूचना दी है मैं उसी पर बोल रहा हूँ। पूरे जनपद में कहीं पर भी 27 प्रतिशत आरक्षण देने का काम नहीं किया जा रहा है इसलिए मैं पूरे जनपद की स्थिति से अवगत करा रहा हूँ।. .

श्री अधिष्ठाता-

नियम 5C जिस तरीके से बनता है उसकी ग्राह्यता पर बात करिये।

श्री उदयराज यादव-

ग्राह्यता इसलिए है कि जून में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। मैंने जो सूचना दी है, जो पिछड़ी जाति के लोग है उनके अधिकारों में कटौती की जा रही है। जो अधिकार मिल रहा था उसको समाप्त किया जा रहा है, वही बात कर रहे हैं। पूरे जनपद में कहीं पर भी 27 प्रतिशत आरक्षण का कोटा पूरा करने का काम इस सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। कुल पद 953 हैं, 953 में से 182 पद चाहे वह पिछड़ी जाति के महिला या पुरुष हैं, कुल मिलाकर 182 पदों पर ही आरक्षण दिया गया है। . . .

इसी तरह से मात्र 19 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है। लखनऊ राजधानी में जहाँ मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, पंचायत विभाग के सचिव और सारे अधिकारी बैठते हैं, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ बैठता है, यहाँ भी मोहनलाल विकास खण्ड में प्रधानों की संख्या 73 है, वहाँ पर मात्र 4 पद पिछड़ी जाति के लोगों को दिये गये हैं जिसमें दो महिलाओं और दो पुरूषों के हैं। सरोजनी नगर विकास खण्ड में आरक्षण का पालन नहीं किया गया। कुल मिलाकर जो पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए वह सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात की घोषणा करें कि क्षेत्र पंचायत को इकाई मानकर 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे। इसी के साथ लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाए।

श्री राम कुमार "एडवोकेट"-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं उन्नाव जनपद के बारे में कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर 953 पद प्रधानों के हैं जिसमें आरक्षण केवल 182 पदों पर किया गया है जो कि 19.09 प्रतिशत है। जबकि पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। इस हिसाब से 267 पदों को आरक्षित करना चाहिए हमारे यहाँ 16 निम्नलिखित विकास खण्डों में आरक्षण पूरा नहीं हुआ है-

पंचायती राज निदेशालय, उ0 प्र0

विकास खण्ड द्वारा जारी	पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पद की संख्या	नियमानुसार पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण के अनुमाप वांछित पद की संख्या
1	2	3
गंज मुरादाबाद	16	15
* बागरमऊ	9	14
फतेहपुर चौरासी	12	17
* सफीपुर	9	20
औरास	3	16
मियागंज	9	16
हसनगंज	8	20
नवाबगंज	13	20
सिकन्दरपुर सरोसी	15	20
विछिया	10	15
सिकन्दरपुर करन	20	15
असोहा	8	19
पुरवा	9	11
बीघापुर	11	16
हिलौली	8	12
सुमेरपुर	22	20

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इन सभी जगहों पर आरक्षण पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के आदेश देने का निर्देश दें।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत की गम्भीर है। यह सरकार जब से सत्ता में आई है तब से इसने मन बना लिया है कि पिछड़ों के विरोध में कार्य करेंगे। इसने पिछड़ों के विरोध में कार्य करना शुरू कर दिया है चाहे सी0 पी0 एम0 टी0 में भरती की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग में भर्ती की बात हों जब से यह सरकार सत्ता में आई है इसने पिछड़ों के विरोध में कार्य करना शुरू कर दिया है। पंचायतों के चुनाव में इनका मुखौटा साफ हो गया है। सत्ता में जो पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हैं उनको सोच लेना चाहिए कि यह जब क्षेत्र में जायेगें तो क्या जवाब देंगे। पिछड़ों का इस सरकार में उत्पीड़न हो रहा है। जो नौकरियों से लेकर प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं उसमें आरक्षण कोटे को पूर्ण नहीं किया जा रहा है इससे ज्यादा हास्यापद बात क्या हो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवर विधान सभा प्रदेश

सकती है। उन्नाव में 267 पदों के सापेक्ष 182 पदों को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है क्योंकि अभी आरक्षण हुआ तुरन्त का है इसलिए इस पर सारे काम रोककर चर्चा करा ली जाए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह विषय श्री उदयराज जी और रामकुमार एडवोकेट जी ने उन्नाव के सम्बन्ध में उठाया है। भारत के संविधान का उल्लेख भी किया आपने। जो स्पेसिफिक सूचना दी है उसके बारे में बता दूँ कि क्या कार्यवाही की है हमने। जैसे ही हमे यह सूचना प्राप्त हुई, हमने जिलाधिकारी उन्नाव को व्यक्तिगत रूप से संसूचित किया कि वे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पूरा करे और हमे अवगत भी करा दें। उन्होंने हमे अवगत कराया कि यह कार्य पूरा हो गया है। आपका कहना है कि आरक्षण की घोषणा माननीय मुलायम सिंह जी ने की थी तो मैं कहना चाहता हूँ कि मण्डल आयोग की सिफारिश से यह सूचना या घोषणा की गई थी इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अधिकार संविधान ने सुरक्षित किया हुआ है। जो यह वाइरस है कि किसी भी वर्ग की बात करके सैम्पेथी लेना यह दूसरी बात है। प्रदेश सरकार संवैधानिक दायित्व को निभायेगी और उसमें कोई कमी नहीं आयेगी।

श्री अधिष्ठाता-

मैं माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

(श्री उदयराज यादव व डा0 धर्मज्ञ मिश्र के बोलते हुए वेल की तरफ आने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

श्री उदयराज जी कृपया बैठ जॉय, आपने जो सूचना दी थी उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर आ गया है। कृपया बैठ जॉय। माननीय नेता विपक्ष कृपया सहयोग दें।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन् मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से एक जानकारी चाहूँगा कि इस सूचना के प्राप्त होने के बाद आरक्षरण का काम पूरा हुआ या नहीं?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर आ गया है। उन्होंने जिलाधिकारी को आदेशित कर काम पूरा कर दिया है।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन्, दूसरी बात यह मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो गड़बड़ी की गई जब पकड़ी गई या जब चोर पकड़ा गया तो सजा देंगे ही। सरकार की चोरी की नियत तो है ही। जो पूरे प्रदेश के 71 जनपदों में आरक्षण में गड़बड़ी हुई थी, उसको पुनः दिखवाने का कष्ट करेंगे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी?

श्री हुकुम सिंह-

यह कहना बहुत आसान है कि प्रदेश के सारे जनपदों से गड़बड़ी हुई है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण है और उसमें कोई कमी नहीं रहेगी।

श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, जो हमने पूँछा था उसका उत्तर नहीं दिया गया। क्या पंचायत राज चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था करेंगे? मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ।

श्री धनीराम वर्मा-

माननीय श्री उदयराज यादव जी की जिज्ञासा यह है कि . . . .

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जवाब दे दिया।

श्री धनीराम वर्मा-

माननीय सदस्य की जिज्ञासा यह है कि प्रधान की इकाई ब्लाक होती है। तो क्या मंत्री जी ब्लाक वाइज समीक्षा करके आरक्षण का कोटा निर्धारित करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अफसोस है कि मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। माननीय सदस्य ने जो पूछा, उन्हीं का संज्ञान लेकर मैंने उत्तर दे दिया। आरक्षण के बारे में मैंने स्पष्ट उत्तर भी दे दिया। हम पर आरोप भी लगा दिया कि चोरी फिर सीना जोरी। जब चोरी है ही नहीं तो क्या चोरी पकड़ी जाय। न तो चोरी है, न सीना जोरी है और न मजबूरी है, जो भी काम होगा नियमानुसार होगा।

श्री उदयराज यादव-

मैं तो पूछ रहा हूँ कि आरक्षण विकास खण्ड वाइज होगा कि नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य की उत्कंठा यह है कि ब्लाक प्रधान की इकाई है इसलिये 27 परसेन्ट का कोटा ब्लाकवाइज होगा कि नहीं होगा। अब आप में धैर्य ही नहीं है तो उसके लिये मैं क्या करूँ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर. माननीय सदस्य ने जानकारी दी कि 16 में से 12 ब्लाक में आरक्षण नहीं दिया गया। जिन अधिकारियों ने प्रमाणित करके यह जानकारी आपको दी है, उन्हें आप दण्डित करने की व्यवस्था करेगें कि नहीं करेंगें। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम कोई नया कानून बनाने के लिये नहीं कह रहे हैं। संविधान का उल्लंघन कर रहे है। इसलिए आप सरकार को निर्देशित करें कि प्रत्येक विकास खण्ड वाइज आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। . . . .

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा विनम्र आग्रह है कि यह गुस्सा न करें। माननीय सदस्य बड़ा गुस्सा होकर बाहें चढ़ाकर बात कर रहे थे। जरा मुस्कुराकर बात करें। मेरा आग्रह है नया कानून बनाने की बात नहीं है जो वर्तमान में है उसका पालन करने की बात है। सूचना आपकी आई उन्नाव के बारे में। मेरा दायित्व है कि उन्नाव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। हमने निर्देश भी दिये है कि जहां ठीक से कार्य नहीं हो रहा है, उसको भी ठीक करके बतायें। अगर आपको शक रह जायेगा तो दो दिन और है। मैं पूरी जानकारी कर लूँ। आपकी बात और उनकी बात में अन्तर हो। कम से कम मेरे पास जानकारी तो आ जाय।

श्री धनी राम वर्मा-

क्षेत्र पंचायत बार कराने में क्या दिक्कत है

श्री हुकुम सिंह-

हो सकता है जो आप कह रहे हैं, उसमें और मेरे कहने में अन्तर हो। जानकारी प्राप्त कर लूँ, वह आपको दे दूंगा।

श्री उदयराज यादव-

इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्षेत्र पंचायत में आरक्षण दिये जाने में।

(दो तीन माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ चुकी है। कृपया बैंठे। अगली सूचना. . . . .

श्री उदयराज यादव-

मैं कह रहा हूँ कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर घोषणा कर दें कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर आरक्षण दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया बैठें।

(श्री उदयराज यादव, श्री भीम प्रसाद सोनकर और श्री राम कुमार 'एडवोकेट' सदन के फ्लोर पर खड़े होकर बोलने लगे जिसके कारण व्यवधान)

श्री उदयराज यादव-

संसदीय कार्य मंत्री लगातार सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

अम्बेडकर नगर में भी आरक्षण के तहत. . . .

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपने स्थान पर चले जायं।

(माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी-

पूरे प्रदेश की आबादी के आधार पर आधे स्थान पर भी पूरा कर दिया जायेगा। संविधान की मन्शा यह नहीं है। क्षेत्र पंचायत को यूनिट मानकर वहाँ आरक्षण का कोटा पूरा कर दिया जायेगा इतना वाक्य संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहते हैं। जैसा आपने निर्देश दिया है। आरक्षण का जो प्राविधान है उसको पूरा कर देगें, इसमें क्या दिक्कत है।

श्री अधिष्ठाता-

इस सन्दर्भ में जो नियम हैं उसके अनुसार आरक्षण सुनिश्चित करा लें।

श्री धनी राम वर्मा-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहलवा दें।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया करके बैठ जायं। पीठ से निर्देश के बाद भी संसदीय कार्य मंत्री जी से कहलवा दीजिये, यह इस पीठ से अपेक्षा करेंगे यह ठीक नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपके जो निर्देश होते हैं, वह शिरोधार्य होते है। इससे बड़ा और निर्देश क्या होगा।

(व्यवधान)

श्री रामललित चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विषय मैं उठाने जा रहा हूँ वह प्रदेश के सभी गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ अहम मामला है। मान्यवर, 1903 से लेकर वर्ष 1935 तक चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ना सीधे खरीद लिया जाता था। विभिन्न प्रकार से चीनी मिलें गन्ना किसानों का शोषण करती थी। गन्ना किसान जब गन्ना लेकर चीनी मिलों पर जाता था तो मिलें कहती थीं कि यह गन्ना ठीक नहीं है, इसमें मिट्टी मिली है,तो विभिन्न प्रकार से गन्ना किसानों का शोषण किया जाता था। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने शुगर केन एक्ट 1934 के तहत गन्ना सहकारी समितियों का निर्माण कराया। इसका कार्य था गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहन देना, पड़ताल करना, गन्ने का सट्टा बनाना, किसानों को पर्ची देना, गन्ने की तोल करना एवं चीनी मिलों से गन्ना मूल्य लेकर किसानों को भुगतान करना। यह मुख्य काम इन समितियों के थे।

मान्यवर, 1971-72 तक यह समितियां ठीक तरह से चली, लेकिन वर्ष 1971 में यू0पी0 शुगर अन्डर टेकिंग ऐक्ट 1971 बना जिसका उद्देश्य था बीमार चीनी मिलों को अधिगृहीत कर सरकार द्वारा चलाना था। यह चीनी मिलें पेमेन्ट सही तरीके से नहीं देती थीं तो जो कमीशन समिति कों मिलता था, उसमें अड़चन बढ़ने लगी। यहीं से गन्ना समितियों का घाटे का सिलसिला शुरू हुआ। गर्वन्मेंट आफ इण्डिया से पांच प्रतिशत कमीशन का निर्देश मिलता था। 1991-94 तक पांच प्रतिशत कमीशन मिलता था यह वर्ष 1994-98 से घटकर 3 प्रतिशत हो गया और 1998 से इसे घटाकर अब यह एक रुपया कर दिया गया है, एक रुपया प्रति कुन्तल कर दिया गया है। मंहगाई बढ़ी है, तनख्वाह बढ़ी है वेतन बढ़ा है, तो समितियों का कमीशन बढ़ाया जाएगा तो समितियों को घाटा नहीं होगा, और यदि इनका कमीशन घटाया जाएगा तो क्या इनको घाटा नहीं होगा तो मुनाफा होगा। इन गन्ना समितियों ने गन्ना मूल्य को टी0ए0, डी0ए0 एवं वेतन आदि में उपयोग कर लिया। जो 40 करोड़ के लगभग है, 95 समितियों ने जो पैसा उपयोग कर लिया है वह वे नहीं दे पाएंगी वह घाटे में चली गई और यह क्रय समितियां चाहे भंग करे या तोड़े या चाहे आप मारे चाहे काटें। मैं इस संबंध में दो-तीन सुझाव देना चाहता हूँ-सरकार इन गन्ना सहकारी समितियों की स्थिति सुधारने के लिए नाबार्ड से इन्हें धन उपलब्ध कराये ताकि यह खाद, बीज आदि वितरित करने का कार्य कर सके और फिर से अपने पैरों पर खउी हो सकें। दूसरा सुझाव है कि गन्ना आपूर्ति पर चीनी मिलों से मिलने वाले कमीशन में कुछ सुधार किया जाये।

तीसरा सुझाव है कि समितियों को गन्ना किसानों के हित में अस्तित्व में बनाये रखना अति आवश्यक है अन्यथा चीनी मिलें निरंकुश हो जायेंगी और गन्ना किसानों का पूर्व की भाँति शोषण करेंगी। चौथा सुझाव मेरा यह है कि गन्ना किसानों का जो धन समितियों ने उपयोग कर लिया है उसे सरकार सीधे गन्ना किसानों का अनुदानित करें अर्थात भुगतान करें अन्यथा यह गन्ना मूल्य बकाया का बकाया रह जायेगा क्योंकि गन्ना सहकारी समितियों के बस की बात नहीं रह गयी है कि इसका भुगतान कर सकंगी। चीनी मिलें अब बन्द कर दी गई है सभी चीनी मिलों का डेढ़ दो महीने का बकाया है। इसी तरह से सरकार इस बकाये गन्ना मूल्य को जो लगभग 4 अरब रु0 होगा, हर हालत में 15 जून तक भुगतान सुनिश्चित कराये।

श्री अधिष्ठाता-

ग्राह्यता पर बोलें।

श्री रामललित चौधरी-

यदि चीनी मिलें भुगतान नहीं करती हैं तो गन्ना खरीद अधिनियम-1953 की धारा 17 के अनुसार और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ब्याज सहित गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाए। यह बहुत ही इम्पार्टेन्ट मामला है इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह नोटिस के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और हम लोगों ने भी उस पर नोटिस दिया है। एक ही विषय है, तो कृपया हम लोगों को भी ग्राह्यता पर सुन लें। मान्यवर, हम आपके आभारी है कि प्रदेश की सबसे ज्वलंत मुद्दे पर जिसमें प्रदेश की गन्ना समितियों के 32 लाख कृषक परिवार प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं और करोड़ों परिवार अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए है। मान्यवर, 80 प्रतिशत जनता जो गाँवों में रहती है, सरकार दस्तावेज के अनुसार, उत्तर प्रदेश की गाँव की पृष्ठभूमि के अनुसार उसकी नकद फसल गन्ना है। हमने कई विकल्प तैयार करने की कोशिश की कि सूरजमुखी को या आलू को नकदी फसल बनायें लेकिन वह हो नहीं पाया और आज भी नकदी फसल गन्ना है।

इसी गन्ने की फसल से प्रदेश के किसानों की जीविका चलती है। तालीम की जो फीस है वह पर्चियों के भुगतान पर आती है, या कोई बीमार हो, बूढ़े बाप की तीमारदारी के लिए उसके पास पैसा नहीं है तो वह उन्हीं गन्ना पर्चियों को बाजार में गिरवी रखकर साहूकार से पैसा ले आता है कि जब भुगतान होगा तो उसका पैसा चुका देगा। अपनी बेटी की शादी करनी हो, अच्छे बीज लाने हो, खाद लानी हो कर आवश्यकता की चीज वह इसी के माध्यम से करता है। मान्यवर, प्रदेश के गन्ना किसानों का 700 करोड़ रुपया सरकारी आंकड़े के अनुसार बकाया है। 125 करोड़ चीनी मिलों पर, 150 करोड़ रुपया सहकारी चीनी मिलों पर और लगभग सवा चार सौ करोड़ रुपये प्रदेश की निजी चीनी मिलों पर बाकी है। उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे काश्तकार चार बिसवा, एक बीघा, दो बीघा या चार बीघा जो लघु और सीमान्त कृषक है उसका किसी का सात सौ, पांच सौ या दो हजार रुपया बाकी है। इन सात सौ करोड़ रुपये का भुगतान न होने से . . . .

श्री अधिष्ठाता-

आपको दो मिनट का समय दिया था। हो गया हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं कन्क्लूड तो कर दूँ। मान्यवर, पिछले साल का 10 करोड़ का रुपया बाकी है। यह पहली सरकार है तो संवेदनशून्य है। दो वर्षो का गन्ना मूल्य बाकी है। इन्होने आर0सी0 जारी नहीं की और किसी को जेल नहीं भेजा। हम यह मांग करते हैं कि यू0पी0 शुगर केन कंट्रोल एक्ट तथा परचेज एक्ट के अनुसार प्रदेश के किसानों का 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान कराने का कष्ट करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस ज्वलंत समस्या पर बोलने का अवसर दिया। यह अविलम्बनीय और तात्कालिक इसलिए हैं क्योंकि प्रदेश के लाखों गन्ना काश्तकारों से जुड़ा हुआ यह सवाल है। पूर्वी उत्तर में अधिकांश चीनी मिलें स्वाधीनता के पूर्व की लगी है। प्रदेश की सरकार के संज्ञान में यह बात है कि पूर्वांचल की चीनी मिलें जर्जर अवस्था में है और इनकी पेराई क्षमता पुरानी होने के कारण अधिक नही है। प्रदेश की सरकार से अनेक बार विभिन्न संगठनों ने यह मांग की कि इन ईकाइयों को लाभ में लाने के लिए इनका विस्तारीकरण किया जाय और इनको सुदृढ़ बनाया जाय। लेकिन यह सरकार इसको प्राथमिकता नहीं दे रही है परिणाम स्वरूप पूर्वांचल की मिलों की पेराई क्षमता कम होने की वजह से वे घाटे में हैं तथा उन पर गन्ना मूल्य का बकाया भी बढ़ता चला गया . . .

© वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और आज परिणाम यह हुआ कि पिछले दो वर्षो का मिलाकर गन्ना मूल्य का बकाया 770 करोड़ रु0 हो गया जिसमें 425 करोड़ रु0 अकेले निजी चीनी मिलों पर बकाया है। गन्ना क्रय अधिनियम में यह प्राविधान है कि अगर मिल मालिक 15 दिन के बाद गन्ना मूल्य का भुगतान करता है तो उसे 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करना होगा1 मान्यवर, मामूली बकाये की वसूली को लेकर किसान तहसीलों में बंद हो रहे हैं लेकिन जो किसानों का बकाया चीनी मिलों पर है उसमें एक भी मिल के विरुद्ध अभी तक आर0सी0 नहीं जारी हुई है न किसी मिल मालिक को जेल भेजा गया है। मान्यवर, इस लोब महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर चर्चा तत्काल सदन में करायी जाय।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक अजीब सी त्रासदी है एक तरफ जब सरकार का किसी किसान पर 100 रू0 भी बकाया है तो उसे सरकार बर्बरतापूर्वक खींचकर हवालात में बन्द कर रही है, जब तक 1-1 पैसे का भुगतान नहीं मिल रहा है उसे 14 दिन हवालात में रहना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इस सरकार द्वारा संचालित चीनी मिलों, पूंजीपतियों द्वारा संचालित चीनी मिलों पर 700 करोड़ रु0 से ज्यादा बकाया है। यह बकाया इसी वर्ष का है विगत वर्ष का भी 10 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। सरकार ने अपनी किसी चीनी मिल के बकाये के लिये किसी को एक दिन सजा देने की कभी हिम्मत नहीं दिखायी है। एक तरफ गन्ना किसानों की खून पसीने की कमाई हो तो मिलों पर बकाया हो और उनकी लड़कियों की शादियां रुक रही हों और दूसरी तरफ सरकार इतने बकाये पर कुंडली मार कर बैठी हुई है।

मान्यवर, अधिनियम में प्राविधान है, हाई कोर्ट (इलाहाबाद) के निर्देश हैं अगर समय से भुगतान न हो तो ब्याज सहित भुगतान के लिये बाध्य है। ब्याज कौन कहे आज मूल धन नहीं दिया जा रहा है। माननीयय मंत्री जी सूची रख दें कि मिल मालिक को जेल भेजने का काम किया है। दूसरी तरफ आप एस0डी0एम0 से सूची मांग लें तो पायेंगे कि कोई भी तहसील का लाक-अप खाली नहीं है जहां किसान बंद है। किसान कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। मेरा आरोप है कि यह सरकार मिल मालिकों की मिली भगत से प्रदेश के किसानों का जानबूझकर पैसा रोक रही है, जिसमें मिल मालिकों को 20 से 30 प्रतिशत ब्याज मिलने लगता है।

उससे 20 प्रतिशत 30 प्रतिशत ब्याज कमाने के लिए गन्ना किसानों का पेमेन्ट रोका जा रहा है। माननीय मंत्री जी यह जरूर बताये कि कितनों का बकाया है और कितनों को जेल भेजा है यह मत बतायेंगे कि नोटिस भेजी है।

श्री अधिष्ठाता-

समरपाल जी आपकी सूचना निरस्त हुई है लेकिन आपको विशेष अनुमति दे रहा हूँ।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आप अनुमति दे देंगे, अगर आप अभी अनुमति दे देंगे तो आभारी रहूँगा।

(श्री कौकब हमीद के खड़े होने पर)

कृपया बैठे, चर्चा नहीं हो रही हैं।

(श्री लालजी वर्मा, डा0 कौशल किशोर और श्री कौकब हमीद के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री कौकब हमीद-

मुझे 2 मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना निरस्त हुई है, विशेष अनुमति इस सूचना पर सुनने के लिए मैंने दी थी। आपकी सूचना भी इस पर हैं मैंने माननीय समरपाल जी को अनुमति दी है। अब आप और समरपाल जी तय कर लें कि किसको बोलना हैं?

गन्ना विकास मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

मान्यवर, माननीय राम ललित चौधरी की सूचना है और किसी की सूचना नहीं है। इसलिये विस्ताव से मैं सूचना नहीं दे पाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है और प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों के भविष्य से संबंधित है। हमारे जो माननीय सदस्यों ने बाते कहीं है मैं उनको दोहराना चाहता लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यह पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों से संबंधित विषय है चाहे पूरब के हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों या मध्य उत्तर प्रदेश के हों। मान्यवर, सत्र के दौरान बार बार सम्मानित सदन के अन्दर यह बात उठायी जाती है कि चीनी मिल मालिक गन्ना किसानों का भुगतान एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल तक नहीं करते हैं, कितनी कठिन समस्या है किसान पूरी मेहनत करने, खून पसीना करके गन्ना पैदा करता है और चीनी मिल मालिक को दे देता हैं और वह उसका पैसा नहीं देता अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी। अगर किसान को कोई जरूरत है, अगली फसल बोने के लिए तैयारी करनी है, खाद खरीदनी है, पानी देना है, बीज का इंतजाम करना है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, बच्चों के हाथ पीले करने हैं तो अगर किसानों के पास अपना कार्य करने के लिए अपना जीवनयापन करने के लिए अगर उसको गन्ने का पैसा नहीं मिलेगा तो वह यह सब कैसे करेगा। सरकार इतनी संवेदनशील है कि चाहे राजनीतिक दल हो या अन्य संगठन, बराबर वह सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि गन्ना किसान का भुगतान चीनी मिल मालिकों से करा दिया जाय, लेकिन सरकार उसका भुगतान नहीं कराती है। मान्यवर, शुगर केन कंट्रौल आर्डर 1966 देखें, उसमें है कि कोई भी चीनी मिल मालिक किसानों के गन्ने का भुगतान डिलीवरी के 14 दिन के अन्दर करायेगा और अगर वह असफल रहता है तो वह 15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा।

. . . . यह नियमों के अन्दर स्पष्ट प्राविधान है, लेकिन यह सरकार नियमों का पालन कराने में असफल है। यह सरकार गरीब किसानों की कमर तोड़कर पूजीपूतियों को, चीनी मिल मालिकों को लाभ पहुँचाने का काम कर रही है, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है। यह लाखों गन्ना किसानों के भविष्य से संबंधित है और नियम 56 की जितनी शर्ते हैं, उनकी शर्तो को यह पूरा करती हैं।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह विषय अविलम्बनीय भी है क्योंकि आज भी चीनी मिल मालिकों पर 700 करोड़ रूपया बाकी हैं, जो वर्षो से लम्बित है और किसान को इसकी जरूरत है। अगर किसान के ऊपर सरकार का या किसी सरकारी संस्था का 5 हजार, 10 हजार रूपया बाकी है तो उसको आर0 सी0 काटकर जेल के अन्दर बंद किया जा रहा है, जबकि चीनी मिल मालिकों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं तीन बातें प्रमुख रूप से कहना चाहता हूँ, जब तक गन्ना किसान का पैसा मिल मालिकों पर बकाया है, उसकी आर0 सी0 न काटी जाय। चीनी मिल मालिक यदि 14 दिन के अन्दर गन्ना किसान का पैसा नहीं देते हैं तो उनसे 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान कराया जाय और तीसरी बात, जो मिल मालिक भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनकी आर0 सी0 काटकर उन्हें जेल के अन्दर बंद कराया जाय। यह अविलम्बनीय प्रश्न है और मैं अनुरोध करूँगा कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराने की आप कृपा करें।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर-

मान्यवर, मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूँ। कृपया मेरी बात दो मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठे, आपके दस्तखत नहीं हैं। मैंने मौर्य जी को बुला लिया है, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर-

मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप मेरी बात सुन लें, गन्ना किसानों का मामला है।

श्री अधिष्ठाता-

अच्छा मौर्य जी, आप बैठ जायें। माननीय सदस्य को अपनी बात कह लेने दें।

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर-

मान्यवर, भटनी शुगर फैक्टरी में किसानों का 53 प्रतिशत गन्ना मूल्य बकाया है, इसी प्रकार देवरिया में देवरिया चीनी मिल पर 83 प्रतिशत बकाया है, ऐसे महत्व की बात आप नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि 1990 में जब किसानों का बाकी पैसा नहीं मिला तो किसानों ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराकर 32 लाख रुपया प्रतापुर चीनी मिल से सूद का लिया था और यह सरकार गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करा सकती है। देवरिया गन्ना किसानों का सबसे अधिक बकाया है, एक मंत्री के नाम से ही फैक्ट्री है। आज इस सरकार द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है, मेरा अनुरोध है कि उनका भुगतान अविलम्ब कराया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह कृषि प्रधान देश हैं और 80 फीसदी लोग यहाँ किसानी करते हैं और किसान की मुख्य फसलें जो हैं, चार प्रमुख हैं, उसमें गन्ना एक प्रमुख है। गन्ना किसानों का शोषण न हो, इसी उद्देश्य से गन्ना सहकारी समितियों का गठन किया गया था। यह गन्ना सहकारी समितियां गन्ना किसानों को खेती में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रोत्साहन देने का काम, किसानों को पर्ची देने का काम, तौल करने का काम किया करती है। मान्यवर, चीनी मिलों की मनमानी चल सके इसलिए गन्ना सहकारी समितियों को धीरे-धीरे कमजोर करने का काम करते रहे हैं। इसी कारण गन्ना सहकारी समितियों को जो इन चीनी मिलों से कमीशन मिला करता था, उसको 5 से 3 और 3 से नीचले लाकर 1 प्रतिशत पर कर दिया है जिसके कारण यह गन्ना सहकारी समितियॉ आज कमजोर हो चुकी हैं और उनके पास जो भी इस कमीशन से फण्ड था वह उसका उपयोग वेतन में करते रहे। यही कारण है कि आप 40 करोड़ के घाटे में ये गन्ना सहकारी समितियां चल रही हैं। यह घाटा चीनी मिलों के सुनियोजित षड़यन्त्र के तहत हुआ है। इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जो गन्ना सहकारी समितियां बनायी गयी थी, किसानों की उन्नति के लिए बनायी गयी थी, जो चीनी मिलों से होने वाले शोषण को रोकने के लिए बनायी गयी थीं उसको वह नाबार्ड योजना से मदद करके मजबूत करने का काम करे और जैसा आए दिन अखबारों में मिला करता हैं कि कहीं पर 100 रूपये के लिए, कहीं 200 रूपये के लिए छोटे-छोटे किसानों को जेल में भर दिया जाता है, लेकिन आज अरबों-अरबों रुपया चीनी मिलों के मालिकों पर बकाया हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। मान्यवर, इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि अधिनियम 1953 की धारा-17 के अनुसार और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक इनको तत्काल गन्ने का भुगतान कर देना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में 400 करोड़ रुपये चीनी मिल मालिकों पर बकाया हो गया हैं, जबकि गन्ने की पेराई का काम बन्द हो गया है, दो महीने से अधिक हो गये है लेकिन अभी तक उनको भुगतान नहीं किया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि गन्ना किसानों का 15 जून तक यह पूरा गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए, कर दिया जाना चाहिए जिससे कि जो यह किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं, उसकी कमर टूटती जा रही है, उनके बच्चों की दवा-दारू और साथ-साथ उनके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और खाने-पीने की भी दिक्कत आ रही है, साथ-साथ शादी-विवाह में भी रुकावट आ रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, यह अविलम्बनीय प्रश्न है, लोकमहत्व का प्रश्न हैं और प्रदेश के करोड़ो-करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न पर मान्यवर, चर्चा कराये जाने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, आपने अपने उल्लेख में कहा था कि आपको सूचना नहीं मिली हैं, मेरे पास रिकार्ड उपलब्ध कराया गया है जिसके आधार पर आपके कार्यालय को सूचनाएं उपलब्ध हुई है, कृपया उनका संज्ञान लेते हुए माननीय सदस्यों ने जो बाते कहीं हैं, अपनी बात कहें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हमारे कई सम्मानित सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ना समितियों और गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में यहाँ पर कई बिन्दु उठाये हैं। मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों ने जो बिन्दु उठाये है, उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। राम ललित चौधरी जी ने उत्तर प्रदेश के अन्दर जो गन्ना समितियाँ हैं, जिन्होंने भुगतान न करके डाइवर्जन करके आपने वेतन आदि में व्यय कर दिया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर 174 समितियॉ है जिनमें 79 लाभ वाली समितियां है और 95 घाटे वाली समितियां हैं। इन 174 मे से केवल 42 समितियां ऐसी पायी गयी हैं, इनको गन्ना किसानों का जो पैसा दिया गया था उसमें 19.55 करोड़ रुपये उन्होने मिसयूज करके व्यय कर दिया है। इन समितियों के विरुद्ध किसानों के हित में निर्णय लिया गया है कि तीन वर्षो में जो गन्ना कमीशन उनको प्राप्त होगा इससे गन्ना किसानों का भुगतान किया जाए। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें 2 करोड़ 16 लाख 30 हजार रुपया काटा जा चुका है।

जिसका गन्ना किसानों को भुगतान कर दिया गया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गन्ना किसानों का जितना पैसा मिसयूज किया गया है सरकार उसकी व्सवस्था सुनिश्चित करेगी ताकि किसानों का भुगतान हो सके। हमारी सरकार में जब माननीय राम प्रकाश गुप्त जी मुख्य मंत्री बने तो पहली बार हमारी सरकार ने गन्ने का दाम 5 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाये। इस गन्ना मूल्य में किसी तरह की कटौती नहीं की गयी। मान्यवर, जब मेरे पास यह नया विभाग आया तो 98-99 में 70 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया था। इसमें से नवंबर, 99 में लगभग 55 करोड़ रुपया भुगतान कर दिया गया है मात्र 15 करोड़ शेष रह गया है। इसमें से 3 करोड़ 69 लाख रुपये जो 6 बंद पड़ी चीनी मिले हैं उनका बकाया था। यह मिले जो चीनी निगम की हैं इनकी स्थिति अच्छी नहीं थीं तो जो इनका बकाया था उसको तीन इंसटालमेंट में भुगतान करने का निश्चय किया गया है। मार्च में इसमें से 1 करोड़ 24 लाख, अप्रैल में 1 करोड़ 23 लाख का भुगतान कर दिया गया है और शेष 1 करोड़ 22 लाख रह गया है मई के महीने में इसका 100 प्रतिशत भुगतान कर दिया जायगा। जो प्राइवेट चीनी मिले हैं उनके ऊपर 10 करोड़ रुपया बकाया है। इनको आर0 सी0 जारी की गयी थीं लेकिन वीआईएफआर और हाईकोर्ट से स्टे हैं। सरकार का प्रयास है कि स्टे को वैकेट कराया जाय ताकि किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा सके। मान्यवर, इस बार भगवान की कृपा रही है और उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है, सबसे अधिक पेराई हुयी है और सबसे अधिक चीनी का उत्पादन हुआ है।

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर-

मान्यवर, मंत्री जी देवरिया के बारे में बतायें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 1996-97 में 428.25 लाख टन गन्ना क्रश किया गया, 97-98 में 409.06 लाख टन गन्ना क्रश किया गया और 98-99 में 412.70 लाख टन गन्ना क्रश किया गया। इसी तरह से 99-2000 में 476.43 लाख टन गन्ना क्रश किया गया। मान्यवर, इसी तरह से मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि अबकी बार 12 मई तक 476.43 लाख टन गन्ना क्रश किया गया है। चीनी का उत्पादन भी गत वर्षो की तुलना में 44.59 लाख टन अधिक हुआ है। जहाँ तक गन्ना मूल्य के भुगतान का प्रश्न है मैं बताना चाहूँगा कि 1996-97 में 12 मई तक 2894.89 करोड़ रुपये भुगतान किया गया। 96-97 में हमारी सरकार नहीं थी उस समय 2037.86 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। 857.03 करोड़ रुपया बाकी रहा जो 27.60 प्रतिशत आता है। इसी तरह से 97-98 में 3003.06 करोड़ रुपये बकाया था जिसमें से 2602.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और 400.61 करोड़ रुपया बकाया रहा यह 13.34 प्रतिशत है। इसी तरह से 98-99 में 3251.12 करोड़ रुपये बकाया था जिसमें से 2720.67 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया तथा 530.45 करोड़ रुपया बकाया रहा इसका प्रतिशत 16.32 है। इसी तरह से 1999-2000 में 4020.91 करोड़ रुपया बकाया था जिसमें से 3372.40 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था तथा 648.51 करोड़ रुपया बाकी रहा इसका प्रतिशत 16.13 है।

. . . . जो अवशेष है वह 16 प्रतिशत है। 648.51 करोड़ बैलेन्स है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो गन्ना मूल्य का टोटल भुगतान किया है वह 3434.21 करोड़ रुपये का रिकार्ड भुगतान किया जा चुका है और इस वर्ष हमारी 14 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश की चल रही है जिससे हमें गन्ना मूल्य के भुगतान में सुविधा हो रही है। पिछले वर्ष इस समय तक 2720.67 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। इस

बार 700 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान गन्ना किसानों के हित में कराया है। हमारे कई सदस्यों ने पूर्वी क्षेत्र के गन्ना मूल्य भुगतान के बारे में चिन्ता व्यक्त की। हमने प्रदेश का औसत बताया है कई चीनी मिलें ऐसी है जहाँ पर 100 प्रतिशत भुगतान हो गया है, कुछ चीनी मिलों के भुगतान का प्रतिशत काफी कम है।

शासन स्तर पर हम निरन्तर समीक्षा कर रहे है। 16 मार्च को समीक्षा की गयी, 25 मार्च को समीक्षा की गयी, मैने 21 अप्रैल को स्वयं 20 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान बाकी था उसकी समीक्षा की थी और काफी गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। 22 मई को मैंने प्राइवेट चीनी मिल ओनर्स को बुलाया है, हम उस दिन समीक्षा करेंगे और हमार प्रयास होगा कि यथाशीघ्र भुगतान हो सके। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जहाँ चीनी उद्योग में देश का सबसे बड़ा उद्योग है। देश में जहाँ 460 चीनी मिलें हैं उसमें से 129 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में हैं इनमें से 109 चीनी मिलें चली है। चीनी उद्योग ठीक चलेगा तो निश्चित रूप से गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान होगा। केन्द्र सरकार ने कुछ सकारात्मक निर्णय लिये हैं जिससे चीनी उद्योग को बढावा मिला है। मै साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास होगा कि यथाशीघ्र गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाये।

श्री अधीष्ठाता-

माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जो को सुनने के पश्चात् यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है, इसलिये इसे निरस्त करता हूँ। अगली सूचना श्री राम विशुन आजाद जी की है।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, 2000-2001 में कोई नई चीनी मिल नहीं लगा रहे हैं। . . . . .

श्री प्रमोद कुमार-

यह सरकार मिल मालिकों से मिल गयी है और गन्ना मूल्य भुगतान के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बर्हिगमन करता है।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है, किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करा पा रही है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के सरकार किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के प्रति गम्भीर नहीं है। सरकार का रवैया किसान विरोधी है सरकार किसानों की वर्तमान हालत में सुधार नहीं चाहती है। इसीलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गए सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य भी वेल में आ गए)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन को 1.30 तक स्थगित करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता ने 1 बजबर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजबर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, जैसा गन्ना मंत्री जी ने बताया कि. . . .।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया बैठ जायं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण मैं माननीय मंत्री जी से चाह रहा था। मंत्री जी ने कहा कि जिन चीनी मिलों पर 20 प्रतिशत बकाया है उनकी समीक्षा की गई उसके बाद उनके भुगतान पर तेजी आ गई। मैं उन्हीं के विभाग गन्ना कमिश्नर कार्यालय से 12 मई को साइंटिफिक सेक्शन से जो स्थिति अवगत करायी गयी हैं वह बता रहा हूँ 12 मई को उनके 99-2000 में 683 करोड़ 37 लाख रुपया बकाया है। 98-99 में 530 करोड़ 45 लाख रुपये बकाया था और दोनों को जोड़ दिया जाय तो 1213 करोड़ 82 लाख रुपया बकाया था। मिलवाइज अगर लें तो पिपराइच मिल में 62.33 प्रतिशत बकाया है। देवरिया चीनी मिल में 85.80, भटनी चीनी मिल में 93.67 प्रतिशत बकाया है। इसी तरह से जौनपुर जनपद में शाहगंज चीनी मिल में 80.4 प्रतिशत बकाया है। सुल्तानपुर जनपद में जो चीनी मिल हैं उसमें 42.2 प्रतिशत, बलिया में 64.66 प्रतिशत, सठियांव चीनी मिल में 73.29 प्रतिशत बकाया है।

चीनी मिल घोसी में 54.68, औरैया में 96.86 प्रतिशत बकाया है। मालकपुर में 58.54 प्रतिशत, मोदी नगर (गाजियाबाद) में 41.59 प्रतिशत, बेलारी (मुरादाबाद) में 62.26 प्रतिशत, बहेड़ी में 43.99 प्रतिशत नवेली (एटा) में भी बकाया है। इस प्रकार किसी में 48 प्रतिशत किसी में 63 प्रतिशत और किसी में 70 प्रतिशत बकाया है और यह भी अगले वित्तीय वर्ष का बकाया है तो जिन पर 50 प्रतिशत से ज्यादा बकाया है क्या माननीय मंत्री जी एक्ट के अनुसार उन पर 15 प्रतिशत का ब्याज लगाकर भुगतान करने की कृपा करेंगे?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय सदस्य समझ नहीं पाये 1998-99 का 12 करोड़, 19 लाख रुपये बकाया है। 12 मई, 1999 को 3 हजार 251 करोड़ का भुगतान करना था जिसमें से 2720 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बकाया 530 करोड़ रुपया है। 12.5.2000 तक 4020 करोड़ रुपये का भुगतान करना था जिसमें से 3,372 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अब मात्र 648 करोड़ रुपये बकाया है। मान्यवर, मलियाना में 10.50 लाख रुपये, रामपुर में 13.13 लाख, हरदोई में 25.65 लाख, मुडेरुवा में 26.22 लाख, घुघली 19.10 लाख, छितौनी में 27.55 लाख और बेल्लारी में 468.80 लाख चिलवरिया में 329.81 लाख, सरदार नगर पर 298.73 लाख रुपया बकाया है और भी सूची है। प्राइवेट चीनी मिलों पर इस साल 2,831 करोड़ रुपये बाकी था जिसमें से 2406 करोड़ रुपये का भुगतान हो गया है, बाकी 424 करोड़ रुपया शेष रह गया है। 84.99 प्रतिशत का भुगतान हो गया है मात्र 15.01 प्रतिशत बाकी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारपोरेशन सेक्टर में 429 में से 323 का भुगतान किया 24.57 प्रतिशत बाकी है। कोआपरेटिव सेक्टर में 700 करोड़ में से 642 करोड़ का भुगतान किया 15.53 प्रतिशत बाकी है सेक्टरवाइज भी मैं बता सकता हूँ। सहारनपुर में इसी तरह से मात्र 6.67 प्रतिशत बाकी है। मेरठ में 18.20 प्रतिशत बाकी है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी का जवाब आ गया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वर्मा जी ने कुछ चीनी मिलों के बारे में कहा कि बाकी है। मैं औसत की बात कर रहा हूं कि कितना बाकी है। प्राइवेट चीनी मिलों के साथ मीटिंग की और 22 मई को फिर मीटिंग करने जा रहे हैं। कुछ चीनी मिलें जहां पेराई क्षमता ठीक नहीं है, का भुगतान बाकी है इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। औसतन पिछले वर्ष की अपेक्षा इम्प्रूव किया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

निरस्त सूचनाओं पर बोलने का मौका . . . . .

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, एक मिनट लूंगा। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 98-99 में 12 करोड़ 99 लाख बकाया है। मैं सिर्फ यह पूछना चाह रहा हूं कि 98-99 में जो किसान हैं उनको कन्ट्रोल परचेज एक्ट के तहत 15 प्रतिशत दिलायेंगे यह निर्देश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, डी0 एम0 सिंह परसेज स्टेट के मामले में था कि 98-99 में जो पैरेटी रह गई थी उसे ब्याज सहित देंगे। सरकार ने इस कोर्ट के आदेश के तहत अभी तक भुगतान नहीं किया है। यह भुगतान भी जल्दी करायें।

श्री राम ललित चौधरी-

दो साल का था। गन्ना समितियों ने जो गन्ना मूल्य का अभी उपयोग कर लिया है उसको माननीय मंत्री जी सरकारी खजाने से सीधा दे दें और जो गन्ना समितियों का कमीशन मिलेगा . . . . .

श्री अधिष्ठाता-

गन्ना का अभी बजट आने वाला है। बाकी बातें उसमें कर लीजियेगा। राम ललित जी कृपया बैठ जांय।

श्री राम ललित चौधरी-

इस वर्ष कितना गन्ना मूल्य बकाया है। उसको समयबद्ध तरीके से भुगतान करा दिया जायेगा, इस बात की सदन में घोषणा कर दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

जब गन्ने का बजट आयेगा उस समय प्रश्न कर लेंगे तो ठीक रहेगा। कृपया बैठें।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यह सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। 700 करोड़ बकाया है यह सरकार सम्वेदनशील नहीं है। मैं और मेरा दल सरकार की इस नीति के विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्य के साथ सदन त्यागकर चले गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है . . . . .

श्री अधिष्ठाता-

मेरा अनुरोध है कि इतने महत्वपूर्ण बजट आज लगे हैं। कल गन्ना का बजट आयेगा जितनी बातें आपके दिल में हैं आप उस समय पूछ सकते हैं। माननीय मौर्या जी आप एक वरिष्ठ सदस्य है और एक दल के नेता हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया बैठ जायं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, 50 प्रतिशत से ज्यादा गन्ना मूल्य का बकाया है उसको भुगतान करने का कष्ट करेंगे माननीय मंत्री जी।

डा0 नरेन्द्र कुमार गौर-

मान्यवर, जितने गन्ना किसान हैं जिनका गन्ना मूल्य का भुगतान प्राइवेट चीनी मिलों ने पिछले दिनों नहीं किया है मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा . . . . .

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप में मंत्री जी उत्तर दे दें, 50 प्रतिशत से अधिक जहां गन्ना मूल्य का बकाया है उसका भुगतान कराने की कार्यवाही करायेंगे?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जितनी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया है उसमें अपने स्तर से समीक्षा करवा रहे हैं यथाशीघ्र भुगतान कराया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

किसानों के बकाए का भुगतान नहीं हो रहा है यह सरकार किसान विरोधी सरकार है इसलिए मैं ओर मेरा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन किया)

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर-

[x x x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

लिखा नहीं जाएगा। गन्ना बजट आएगा तब कह लीजिएगा।

(व्यवधान)

*श्री रामविशुन आजाद-

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में ऐसे लोगों के विषय में लाना चाहता हूं जिनका इस उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बराबर शोषण किया जा रहा है, मान्यवर, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में फैले जंगलों में एक

नोटः- [x x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाख से अधिक टांगिया मजदूर काम कर रहे है। टांगिया मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं इनके विकास की कोई योजना नहीं चलाई गई है। मान्यवर, 1925 में ब्रितानिया हुकूमत ने टांगिया मजदूरों को बसाने का काम किया। उनसे बाड़ की खुदाई और जंगल को साफ कराने के लिए ब्रितानिया सरकार ने इनको बसाया। 1945 में टांगिया मजदूर ने ब्रितानिया सरकार को ज्ञापन दिया कि स्थाई रुप से उनको बसाया जाए और पांच एकड़ जमीन उनको खेती के लिए दी जाए। मान्यवर, देश आजाद हुआ सन् 1952 में टांगिया मजदूर ने पुनः ज्ञापन दिया। 1961 में पंडित जवाहर लाल नेहरु को ज्ञापन दिया गुलजारी लाल नन्दा जी को दिया कि खेती के लिए जमीन दी जाए आवास के लिए जमीन दी जाए। सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता-

ग्राह्यता पर बोलें।

श्री राम बिशुन आजाद-

टांगिया मजदूरों की यह स्थिति है कि गोण्डा दक्षिणी बन प्रभाग गोण्डा में उनका बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। निर्धारित मजदूरी टांगिया मजदूरों को नहीं दी जा रही है उनका शोषण किया जा रहा है। टांगिया मजदूर ग्राम पंचायत के नागरिक नहीं है वह विधान सभा और लोक सभा में वोट देते हैं लेकिन ग्राम पंचायत में वोट देने का उनको अधिकार नहीं रह गया है।

ग्राम पंचायतों के द्वारा मिलने वाली जो सुविधाएं है चाहे वह पेयजल की हो, स्वास्थ्य की हो, आवास की हो, शिक्षा की हो वह दी जायें। लेकिन यह सरकार के द्वारा टांगिया मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं दी गयी है। वह भुखमरी की कगार पर है। जो साखू के बीच से 60 प्रतिशत तेल निकाला जाता है और उससे कीमती टांफियां बनती हैं, उनसे यह साखू का बीज इक्ट्ठा करवाया जाता है लेकिन उनको निर्धारित मजदूरी नहीं दी जाती है। मान्यवर, आज टांगिया मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। आज करोड़ों की वन सम्पदा उनके जरिए खड़ी है और यह कहते हैं कि यह वन सम्पदा हमारी है। जबकि ये सम्पदाएं उनके खून पसीने से लगी हुई है। सरकार उनके विकास के लिए कोई योजना नहीं बना रही है जिससे वह भुखमरी के कगार पर हैं। जिस प्रकार ब्रितानिया हुकूमत ने 5 एकड़ भूमि उनको खेती के लिए उनके आवास के लिए देकर एक योजना बनायी थी आज सरकार को चाहिए कि उनका शोषण न हो तो वही योजना उसपर लागू की जाय। ग्राम पंचायतों में वोट देने का अधिकार दिया जाय जिससे वह लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल है मैं चाहूंगा कि इसपर सारे सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री हुकुम सिंह-

यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो केन्द्र सरकार द्वारा पारित किया गया है उस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति वन में रह सकता है उसका उपयोग कर सकता है। उसके बाद 95 में उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 202/1995 दायर हुई। इसमें यह था कि वन भूमि में अगर वानिकी कार्य है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं माना जायेगा। केवल भारत सरकार की अनुमति से ही गैर वानिकी कार्य की अनुमति मिल सकती है। यह आदेश उच्चतम न्यायालय ने दिये हैं। मान्यवर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है और उनसे सुझाव मांगे जा रहे है कि किसी तरह से इनको स्थापित किया जाय। सरकार की यह नीति है कि जो भी जाति है उसकी उपेक्षा न हो, हम इसमें कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री राम विशुन आजाद और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसको निरस्त करता हूं।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, इनको ग्राम पंचायतों में वोट डालने का अधिकार नहीं है, उनको मजदूरी नहीं दी जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, आज वह भुखमरी के कगार पर आ गये हैं. . . . .।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय आजाद जी आप बैठ जायें। मैंने आपको इसमें सुन लिया है।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर [****]

श्री अधिष्ठाता-

आप बगैर मेरी अनुमति के बोल रहे हैं। आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी। सरकार के संज्ञान में आ गया है और सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। आपका उद्देश्य पूरा हो गया आप कुछ और कहें यह उचित नहीं है। अगर हर सदस्य इस तरह से अपनी बात पर बल देने के लिए कहेगा तो फिर सदन कैसे व्यवस्थित रहेगा। कैसे आप सदन की परम्परा और मर्यादा को सुरक्षित रख पायेंगे। आपकी भावनाएं आ गयी हैं।

माननीय राम विशुन आजाद जी कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मैं उनके आवास, चिकित्सा शिक्षा आदि की बात कर रहा हूँ उनके ग्राम पंचायतों का चुनाव लड़ने की व्यवस्था कर दें। उनके राशनकार्ड नहीं बने हैं क्या उनको भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है। कृपया संतोषजनक उत्तर दिलवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

सदन में संसदीय परम्पराओं के अनुकूल आचरण करें यह हर सदस्य से अपेक्षा की जाती है।

सरकार ने इसका संज्ञान ले लिया है, आप कृपया बैंठे।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने से टांगिया मजदूरों का शोषण हो रहा है, कई कमेटियां गठित की जा चुकी हैं। मैं अपनी बात पर बल दे रहा हूँ। वे बलरामपुर और तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप संसदीय परम्पराओं का पालन निश्चित रूप से करेंगे।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, यह सरकार टांगिया मजदूरों के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है उनकी शिक्षा, आवास, चिकित्सा के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री राम बिशुन आजाद ने सदन का त्याग किया)

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे विशेष उल्लेख के रूप में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहां मेले बहुत लगते हैं जिनमें कई-कई लाख यात्रीगण हरिद्वार आते है। मान्यवर, वैशाखी प्रारम्भ होती है। 13 अप्रैल से सब लोगों के संज्ञान में है। कांवर का मेला जिसमें 35 लाख लोग हरिद्वार आते हैं।

नोटः-[x x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

और यह कल्पना कीजिए कि जो 35 लाख लोग हरिद्वार आते है नगरपालिका का क्षेत्र की आबादी मात्र 2 लाख है तो जो नगरपालिका 2 लाख की व्यवस्था करती है, बिना किसी शासकीय सहायता के 35 लाख के स्वास्थ्य के लिए और जो अन्य व्यवस्थाएं है चाहे प्रकाश की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो या दूसरी जो व्यवस्थाएँ है, यह कर पाना सम्भव नहीं होता और यही कारण है कि प्रतिवर्ष कोई न कोई अप्रिय घटना हो जाती है। पिछले वर्ष पूरा बाजार जला दिया गया, संघर्ष हुआ, कमिश्नर, डीआईजी सब लोग गये और पूरे 2 दिन वहां पर बाजार भी बन्द रहा विरोधस्वरूप मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के छोटे-छोटे मेले भी नोटिफाई है लेकिन हरिद्वार का इतना बड़ा मेला जिसमें कम से कम 10, 20, 30 लाख लोग आते हैं, ऐसा कोई भी मेला नोटिफाई नहीं है जिसके कारण न पुलिस व्यवस्था हो पाती है, न सफाई के लिए व्यवस्था हो पाती है न लाइट की और न ही पानी की व्यवस्था हो पाती है और न ही शासकीय सहायता मिल पाती है इससे बड़ी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती है जब हरिद्वार में प्राधिकरण बनाया गया तो इसका इरादा यह नहीं था इसका आशय यह था कि हरिद्वार में मेले को नियंत्रित करने के लिए एक मेला प्राधिकरण की व्यवस्था की जायेगी जो मेले की व्यवस्था उचित प्रकार से करायेगा।

लेकिन मेला प्राधिकरण की जगह हरिद्वार विकास प्राधिकरण बना दिया गया। यह तो मेला है जिसमें 5 लाख से अधिक लोग आते हैं उनको अधिसूचित कर दें और इसमें शासन की ओर से सहायता दी जाय ताकि मेले का आयोजन सफलतापूर्वक हो सके और अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का मेला काल अभिसूचित कर दिया जाय या तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि मेला प्राधिकरण बना दिया जाय। तो यह लोकमहत्व का विषय है, मेलाकाल चल रहा है और कांवर का मेला आने वाला है 7 दिन तक राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से बन्द रखना पड़ता है कोई यातायात नहीं चल सकता है। यह गम्भीर परिस्थितियां है। मैं चाहूँगा कि इस पर शासन की ओर से कोई आश्वासन आये।

श्री हुकुम सिंह

मान्यवर, जो कठिनाई का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, कठिनाई तो है, कांवर के दिनों में बहुत बड़ी संख्या हो जाती हैं उस समय सामान्य प्रशासन के लिए दिक्कत आती है लेकिन जो परिस्थिति है उसमें इनका विदाई समारोह होना है, जो मंत्रिपरिषद का निर्णय आया है, उधर जा रहे हैं तो जब जा ही रहे हैं तो वही देखेंगे। मान्यवर, जो प्राधिकरण की बात कही है, प्राधिकरण में आप देखेंगे जब से प्राधिकरण बना है वह सबसे अच्छा काम कर रहा है और उसने काफी विकास कार्य किया है उसको बदलकर कोई दूसरी व्यवस्था करना या उसके समानान्तर कोई प्राधिकरण गठित करना उचित नहीं होगा। ऐसी स्थितियां आती है तो राज्य सरकार अतिरिक्त व्यवस्था करती है, उसका और परीक्षण कर लिया जायेगा।

श्री अम्बरीष कुमार-

प्राधिकरण अच्छा कार्य कर रहा है इससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेले का जो कार्य भार है वह भी प्राधिकरण को सौंप दिया जाय इसको मेला प्राधिकरण में कनवर्ट कर दिया जाय। और जहां तक उधर जाने की बात है तो फिर उत्तरांचल विकास के बजट को मना कर दें जब नया स्टेट बनेगा तो कर लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

2 मिनट की प्रतीक्षा कर लें नगर विकास का बजट आने वाला है अपने विचार रखें वह उत्तर दे देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसको निरस्त कर रहा हूँ।

(श्री राम नरेश यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह था कि एक सूचना शलाका से निकाली जायेगी और एक सूचना पीठ से लेंगे तो यह तो आप उससे भी आगे, निकल गये, अभी सारे बजट हैं 11 बजेगें यहाँ पर।

श्री राम नरेश यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता महोदय, एक छोटी सी घटना ने इतना तूल पकड़ लिया कि पूरे कस्बे में तनाव व्याप्त है। आजमगढ़ जनपद के फूलपुर कस्बे में आज दहशत का वातावरण है। दिनांक 13 मई को एक व्यक्ति बगल के गॉव में आइसक्रीम बेचने गया, उसका नाम राजकुमार था। वहॉ उसका पैसे को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया, उसको कुछ लोगों ने पीटा, वह फूलपुर कस्बे में लौटकर वापस आया और घटना बताई,इस पर कुछ लोग इकट्ठे होगये और उन लोगों ने जाकर दूसरे समाज के लोगों पर वार करना शुरू किया और मारा-पीटा। बदले की भावना से* 14 तारीख को कुछ पत्थाबाजी हुई और आज भी सारा फूलपुर कस्बा बंद है, इसकी वजह से अगल-बगल के गॉव में दहशत और आतंक का वातावरण व्याप्त है। इस घटना को लेकर असामाजिक तत्वों ने इसे साम्प्रदायिक रूप देने की कोशिश की और कुछ अर्थो में इसमें सफल भी हो गये। इससे 15 दिन पहले भी कुछ इस तरह की घटना हुई थी, लेकिन लोगों ने आपस में बातचीत करके संभाल लिया था।

इस समय अगल बगल के गॉव में साम्प्रदायिक तनाव व्याप्त हो गया है, कोई एक दूसरे के साथ बैठने के लिये तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि यदि स्थानीय पुलिस प्रशासन व उसके अधिकारियों ने सजगता दिखाई होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। पुलिस ने यदि तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की होती तो पूरा कस्बे में यह वातावरण नहीं होता, इसलिये हमारी माँग है कि कोतवाल, इंस्पेक्टर जिनकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी, जिसकी वजह से धारा 144 लगानी पड़ी, पी0ए0सी0 तैनात करनी पड़ी, उनके खिलाफ कार्यवाही कर उनको निलम्बित किया जाय और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको क्षतिपूर्ति दी जाय और अंधाधुंध गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिये, पुलिस की प्रताड़ना नहीं होना चाहिये। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, इसको मानवीय दृष्टि से देखें और ऐसी व्यवस्था करें, जिससे वहाँ सामान्य स्थिति बहाल हो सके। मैं सदन के माध्यम से दोनों पक्षों से अपील करता हूँ कि यथास्थिति बनाये रखने में जितना योगदान वह कर सकते हैं, वह करें। यही मेरा निवेदन हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कभी-कभी एक छोटी सी घटना को लेकर कितना तनाव हो जाता हैं, उसी कड़ी में यह घटना है। दिनांक 14 मई की यह घटना मात्र इतनी थी कि लाल प्रसाद सोनकर नामक महिला खाना लेकर जा रही थी, कस्बा मुड़ियार में दो लड़के स्कूटर पर बैठे थे, उनकी टक्कर लग गई और वह नाले में गिर गई। इस पर वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों ने छूटपुट घटना करके दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और अवांछनीय तत्वों ने इस घटना का भ्रामक प्रचार किया, जिसकी वजह से पूरे कस्बे में तनाव व्याप्त हो गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो वहां कोतवाल थे, उनकी ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर किया गया, अब इस समय अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर हैं और पुलिस उनके निर्देशन में गश्त कर रही है, 6 व्यक्तियों को बंद किया गया है, दोनों तरफ से मुकदमें कायम हैं। मैं चाहूँगा कि इस तरह के तत्व सक्रिय होकर स्थिति को न बिगाड सके, हम सबका यही प्रयास होना चाहिये। इस सूचना में नियम-56 की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

उभयपक्षों को सुनने के बाद मैं इसे निरस्त करता हूँ।

श्री वसीम अहमद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूँ कि इस लोक महत्व के सवाल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि पिछली 12 तारीख को किसी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ पर पुलिस के खिलाफ धरना और प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन में कुछ छेड़खानी का मामला था, उसमें दो लोग गिरफ्तार भी हुए और पूरे समुदाय को मुस्लिम समुदाय को गाली दी गयी। जो भारतीय जनता पार्टी के कन्डीडेट हुआ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चार बार से विधायक कन्डीडेट हैं, उनके नेतृत्व में यह धरना-प्रदर्शन हो रहा था, सुबह 6 बजे फोन आता है कि इस्लामपुरा में एक मस्जिद जो बिल्कुल सड़क पर है, उस मस्जिद में सुअर काटकरके, पूरा धड़ काट कर मस्जिद में फेंका गया है। मैंने यह सूचना डी0एम0, आजमगढ़ और एस0एस0पी0 को दिया और बात किया और कहा कि इस तरह की घटना है उसको सम्भालने का काम कीजिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ शरारती तत्व जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, पूरे समुदाय को बदनाम करना चाहते हैं, पूरे समुदाय को गाली देने का काम करते हैं, ऐसे में 13 तारीख की रात को यह काम होता है और 13 तारीख को वहाँ दंगा भड़काने के लिए, आजमगढ़ का माहौल खराब करने के लिए बिलरियागंज में यह किया गया।

एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी कि फलाँ-फलाँ आदमी हैं, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह जो तस्वीर है, मैं दिखा देना चाहता हूँ, यह सारी की सारी तस्वीरें उस मस्जिद की हैं, वहाँ पर जब एडी0एस0पी0 व एडीएम मौजूद हैं, उन लोगों की मौजूदगी में वहाँ कटे हुए शरीर को हटाया गया और लोगों ने बहुत समझदारी से काम लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह के शरारती तत्व हों, पिछले दिनों भी 26 जनवरी और 27 तारीख को हमारे यहाँ कर्फू लगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता के मकान के सामने मस्जिद में इसी तरह से सुअर काटकर रखा गया। मैंने 12 बजे रात में डीएम और एस0एस0पी0 को फोन किया कि इस तरह की घटना है, इसको आप तुरन्त हटवा लीजिए ताकि और कोई विवाद न मचे। मान्यवर, कुछ शरारती तत्व आजमगढ़ के माहौल को खराब करना चाहते हैं। जिनके खिलाफ एफ0आई0आर0 हैं जो एफ0आई0आर में है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाए और उनको बन्द किया जाए ताकि जो दहशत का माहौल है, वह समाप्त हो।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

अधिष्ठाता महोदय, यह जो एक गम्भीर घटना के मामले पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, यह जो घटना आजमगढ़ के बिलरिया कस्बे में हुई है और सुअर का बच्चा काटकर मस्जिद में डाला गया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह झगड़ा लगाने की बात है, हिन्दू और मुसलमान का झगड़ा लगाने की बात है। इस तरह से वहाँ पर घटना घटी और जो उसमें मुल्जिम हैं, मैं सदन से यही चाहूँगा कि जो मुल्जिम हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार कराया जाये। मान्यवर,

इसी तरह की घटना 26 जनवरी, को आजमगढ़ में हुई थी।. . . . छात्रों के लेकर अगर पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन तुरन्त कार्यवाही करता तो आजमगढ़ शहर का दंगा रोका जा सकता था।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठिये, आज कई महत्वपूर्ण बजट हैं।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि बिलरियागंज की यह जो घटना हैं उसमें जो मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनको गिरफ्तार किया जाय ताकि शांति कायम रह सके। लोग वहां पर संप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। मुलजिमों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, मस्जिद में सुअर का बच्चा फेंकने की घटना की जितनी निन्दा बी जाय वह कम है। इस घटना से हम सबको दुखी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इस घटना के राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है वह भी निन्दनीय है। मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी जानकारी के साथ कहना चाहता हूँ कि भा0ज0पा0 के किसी कार्यकर्ता का इस घटना में हाथ नहीं है। जिन लोगों ने यह काम किया है उनकी मरम्मत होनी चाहिए। लेकिन किसी पार्टी का नाम इस तरह से इसमें नही जोड़ना चाहिए। वहां पर ड्यूटी में जो शिथिलता बरती गयी जैसा आपने कहा है तो हम उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फोर्स वहां पर लगी है किसी प्रकार का तनाव या आतंक नहीं है। आप अगर तनाव नहीं कराना चाहेंगे तो तनाव नहीं होगा। बी0जे0पी0 का कभी ऐसी घटना में हाथ नहीं रहा है।

(शोर)

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, एफआईआर की गयी है, नामजद लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं चुनौती देता हूँ कि किसी का नाम नहीं हैं मस्जिद के मुतवल्ली ने रिपोर्ट की है उसमें किसी को नामजद नहीं किया गया। यह अनावश्यक रूप से पार्टी का नाम घसीट रहे है।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, एफ0आई0आर0 में नाम दिये गये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप उसको सत्यापित करके मेरे पास भेज दीजिये।

मान्यवर, जो एफ0आई0आर0 की गयी है वह मु0अ0सं0 142/2000 धारा 153/295 मस्जिद के मुतवल्ली की ओर से की गयी है। मैं अपराध संख्या आपको बता रहा हूँ।

श्री राम प्यारे सिंह-

संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे है कि भाजपा के लोगों में कोई नहीं था। यह भाजपा के लोगों ने करवाया है।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथ्यों को छिपा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ और इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

अभी एक व्यवस्था मैंने सुरक्षित रखी थी जिस समय लालजी वर्मा जी ने एक प्रश्न उठाया था कि उनकी कोई सूचना नियम-56 में थी और माननीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकार किया था लेकिन उनका नाम मैंने नहीं लिया। मैंने कार्यवाही निकलवाई। कार्यवाही को मैंने देखा है उसमें साफ-साफ लिखा है, माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि इसको दुबारा दे दीजियेगा। इसमें स्पष्ट किया है कि आज तो चयन नहीं हुआ आप सोमवार को दे दें। आपने वह सूचना नहीं दी और सदन में आकर आपने दूसरी बात कह दी।

(श्री वसीम अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव एवं श्री राम प्यारे सिंह के एक साथ बोलते रहने पर शोर/व्यवधान)

वसीम अहमद जी मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

माननीय लालजी वर्मा जी, आप जो व्यवस्था उठाते हैं खुद को पहले सुनिश्चित हो लिया करें। आपने यह बात कही कि यह व्यवस्था हुई थी कि स्थगित कर दिया जाये। माननीय अध्यक्ष जी ने यह कहा था कि इसको सोमवार को दे दीजियेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरे सुनने में फर्क आया, इसको आप कल ले लीजिये।

(व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या-2 आवास विभाग एवं अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग

*आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,51,60,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(श्री वसीम अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव एवं राम प्यारे सिंह अपने-अपने स्थान से एक साथ बोलते रहे जिससे कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 4,60,07,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर [x x x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपकी इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अब आप जो कह रहे है वह लिखा नहीं जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

` नोट-[x x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री वसीम अहमद द्वारा बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आपका यह आचरण उचित नहीं है। कृपा करके अपने स्थान पर चलें बहुत की महत्वपूर्ण बजट है और इसमें सबके विचार आने हैं। आप माननीय सदस्यों के अधिकार को छीन रहे हैं।

श्री वसीम अहमद-

आप इसकी जाँच सी0आई0डी0 से या एल0आई0यू0 से करवा लीजिए कि सपा के लोग दंगा बचाने का काम करते हैं बढ़ाने का नहीं।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। एक माननीय सदस्य पूरे सदन का समय बर्वाद कर रहे हैं।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला हैं इसमें आप सुन लें।

(श्री प्रमोद कुमार के श्री वसीम अहमद से बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय प्रमोद जी, मैंने इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अब इसके बाद कौन सी व्यवस्था रह जाती है। माननीय सदस्य अपनी बात कह चुके हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

यह बात पहले खत्म हो गयी लेकिन लगता है कि कुछ बात माननीय सदस्य की रह गयी है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने अगली मद ले ली है।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं यह कागज आपके पास भिजवा रहा हूँ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

यह सच्चाई को नकारना चाहते है।

श्री अम्बिका चौधरी-

इसमें नाम है।

श्री हुकुम सिंह-

अपराध संख्या 142 सन् 2000 धारा 153 ए 295 भारतीय दंड विधान मस्जिद का मुतवल्ली अज्ञात व्यक्तियों के नाम पंजीकृत कराया।

श्री अम्बिका चौधरी-

अपराध संख्या 141 की मैं बात कर रहा हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

यह किसी की बात सुनना नहीं चाहते। मैंने अपराध संख्या 142 बताया आप कार्यवाही निकला कर दिखवा लें। 142 में किसी का नाम नहीं है। 141 दूसरा मुकदमा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

कोई सदस्य यहाँ सूचना देता है उसमें 141 की बात करता हैं और संसदीय कार्यमंत्री उत्तर 142 का देते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

जब संसदीय कार्यमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो एफ0आई0आर0 मेरे पास उपलब्ध है उसमें कोई नामजदी नहीं है। अज्ञात लोगों के नाम लिखाई गई। हो सकता है दो एफ0आई0आर0 हों इसीलिए मैंने इस पर ध्यान आकृष्ट कर दिया है। संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपराध संख्या 142 की बात की एवं माननीय सदस्य ने अपराध संख्या 141 की बात की संसदीय कार्यमंत्री इसका संज्ञान ले लें एवं इस पर जो समुचित एवं समीचीन कार्यवाही हो वह हो जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप स्वत: इसको देख लें इसमें नामजद है।

श्री अधिष्ठाता-

अब बजट प्रस्तुत हो गया है। कृपया बैठ जाँय।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में आय-व्ययक में अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं0-2 आवास विभाग एवं अनुदान सं0-37 नगर विकास विभाग

(क्रमागत)

*आवास, नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैंने सदन के समक्ष अपने विभागों से सम्बन्धित माँग प्रस्तुत की है। मैं अपने सहयोगियों के प्रति बहुत आभारी हूँ कि उनके सुझाव मिलेंगे और कमियाँ सुधारने का अवसर हमें मिलेगा। मान्यवर, हमने गत वर्ष की अपेक्षा इस बार बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रखे हैं। पिछले साल जो कहा वह करके दिखाया है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी शुरुवात की है। उसमें 304 व्यक्तियों के खिलाफ जॉच हो रही है, 211 निलम्बित किये जा चुके हैं, 145 दण्डित किये जा चुके हैं और पहली बार 55 कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन शुरू किया जा रहा है। अगर विकास कार्यो में भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तो विकास नहीं हो पायेगा। हमने इस लड़ाई की शुरुआत की है। मैं सामने बैठे मित्रों और साथ बैठे सहयोगियों के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि इन्होंने किसी के प्रति कोई ऐसा दबाव नहीं डाला कि इसको छोड़ दिया जाय। आज यह हमारा लक्ष्य है। 74 वें संशोधन में एक मूल भावना निहित थी कि स्थानीय निकाय प्रशासनिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहें और हमने सभी जगह यह कोशिश की है कि उनकी अपनी आमदनी बढ़े बिना किसी टैक्स बढ़ाये हुए। मैं आगे विस्तार से कहूँगा कि कितनी आमदनी कहाँ बढ़ी और यह अपने आप में एक रिकार्ड है।

आवास विकास परिषद की हालत यह थी कि वह दिवालिया स्थिति में था आज अपना कर्जा अदा करने की स्थिति में आ गया है। हमने यह भी कोशिश की है कि विधायकों द्वारा जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की स्पोंसर्ड स्कीम्स है उनमें कुछ योजनाओं में कार्य कराया जा सके। अभी शहर में यह व्यवस्था नहीं थी लेकिन हमने फिर घोषणा की थी कि 50 हैण्डपम्प उनके द्वारा चिन्हित स्थान पर लगाये जाँय। अभी सूडा में यद्यपि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की गाइड लाइन है फिर भी हमने व्यवस्था की कि स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्तर्गत 30 व्यक्तियों को कार्पोरेशन एरिया के विधायकों की सिफारिश से इस रोजगार योजना के अन्तर्गत 75 हजार रुपये अनुमन्य उपलब्ध कराया जा सकता है जिससे जो बेरोजगार है वे रोजगार कर सके और 30 लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। सारे देश में यह प्रसिद्ध हुई है और माननीय सदस्यों का

---

*वक्ता नं भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे आशीर्वाद और स्नेह भी मिला है। 5, 10 तथा 15 रुपये की दर से आश्रय योजना का सारे देश में एक माडल हाउस के रूप में सामने आयी है। जिन माननीय विधायकों के क्षेत्र में निकाय आते हैं, अगर वह हमें जमीन उपलब्ध करा दें, चाहे वह गाँव सभा की जमीन हो, जितनी जमीन वह उपलब्ध करायेंगे, हम उतने भवन वहाँ पर बना देंगे माननीय विधायकों की सिफारिश के अनुसार। जो आज 50 साल में भवन नहीं पा सके हम इस योजना के तहत उन्हें भवन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। मलिन बस्तियों में जो योजनायें चलती हैं, उनकी जानकारी माननीय सदस्यगण को नहीं हो पाती हैं, इसलिये उस जिले में जो भी काम होंगे, उसकी सूची माननीय विधायक के पास चली जायेगी और माननीय विधायक की सिफारिश पर एक मलिन बस्ती का समेकित विकास किया जायेगा। पिछली बार मैंने घोषणा की थी कि माननीय विधायकों को एक भवन/भूखण्ड, जो वह चाहें उपलब्ध करायेंगे। जिसको मँहगा लगेगा तो वह नहीं खरीदेगा और जिसको अच्छा लगेगा वह खरीदे। उन्हें लाईन न लगानी पड़े और किसी से बार-बार यह न कहना पड़े कि हमें भवन/भूखण्ड चाहिये, जिसने एप्लाई किया होगा, उसे मिल जायेगा। हम लखनऊ में एक विधायक आवास बनाने जा रहे है।

ऐशबाग में डी0ए0वी0 कालेज के सामने है जो स्टेशन के पास है। वहाँ पर हम फ्लैट्स बनाने की योजना बना रहे हैं जो बाजार के रेट से कम रेट पर मिल रहा है। हम विधायकों को कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं बल्कि एक दूसरी भूमि ली गई है उसका कुछ हिस्सा कामर्शियल रुप से बेचने के लिये सुरक्षित कर दी गई है, उससे जो लाभ होगा, उसे इसमें समाहित कर दिया जायेगा। प्रकारान्तर से ऐसी व्यवस्था की गई है जो बाजार रेट से कम रेट पर पड़ेगी। प्रदेश का विकास हो, यह सभी माननीय सदस्य चाहते हैं, विकास में हम सबकी भागीदारी रहे। हमारे माननीय विधायक कहीं न कहीं स्थानीय निकाय के सदस्य हैं, वहाँ के निर्णय को वह प्रभावित कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई में कई जगह हमारे जो चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं, जिनके हाथ में लोकल बाडीज को चलाने का काम था, वह भ्रष्टाचार में लिप्त थे बकायदा उनके खिलाफ जाँच करायी गई, कई लोगों को शो-काज नोटिस दिये गये, कई लोगों को बर्खास्त किया गया। अब उनका थोड़ा सा समय बाकी रह गया है, क्या उनके खिलाफ जाँच की जाय। ये हमारी प्राथमिक पाठशालायें हैं डेमोक्रेसी की, जब वहाँ पर भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति आगे आयेगा तो जितना गजब ढायेगा, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की गई। जहां तक उन्हें सहायता की बात है। मान्यवर, अबकी इस वर्ष जो हम देने जा रहे हैं यह पिछले वर्ष जो धन उनको दिया गया है इससे पहले कभी नहीं मिला। दशम वित्त आयोग से उन्हें पैसा मिलता है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सफाई व्यवस्था मशीनीकृत हो जाय वह उपकरण हर जगह उपलब्ध हो जायं जिससे वहां सफाई की व्यवस्था हो सके। दशम् वित्त आयोग से सफाई के लिए सबको सहायता मिलती है वित्त आयोग की रिकमन्डेशन के अनुसार अगर कहीं किसी को 10 लाख मिल रहा था उन्हें 15-20 लाख मिल रहा है। उन्हें अब लखनऊ आने की जरूरत नहीं है। उनको घर बैठे हेतु राशि मिल रही है। नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत गरीबों के लिए योजना शुरू की है जो आप सब उसमें भागीदार बनें तो इसमें हम गरीबों के लिए मदद कर रहे है। समेकित मलिन बस्तियाँ यहाँ उत्तर प्रदेश में शुरू हुई और वह मॉडल के रूप में सारे भारत वर्ष में देखी जा रही है।

अभी तक यह होता था कि मलिन बस्तियों के विकास के नाम पर पैसा दे दिया गया कहीं पर बिजली का खम्भा लगा दिया गया, कहीं नाली बना दी, एक सुलभ शौचालय बना दिया और हो गया विकास। हमने इस दूषित व्यवस्था को नकार दिया। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने भी हमारे इस प्रयास की सराहना करके यह स्वीकार कर लिया। आज स्थिति यह है कि अगर एक मलिन बस्ती है उसका समेकित विकास कर रहे है। वहाँ पर नाली बना रहे हैं, गली बना रहे हैं, वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था हो जाय, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाय, सुलभ शौचालय बन जाय, सामुदायिक केन्द्र स्थापित हो जाय और जगह है तो वहाँ पर बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना भी हो जाय। 40 हजार से अधिक

मान्यवर, हमने इस योजना के अन्तर्गत अभी तक एलाट किये हैं। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये रोज पर मकान उन लोगों के लिये हैं जो सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे, नालों के किनारे छप्पर डालकर पालीथिन की छत अपने सिर पर डालकर रह रहे हैं उन्हें वहाँ से हटाकर सारी सुविधाओं से युक्त एक कमरे का मकान देने की योजना उत्तर प्रदेश में ही है, पूरे भारत वर्ष में। इस साल एक लाख मकान बनाकर देने की योजना हमारी है। यह अभूतपर्वू प्रगति का एक नमूना है। कुछ चीजें हैं जो परिस्थितिवश सुनाई देती है। आज सुनाई देता हैं कि पानी नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले दो साल में पानी का उत्पादन डेढ़ गुना से ज्यादा हो गया लेकिन हम क्या कर सकते हैं अगर बिजली नहीं है तो पानी नहीं आयेगा। उत्तर प्रदेश में जब तक ऊर्जा की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक पेयजल का संकट जहाँ पानी उपलब्ध है, जरूरत से ज्यादा है, वहाँ भी पानी नहीं मिल पायेगा। (व्यवधान) हमने इतना बड़ा कदम ऊर्जा के बारे में उठाया है कि बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया है। यह महत्वकांक्षी कदम है। इससे पहले किसी को साहस नहीं हुआ ऐसा करने का। हमने चार कारपोरेशन में बोर्ड को बदल दिया है। थोड़े दिन बाद सुधार के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। हमारे मित्र सामने बैठे हैं डा0 लोहिया जी की बात करते हैं।

मैं डा0 लोहिया का कोटेशन देना चाहता हूँ उन्होंने कहा था "दुर्व्यवस्था से सुव्यवस्था की तरफ जाने के लिए रास्ता अव्यवस्था के बीच से निकलता है।" अगर हमको कोई दुर्व्यवस्था विरासत में मिली है तो उस दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए व्यवस्था की तरफ जाने के लिए अव्यवस्था से जाना होगा। मान्यवर, यह जो नागरिक प्रशासन है यह राजनैतिक अड्डा नहीं है। एक नागरिक हम भी है और हमारे सामने बैठे मित्र भी हैं। हमको भी सफाई चाहिए, आपको भी सफाई चाहिए, हमको पानी चाहिए आपको भी पानी चाहिए। हमारे आपके कर्तव्य कहीं बंटे हुए नहीं है। मैं उस संस्कृति में पला नहीं हूँ जहाँ पक्ष और विपक्ष में कोई बड़ा भेद दिखाई दे। मेरे तो सभी मित्र हैं जो सामने बैठे हैं। मेरा सौभाग्य हैं, किसी से जनहित के काम को कहने में संकोच होता है लेकिन मेरे पास सब बड़े प्रेम से आते हैं, जो किसी के पास नहीं जाते हैं वह मेरे पास आते है मैंने कभी फर्क नहीं समझा कौन किस दल का हैं। मैं आज इस सदन में अपनी बात रख रहा हूँ अभी माननीय सदस्यों के सुझाव आयेंगे उसके बारे में मैं और कहूँगा मैंने जैसा कहा हम आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहे है। आपको यह जानकारी जरूर होगी कि हमने कहीं भी टैक्स का रेट नहीं बढ़ाया है इसके बावजूद अवस्थापना निधि की स्थापना की है इसके परिणाम आ रहे है यह अतिरिक्त स्रोत इन्कम का होगा। यह अवस्थापना निधि 1999-2000 में चालीस करोड़ थी 10 करोड़ बढ़ गई, 2000-2001 में 80 करोड़ हो जायेगी और किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ रहा है किसी तरह का बोझ जनता पर नहीं डाला जा रहा है, लेकिन बजट के अतिरिक्त जो आमदनियां हैं हमने उस निधि में डालकर, उसे विकास के काम में लगाने के लिए शुरू किया है। इसके अच्छे परिणाम आ रहे है। कई ऐसे स्रोत ढूढ़ें हैं, पारदर्शी तरीके से समस्याओं के समाधान हो रहे हैं हमारे लिए सब बराबर हैं जनता का हर व्यक्ति बराबर है। हमने भू-खण्ड के लिए एक योजना बनाई है 10 प्रतिशत मूल्य अधिक लिया जायेगा जो नगद पैसा देगा।

अगर कहीं मकान खाली है यह बताया जाता है तो उसको एलाट कर दिया जायेगा। इसमें 50 करोड़ की आमदनी होगी वह प्रापर्टी जो वहाँ के कर्मचारियों ने दबा रखी थीं जो भूमि का घोटाला करने वाले थे जो जमीन इस तरह की थी जिसको दिखाया नहीं जाता था, किसी ने बताया कि यह मकान खाली है और रिकार्ड में नहीं है कि खाली है कोई अवैध कब्जा हो गया है जो इस तरह की प्रापर्टियां दिखाई नहीं दे रही थी इसमें 50 करोड़ रुपया मिलेगा। बहुमंजिले भवन, आपने कहा अवैध हैं, नक्शा पास नहीं हुआ है इसमें भी व्यवस्था में सुधार कर रहे है। इसमें स्वैच्छिक शमन योजना शुरू की है जो उसका विनियमन करती है इससे 100 करोड़ के आसपास सभी प्राधिकरणों को आमदनी हुई होगी। इस तरह से अनेक योजनायें है जो शुरू की गई हैं। एक समस्या है कि ऋण नीति को बदल दिया है किसी ने एक मकान किश्तों में खरीदा और वह किश्त दे रहा है एक किश्त छूट गयी वह नहीं दे पाया उस पर ब्याज लगा, दूसरी किश्त दी तो उसके ब्याज के ऊपर ब्याज लगा और तीसरी किश्त फिर उसने दी तो वह भी ब्याज में चली गयी। तो वह समझ

नहीं पाता है। वह यह समझता है कि मैं तो पैसा जमा कर रहा हूँ, किश्त जमा कर रहा हूँ। पता तब चलता है वह फाइनल एकाउन्ट होता है। उसमें होता यह है कि दो लाख का मकान 6 लाख में पड़ गया। तो फिर कोई सुनने वाला नहीं होता है। हमने इसमें यह किया वन टाइम सैटेलेमेंट। जबसे वह डिफालटर हुआ है तब से साधारण ब्याज देकर वह पैसा जमा कर दे। दूसरी तरफ जो पैसा फंसा हुआ है वह छूट जाय। इससे खरीद हो रही है । मान्यवर, जो बैंकों से एल0आई0सी0 से या दूसरी संस्थाओं से ऋण लिया था इनकी बुक वैल्यू बढ़ती जा रही है लेकिन वास्तविक मूल्य कम होता जा रहा था। इससे इतनी बड़ी धनराशि फंसी हुई है कि उसके लिए एक तरीका निकाला कि जो खरीददार नहीं है इनकी प्रापर्टी को बेचिये, किसी के पल्ले उखड़ गये हो, या कुछ हो, तो हमने समय सीमा बाँधी कि वहाँ के मूल्य के स्तर पर खरीदें जिस हालत में हैं उस हालत में खरीदें इससे बहुत बड़ी संख्या में प्रापर्टी बिक रही हैं। जो वर्षो से फंसी हुई सम्पत्तियां है उनका निस्तारण हो रहा है।

जहाँ पर बड़े शहर है वह विकास में दिखायी दे रहे हैं। अभी तक मैं भी भ्रम में था कि हैदराबाद ने बड़ा विकास किया है वह एक माडल है। लेकिन अभी दो ढाई महीने पहले वहाँ के नगर विकास मंत्री जी यहाँ पर आये थे। मैंने अधिकारियों ने, जो काम हुए हैं, जो सौन्दर्यीकरण हुआ, 6 लेन का हो रहा है, उनको वहाँ जाकर दिखाया। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि टण्डन जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। हैदराबाद में इतना कुछ नहीं हुआ जितना लखनऊ में हुआ है। जब यह बात आती है तो यह केवल सत्तारूढ़ दल के लिए नहीं बल्कि सारे विधायकों के लिए सम्मान की बात आती है। आप दूसरे प्रदेशों में जायेंगे तो आपका सम्मान होगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के विधायक हो। मान्यवर, इसी तरह से आज बहुत सारे माडल हमने तैयार किये हैं। जो गरीब बस्तियों में बरदान साबित हो रहे हैं। जैसे यहां पर हमारे पुराने कुएं थे। जब जल कल नहीं था तब भी पेयजल की व्यवस्था थी। तो वह तालाब और पोखरे बन्द हैं, लेकिन पुराने कुएं बाकी है। मान्यवर, एक ट्यूबैल लगाने में 25 लाख का खर्च आता है लेकिन अगर हम उनको ठीक ठाक करा दें तो पाँच-छः लाख रुपये का ही खर्चा आता है। हमने उन बस्तियों में पानी पहुँचाने के लिए एक नया माडल तैयार किया है और मैं आप सब लोगों का स्वागत करूँगा यदि आप सूचित करें कि आपके क्षेत्र में पुराने कुएं है जिनमें पानी काफी आता रहा हो। आप हमें बतायेंगे हम उससे पानी पम्पिंग करके देंगे और उससे पेयजल की समस्या हल हो जायेगी। शहर में स्वच्छकार विमुक्त योजना चल रही है लेकिन उस योजना का कहीं कोई असर दिखायी नहीं दिया। हमने नयी योजना प्रकट की है। अभी योजना थी कि सरकार पहले अनुदान देती थी और थोड़ा पैसा लाभार्थी को देना पड़ना था। उसने वहां पर एक शोख पिट बना दिया और गन्दगी पहले से ज्यादा हो गयी। जो नीचे से पाइप लाइन पीने के पानी की जाती थी तो वह वहीं से होकर गुजरती है और इससे गन्दगी हो जाती है हमने इसको कहा कि शोख पिट नहीं बनेंगे जहां पेयजल के लिए कोई उपलब्धता नहीं है, वहां मिनी ट्यूबेल से सप्लाई भी कर रहे हैं। वह जो गन्दगी थी गरीबों के लिये, जाकर बस्तियों को देखें, वरदान साबित हो रही है।

मान्यवर, जो यह कपड़े घाटों पर धुलते हैं, खून से सने हैं, वे सब गंदगी धूल रही है, नदी में घाट बने हैं। हमने प्रदेश में धोबी घाट बनाने के लिए व्यापक तौर पर योजना शुरू की है। जो बंधे है जहाँ लोग कपड़ा धोने का काम करते हैं, धोबी घाट बनेगा। यह योजना नगरीय विकास अभिकरण में मंजूर की है इसका लाभ गरीबों को मिल रहा है। अब गरीबों का कायापलट हो गया है। मलिन बस्ती जिन्हें कहते हैं, अपनी जमीन है तो 30 हजार रु0 का ऋण मिलेगा अपना मकान बनाने के लिये। 30 हजार में 5 हजार सबसिडी है और 5 हजार अगर वह समय पर पहुंचाता है, 5 हजार लेबर कम्पोनेंट होता है, 20 हजार लौटाना होगा। बड़ी आसान किश्तें 10 रु0, 5 रु0 करके भी रोज दे सकता हैं या महीने में किश्त दे सकता हैं।

मान्यवर, शताब्दियों से बुंदेलखण्ड-ऐसा इलाका था, जहां पानी के लिए तलवारें चल जाया करती थी आज वहां जितनी योजनायें चल रही है, झांसी में आज पानी का उत्पादन इतना अधिक हो गया है कि

आने वाले 30 वर्षो में पानी की कमी नहीं होगी। वितरण की व्यवस्था के लिए जितना धन चाहिए वह नहीं दे पाये। अभी झांसी को 16 सेक्टरों में बांटा गया है जिसमें 6 में डिलीवरी लाईन पड़ गयी उन्हें पानी मिलने लगा चार कमी वाले सेक्टर थे अभी जब लोकापर्ण किया था वह पैसा भी घोषित कर दिया दे दिया। मान्यवर, 2001 तक प्रदेश का एक भी नगर नहीं रहेगा, लगभग 700 नगर हैं जहां पाईप सप्लाई न हो। यह इतना महत्वाकांक्षी कार्य हमने लिया है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) जो आवश्यकतायें हैं उसके लिए हम जो कर सकते हैं, किया है।

वसूलयाबी, पर टैक्स की आमदनी बढ़ी है। हजारों की संख्या में पानी के कनेक्शन रेगुलराईज हुए। इस वित्तीय वर्ष में कोशिश यह होगी कि सरकार के आगे उनको हाथ न पसारना पड़े, जितने सारे स्थानीय निकाय हैं, आत्मनिर्भर बन कर, लोगों को जो सुविधायें हैं, वह दे सकें।

मान्यवर, मै कई जगह की बात कह सकता हूँ कोरिया की टीम आई, ईरान के लोग विशेष करके आये थे कि यहाँ गरीबी उन्मूलन के लिए शहरों में क्या कर रहे हैं। ईरान के विषय में, मुझे उनके पूरे सिस्टम का ज्ञान नहीं है लेकिन डेलीगेशन आया था जिनके 3 सदस्य ऐसे थे जिनका परिचय मुख्यमंत्री के रूप में कराया गया था। हो सकता है कि वह किसी विभाग के जैसे कैबिनेट मंत्री रहे हो, उनको मुख्यमंत्री कहते हों लेकिन 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनका परिचय मुख्यमंत्री के रूप में कराया गया था। सार्वजनिक रूप से प्रेस को बुलाकर वह कहकर गये कि हम तो चमत्कृत है कि आप कैसे निपट रहे है हम इसको जा करके अपने यहाँ लागू करेंगे तो उत्तर प्रदेश की स्थिति शहरी विकास की स्थिति वह हो रही है जो पहले कभी नहीं थी। यह मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि किसी ने किया या नहीं किया। आप शहरों की भयंकरता को समझने की कोशिश करें हम सब प्रतिबद्ध है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन हमें आंकड़ों के ऊपर ध्यान देना होगा।

नवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद 40 फीसदी ग्रामीण आबादी उसका शहरीकरण हो जायेगा वह शहरी सुविधायें लेने लगेंगे। आज जो हालत है वह इतनी डरावनी है, भयानक है और संसाधन है नहीं, टैक्स बढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होता जो लोकल बाडीज में चुनकर जाते हैं वह और ज्यादा कमजोर होते हैं उनमें यह साहस नही होता है अगर थोड़ा अलोकप्रिय कदम उठाना पड़ जाय तो उठाना चाहिए लेकिन उस परिस्थिति में भी एक छोटी सी किरन को मैं दिखाना चाहता हूँ, कुछ रास्ता बन रहा है विकास की तरफ चलने का, मैं यह नहीं कह सकता कि सब कुछ हल हो गया। मैं इन शब्दों के साथ आपके विचार सुनना चाहता हूँ उससे मुझे उन सुधारों की गति को तेज करने का अवसर प्राप्त होगा और आपके बजटीय सुझाव मेरे लिए लाभदायक होंगे। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-2 आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता और इस सदन के वरिष्ठ मंत्री और इस राजधानी के निवासी सम्मानित लालजी टंडन जी ने जब नगर विकास और आवास का बजट रखना शुरु किया तो उन्होंने विन्दुवार जो बाते कही है उसको परिलक्षित कर मैं अपने सुझाव और अपने मन में जो बाते गूँज रही हैं उनको कहना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा लगा जब माननीय आवास मंत्री ने कहा कि हमारी प्रथम वरीयता है भ्रष्टाचार से संघर्ष करना, आपके भाषण की शुरुआत वहीं से हुई। आपने कहा कि 304 इन्क्वायरी हमने करा दी, 211 लोगों को निलम्बित कर दिया, 145 को दंड दिलाने के लिए संस्तुति हमने दे दी और 55 लोगों का अभियोजन चल रहा है। अच्छा लग रहा है कम से कम इस सम्पूर्ण समाज की सबसे बड़ी ब्याधि की तरफ आवास मंत्री की नजर जा रही है। लेकिन सम्मानित आवास मंत्री जी, बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ, यह आकड़े आकड़ों का पेट तो भर सकते हैं लेकिन समाज का नहीं।

माननीय मंत्री जी आप इस सदन के सदस्य थे और मैं भी इस सदन का सदस्य था, आपके दल की सरकार थी, आपके दल के मुख्य मंत्री ने कहा था, ऐसे बिन्दु उठाये थे, जो भ्रष्टाचार से जुड़े थे सन् 1992 की बात कर रहा हूँ, यह तो सन् 2000 है, 700-800 करोड़ के घोटाले पर आपने एक शब्द भी नहीं कहा, जिसने यूनीटेक बिल्डर्स के साथ एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट में भूमि की लागत नहीं लिखी थी, वह एग्रीमेंट मैंने सदन में रखा था, आज वह अधिकारी उसी विभाग की जाँच का, उसी घोटाले का सर्वोच्च अधिकारी, आपने बनाकर बैठा दिया। सी0आई0डी0 की रिपोर्ट तो कहीं पड़ी धूल खा रही होगी।

श्रीमन्, आज आप एक लाख भवन बनाने की बात कर रहे हो, आप भूल क्यों जाते हो? लखनऊ राजधानी में जब अंसल को जमीन का एलाटमेंट किया था, ई0डब्लू0एस0 आवास बनाने की बात थी, यूनीटेक को जब एग्रीमेंट किया, उसमें भी एक निर्धारित मानकानुसार ई0डब्लू0एस0, निर्बल आय वर्ग को इतने आवास बनाकर देगें, कहा था, ऐसे लोगों पर कौन सी कार्यवाही भ्रष्टाचार के विरूद्ध आपने की है? इन अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने बिना मूल्य लिखे 60 करोड़ की भूमि का एग्रीमेंट एल0डी0ए0 और बिल्डर के बीच में हो गया, इसमें 57 हजार रुपये से ऊपर के स्टाम्प पेपर भी लगे हैं, स्टाम्प पेपर की लागत नहीं लिखी और मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई रजिस्ट्री दुनिया में हुई हो, दिखा दे, जिसमे भूमि की लागत ही न लिखी हो। सी0आई0डी0 और एल0आई0यू0 के अधिकारी मेरे घर आये और मुझसे कहा कि आपके पास यह कागज कहाँ से आये, जिन्हें मैंने इस सदन में रखा था। उस अधिकारी के विरुद्ध आज तक आपने एक रेड लाइन भी नहीं लिखी। आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। पहले गंगोत्री को साफ कीजिये, गंगा बाद में साफ कर लीजियेगा। आप वर्तमान को सही कर लें तो भविष्य तो ठीक होगा ही। लेकिन जो भविष्य आप दिखा रहे हो, वह भविष्य सुखद नहीं हो सकता। मेरे पास आपके वक्तव्य हैं, एक वक्तव्य नहीं, कई अभिलेख हैं, अभी मैं प्रश्न करना शुरू कर दूँ, तो निश्चित रूप से यह साफ हो जायेगा कि किस तरह से इस सम्मानित सदन में आपके अधिकारियों ने सदन को गुमराह किया है। आपको सूची दे दी, इतनों का सम्पेंशन कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस समय गाँधी सेतू की एप्रोच रोड बन रही थी, एल0डी0ए0 का बी0सी0 और लखनऊ मंडल का कमिश्नर वहाँ जाता हैं, इन्क्वायरी होती है और प्रयुक्त खराब माल पकड़ा जाता है। आप एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को सम्पेंड कर देते हों, लेकिन फैक्ट फाइन्डिंग रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इसके लिये चीफ इंजीनियर जिम्मेदार है। मैं उस व्यक्ति का यहाँ नाम लेना नहीं चाहता, क्या आपने उसे कोई चार्जशीट दी? लखनऊ राजधानी नवाबों का शहर है और हमारे से ज्यादा आप नवाबों के इलाके में रहते हैं, आप तो पहले से हैं, मैं तो आपके सामने पैदाइश का हूँ। तीन चौथाई लखनऊ नजूल का है। 1994-95 में लखनऊ विकास प्राधिकरण की आडिट रिपोर्ट के अनुसार शासन के पत्रों का हवाला दे रहा हूँ यह मैं शासन के पत्रों का वक्तव्य दे रहा हूँ, यह मेरा नहीं है। 1994-95 के दरमियान ज्यादा नहीं किया केवल 22 करोड़ 83 लाख रुपये से खेत-खलिहान, नाली-नाबदान को अधिग्रहीत किया था, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, हरदोई रोड योजना में। माननीय मंत्री जी आपके निर्वाचन क्षेत्र में हुआ था। आखिर वह जमीन कौन थी, उसकी खसरा-खतौनी कहाँ है, जिन जमीनों के नाम पर भुगतान हुआ है, न उन प्लाटों का नम्बर हो सकता है, न था और न हो सकता है। इसी तरह फेज-1 और फेज-2 शासनादेश के तहत् गरीबी दूर करने की आपने बात कही, बहुत अच्छा लगा लेकिन जो आपने शासनादेश दिया है, जब जमीन का अधिग्रहण किया था तो आपने स्पष्ट कहा था कि किसानों के आश्रितों को सुपर वाइजर के पद पर या माली आदि के पद पर हम समायोजित करायेंगे। श्रीमन्, आज तक कोई ऐसा आंकड़ा इस सदन में नहीं आया कि कितने ऐसे आश्रितों को आपने समायोजित किया। इससे भी आगे आ जायें। आज से लगभग 16 वर्ष, 18 वर्ष हो गया, आपके निर्वाचन क्षेत्र का मामला है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप रोज वहाँ जाते है। हरदोई रोड योजना में 1983 में 1355 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया।

भूमि के प्रतिकर के नाम पर गड्ढे वाली जमीन को लगभग मानकरके 5 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, यह गड्ढा है, गड्ढे की भराई में खर्च आयेगा, वास्तविकता यह थी कि गड्ढे वाली भूमि को आपने अपने पक्ष में अधिग्रहीत ही नहीं किया था। गड्ढे वाली जमीन तो राधाग्राम योजना में सबसे पीछे थी। इसकी कोई जाँच हुई? ऐसे अपराधी आज तक पकड़े नहीं गये। आज भी वही टाउन प्लानर फिर से लखनऊ में हैं जिसके जमाने में अधिग्रहीत हुई थी और टाउन प्लानर की स्पष्ट आख्या है कि गड्ढे वाली जमीन पीछे है। लेकिन गड्ढे वाली जमीन के नामपर क्यों 5 करोड़ का भुगतान बिना गड्ढे वाली जमीन का कर दिया गया? लेकिन ऐसे किसी भ्रष्टाचारी को आपने लिस्ट में अंकित नहीं किया। इससे भी आगे बढ़कर जब आप इस सदन में थे, आपका एक वक्तव्य जरूर होता था, इस शहर की संरचना के बारे में और खासतौर से वक्तव्य तब शुरू हुआ था जब विकास प्राधिकरणों का जन्म हुआ था कि विकास प्राधिकरण अपने निर्धारित मानकों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, रिहायसी भवनों का व्यावसायिक भवनों में उपयोग हो रहा है। श्रीमन्, आपकी निश्चित जानकारी है, हम तो श्रीमन, चोर लोग हैं, हम राजनीति में हैं इसलिए चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, यह समाज कह रहा है लेकिन श्रीमन् जो आपके उच्चाधिकारी हैं, वरिष्ठ आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 हैं. . . . .

श्री अधिष्ठाता-

अवस्थी जी, संक्षेप करें।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी-

श्रीमन्, कहें तो मैं कटौती न रखूँ।

श्री प्रमोद कुमार-

श्रीमन्, अवस्थी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो विषय से हटकर हो, जब तक विषय पर बोल रहे हैं, यह नियम है, यह परम्परा है कि बजट रखने वाले और कटौती की कोई समय-सीमा नहीं है, श्रीमन् धैर्य रखें, समय गुजर जायेगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी-

आपने एक बात कही कि विधायकों के लिए इस लखनऊ शहर में प्लाट आवंटित करने का निर्णय लिया है ऐसी योजना, 1980 में जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो विधायकों को भूमि का आवंटन गोमतीनगर योजना में हुआ था, भूमि का आवंटन हो गया, विधान सभा में एक नयी व्यवस्था लागू हो गयी थी और हमको कर्जा भी मिलने लगा था। हमने मकान ले लिया, हम मकान पा गये लेकिन हमारे मकान के ऊपर सबकी आंखे चढ़ी हैं। बीज निदेशालय, मृदा परीक्षण निदेशालय किस आई0ए0एस0 अधिकारी के आवास में खुले हैं। आई0ए0एस0 अधिकारी घर भी ले रहे हैं, सुविधा भी ले रहे हैं और अपना मकान किराये पर दे कर पैसा कमा रहे हैं। जिस भी विभाग में रहे उन्हीं विभागों को अपना मकान किराये पर उठा दिया है और उसका व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं। गोमती नगर, इन्दिरा नगर में 137 आवासीय मकान आई0ए0एस0 अधिकारियों के हैं जो आवासीय है लेकिन उनका उपयोग व्यवसायिक हो रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारे मकान का नक्शा गलत बन जाय, हमारा छज्जा आगे निकल आये तो आपके इन्क्रोचमेंट विभाग वालों के अभियन्ता महोदय के चरण पकड़ने पड़ते हैं क्योंकि वह गांधी जी की तस्वीर से प्रभावित होते हैं। आपने कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं की है कि जो अधिकारी अपने आवासीय भवनों का व्यवसायिक प्रयोग कर रहे हैं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे। उनको तनख्वाह मिल रही है 16.75 रुपये और उनका पूरा वेतन कट रहा है। 16.75 पैसे में मेरे घर का खर्च तो नहीं चल

सकता लेकिन आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 अपने घर का खर्च कैसे चला रहे हैं, अधिशासी अभियंता कैसे चला रहे हैं यह वही बता सकते हैं। एक-एक अधिकारी के पास 5-6 मकान है जिसमें से 4 किराये पर उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों को उठे हुए हैं और वह उनका किराया अदा करते हैं उनके विरूद्ध भ्रष्टाचार का मामला क्यों नहीं बनता। आमदनी से अधिक पैसा कहाँ से आ रहा है इसलिए उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलता। श्रीमन्, यहाँ प्रेस भी बैठा हैं अधिकारी भी बैठे हैं और दर्शक दीर्घा भरी है आपने हमको साढ़े सात लाख रूपये का मकान यू0पी0डी0पी0एल0 में दिया है, हमारे ऊपर जूता चल जायेगा, वहाँ जनता के लिए 14 लाख रूपये में मकान दे रहे है, हम आवास में बाद में रहेंगे, जूता पहले खाने लगेंगे, या तो जनता को रोक दिया होता, इस विज्ञापन को न निकालते, 31 मई के बाद निकालते। 31 मई अन्तिम तिथि है उस समय तक 2 लाख रूपया जमा करना है। इसमें विज्ञापन 5 तारीख को निकला, 7 तारीख को निकला और 13 तारीख को देश के हर समाचार पत्र में निकला है। कैसे जनमानस में हम जायेंगे, आप जायेंगे, आप खुद सोंचे साढ़े सात लाख में हमें मिल रहा हैं और जनता को साढ़े चौदह में लेना होगा तो कैसे आप जनता को जवाब देंगे। आप लाख कहेंगे कि विधायकों को दिया है, अपोलाइज करेगे लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि इतनी बड़ी डिस्पैरिटी जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में क्यों की जाती है। हम ने यू0पी0डी0पी0एल0 में साढ़े सात लाख रुपये में मकान ले लिया और 31 तारीख के बाद साढ़े चौदह लाख में बेंच दिया तो सात लाख रूपया हम अपनी जेब में रख देगे, हमारा सात लाख का फायदा होगा। लेकिन श्रीमन्, जनता के बीच में कौन सा मुँह दिखायेंगे कि आप ने 7.50 लाख रूपये में लिये हैं पंडित जी, लेकिन हमको 14 लाख रूपये में दिलवा रहे हो। मान्यवर, जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आश्रय हीन योजना की बात कही कि 5, 10 व 15 रूपये वाले प्रतिदिन के भवन बनाये जायेंगे। पिछले वर्ष आपने कितने मकान बनाये और लक्ष्य कितना था आप यह बताना भूल गये। इसके पहले जो आपने बजट रखा था उसमें क्या लक्ष्य रखा था आपने याद रखा कि अगले साल एक लाख भवन बनेगें। आपका पिछला कोटा पूरा नहीं हुआ। उसी दिन मैंने आपसे एक बात कही थी मेरी बात आज दिखायी पड़ रही हैं, आपसे कहा था कि जब आप बजट रख रहे थे।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ की बिल्डिंग के साथ खेल हो चुका है। मैं नहीं कहता कि आपके प्रिय हैं, मैं नहीं कहता कि आप उनको संरक्षित किये हुये हैं। दोनों आरोप मेरे नहीं हैं, अन्यथा मत लीजियेगा। आपको पत्र लिखे कितने दिन हो गये उस पत्र की स्थिति क्या हैं? वह आवास संघ हमको आवास देगा, ऋण देगा। प्राइवेट बैंक में सरकारी पैसा जमा हो रहा है। एल0डी0ए0 के लिए प्राइवेट बैंक पर कोई रोक नहीं लेकिन आप आदमी को रोक है कि राष्ट्रीकृत बैंक में ही खाता खोलकर उसका ड्राफ्ट लेना पड़ेगा। यह आवास संघ का पैसा प्राइवेट बैंक में कैसे जमा हो जाता है? स्थितियां यह है कि पिछला लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। पिछले बजट में आपने एक बात और कही थी। तत्कालीन वन मंत्री, आज इधर बैठे हैं, तत्कालीन वन मंत्री के भी संज्ञान में यह बात लायी गयी। जमीन उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, की जमीन उत्तर प्रदेश वन निगम की, कब्जा सुरेन्द्र अवस्थी और लालजी टण्डन का, दोनों इस जमीन पर कितने वर्ष काविज रहेगे। इस जमीन का आवंटन आश्रयहीन योजना के लिये किया था। एक आवास तो उस पर बना नहीं, जमीन आपके कब्जे में आयी नहीं तो आवास कहां से बनेगा? एक बात बहुत मजे की आयी आपने बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह दी। जिन मकानों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है उसको आप खाली नहीं करा पा रहे है। यह इस देश के प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। इस देश के प्रधानमंत्री उस क्षेत्र में फौव्वारा चलाने जाते हैं, टहलने भी जाते हैं और प्रधानमंत्री की नाक के नीचे वर्तमान मुख्यमंत्री के पूर्व

निर्वाचन क्षेत्र में। टिकैत राय आवास योजना में 700-800 मकान कब्जे में हैं लेकिन आज तक खाली नहीं करा पाये। खाली कराओगे कहाँ से जब आपके एक्सियन भाड़ा ले रहे हैं और वह मकान 400-400 रूपये में उठे हुये हैं। लोकल माफिया, पुलिस और एक्सियन ये तीनों इन्वाल्व है। तीनों का नेक्सेस है। लखनऊ विकास प्राधिकरण दे रहा है और हम रह रहे हैं। कहाँ से खाली कराईएगा, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो सकती है लेकिन आपके अधीनस्थों की इतनी ही दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो यह स्थिति नहीं आती। इस सदन के अन्दर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री होता है। एक शब्द, आवास विकास बैठक 2000 में आपने कहा कि "उपभोक्ताओं को बेवकूफ न बनाएं आवास एजेंसी" दूसरा शब्द आपने कहा वह गम्भीर है, मैं उसको ब्रह्म वाक्य मान रहा हूँ इसलिये कि आप मुखिया हैं, आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ाने के लिए नई कालोनियों जिम्मेदार हैं यह टंडनजी का वाक्य है, कहाँ से होते हैं अपराध, आपने कंक्रीट के जंगल बना दिये यह तहजीब और तबद्दुत के शहर में, इस जंगल में शेर नहीं आएंगे यहाँ दो पैरों का जानवर अपराधी बनकर खड़ा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की वजह से एवरेज लखनऊ शहर में होने वाले 16 कत्ल पिछले तीन महीनों में हुए हैं इसमें सात कत्ल एल0डी0ए0 की वजह से हुए हैं। काहे नहीं रोक लगवा रहे हैं। इसी सदन में 100 करोड़वीं बच्ची आस्था के जन्म पर चर्चा हुई थी इस आवादी को आवास देने के लिए जिम्मेदारी किसकी है। आप कहते हैं पालीथीन बन्द करवा देंगे। केवल इस तरह की बात करते रहते हैं। आपने एक बात कही कि हमने रिकार्ड फैंड रेजिंग की है। मैं स्वीकार करता हूँ आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने रिकार्ड फैंड रेजिंग की है। जो कम भाव में जमीन खरीदी गई उसी को अधिक दाम में बेच रहे हैं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद सफेद हाथी है उसकी कितनी जमीन आपने बेची। उसी का रुपया आया, वह जमीनें हैं जो विवाद में पड़ी थीं वह जमीनें हैं जिसके लिए बेइमानी से जमीनें दी गई। आप कह रहे हैं कि वन टाइम सेटलमेंट में एग्री करते हैं इसे सेटलमेंट मत कहिएगा जैसे 9 लाख रुपये में 9 करोड़ की जमीन दे दी हल्द्वानी में आपने क्या किया, हल्द्वानी में कौन सी जमीन थी। आवास विकास परिषद् की किसके नाम पर पट्टा हुआ। रामपुर में किसके नाम भूमि आवास विकास परिषद् ने लिख दी। मैं आपके उत्तर से सन्निहित बात कर रहा हूँ आपका उत्तर सेल्फ कंट्राडिक्ट्री है जब एक प्रश्न उठा था इसी सदन में विधान परिषद् में क्या आवास मंत्री बताएंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद में वसुन्धरा योजना के नाम पर कितनी भूमि उपलब्ध हैं, दूसरा था उक्त वसुन्धरा योजना में नारायण आश्रम के कितने नामों के अन्तर्गत कितनी भूमि आवंटित की गई। तीसरा है यदि हाँ तो क्या यह सही है कि उक्त वसुन्धरा योजना में हरित पट्टी के नाम पर नारायण आश्रम को भूमि आवंटित हो गई है? वसुन्धरा योजना में किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई है। उत्तर में सबका नाम ले लिया, महाराजा अग्रसेन शिक्षा समिति, मेरी शिक्षा समिति, ममता वेद मंदिर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, जयपुरिया शिक्षा समिति सबका नाम ले लिया और यह भी कह दिया कि हरित पट्टी का आवंटन नारायण आश्रम के पक्ष में नहीं किया गया।

(इस समय 3 बजबर 30 मिनट श्री अधिष्ठाता श्री लाल जी वर्मा पीठासीन हुये।)

हमने शिक्षण संस्थाओं को भूमि दी है। लेकिन हकीकत क्या है। नारायण आश्रम को आपने हरित पट्टी का आवंटन किया है और वह भी केवल 109 एकड़ भूमि। यह उत्तर आपका अपना है मेरा कुछ नहीं है इसमें हमारा और आपका दोनों का दायित्व है प्रदेश के जनमानस के प्रति इस सदन में। हम इस सदन में जनमानस के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए आते है। जब सामान्य जनता को उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह अपराध में परिवर्तित हो जाता है और व्यक्ति अपराधी हो जाता है। आप जिस भूमि की बात करते है, 60 प्रतिशत सब्सिडी दी है आपने नारायण आश्रम को। जब स्पष्ट हो चुका है प्रदेश

शासन की मंशा स्पष्ट है कि किसी भी धार्मिक स्थल को बनाने के लिए न तो राजकीय भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा और न ही आवंटन किया जायगा। नारायण आश्रम ना तो शिक्षा संस्थान है, न इन्फारमेशन टेक्नोलोजी का सेन्टर, न विधवा विकलांग आश्रम है, आखिर किस मद में आवंटन हुआ है। आपको यहाँ अपने विभाग के भ्रष्टाचार का नमूना मिल जायगा। एक और गम्भीर तथ्य ला रहा हूँ। आपने कहा इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोका जायगा। हर अपराध धन से प्रारम्भ होता है। भ्रष्टाचार और माफियाओं की जो भी कड़ियाँ प्रदेश में जन्म रही है उनकी अगर कोई दो सबसे बड़ी जगह हैं तो विभिन्न विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद। क्योंकि भूमि जहाँ हमारी जननी है वही भूमि हमारी बिक्री का सबसे बड़ा साधन है। भूमि माँ को बेचकर सबसे ज्यादा पैसा मिलता है यह सभी के समझ में आ गया है। यह ड्रामा नहीं है। अगर ड्रामा है तो मैं बैठ जाता हूँ। आपके संज्ञान में कुछ तथ्य जो हैं लाना उचित समझता हूँ। आपकी नियत पर हमें शंका नहीं, हमें तो नियत के क्रियान्वयन पर शंका है आपके ही अधिकारी जाकर सर्वोच्च न्यायालय में एक एफिडेविट दाखिल कर आये कि उत्तर प्रदेश आवास विकास साइट की सर्विस की कोई इन्डेपेन्डेन्ट यूनिट नहीं चलती। आप हर प्रोजेक्ट में साइड एण्ड सर्विसेज के नाम पर 7 से 13 परसेन्ट खर्च दिखाते हैं जबकि आपका सीनियर आफीसर उच्च न्यायालय में एफीडेविट देता हैं कि हमारे यहां ऐसा कोई विभाग है ही नहीं। आपने कहा कि यह वर्ष 2000 का बजट है, 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में पहली बार नगरीय भूमि सीमा रोपण का कार्यक्रम प्रारम्भ किया और हमारे यहाँ एज इट इज और ह्वेयर इट इज नगरीय भूमि सीमारोपण को औप्ट कर लिया गया जो कि धारा 5 से 11 भारत सरकार में डिफाइन्ड हैं उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ धारा 6 से 12, भूमि सीमा रोपण में एक-एक क्लाज रिफाइण्ड किया गया है, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि यह हमारी परिधि का मामला नहीं है। यह भारत सरकार का मामला है, हमारा पत्राचार चल रहा है। 1992 में यह बात कही गयी, 8 वर्ष पूरे हो गये हैं क्या अभी भी पत्राचार चल रहा है। नगरीय भूमि सीमा रोपण के संदर्भ में कोई परिवर्तन या कोई निर्देश आपको प्राप्त हुये हैं जिसका उल्लेख आपने अपने बजट में न किया हों।

मैं इस सदन में आपकी सरकार के वित्त मंत्री जी ने 3 विषयों साउथ सिटी, यूनीटेक और अन्सल है, 43 करोड़ रुपये का जुर्माना फिक्स हुआ था अब मालूम हुआ है कि वह भी माफ हो गया है आज की तारीख में भी इनीसियसली वीकर सेक्शन के लिए इन परियोजनाओं में जिस अनुपात में भवन बनने चाहिए थे उस अनुपात में नहीं बने। मेरा अनुरोध है कि जिन बिन्दुओं को मैंने यहाँ उठाया है उन पर आप गंभीरता से जाँच करवा लें तो बहुत सारे तथ्य सामने आ जायेंगे। मेरे मन में एक शंका है। आपने कहा कि जल उपलब्धता डेढ़ गुना बढ़ी है, ग्राम्य विकास मंत्री जी ने भी कहा कि 50 हैण्ड पम्प हमारे यहाँ से दिये जा रहे हैं और आपने भी इस सदन में पहले घोषणा की थी कि हम 50 हैण्डपम्प देंगे। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहूँगा कि क्या वह व्यवस्था आज भी द्विस्तरीय रहेगी या एक स्तरीय रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अम्बरीष जी माननीय अध्यक्षजी ने इन दोनों विभागों के लिए दो घण्टे का समय निर्धारित किया है मेरा आपसे निवेदन है कि आप 15 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, जब श्री अवस्थी बोल रहे थे तो उन्होंने आवास विभाग पर 35 मिनट का समय लिया। इसमें तो कई विभाग हैं जल विभाग, प्रदूषण और सफाई। मैं प्रयास करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात रखूँ।

मान्यवर, जब हम नगर पालिकाओं की बात करते हैं, नगर परिषदों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाया करता है कि 2700 वर्ष पहले ऋगवेद में इनका मूल मिलता है और यह कह सकता हूं कि हमारे इन स्थानीय निकायों का जो स्वर्णिम काल था वह उस समय था जब इस देश की राजधानी पाटलीपुत्र पर चन्द्र गुप्त मौर्य का शासन था। उनके महामंत्री के रूप में आचार्य चाणक्य विराजमान थे। धीरे-धीरे इतिहास का जो उज्जवल समय था उनको पार करते हुए आज हम यहाँ पहुँचे और यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूँ कि पुरातन सभ्यता की बात करते समय हम मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की भी बात करते हैं। उस सभ्यता का ज्ञान हमें उन शहरों के अवशेषों से होता है। सभ्यता और शहर को अलग नहीं कर सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर और सभ्यता समान मूल्यों, सम्मान सृजनात्मकता और समान भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अभी माननीय मंत्री जी ने चर्चा की संविधान के चौहत्तरवें संविधान संशोधन की और यह भी बताया कि जहाँ नगर पालिकाओं पर इससे पूर्व में केवल स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल की आपूर्ति, निर्माण कार्य, केवल यही जिम्मेदारी थी इस संविधान संशोधन के बाद पर्यावरण की भी जिम्मेदारी है, गरीबी उन्मूलन की भी जिम्मेदारी है, मलिन बस्तियों के सुधार की भी जिम्मेदारी आयी है।

नगर पालिकाओं के ऊपर इस प्रकार बड़ी जिम्मेदारी देकर लोकतंत्र की इस इकाई को मजबूत बनाने का काम किया है। मैं कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ वे जिस समय अपना भाषण दे रहे थे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में शहर विकास की जो व्यवस्था है वह उन्नत है। लेकिन जैसा मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो राजस्व है उसका 90 प्रतिशत शहरों से आता हैं और राज्य सकल घरेलू उत्पाद है वह 60 प्रतिशत नगरों से आता है लेकिन 60 प्रतिशत का 0.6 प्रतिशत ही इस विकास की योजनाओं से मिलता है। आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि 1951 में जहाँ सकल योजना परिव्यय का 8 प्रतिशत शहरी विकास के लिए व्यय होता था समस्याएं बढ़ रही है लेकिन यह प्रतिशत घटकर 2.6 पर आ गया है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कुल 10 वर्षों में शहरी विकास मंत्री जी जो भारत सरकार के हैं, उनका आँकलन है 20 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता शहरी विकास के लिये हो। माननीय मंत्री जी का आंकलन है कि हमको 2005 तक 8400 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अभी माननीय मंत्री जी यह भी चर्चा कर रहे थे कि करारोपण के माध्यम से राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया है लेकिन जो साहित्य मंत्री जी के विभाग ने दिया, हम लोगों को उपलब्ध कराया उसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल 5 वर्षों में हम 2 हजार करोड़ रुपये स्थानीय निकायों की आय बढ़ा सकते है। 4 हजार करोड़ रुपये हमको करों के माध्यम से कुल 6 हजार करोड़ रुपये की आय होती है। मंत्री जी ने स्पष्ट भी किया है कि यह 6 हजार करोड़ रुपये हमारे वेतन के लिए ही बड़ी मुश्किल से पर्याप्त हो पायेगा। 8.400 करोड़ जुटाने के लिए अलग से प्रयास करना होगा। किन्हीं और दूसरे सूत्रों से उपलब्ध करना होगा।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह बड़ी चुनौती है। आज जो हमारे फाइनेंशियल सोर्स हैं वह सूख रहे हैं, कम हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में 8.400 करोड़ रुपये का क्या

प्रबन्ध करेंगे। जब माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण दें तो मैं आशा करूँगा कि माननीय मंत्री जी इस पर भी जवाब दे देंगे। इतना ही नहीं इससे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने है। आज शहरों में इतनी आबादी है उसकी ढाई गुना 2020 तक होगी। जिसके लिए आज से योजना नहीं बनाई तो मैं कह सकता हूँ कि आज जो शहरों की स्थिति है वह कल भयावह होगी जो केन्द्रीय मंत्री जी इसी विभाग के हैं, उनकी बात को उद्धरित करना चाहता हूँ। "जाहिर है कि भारत के वर्तमान शहरों की यह शोचनीय हालत चुनौतियों का सामना करने में सुस्पष्ट तथा सृजनात्मक दृष्टि अपनाने में हमारी इसी असफलता के कारण हैं। भारतीय शहरों के वायुमंडल में आज जो डिफिन्सियन शैली की कथित धूल और धुंध छायी हुई हैं वह समकालीन भारत की अस्पष्ट दृश्यावली का परिणाम है।" तो परिस्थितियां है साफ तौर पर स्वीकार करते हैं। जब इस सदन में बैठे हैं तो जितनी जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है, उनती विपक्ष की है, माननीय मंत्री जी कह रहे थे सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों में अन्तर नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता, अगर माननीय मंत्री जी इस योजनाओं को बनाते समय विपक्ष के लोगों को विश्वास में लेकर समग्र रूप से सारी चाजों पर विचार करते, और शहरी अवधारणा के अनुसार योजना बनाने का काम करते तो मैं समझता कि मंत्री जी जो कह रहे हैं वही करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा, पानी की दिक्कत होने वाली नहीं है हम अगले 2000-2001 तक जितने नगर हैं उसमें जलापूर्ति संतृप्त करा देंगे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक संस्कृत का श्लोक है-

पृथिव्याम् त्रीणि रत्नानि जलमन्नम् सुभाषितम्

मूढ़े पाषाण खण्डेषु रत्न संज्ञाम् विधीयते।।

तो पृथ्वी पर तीन रत्न है जल, अन्न सुभाषितम्, मंत्री जी का जो साहित्य है उससे उद्धरण देकर कहना चाहता हूँ 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 जो जलनिगम की पुस्तिका है आप उठाकर देख लें 1997-98 में भी इनकी उस योजना के अनुसार शहर में मानक के अनुसार पानी दिया जा सके। पांच लाख से अधिक जहां आबादी है, 50 लीटर प्रति व्यक्ति, उससे कम आबादी पर है तो 125 लीटर प्रति व्यक्ति और उससे कम है तो 100-70 लीटर प्रति व्यक्ति, 20 हजार से कम की आबादी पर है तो जो पानी देंगे उसमें तीन हजार करोड़ की आवश्यकता है यह लिखा है जलनिगम की पुस्तिका में, 1997-98 और 1998-99 में भी यही लिखा था और अब 2000-2001में भी यही लिखा है आपके जल निगम के अधिकारी तो बड़े स्थाई स्वाभाव के आदमी हैं। तीन हजार करोड़ का बयान 1997 में था और तीन हजार का बयान आज का है मैं जल निगम के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं कराते हैं, अगर पाँच हजार करते तो आपको भी परेशानी होती मैं सीधा प्रश्न जल निगम के बारे में करना चाहता हूँ जो 1998-99 की लक्ष्य थी एक परियोजना पूरी नहीं हुई और 1999-2000 की 11 परियोजनाएं ऐसी है जो लिखी थीं की पूरी हो जायेंगी गत वर्ष भी उसका उल्लेख था इस वर्ष भी लिखा है लेकिन वह पूरी नहीं हो पायी है। इसके साथ ही सामान्य जल सम्पूर्ति का जो काम था उसका 99-2000 में परिव्यय था 114 करोड़ रुपया और स्वीकृत हुआ 49.68 करोड़ रुपया। और 2000-2001 की स्थिति यह है कि साढ़े तीन करोड़ जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत रखे गये हैं वह भी केवल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रखा गया है। बड़े शहरों के लिए 35 करोड़ की व्यवस्था की है। मध्यम और छोटे शहरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो बड़े शहरों में बैराज हैं जैसे कानपुर बैराज इसमें 99-2000 में केन्द्रीय अंश 25 करोड़ रुपया था लेकिन राज्य का कोई अंश 25 करोड़ था नहीं हुआ। जो केन्द्र का था उसमें मात्र साढ़े चार करोड़ रुपया मिला और 2000-2001 में फिर पच्चीस-पच्चीस करोड़ रखा गया है।

इसी प्रकार आगरा में देख लें 99-2000 में एक करोड़ रुपया था लेकिन 2001 में कोई व्यवस्था नहीं है। गोकुल बैराज में 99-2000 में 10.24 करोड़ और 2000-2001 में कोई व्यवस्था केन्द्रीय अंश की नजर नहीं आती है और न राज्य अंश की है। जल निगम की कार्यशैली के बारे में कहना चाहूँगा कि जब से ये तीनों बैराज बने हैं तब से इनकी योजना बनी और जितना पैसा आया है उसके बाद उनकी वही स्थिति है ; जितने धन की 97 में आवश्यकता थी उतनी ही आज भी है। मैं यह ही कहना चाहता हूँ कि नये ट्यूबवैल बनते हैं लेकिन कर्मचारी नही रखे जाते हैं क्योंकि कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है। वहाँ पर आपके विभाग द्वारा शोषण होता हैं मजदूरों का। वहाँ डेली वेजज पर रखा जाता है और ठेके पर रखा जाता है। और उ पका जो समान कार्य पर समान वेतन वाला सिद्धान्त है वह रखा रह जाता है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से जल निगम के बारे में कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने टिप्पणी की है उसके बारे में, मैं उनको बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने यह कहा कि "मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि जल निगम में ऊपर से लेकर नीचे तक कोई काम नहीं करना चाहता है। सीवर स्ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिए मंजूर 40 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं कर पा रहे है। इनके लगाये हैण्डपम्प और ट्यूबवैल खराब हो रहे है। इसकी कोई जवाबदेही नहीं। अब पहले तो जलनिगम की सफाई कर दूँ, तब नदी की सफाई की बात करूँगा।" यह माननीय मंत्री जी ने वास्तविकता को स्वीकारा है। यह 10 फरवरीद का है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। एक गम्भीर बात की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ अभी माननीय मंत्री जी ने नियम-51 के उत्तर में भूगर्भ जल के बारे में आंकड़े दिये थे और उन्होंने स्वीकार किया था कि 111 विकास खण्ड डार्क जोन और 198 ग्रेजोन में हैं। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि भूगर्भ जल का स्तर है कई शहरों में देख गया तो अधिकतम कानपुर में 13.96 लीटर नीचे चला गया है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि यह जो सरफेस वाटर है अगर पेयजल में तब्दील करें तो इस पर खर्च दो हजार से ढाई हजार पर कैपिटा आता है इसलिए इस काम को हाथ में नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ हमारे देश में एक सौ पच्चहतर हजार अरब घन मीटर पानी सरफेस पर बहता है जिसका मात्र 10 प्रतिशत संचय करते हैं, अगर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर इसे 30 प्रतिशत नहीं करते हैं तो जो हालत गुजरात में हुए हैं उन हालात से यह उत्तर प्रदेश बच नहीं सकता है। सिंचाई विभाग का सहयोग लेकर हर नदी पर 2-2 बांध बनाने का काम हम करें। नगर में जहां स्थान हैं वहां तालाब, झील बनाने का काम करें जिससे वाटर लेबल भी रिचार्ज हो सकेगा। शासन की जिम्मेदारी शुद्ध पेयजल की है, जो क्लोरीनेशन की स्थिति हैं, आज 2 लाख का हम यदि बजट दे रहे हैं, तो क्लोरीनेशन में 70 लाख का बजट चाहिए। पिछले साल जितने संक्रामक रोगों के प्रकरण लखनऊ में आये, केन्द्रीय टीम को यहां आना पड़ा, अगर राजधानी में यह हालत है तो दूसरे शहरों में क्या हालात होंगे? इसका सहज अनुमान आप कर सकते हैं। जल निगम के जो हमारे एम0डी0 जेठवानी जी हैं उनका कहना सूबे की राजधानी को पेयजल के संकट से उबरने के लिए भगीरथ प्रयासों की आवश्यकता बताते हैं उन्होंने स्वीकार किया कि टुकड़ों में धन मिलने के कारण शहर के जलापूर्ति तन्त्र में तमाम कामों में दिक्कत आ रही है। इसी तरह से लखनऊ जल संस्थान के महाप्रबन्धक गंडेरिया साहब हैं उनका कहना हैं कि जिस तरह से शहर का विस्तार और जनसंख्या बढ़ रही है इस हिसाब से पेयजल की उपलब्धता की योजनायें नहीं बनायी जाती है।

मान्यवर, यह किसकी जिम्मेदारी है, मंत्री जी देख लें, उन लोगों से भी बात कर लें जिनके बयान हैं। मान्यवर, जो पुरानी जल वाहिनियां हैं 1938 और उसके पहले की उनमें केपिसिटी नहीं रह गयी है, उनको बदलने का काम करें। मान्यवर, ट्यूबवैल की जो स्थिति है लगाने की, नाला बह रहा है वहां

ट्यूबवैल लगा हुआ है, जबकि व्यवस्था यह है कि 300 मी0 के क्षेत्र में कोई गंदगी न हो, नाला न हो। सीपेज होकर उस पेयजल को प्रदूषित न कर दे, जल निगम के लोग ध्यान नहीं रखते हैं, इस पर ध्यान देंगे आप। सीवर, कूड़ा निस्तारण और सफाई व्यवस्था, मान्यवर वर्ष 1994 में सूरत में प्लेग फैला, उसका लाभ हुआ एक व्यक्ति ने योजना दी, उसके अनुसार काम हुआ, प्लेग भी साफ हुआ और आज सूरत की सूरत ही बदल गयी। अगर उस व्यक्ति को यहां बुलाकर राय-मशविरा करें तो लाभ होगा।

मान्यवर, सीवर लाईनों की स्थिति यह है कि हमारी 186 नगरपालिका परिषद् और 440 नगर पंचायत में सीवर व्यवस्था नहीं है। पिछले वर्ष दो नगर पंचायत और एड हो गयी है जो हमारे जल निगम की डिमांड 3465 करोड़ रु0 थी उसमें परिवर्तन नही किया गया वह समझ रहे हैं कि भाव स्थिर है। मान्यवर, कितना मिला, 98-99 में 7.55 करोड़, 99-2000 में 6.84 करोड़, 2000-2001 में मात्र 2 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है पर्वतीय क्षेत्रों में की गयी है। मान्यवर, हरिद्वार वाराणसी ऐसे शहर हैं गंगा ऐक्शन प्लान के अन्तर्गत आच्छादित हैं सीवर लाईनें इतनी पुरानी हैं इतनी क्षमता नहीं है कि आज के बोझ को वहन कर सकें। जगह जगह सीवर उबलती है चोक होती है उनका सारा पानी बहकर मकानों में जाता है इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, इसके साथ ही जो कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे शहरों के लिए बड़े शहरों के लिए और छोटे शहरों के लिए यह एक अभिशाप के रूप में सामने आया है। आज 80 प्रतिशत कूड़ा आप उठाते हैं और 20 प्रतिशत नहीं उठा पाते हैं, चील्ह, गाय, अवारा पशु, गाय सब घूमते हैं अभी आपने पढ़ा होगा कि इसी लखनऊ में पालीथीन खाकर कितने गायें मर गयीं, कितनों के आपरेशन हुए। मान्यवर, युनीसेफ की रिपोर्ट है, हिन्दुस्तान स्लम में रह रही 5 लाख की आबादी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग आज आत्रशोध आदि बीमारियों से ग्रसित हो मरते हैं इसी तरह से अस्पतालों की स्थिति है इन्सीनेटर आपने लगाये है लेकिन अगर आप निजी क्षेत्र से बात कर लें तो इसमें और अच्छी व्यवस्था हो सकती है।

मान्यवर, आज नगरपालिका परिषदों में 57 हजार सफाई कर्मचारी है अगर 3,00,00,000 की आवादी मान लें तो प्रति 10 हजार पर 27 कर्मचारी चाहिए तो उसके हिसाब से कितने कर्मचारी चाहिए और उनकी भर्ती के लिए क्या उपाय करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हाउस में सिन्थेटिक दूध का भी मसला उठा और भी सारे मसले उठेंगे तो घूमफिर कर बात आयेगी कि यह दायित्व हमारे फूड इंसपेक्टर का है जो सीधे सीधे नगर विकास के एडमिनेस्ट्रिटिव कंट्रोल में रहता है। अगर यह जिम्मेदारी वह निभाते तो यह घटना न होती। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना चाहता हूँ तो सबसे पहले आपको इन लोगों के खिलाफ लड़ाई छेड़नी पड़ेगी जो आज जनस्वास्थ्य और जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसकी तरफ विशेष ध्यान देकर कम से कम ऐसे कार्यक्रम इस सीजन में ऐसी व्यवस्था बनायें जिससे खाने से लोग बीमार न हों और उनकी मृत्यु न हो। इसके साथ ही साथ अवारा पशु घूमते हैं, सुअर घूमते हैं। डायरेक्टर जनरल आफ मेडिकल हेल्थ ने कहा है कि इनसे जापनी इंसीफिलाइटिस बीमारी फैलती है इसलिए सुअर को इंजेक्शन लगाने का काम करेंगे लेकिन जो अवारा घूम रहे हैं उनको कहां इंजेक्शन लगायेंगे। मान्यवर, यह निश्चित कर दिया जाय कि नियम के अनुसार ही सुअर का पालन किया जाय और उस नियम की अवहेलना से जिससे जनस्वास्थ्य को हानि होती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी उसके मालिक की हो। अगर मक्खी, मच्छर के प्रोडक्शन को रोक दें तो जो उसके फैलने वाली बीमारी पर पैसा खर्च होता है उसको बचाया जा सकता है। मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी है तो उत्तर भाषण के समय कुछ समय अवश्य दे दीजिएगा।

श्री केशो मेहरा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि नगर के लोगों से जुड़े हुए अत्यन्त महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बजट का समथन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण का प्रारम्भ पर आघात से किया। हमलोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज तो उठायी, एक संकल्प तो लिया, 304 जाँच, 211 निलम्बन, 145 दंडित और 55 को अभियोजित करने का, उसके लिए विद्वान सदस्य अवस्थी जी को बधाई देनी चाहिए थी, जो कुछ कमियां रह गयी थी अगर उनके संज्ञान में भ्रष्टाचार की बात थी तो वह उन्होंने कही। भ्रष्टाचार की जड़ कोई आज की नहीं है। 74वें संविधान संशोधन के बाद पहली बार ऐसा संभव हुआ है कि 686 नगर निगम, नगरपालिका परिषद् और न्याय पंचायत, इनमें जितना धन शासन के द्वारा आवंटित होता था, यह कभी सुविधा शुल्क के बिना संभव नहीं था। 1989-94 तक नगर महापालिका, आगरा, जो अब नगर निगम आगरा हो गया है, का सदस्य रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम यह जानते है कि शासन से धन लेना होता था तो बिना सुविधा शुल्क दिये हुए संभव ही नहीं होता था। मैं बधाई देना चाहता हूँ, शासन को और माननीय मंत्री जी को। 74वें संविधान संशोधन के कारण जो प्राविधान हुआ, उसी के चलते निश्चित धनराशि बजट में आवंटित कर दी गई और यह भ्रष्टाचार जहां से प्रारम्भ होता था, सुविधा शुल्क की बात होती थी, उसे समाप्त कर दिया गया। दशम् वित्त आयोग के द्वारा भी धनराशि अब उपलब्ध करा दी गई है। सूडा और डूडा, यह प्रदेश नगरीय विकास अभिकरण और नगरीय विकास अभिकरण यह कोई नई योजना नहीं है। पहले इनके सारे कार्य कागज पर होते थे, सारी सड़के कागजों पर बन जाती थीं, धन का हो जाता था। मैं माननीय मंत्री जी को जितनी बधाई दूँ, उतनी कम है, केवल इनके मंत्रित्वकाल में नगरीय विकास अभिकरणों में वास्तव में कार्य प्रारम्भ हुआ है, इनका जितना साधुवाद दिया जाय, कम है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हम सब लोगों की स्वाभाविक रूप से एक इच्छा होती है कि मलिन बस्ती सुधार योजनायें जो हैं, उन योजनाओं में हमारी भी कोई भागीदारी हो। केन्द्र के द्वारा दिशा-निर्देश थे, उसके अन्तर्गत वह सारी योजनायें बनती थीं, लेकिन एक मलिन बस्ती, एक विधायक के कहने पर उसका विकास होगा, इससे शोषित पीड़ित व्यक्ति हमको दुवायें देंगे। इतनी बड़ी योजना जो प्रस्तुत की है, मैं विशेष रूप से उसके लिए मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।

माननीय अधिष्ठाता जी, विधायक जानते हैं, माननीय नगर राज्य मंत्री, नगर विकास ने सदन में घोषणा भी की थी, पुनः मंत्री जी ने भी कहा कि 50 हैन्डपंप अब विधायक अपनी योजना के अनुसार लगा सकेंगे, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अवस्थी जी ने इस बात की आलोचना की और कहा कि आपने आश्रय योजना में 40 हजार मकान का लक्ष्य निर्धारित किया, अब एक लाख का किया है, उनको यह तो बताना याद रहा, लेकिन हमने कुछ तो आश्रय बनाये, एक शुरुआत तो की, इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जो को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि 5, 10, 15 रुपये वाली योजना में यदि माननीय विधायकगण जमीन उपलब्ध करा दें तो योजना उनके अनुसार बना देंगे, यह बहुत बड़ी बात है इसके लिए अवस्थी को साधुवाद देना चाहिए था।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधायक जिन 30 व्यक्तियों की सिफारिश करें, उनको 75 हजार रुपया ऋण मिल जायेगा। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ।

माननीय अवस्थी जी ने एक बात और कही कि विधायकों के लिए साढ़े 7 लाख का मकान और वही मकान जनता के लिए साढ़े 14 लाख का, इसमें हमारी गर्दन पकड़ ली जायेगी और कहा कि थोड़े दिन रुककर घोषणा करनी चाहिए। इस पर मुझे एक कहानी याद आ गई, गधे और बाप, बेटे की। कहावत मैं कहना चाहता हूँ "मन भावन मूड हिलावन"। मैं कहना चाहता हूँ यदि थोड़े दिन रुक भी जाते, तब भी तो आलोचना होती। मा0 विद्वान सदस्य यह तो चाहते हैं कि मकान सस्ता मिल जाये, दर्द इतना है कि 31 मई तक घोषणा अन्य मकानों की न करते। अवस्थापना निधि है वह 40 करोड़ से 80 करोड़ की गयी है और वह भी बिना किसी प्रकार का कर लगाये की गयी है। इसलिए मैं मंत्री जी को साधुवाद देता हूँ। पुराने कुओं को नवीन करने की योजना एक कुशल शिल्पी के रूप में टण्डनजी ने प्रारम्भ की है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, सड़कें बना दी जाती हैं, कुछ दिन में उनकी खुदाई हो जाती है, क्योंकि कहीं पर सीवर लाइन पड़नी होती है, कहीं पानी की लाइन पड़नी होती है, कहीं टेलीफोन की लाइन पड़नी होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में जो भी सड़के बनायी जायें वे विशेष रूप से एक दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत बनायी जायें। जैसे सीवर लाइन पड़नी है, पानी की लाइन पड़नी है तो सड़क के बीच में स्थान बना दिया जाए, क्रास सेक्शन के रूप में, चाहे टेलीफोन लाइन पड़नी हो, चाहे पानी की लाइन पड़नी हो, चाहे भविष्य में गैस की लाइन पड़नी हो तो हर बार खुदाई न करनी पड़े अन्यथा आज सड़क बनी और कल हो गयी खुदाई, यह स्थिति बहुत खराब है। मान्यवर, आगरा छावनी विधान सभा क्षेत्र में 50 साल से जल की आपूर्ति न हो पा रही थी, मंत्री जी ने जाकर टंकी का शुभारंभ किया है और वह शीघ्र प्रारम्भ होने वाली है जिससे पानी की आपूर्ति हो पायेगी। मान्यवर, आगरा बैराज के बारे में योजना बनी थी यह 181 करोड़ की योजना थी। इसमें 90.5 करोड़ प्रदेश का अंश था और 90.5 करोड़ केन्द्र का अंश था। वर्ष 1997-98 में 8.5 करोड़ रुपये, 98-99 में 8 करोड़, वर्ष 1999-2000 में 1 करोड़ रुपये और इस वर्ष 1 करोड़ भी नहीं मिला है इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है उसके लिए भी और जलापूर्ति के लिए भी और जो भूगर्भ जल है इसके गिरते स्तर को उठाने के लिए यह ठीक है कि गोकुल बैराज बन गया है लेकिन जितना हरियाणा से पानी चाहिए वह हमें मिलना चाहिए। आगरा बैराज बनाना चाहिये जो बीच में नोएडा से जल प्रदूषित हो रहा है उसे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ठीक करना चाहिए। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री भोला शंकर मौर्य-

मान्यवर, आपने नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं जो 74वां संशोधन हुआ है उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूँगा कि दो साल से उपाध्यक्षों का नगरपालिका परिषदों में आपने जो असंवैधानिक तरीके से चुनाव रोके हैं, वह ज्यादा उचित नहीं है क्योंकि जो अध्यक्ष हैं, बेलगाम हो गये हैं जो भ्रष्टाचार अध्यक्षों द्वारा किया जा रहा है, वह उपाध्यक्षों के चुनाव न होने के कारण है। यह एक प्रमुख कारणों में से है। उपाध्यक्ष होने पर, वह कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेता है कि उस पर थोड़ा सा सभासदों के द्वारा एक प्रेशर बना रहता है लेकिन शासन ने असंवैधानिक तरीके से एक शासनादेश करके उपाध्यक्षों के जो चुनाव थे, उनको स्थगित कर दिया है। दूसरी बात मैं मान्यवर, यह बताना चाहता हूँ, बदायूँ जनपद में एक नगरपालिका बिलसी है, मान्यवर, मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, उसके अध्यक्ष को एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता के कारण पदच्युत किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया था और उसके बाद उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी और उप चुनाव जब हो रहा था और एक दिन पूर्व, खाली एक रात पूर्व उस चुनाव को स्थगित इसलिए कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार की हार निश्चित थी और उस हार से बचने के लिए जिस सुबह को चुनाव होने थे, रात में शासनादेश हो गया कि चुनाव स्थगित किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से परामर्श भी नहीं किया। चुनाव आयोग ने इस पर डी0एम0 बदायूँ के लिए बड़ी चिट्ठी लिखी कि आपने चुनाव किस अधिकार से रोका। एक विचारणीय विषय है और संविधान में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि सरकार एक साधारण आदेश से चुनाव को रोक दे। दूसरी बात इसी नगरपालिका में वर्ष 1999-2000 का जो बजट पारित हुआ, आयुक्त को यह अधिकार होता है कि वह नगरपालिका परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव को अनुमोदित करे और उसको यह भी अधिकार दिया गया है कि वह बजट प्रस्तावों को अस्वीकार कर दे।

इसी अधिकार के अन्तर्गत जो प्रस्ताव हमारे यहां पारित हुआ था उसको आयुक्त बरेली मंडल ने, नगरपालिका बिलसी द्वारा पारित प्रस्ताव को, स्थगित कर दिया था। तीन महीने बाद आयुक्त महोदय ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर दिया। इस बीच गुपचुप तरीके से हजारों रुपयों का भुगतान कर दिया गया। प्रश्न के माध्यम से मंत्री जी को जानकारी दी गयी है मंत्री जी ने कहा था कि इसकी जांच करवा लूँगा लेकिन अभी तक जांच नहीं की गयी है और न किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

मान्यवर, बदायूँ नगरपालिका में नगर निकाय के प्रभारी और अध्यक्ष और सभासद मिलकर पूरी तरह से ठेकेदारी कर रहे हैं उनके द्वारा बनायी गयी सड़कें 3 महीने के अन्दर टूट गयी है और गड्ढों में तब्दील हो गयी हैं। वहां की पूरी पाइप लाइन टूटी है सीवर लाइन बदायूँ में है ही नहीं। बदायूँ नगरपालिका प्रदेश में नम्बर वन मच्छरों की उत्पत्ति की जगह बन गयी है, यह हमारा कहना नहीं है सभी का कहना है वहां इतनी गन्दगी फैल रही है जिसका बयान करना मुश्किल है। इसका एक ही कारण है कि अध्यक्ष और निकाय के प्रभारी मिलकर ठेकेदारी कर रहे हैं। मान्यवर, यही हाल बिल्सी नगरपालिका का हैं वहां पर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि कोई काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और टी0ए0सी0 की जांच नहीं होने दे रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं कि टी0ए0सी0 की जांच सम्भव नहीं है क्योंकि सम्भव नहीं है? जब सड़के एक महीने में टूट जाती हैं उनकी जांच करानी चाहिए। वहां पर हजारों रुपयों का गोलमाल हा रहा है। बिल्सी नगरपालिका में जो काम कराये गये हैं और बदायूँ नगरपालिका में जो निर्माण कार्य कराये गये हैं उसकी जांच करायी जाये इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूँ कि उपाध्यक्षों का चुनाव पूरे प्रदेश में तत्काल करायें जायं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूँ कि आपने माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री जी द्वारा रखे गये 2000-2001 के बजट पर अपने विचार रखने की अनुमति प्रदान की। श्रीमन्, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ मंत्री जी को कि अपने भाषण के प्रारम्भ में सारे कार्यवृत्त के भीतर जिस चीज को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी वह भ्रष्टाचार को दूर करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने बड़े खुले मन से और खुले दिमाग से भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कही। माननीय सुरेन्द्र अवस्थी जो को भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उनके सम्पूर्ण भाषण का अधिकांश हिस्सा भ्रष्टाचार पर आधारित था और भ्रष्टाचार पर हमला करने में उन्होंने जोर दिया जब अवस्थी जी भ्रष्टाचार बोल रहे थे तो मैं बड़े धैर्य और विनोद से उनकी बात सुन रहा था मुझे लग रहा था कि आज माननीय अवस्थी जी वह भ्रष्टाचार जो आज से 50 साल पहले, आजादी पाने के बाद से शुरू हुआ, जो भ्रष्टाचार परम्परागत तरीके से बढ़ता गया, जिसका विकास हुआ और जो जवान हुआ, उस पर माननीय अवस्थी जी ने अपनी दलीय सीमा के भीतर रहते हुए बड़ी खूबसूरती से उस पर उन्होंने हमला किया। अवस्थी जी सहमत होंगे कि भ्रष्टाचार युक्लिप्टस के पेड़ की तरह से होता है जितना भाग ऊपर होता है उतनी ही गहराई में उसकी जड़े नीचे होती हैं यह

भ्रष्टाचार 50 साल में बढ़ा है। और विगत 3 वर्ष में इस सरकार ने कोशिश की है लेकिन मान्यवर, भ्रष्टाचार की जड़े बहुत मजबूत हो चुकी हैं। मान्यवर, उसको कमजोर किया जाये चाहे आरा मशीन लगायी जाये या दीमक लगाये जायें। अब तो नया बुल्डोजर बना है वह पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ देता है। अब इसे परम्परागत तरीके से दूर नहीं किया जा सकता। पिछली सरकारों के कार्यकाल में जो 50 वर्षो में भ्रष्टाचार नीचे तक गड़कर मजबूत हो गया है उसे उखाड़ने के लिए बुल्डोजर जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी मुक्ति मिलेगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

पिछले बजट के सम्बन्ध में भी बड़ी गम्भीरता से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि विकास प्राधिकरणों की बोर्ड में उस क्षेत्र के माननीय विधायक को पदेन सदस्य बनाया जाना चाहिए पिछली बार भी निवेदन किया था कि माननीय मंत्री जी सदन की उस कार्यवाही का अवलोकन करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं वह पदेन विकास प्राधिकरणें के सदस्य नामित होंगे और उनको बोर्ड की बैठक में भाग लेने की सुविधा होगी। जैसे माननीय विधायक जिला पंचायत और नगर निगम की बैठकों में भाग लेते हैं उसी प्रकार से विकास प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। इससे वंचित रहें, इसका कोई कारण नहीं है। कृपा पूर्वक जब उत्तर भाषण करें तो हम सभी लोगों को आश्वस्त करें, जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरी कर लें लेकिन इतना जरूर चाहूँगा कि माननीय सदस्यों को उसमें पदेन सदस्य होने का प्राविधान सुनिश्चित करें। एक बात और कहना चाहता हूँ कि विकास प्राधिकरणों की जो भूमिका है जिस निमित्त विकास प्राधिकरणों की स्थापना हुई उन उद्देश्यों से विकास प्राधिकरण भटक रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

विकास प्राधिकरण विकास के बजाय, कानपुर में समाचार पत्रों में पढ़ा कि वह एअर कण्डीशन बस चलाने की योजना बना रहा है। यह काम नगर निगम का है। क्या नगर निगम ने विकास प्राधिकरण को गोद ले रखा है। बड़े सक्षम अधिकारी उपाध्यक्ष हैं वह कोशिश कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन विकास प्राधिकरण का जो उद्देश्य है उसमें उनको अपनी शक्ति लगानी चाहिए। नगर निगम अपना कार्य करें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया बैठें।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

आज विकास प्राधिकरण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उसके पीछे उनका भ्रष्टाचार है। आज लाखों हजारों एकड़ भूमि का कोई अता-पता नहीं है। उदाहरण के तौर पर कानपुर में 50 हजार की सूची श्रेणी-5, 6 व अन्य तथा नजूल की हमने सुलभ करायी थी। मैंने निवेदन किया है कि एक विशेष कार्यदल जिसमें 5 आई0ए0एस0 और 2 आई0पी0एस0 अधिकारी हो वह जो 50 हजार एकड़ जमीन भू-माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है उसको खाली करायें लेकिन मेरे इतना निवेदन करने के बाद भी आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। पेयजल और भूगर्भ जल की समस्या के सम्बन्ध में मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 2001 तक इस समस्या से मुक्ति मिल जायेगी यह तब होगा जब कोई कार्ययोजना बनाई जाये वरना

मुझे नहीं दिखाई देता। जल निकासी की भयंकर समस्या से हमारा क्षेत्र ग्रस्त है अभी पिछली बार बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी जिसमें व्यापारियों की करोड़ों की सम्पत्ति सड़ गई। अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार दबाव बनाने के बाद भी नहीं हट रहा, जहां इनको लगता है कि वहां काम शुरू करने पर विरोध हो जायेगा वहीं यह काम शुरू करते हैं ताकि बाद में काम बन्द कर देना पड़े।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दें।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

कूड़े के सम्बन्ध में कहना है कि कुत्ते भी कुड़े में नहीं बैठते हैं वो अपनी पूँछ से साफ कर लेते है। भ्रष्टाचार के बाद दूसरी प्रमुख समस्या कूड़े की है इसको हटाने की व्यवस्था की जाये। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री राम प्यारे सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। अभी मंत्री जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यह नगरों में स्वर्ग ला देंगे। लेकिन आप लखनऊ में रहते हैं जहां विधायक निवास में शुद्ध पानी की सुविधा नहीं है जहां कभी - कभी लोग पार्क रोड से दारूलसफा जाते हैं कि हमारे यहां पानी नहीं आ रहा है इसलिए यहां नहाने आया हूँ। ऐसी स्थिति में जो बात मंत्री जी बोले वह कहां तक सच है यह तो पूरा सदन गवाह है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के दो उप नगरों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। हमारे यहां जीएनपुर व अजमतगढ़ टाउन एरिया हैं। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जमीन ग्राम समाज की है। मैंने खुद, गांधी मैदान के नाम से एक स्थल है जिसके लिए तीन वर्षो में मैंने कई पत्र लिखे जिसे पार्क का रूप दिया जा सके। मात्र 10 लाख रुपये के खर्च का कार्य होगा जीएनपुर टाउन एरिया में। यहां पर एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां बच्चे खेल सकें या कोई 10 मिनट बैठ सके। यहां एक बहुत बड़ा तालाब है जिसका नाम गहबड़ है उसका सौन्दर्यीकरण कर दिया जाय। अजमतगढ़ में एक हजार एकड़ रकवे का ताल सलोना है उसके सौन्दर्यीकरण की व्यवस्था की जाय। दोनो टाउन एरिया में दो-दो, तीन-तीन ट्यूबेल हैं फिर भी पूरे-पूरे दिन पानी की समस्या रहती है। पर्याप्त मात्रा में इंडिया मार्का हैण्डपम्प भी नहीं है कभी-कभी तो गांव से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी हमारे मंत्री जी सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्यगण इस प्रकार बोल रहे थे ऐसा लगता था कि जो पहले कभी नही हुआ अब हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिसके लिए मंत्री जी की सराहना की जाय। दोनों टाउन एरिया में एक भी सुलभ शौचालय नहीं है। अगर बहुत पैसा है वह पैसा कहां जाता है किस शहर पर खर्च होता है। जो गन्दे नाले है, जो रोज सड़कों पर पानी भर जाता है उससे वहां से निकलने वाली गाड़ियो के कारण लोगों के ऊपर पानी उछल जाता है और लोगों में मारपीट हो जाती है गाड़ियों के शीशे तोड़ दिये जाते है। यहां अनेकों मलिन बस्तियां है कूड़े के ढेर लगे हैं सड़कें सही नहीं है। आप हमारे दोनों टाउन एरिया जिएनपुर और अजमतगढ़ में एक टीम भेज कर सर्वे करा लें और विकास सर्वे की कुछ व्यवस्था कर दें। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री लालजी टण्डन को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने राज्य आवास नीति बनाकर नजूल की जमीन जो पट्टे पर हैं उसे बेचने का नियम बनाया है तथा स्वैच्छिक आवास

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर निर्धारण योजना बनाकर कर निर्धारण में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया गया है। मान्यवर, जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, रहने के लिए मकान और पीने के लिए पानी। लखनऊ में आवास विकास परिषद् और विकास प्राधिकरण द्वारा अनेकों लोगों को आवास सुविधायें उपलब्ध कराई गई है। जैसे एच0आई0जी0, एल0आई0जी0, एम0आई0जी0, मिनी एम0आई0जी0 आदि प्रकार के भवन बनाकर लोगों को दिये गये हैं। विधान सभा क्षेत्र में आवास विकास परिषद् द्वारा कन्या महाविद्यालय के लिए, राजकीय चिकित्सालय के लिए तथा स्टेडियम के लिए भूमि आवंटित की गई है। जिसपर निर्माण कार्य पूरा हो गया है इसलिए मैं मंत्री जी का आभारी हूँ। मा0 मंत्री जी ने पेयजल की समस्या का निराकरण करने हेतु अनेकों योजनाएं बनाई है। मंत्री जी ने गोमती प्रदूषण दूर करने के लिए अनेक कदम उठाये है जिसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ।

गोमती के वेड अर्थात् तलहटी में इतना मल जमा हो गया है कि जब पम्प से पानी निकाला जाता है तो उसके साथ मल निकल आता है और पानी दूषित हो जाता है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। लखनऊ के 1/3 हिस्से में सीवर बना हुआ है और आज लखनऊ की सबसे बड़ी यह समस्या है इसलिए लखनऊ में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने की मैंने पहले माँग की थी। 1982 में जब गोमतीनगर नहीं बना था तो उस समय वहां पर एक सैलेज फार्म था जहां पर लखनऊ का सारा सीवर जाता था परन्तु गोमतीनगर के बन जाने के बाद एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की आवश्यकता हो गयी इसलिए हरदोई रोड पर भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई जी के द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का शिलान्यास कर दिया गया है और साथ ही कूड़े से बिजली बनाने की भी योजना है। मान्यवर, जब अरूण कुमार मिश्रा जी लखनऊ में कमिश्नर थे तो उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र का भ्रमण किया था और एक योजना बनायी थी और आश्वासन दिया था कि टिकैत राय तालाब और जमुना झील को दर्शनीय स्थल बनाया जायेगा परन्तु उनके इस पद से जाने के बाद वह योजना अधर में लटकी रह गयी इसलिए इन दोनों योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाय। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मोतीझील में एक बूचड़खाना है इसके आस-पास रहने वाले के लिए जीना दूभर हो गया है। इसे हटाने के लिए मैंने विधान सभा में मांग की थी। मैंने सदन में प्रश्न उठाया था और मुझे आश्वासन भी दिया गया था।

सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जायेगी बूचड़खाना हटा दिया जायेगा। मुझे खेद है कि 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक बूचड़खाना नहीं हटाया गया है। मान्यवर, लखनऊ में प्रदूषण बहुत हो गया है इसलिए ग्रीनवेल्ट का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। मेरे यहां एक तुलसीदास मार्ग है वह क्षेत्र का प्रमुख मार्ग है इसके सौन्दर्यीकरण की मैं मांग करता हूँ। देवपुर, जलालपुर, पीताम्बरखेड़ा, पारा, कनौसी, कुल्हरकटा, गंगा खेड़ा और केसरा में पानी की विकराल समस्या है इसलिए इस समस्या का निदान अविलम्ब किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री अवस्थी जी तथा श्री अम्बरीष कुमार जी द्वारा आवास एवं नगर विकास पर रख गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। काफी माननीय सदस्यों ने चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, नगरीय सुविधाओं की तरफ विस्तार से चर्चा की और सभी को कदाचित यह आवश्यकता महसूश हुई कि नगरीय विकास एवं आवास दोनों ही शहरी क्षेत्र के जनजीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े हुए प्रश्न है और इनकी एक महत्ता है इसमें कोई दो राय नहीं।

---

* वक्ता नं भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें कुछ कठिनाइयों भ्रष्टाचार और कदाचार के बारे में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के लोगों ने अपनी बात कही। माननीय मंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, हमारी शुभकामनाएं है कि वह उसे दूर करने में सक्षम साबित हों और सफल हो सके। प्रदेश की राजधानी के लिए नगरीय सुविधाओं के लिए और यहां शहर के सौन्दर्यीकरण के लिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि नगर विकास मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिये एक अच्छा प्रयास किया है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र बस्ती हो सकता है लेकिन पिछले 25-30 सालों से राजधानी में रह रहे है और यह भी अपना शहर है और यहां की समस्याओं के प्रति हम सम्वेदनशील है। बहुत नजदीक से हमने इस शहर को देखा है, हजरतगंज और गोमतीनगर एरिया ही नहीं चौक और पुराने लखनऊ के इलाकों को देखा है। लखनऊ के लिए जिस तरह से प्रयास किया गया है उससे काफी फर्क आया है। आम नागरिक कह देता है कि टंडन जी लखनऊ को लन्दन बनाना चाहते है। हम चाहते हैं कि आप इसमें सक्षम हों यह हम सबकी राजधानी हैं।

जिस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं लखनऊ को संवारने का उसी तरीके से प्रदेश के अन्य नगर परिषदों और नगर पंचायतों को जिसका दायित्व उनके ऊपर हैं, संवारने का काम करें। मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ और उन बिन्दुओं का फिर से उल्लेख नहीं करना चाहता जो माननीय सदस्य पहले कह चुके हैं। आज जैसा कि बाल चन्द्र और अन्य सदस्यों ने कहा सबसे बड़ी आवश्यकता नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में सफाई मौलिक आवश्यकता है। सफाई की मौलिक आवश्यकता हर व्यक्ति की होती है। अगर 4-6 दिन सफाई न हो तो उस शहर में लोगों का जीना और चलना दूभर हो जायेगा। सबसे बड़ी कठिनाई है कि पिछले कई वर्षो से नगर निगम और नगर पालिकाएं जो है उनकी संख्या की। शहरों की आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। नये-नये मोहल्ले बढ़ रहे है कुछ स्वीकृति से और कुछ अवैध रूप से। जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। जब नगरपालिका गठित हुई थी तो सफाई कर्मचारियों की जो संख्या थी वह उतनी ही है जबकि शहरों की आवादी कई गुना बढ़ी है लेकिन कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी है। संख्या बढ़ाने की बात एक तरफ है। उन नगर निगमों, नगर पालिकाओं में जो सफाई कर्मचारी अवकाश प्राप्त कर रहा है उनकी जगह नियुक्ति पर रोक लगी है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जब आप अपना उत्तर भाषण दें तो उसमें इन सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति खोलने के बारे में घोषणा करें। अन्यथा किसी शहर की सफाई कैसे हो सकती है। आप स्थाई छोड़ दीजिये आपको अस्थाई कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। वित्त विभाग ने रोक लगा दी है। यह विभाग आप चला रहे है न कि वित्त विभाग। ई0एफ0सी0 से एक किस्त आपको किसी तरह से मिल गई तो वित्तीय स्थिति कुछ आपकी सुधरी। इस बार आप ई0एफ0सी0 से कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जो केवल वेतन के लिए न रह जाय। यह एक दबाव रहता है कि अगर नगरपालिका कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया तो वे हड़ताल पर चले जायेंगे। राज्य वित्त आयोग द्वारा पोषित पैसा दे रहे हैं वो भी वेतन में जा रहा है और विकास के नाम कुछ नहीं आ रहा है। आपने उत्तर प्रदेश में लखनऊ के लिये हुडको की गारन्टी ले ली। प्रदेश के अन्य शहरों के लिये भी शासन की ग्रारन्टी लें जिससे कि प्रदेश का हर शहर विकसित हो सके। आपके विभाग का कार्य नगरीय सुविधाओं का बढ़ाना है उस दिशा में हुडको से ऋण मिल सके और हर शहर की छवि लखनऊ जैसी हो सके। आज जितनी गर्मी पूरे प्रदेश में पड़ रही है सबको इस बात का एहसास है दिन पर दिन जल स्तर नीचे जा रहा है जिसके कारण आज नहीं तो कल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं शहरी क्षेत्रों में पानी का अभाव होगा।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन्, मैं यह चाहूँगा कि कम से कम इस समय जहाँ पानी की, पेयजल की जितनी आवश्यकता हर शहर में है, नगरपालिका में है। आपके पास या नगरपालिकाओं के पास बजट नहीं है कम से कम दैवी

आपदा राहत से लेकर नगरपालिका को पैसा दें ताकि इंडिया मार्का-II हैंड पम्प गरीब मलीन बस्तियों म लगाये जा सकें। प्रदेश के हर शहरों में पेयजल का संकट खड़ा है। उस समस्या का समाधान करें। आज आप स्वयं महसूस कर रहे हैं बस्ती का कोई नगरपालिका हो नये नये मोहल्ले बढ़ रहे है। नगरीय सुविधाओं के लिए नई पाइप लाइन का विस्तार होना चाहिए। नये विद्युत पोल लगाने चाहिए विद्युतीकरण के लिए नई लाइनों की आवश्यकता होती है, लेकिन कहीं से भी पैसा नहीं मिला है जिससे मोहल्लों में जो बुनियादी आवश्यकता है उसको बुनियादी तौर पर उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। आपने अतिक्रमण के बारे में कहा, अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित करें। अतिक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है तो आप फिर उसको संज्ञेय अपराध घोषित करिये, उसी अनुसार उसकी कार्यवाही सुनिश्चित करायें। लोग घरों की और दुकानों की नालियां सड़कों पर खोल देते हैं तो जो लोग इस तरह से अपने घरों और दुकानों की नालियां सड़कों पर खोलें तो फिर उसको आप संज्ञेय अपराध घोषित करें। पालिथिन का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है इससे नालियां चोक हो जाती है, पालिथिन की वजह से गाय भैंस और जानवर मर रहे है जिसके कारण भयावह स्थिति पैदा हो गई है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

आवास का जिस तरह से अवैध निर्माण हो रहा है बिना नक्शे के मकान ऊचाइयाँ ले रहे हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाये। पार्किंग की कही कोई जगह नहीं है, पार्किंग के लिए शहरों में कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी जाती है। हजरतगंज से चारबाग की तरफ चलिए तो आपको देखने को मिलेगा कि सड़कों पर पार्किंग हो रही है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

6 लेन की बात कही गई लेकिन दो साल में कुछ नहीं कराया गया, मैट्रो लेन का कुछ नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता

समाप्त करें, काफी समय हो गया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

इस तरह से मैं समझता हूँ बहुत कठिनाईयां है स्वेच्छिक शमन योजना है इसमें जो अवैध निर्माण हो रहे है इस पर ध्यान दिया जाए।

(श्री शिव बहादुर सक्सेना का नाम पुकारा गया)

इस तरीके से शहरी कालोनियों के लिए, नगरीय क्षेत्रों के लिए जिस तरह की आवश्यकतायें हैं उसमें वित्तीय संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ लोगों की आपको जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी, नगर निगम से जो टैक्स नहीं वसूल किया जा रहा है तो उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करें। आप क्लर्क और अन्य पदों पर भर्ती नहीं करना चाहते हैं, न करें, लेकिन सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां खोल दें।

*श्री शिव बहादुर सक्सेना-

मान्यवर, आपने मुझे नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ आज का यह बजट अभिभाषण जो मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं मंत्री जी को बधाई देता चाहता हूं, पहली बार इस सदन में माननीय मंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो कदम उठाये हैं वह सराहनीय है। यह शुरुआत है और विश्वास किया जाता है कि इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए माननीय मंत्री जी तत्पर हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों को जो महत्व दिया गया है कि उनकी संस्तुतियों पर मलिन बस्ती में भवन निर्माण किया जायेगा एवं पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाने की जो योजना बनायी गयी है वास्तव में सराहनीय है आज विकास की किरण हर जिला हर वार्ड की आखिरी गली तक पहुँचेगी ऐसा विश्वास है। जहां तक हमारे सामने बैठे मित्र ने कहा कि पक्षपात किया जा रहा है तो पक्षपात का प्रमाण माननीय मंत्री जी ने अपनी कार्य प्रणाली से कर दिखाया है कि कहीं कोई पक्षपात नहीं हुआ है पूर्व में जब प्रदेश शासन की ओर से जो नगरपालिका और नगरपरिषद् को धन आवंटित होता था मैंने पिछले 12 सालों के कार्यकाल में देखा धन आवंटन जब किया गया तो पहले यह देखा गया कि किस नगरपालिका और नगरपरिषद् में कौन चेयरमैन है और किस दल का है उसी हिसाब से धन का आवंटन किया गया और हमलोग देखा करते थे कि जितने हमारे अर्थात भा0ज0पा0 के चेयरमैन हुआ करते थे उनको धन नहीं मिलता था वह था पक्षपात लेकिन आज हमारे मंत्री जी ने सबको एक साथ लेकर के, यह नहीं देखा कि कौन चेयरमैन है, किस दल का है धन का आवंटन किया है इसके लिये वह बधाई के पात्र है और उन पर पक्षपात का आरोप निराधार है। आज पूरे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्य देखने को मिल रहा है। नगर में सी0सी0ओ0 रोड का जाल इस तरह से बना हुआ है जिससे लगता है कि नगरीय क्षेत्र विकास से परिपूर्ण हो चुका है माननीय मंत्री जी जिस तरह से विकास की ओर ध्यान दिये हुए हैं बहुत जल्दी हर गली तक विकास की किरण यह पहुंच जायेगा। मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि धन आवंटन जो प्रदेश से होता है उससे नगरपालिकाओं में जो सड़कें स्वीकार की जाय उसमें एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखा जाना चाहिये कि उन वार्डो में अधिक विकास कार्य स्वीकृत किया जाना चाहिए जिन वार्डो के नागरिक नगरपालिका परिषद् को टैक्स अधिक जमा करते हों सभी नगरपालिकाओं में एक सूची तैयार रहना चाहिये किस वार्ड पर कितना टैक्स पालिका दे जो टैक्स देगा वही वार्ड विकास कार्य एवं अन्य सुविधाओं में प्राथमिकता पर रहेगा ऐसा शासनादेश होना चाहिए। एक बात मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की टाउन एरिया मसवासी में टाउन एरिया का कार्यालय नहीं है कार्यालय न होने के कारण जल निगम टंकी की जो छोटी सी चौकीदार की जो कोठरी होती है उसमें मसवासी टाउन एरिया का कार्यालय चल रहा है। मेरा निवेदन है कि जनपद रामपुर की मसवासी टाउन एरिया कार्यालय हेतु धन उपलब्ध कराने का कष्ट करें। वहां पर कार्यालय भवन हेतु भूमि उपलब्ध है और अन्त में माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ।

डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे नगर विकास पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं, श्री अम्बरीष कुमार जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और केवल अपने शहर जनपद बहराइच की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। नगरपालिकाओं और बहराइच

---

*वक्ता नं भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगर परिषद् की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर केवल 267 कर्मचारी सफाई के हैं। जबकि मानक के अनुसार 560 होने चाहिए। जब वर्षा का मौसम आता है, जिस समय नालों में मिट्टी भरी हुई होती है और सफाई नहीं होती और पानी भर जाता है, तो जो सफाई कर्मचारियों की कालोनी है, वजीर बाग में है, वहां पिछले साल एक-एक फिट पानी भर गया और उनका सामान भी बह गया। उस समय आन्दोलन हुआ था और हमने समझौता भी कराया था लेकिन उसके बाद उसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया। सबसे खराब स्थिति यह है 150 सफाई मजदूरों का भविष्य निधि का पैसा बाकी है और उसे जमा न करके खर्च कर दिया गया वह कौन से हिसाब में डाला गया है यह पता नहीं है। वह गलत तरीके से खर्च कर लिया गया तनख्वाह आदि बांटने में। मान्यवर, बहराइच में जहां सीवर लाइन नहीं है पानी की व्यवस्था का यह आलम है कि पानी नहीं जा रहा है नालियों में पाइप लाइन सड़ जाती हैं मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इस ओर ध्यान दें। आप बड़े शहरों, लखनऊ जो कि प्रधान मंत्री जी एवं मंत्री जी का क्षेत्र हैं उस ओर तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन जो बाकी के क्षेत्र है जो छोटे-छोटे क्षेत्र हैं उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे है। मान्यवर, बहराईच जैसे छोटे जिले की तरफ आप ध्यान दें मान्यवर जो बजीरबाग कालोनी है जहां बाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं वहां पर उनको तीन चार माह से वेतन नहीं दिया गया है, सफाई मजदूरों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से समझौता किया था बाल्मीकि समाज से कि उनकी पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा उनकी भविष्य निधि का पैसा दिया जायेगा उस समझौते का पालन करायें उनकी बकाया तनख्वाह निकालें। मान्यवर, वहां 267 कर्मचारी कार्यरत है, 550 आदमियों की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था करायें। मान्यवर, वहां इकौना नगरपालिका है वहां पर सारे सफाई कर्मचारियों को निकाल दिया, 13-14 आदमी रखे गये हैं डेली वेजेज पर अभी बारिश होने जा रही है बीमारी फैलेगी 3 साल से हम लोग देख रहे हैं घुटने-घुटने तक पानी में लोगों को सीवर के गंदे पानी से निकलना पड़ता है वह पानी सड़कों पर बहने लगता है। इसलिए सफ़ाई पहले ही सुनिश्चित कर ली जाय जहां सीवर लाईन जाम है वह खोली जाय, खुल जाये। बहराईच में पेयजल की बहुत समस्या है बहराईच नगरपालिका द्वारा संचालित जो ट्यूबेल हैं उनको सुदृढ़ करने की आप व्यवस्था करें। आप अपने उत्तर भाषण में बहराईच के लिए जरूर कुछ घोषणा करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। माननीय अवस्थी जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

(घोर व्यवध्यान)

(कई सदस्य बोलने की मांग करने लगे)

श्री लाल जी टंडन-

मान्यवर, इतनी सार्थक बहस के बाद मैं अवस्थी जी से और अम्बरीष जी से अनुरोध करुंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, यह इतना बड़ा दल है, [x x x x]

नोट- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, आप हमारे एक दो सदस्य को टाइम देते हैं और [x x x x] मेरा इतना बड़ा दल है और एक दो आदमी बोल पाते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

यह आरोप निराधार और असत्य है। कुल मिलाकर इस बजट के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने 2 घंटे निर्धारित किया था और ढाई घंटे से चर्चा चल रही है तो दोनों तरफ से सवा घंटे की चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन माननीय विपक्ष के सदस्यों को कुल मिलाकर डेढ़ घंटे से अधिक का समय मिला है दोनों कटौती को मिलाकर तो इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं कि समय कम मिला है। बाबू रामजी आपका तो सबसे बड़ा दल है आपके नेता प्रतिपक्ष हैं आप सबको अलग करके बात करते हैं तो यह ठीक नहीं लगता।

(व्यवधान)

श्री राम बाबू यादव-

मान्यवर, यह अच्छी बात नहीं है समाजवादी पार्टी की संख्या के आधार पर समय आवंटित करें।

श्री अधिष्ठाता-

आपका तो सहयोग मिलना चाहिए अगर आप ही इस तरह की बात करेंगे तो कैसे सदन व्यवस्थित रूप से चलेगा।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, 2 मिनट का समय दे दें। हमारे पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आप आधा घंटा और बढ़ा दें तो सबके विचार आ जायं।

श्री अधिष्ठाता-

बाकी बजट पर चर्चा न करनी हो तो इन पर जितनी देर बतायें चर्चा करा लेते हैं। (व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, अगला जो बजट है उस पर वक्ता कम लोग हैं उसमें बहुत कम समय लगेगा।

श्री अधिष्ठाता-

तो मैं यह मानू कि अगले बजट पर चर्चा नहीं होगी, अगले बजट पर चर्चा नहीं होगी तो मैं आगे इस पर चर्चा की बात मान लेता हूँ।

*श्री हरबंश कपूर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नगर विकास और आवास मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और उन्हें साधुवाद देता हूँ। जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण की शुरूआत भ्रष्टाचार को समाप्त करने के साथ शुरू की है उससे आज इस देश के सभी नागरिकों के मन में एक नई आशा जाग्रत हुई है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और निश्चित रूप से विकास को गति मिलेगी। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ जिस प्रकार से 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रदेश की नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों, नगरनिगमों और स्थानीय निकायों को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया गया है, यह अपने आप में सराहनीय है। मैं माननीय मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का ध्यान अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हमारे नगर देहरादून को महानगर का दर्जा देकर विकास के परिप्रेक्ष्य में अभूतपूर्व कार्य किया है, इसके लिए मैं और देहरादून की जनता उनकी आभारी है। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि नगरपालिका का भंग किये और महानगर बनाये हुए डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी निकट भविष्य में कोई ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं देती जिससे कि नगर निगम के चुनाव होगे और वहाँ पर एक निर्वाचित बोर्ड स्थापित हो सके। मान्यवर, आज जो वहां के अधिकारी है, प्रशासन है, उनकी रूचि विकास की ओर नहीं है, क्योंकि वह जानते है कि निर्वाचित सदस्य आ जाने के बाद उनकी सीमाओं पर अंकुश लगेगा और वह मनमानी नहीं कर सकेंगे। मैं निवेदन करूँगा कि यथाशीघ्र चुनाव कराकर वहां पर निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, जो वहां पर मंसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण है, वह अपने आप में एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है वहाँ पर छोटे से छोटा कर्मचारी और बड़े से बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। वहां के कर्मचारी और अधिकारी जिस तरह से प्राधिकरण की भूमि और आवासों का लेनदेन कर रहे है, वह भ्रष्टाचार का एक बड़ा माध्यम बना हुआ है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी के प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रामकुमार एडवोकेट-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे नगर विकास और आवास विभाग के बजट पर माननीय अम्बरीष कुमार जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँ कि विकास प्राधिकरणों में माननीय विधायकगण सदस्य नहीं बनाये जाते है, लेकिन अवस्थापना विकास निधि जो बनाई गई है, उसमें विकास के कार्यो में माननीय विधायक सहयोग कर सकें। इसकी ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, शुक्लागंज-उन्नाव विकास प्राधिकरण की स्थापना 7.11.83 को हुई थी। इसके अन्तर्गत जो महायोजना तैयार की गई, उसके अनुसार विकास कार्य नहीं किया गया। शुक्लागंज, कानपुर महानगर के हेड क्वार्टर से मात्र 3 किमी0 की दूरी पर है, लेकिन वहां की कोई आवासीय योजना के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि कानपुर मुख्यालय से 30-30 किमी0 दूर तक के क्षेत्रों के लिए धन उपलब्ध कराया गया है। यदि शुक्लागंज के लिए भी धन उपलब्ध करा दिया जाय तो इससे मुख्यालय आने जाने वालों को सुविधा उपलब्ध होगी, साथ ही वहां आय का स्त्रोत भी बढ़ेगा। इसी प्रकार उन्नाव-शुक्लागंज में सुन्दरीकरण के लिए कोई पैसा नहीं मिला, जबकि कानपुर और लखनऊ में सुन्दरीकरण के नाम पर काफी पैसा मिला है। मैं चाहूँगा कि उन्नाव शुक्लागंज को भी सुन्दरीकरण के लिए धन दिया जाय, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अमित अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ और माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है और जो योजनाएं बतायी हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। मान्यवर, कुछ सुझाव के तौर पर बात कह रहा हूँ। दशम् वित्त आयोग के द्वारा जब पैसा स्थानीय निकायों को बांटा गया तो पहले चुंगी का जो प्रतिकर छावनी परिषद् को मिलता था, वह बन्द हो गया। छावनी परिषद् क्षेत्र से जो पैसा वसूला जाता है, जैसे व्यापार कर, मंडी समिति शुल्क, मनोरंजन कर है आदि लेकिन वहां उनके विकास के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। दूसरा एक बिन्दु जिसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एक नेशनल कैपिटल रीजन करके बोर्ड है उसमें मेरठ मण्डल उ0प्र0 सब रीजन के रूप में है, वहां प्रदेश सरकार द्वारा विकास के लिए कुछ नहीं दिया

जा रहा है जबकि दिल्ली में केन्द्र सरकार और हरियाणा व राजस्थान में उनकी सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है और मेरठ मण्डल में एनसीआर का कानून लागू कर दिया गया है, गाड़ियों का इन्जन यूरो-2 में अनुमोदित होना आवश्यक है। 15 वर्ष पुराने वाहन दिल्ली की तरह वहां चलने बन्द हो गये है। मान्यवर, प्रतिबन्ध लागू कर दिये गये है लेकिन एनसीआर निधि की स्थापना नहीं की है। मेरठ नगर निगम, विकास प्राधिकरण जो धन ले रहा है वह ऋण के रूप में है उसका बोझ नागरिकों पर पड़ रहा है। मेरा निवेदन कि एनसीआर निधि की स्थापना की जाये। अन्तिम बात, मेरठ विकास प्राधिकरण में किसानों का मुआंवजा बहुत पुराना पड़ा है, इसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले। 12 से 15 साल हो गये है, करोड़ों, अरबों रुपया बकाया है इसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। मेरठ सहित महानगरों में जल प्लावन की स्थिति जो बढ़ती जा रही है, उसके लिए मास्टर ड्रेनज प्लानिंग बहुत जरूरी है, मा0 मंत्री जी इसका इस बजट में प्राविधान करें।

*श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, नगर विकास विभाग के बजट पर माननीय अम्बरीष जी द्वारा प्रस्तुत कटौती पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जहां तक महानगरों की बात है तो ज्यादातर माननीय सदस्यगण रख रहे हैं और मंत्री जी का भी ध्यान नगर निगमों की ओर, महानगरों की ओर है। जो पिछड़े जिले हैं, नगर पंचायतें है और नगर परिषदें हैं उनमें जो पैसा दिया गया है, हमने इस किताब में देखा है तो वह पैसा देने न देने के बराबर है। मान्यवर, मै ज्यादा समय नहीं लूँगा। मान्यवर, बुन्देलखण्ड के जिलों में जो पेयजल समस्या है और पेयजल मूल्य का जो अन्तर है, माननीय नगर विकास मंत्री का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि जो जल मूल्य में अन्तर है, कानपुर और भोगनीपुर है वहां पानी का मूल्य अलग है जैसे कालपी यमुना नदी को पार करें, 60-65 रुपये जल मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। मान्यवर, जब धना-प्रदशन होते है तो कभी-कभी वसूली स्थगित कर दी जाती है। कभी 12-20 रुपये कर दिया जाता है जो पुराना था यह जो उतार-चढ़ाव होता है, मान्यवर, बुन्देलखण्ड अत्यन्त पिछड़ा है यहां की जनता के साथ ऐसा क्रूर मजाक किया जा रहा है। यह कल्याणकारी सरकार है जनता को नियमित पानी उपलब्ध न करा पाये, मान्यवर, पानी से पतला और होता क्या है और जो स्थिति बुन्देलखण्ड के जिलों की है, वहां 80 फीसदी नलकूप खराब पड़े हैं, सुधारने के लिए अधिकारी कहते है कि बजट नहीं है। लोग आज एक-एक बूँद पानी को तरस रहे है। एक तो पानी नहीं जाता है और दूसरी जल मूल्य का अन्तर है।

पिछड़ा क्षेत्र बुन्देलखण्ड और पहाड़ है उस पर आप मैदानी क्षेत्र से अगर 5 गुना और 6 गुना जल मूल्य वसूल करायेंगे तो वहां मान्यवर, उद्योग धन्धे नहीं है, सिंगल क्राप होती है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपने जो ठोस बजट रखा है, जनकल्याणकारी कार्य किया है तो मान्यवर, बुन्देलखण्ड जिलों के लिए आप दृढ़ निश्चय कर ले और एक समान मूल्य पूरे प्रदेश का निर्धारित कर दें। ताकि बुन्देलखण्ड के लोगों के साथ अन्याय न हो सके। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मंत्री जी ने पिछले बजट में भी एक घोषणा की थी कि विधायकों को लखनऊ में प्लाट और भवन दिये जायेंगे और जो विधायक लखनऊ में नहीं लेना चाहते हैं उनके जिले में यदि आवास विकास का क्षेत्र है तो वह अपने जिले में ले सकते हैं। हमारे यहां जालौन में मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ। झांसी वाले मुझसे कहते हैं कि 4x4 का भूखण्ड ले लो तो मैं क्या पान की दुकान रखूँगा जो इतना छोटा भूखण्ड ले लूँ। अभी वहां पर एलआईसी को जमीन बेची गयी है उसके पूर्व में और पश्चिम में जमीन पड़ी है

और उन भूखण्डों के नम्बर नहीं पड़े है। लखनऊ में जिसने क्रासवाटिंग में पैसा लिया है वह मकान/भूखण्ड ले सकते है हमारे पास 7 लाख, 10 लाख नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने जिले में प्लाट मिल जाय।

श्री शिशुपाल सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अवस्थी जी और माननीय अम्बरीष जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी ने बिंदुवार अपने भाषण में आवास और नगर विकास के बारे में बताया है उसी के सम्बन्ध में मैं 2-3 बिंदुओं पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं, मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरी बातों पर ध्यान देते हुए विचार किया जाय। मान्यवर, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मंत्री जी ने जो कार्यवाही की है वह सराहनीय है। मैं अपने जनपद के बारे में बता रहा हूँ, हमारे यहां एटा के चेयरमैने के विरुद्ध लगभग एक साल से 18 लाख रुपये की और दूसरी 24 लाख रुपये की रिकवरी निकली है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को होगी, इस तरफ विशेष ध्यान देकर अपने अधिकारियों से इसको दिखवा लें कि इसमें सत्यता क्या है। शहरी क्षेत्र में हैण्ड पम्पों की समस्या बतायी गयी है मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि जिन विधान सभा क्षेत्रों का आधा क्षेत्र शहरी और आधा ग्रामीण है क्या वहां भी 50-50 हैड पम्पों की व्यवस्था रखी गयी है। जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देगें तो इसके बारे में बताने की कृपा करें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पानी की समस्या हर क्षेत्र में है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में 20-25 कि0मीटर तक का पानी खारा है। वहां पर 3 ट्यूबवेल लगे है जिनसे पूरे क्षेत्र में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 1 ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था करें इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री गोमती यादव-

अधिष्ठाता महोदय, आपने इस बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, बजट वास्तव में पारदर्शी और आम नागरिक का ध्यान रखते हुए विशेष रूप से अल्प आय के लोगों की सुविधा के लिए रखा गया। माननीय श्री अवस्थी जी अभी कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने कुछ अच्छी बातें कही हैं। भ्रष्टाचार भी उजागार किये। उन्होंने युनिटी सिटी, यूनिटेक तथा बंसल के बारे में बोले लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सहारा सिटी के बारे में कुछ नहीं बोले। अगर उसके बारे में बोले तो बड़ा अच्छा होता। मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन पूत्तू भाई को बोलना चाहिए था। सहारा सिटी मेरे क्षेत्र में आता है। 250 बीघे जमीन पर सहारा सिटी बना हुआ है। वह वास्तव में नजूल व सलेज फार्म की जमीन है जहां शहर के तमाम क्षेत्रों से सीवेज का पानी इकट्ठा होना था। उस जमीन को नगर निगम के द्वारा 10-12 रुपये स्क्वायर फीट की दर से सहारा परिवार को दे दिया गया। मैंने जो आंकलन किया है कम से कम 50 करोड़ रुपये का घपला किया गया है। किसानों को जो मुआवजा दिया गया वह 16 हजार प्रति बीघे की दर से दिया गया। प्राधिकरण ने जो जमीन अधिग्रहीत किया था उसका कम्पेसेशन दिया लेकिन सहारा परिवार द्वारा जो जमीन कब्जा कर ली उसका कोई प्रतिकर नहीं दिया था। गुण्डों और बदमाशों के बल पर, स्थानीय प्रशासन के बल पर उसी पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि वहां बहुत बड़ी-बड़ी दीवालें बनी हुई है। आज चाहे केन्द्र का मंत्री हो, उत्तर प्रदेश का मंत्री हो या कोई बड़ा नागरिक हो सबका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भोजन और अवकाश सहारा शहर के अन्दर ही होता है। अगर किसी फिल्म को हिट कराना हो तो उसका भी ठेका सहारा शहर ने ले रखा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री गोमती यादव-

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए। उसके खिलाफ कोई बोलने का साहस नहीं कर पा रहा है। मेरी आवाज कोई दबा नहीं सकता। मान्यवर, यह माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। जब हम मुआवजा मांगते हैं तो प्राधिकरण से जबाव आ जाता है कि प्राधिकरण ने यदि लैण्ड एक्वायर की होती तब प्राधिकरण उसका कम्पेसेशन देता। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुआवजा दिलाया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपकी बात आ गयी।

श्री गोमती यादव-

कुछ सुझाव हैं, जोंकि बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्हें देना चाहता हूँ। जब विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद् की कोई योजना प्रस्तावित होती है और जब निर्माण कार्य चालू होता है उसके बाद स्थिति बहुत खराब हो जाती है। किसान और विकास प्राधिकरण में टकराव होता है। मान्यवर, ग्राम समाज की हजारों एकड़ जमीन होती है उसका कोई निराकरण नहीं होता है। कालोनियों का निर्माण हो जाता है लेकिन उसका कोई प्रतिकर किसानों को नहीं मिलता है। चाहे प्राधिकरण या हाऊसिंग बोर्ड हो, अगर कोई गांव बीच में पड़ा है तो उसका सर्वांगीड़ विकास होना चाहिए उसके बाद ही कालोनी बनानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करे।

श्री गोमती यादव-

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में अम्बेडकर उद्यान बना हुआ है। जिसने भी बनवाया और जिन परिस्थितियों में बनवाया। उसकी जाँच चल रही है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको सजा मिलनी चाहिए लेकिन उद्यान का निर्माण पूरा होना चाहिए उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री अरविन्द कुमार जैन)-

इस तरह से चला तो मान्यवर, 12 बजे के बाद भी आज की कार्य सूची चलती रहेगी।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जाएं।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे श्री अम्बरीष कुमार द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र मुरादाबाद की

कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जब मूरादाबाद नगरनिगम में संभव रोड पर एक नई आबादी बनी तो जो 6 गाँव बीच में पड़ते थे जिसके बीच बी आबादी एक लाख से ऊपर पहुंच गई वहां नगर विकास के नाम पर न कोई स्कूल बनाया गया न कोई कालेज खोला गया न ही हास्पिटल बनाया गया न ही वाटर सप्लाई की व्यवस्था की गई न ही टंकी बनाई गई, एक लाख की आबादी में कोई कार्य नहीं हुआ। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। जो रोड सम्भल चौराहे से गागन तक अलीगढ़, आगरा, ग्वालियर, एटा, फर्रुखाबाद सारी बेल्ट को कुमायूँ मण्डल से जोड़ती है सारा ट्रेफिक कुमायूँ मण्डल के लिए इसी से पास होता है इस रोड को चार लेन की होनी चाहिए। हमारे यहां ब्रांस बेयर कारपोरेशन ने एक कालोनी ब्रास वेयर वालों की बसाई थी उस कालोनी में लोग आबाद हो गये उस कालोनी को एक जमाने में नगर निगम को हैण्ड ओवर करने की बात हुई लेकिन वह नहीं हुआ ब्रांस वेयर कारपोरेशन तो खत्म हुआ लेकिन कालोनी की हालत ठीक नहीं है। वह लावारिस रह गई। वहां पर न एक सड़क है न विजली, पानी की व्यवस्था है इतनी बड़ी कालोनी है उसको नगर निगम को हैण्ड ओवर कारा जाये ताकि उस कालोनी का विकास हो सके। मुरादाबाद के पश्चिम के तो 10 कि0मी0 तक गॉवों को नगर निगम में शामिल किया गया लेकिन मेरे क्षेत्र के दो कि0मी0 सीमा के गाँव भैंसिया, बरवाला ताजपुर आदि गॉव को नगर निगम में शामिल नहीं किये गये जो पूरी तरह से शहर में शामिल हो चुके हैं बीच में नदी पड़ जाती है इस कारण इतना करीब का क्षेत्र नगर निगम में शामिल नहीं किया गया उसको भी शामिल किया जाये। आपका नगर निगम के सम्बन्ध में जो एक्ट है उसमें मेयर को कोई अधिकार नहीं दिया गया है सारे अधिकार एम0एन0ए0 में निहित है मुरादाबाद में विपक्ष का मेयर है जो आपने बजट पुस्तिका दी है उसमें पिछले चार का रिकार्ड देख लें मुरादाबाद को सबसे कम रुपया मिला है। चाहे दशम् वित्त आयोग की बात हो या शासन स्तर से धन आवंटन की बात हो। आपसे मै निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम मुरादाबाद पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाये रखें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री सौलत अली एडव्रोकेट-

मेरे क्षेत्र में एक नगर पंचायत भोजपुर है जहां 50 हजार की आबादी है वहां पर बिजली के तार टूटे हुए हैं बांस पर तार के सहारे बिजली सप्लाई हो रही है न कि सड़क है न लड़कियों का कालेज वहां के लिए कोई योजना नगर निगम व आवास विकास परिषद् की नहीं है। पीपल साना जहां की आबादी 30-35 हजार की हो चुकी है उसको भी टाउन एरिया नगर पंचायत डिक्लेयर करें। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, अपने मुझे आवास एवं नगर विकास विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह निचित रूप से सर्वजनहिता है। मंत्री जी में बहुत इच्छाशक्ति है इन्होंने सभी नगर व आवास से सम्बन्धित बिन्दुओं को स्पर्श किया है जिससे गरीब, मध्यम व उच्च समस्त वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सन्त रविदास नगर भदोही की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सात फरवरी को हमारे जनपद में शिलान्यास

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि ज्ञानपुर नगर पंचायत के रूप में है नगर परिषद् के लिए उपयुक्त है तो मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप उसे नगरपरिषद् का दर्जा दिया जाय। हमारे क्षेत्र में गोपीगंज जहां सीवर की समस्या है जिसके लिए कुछ धन मिला भी था थोड़ा निर्माण भी हुआ लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जी0टी0 रोड वहां होने के कारण सारे भारी वाहनों का यातायात होता है। आपने कहा कि हम पूरे प्रदेश में पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं तो मान्यवर हमारे क्षेत्र में जो जलनिगम का दफ्तर है उसे मिर्जापुर में क्या मर्ज किया जा रहा है। उसे यथावत रखा जाय। इस स्थानान्तरण से पूरे शहर की जनता में हाहाकार मचा है। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ और बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अफजाल अंसारी-

मान्यवर, मैं जौनपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। हमारा मतदाता है जिलाधिकारी, हमारा मतदाता है सीएमओ और ऐन्टेलक चुवक क्लास यहां ग्रामीण अंचल की बात कम होती है और यदि शहर की बात होती है तो बस लखनऊ की। हमारे यहां 6 नगरपालिकायें हैं फिर भी पानी की समस्या रहती है। हमारे यहां स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है। सोडियम लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे यहां 60 प्रतिशत हिन्दू और 40 प्रतिशत मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों के घरों का कूड़ा फिकवाते नहीं है आप। आप वहां साम्प्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। हमारी भावनाओं को ठेक पहुंचती है। अगर आपको सरकार चलानी है अच्छी तरह से तो मुसलमानों पर अत्याचार बन्द करें। नगरपालिका के अन्दर चार लाख की जनसंख्या है, कताई मिल भी है तो वहां पानी का स्टोरेज बनना चाहिए। सूडा में एक करोड़ का घोटाला हुआ उन दोषियों को दण्डित किया जाय। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। धन्यवाद।

श्री विद्यासागर गुप्ता-

श्री अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नगर व आवास विकास मंत्री जी ने जो विकास के लिए बजट प्रस्तुत किया है इसके लिए वह सराहना के पात्र हैं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। लखनऊ चारबाग से दो सड़कें शहर को जाती हैं एक गौतमबुद्ध मार्ग है और दूसरी अमीनाबाद को जाने वाली सड़क है। इन दोनों सड़कों पर हैदर केनाल के ऊपर जो पुलिया बनी हुई है, उसमें 12 हों घण्टे जाम लगा होता है जिससे लोगों की गाड़ियां छूट जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुलियों को चौड़ा किया जाय। मवैया क्रांसिग पर पुल बनाने की योजना है अभी तक इस पर कोई नहीं किया गया है। राजाजीपुरम की आबादी एक लाख की है, लेबर कालोनीज भी हैं, इसलिए इस रेलवे फाटक पर एक ब्रिज बनाया जाय। लखनऊ के चारों तरफ मानव रेल का प्राविधान किया जाय जिससे कि सड़कों पर आवागमन ठीक हो सके। अमीनाबाद, कैसरबाग, लालबाग ये सब व्यावसायिक केन्द्र हैं, यहां पर अतिक्रमण हैं, लगभग 10 हजार दुकानें हैं इसलिए इन्हें हटाकर छोटी-छोटी दुकानें बनाकर इन लोगों को दी जा सकें। विश्वास खण्ड, गोमतीनगर में फौज ने कब्जा कर रखा है इसलिए 200 एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया जाय और उसे विधायकों को दिया जाय, इससे अच्छा स्थान और कोई हो नहीं सकता। गाजियाबाद डेवलेपमेंट एथारिटी ने एक पेट्रोल पम्प की जमीन को आवंटित किया है इसे किस दर पर किया गया है और क्यों किया गया है, माननीय मंत्री जी इसकी छानबीन करके ही हाऊस को बताने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री दुर्गाप्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं आजमगढ़ की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आजमगढ़ मण्डल मुख्यालय है परन्तु आज भी वह उपेक्षित है। वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, ट्यूबवेल्स की बोरिंग फेल हो गई है। बहुत पुराने जो मोटर्स लगे हुए थे, वह खराब हो गये

हैं। बाजबहादुर में कोई ट्यूबवेल नहीं है, वहां पर ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाय, सरफूदीनपुर में ट्यूबवेल लगाया जाय, सिधोरा में ट्यूबवेल लगाया जाय, मुकेरीगंज में ट्यूबवेल हैं परन्तु इसकी मोटर पुरानी होने के कारण उतनी लोड नहीं उठा पाती है, इसलिए इसे बदला जाय और ज्यादा कैपेसिटी की मोटर लगायी जाय। माननीय मंत्री जी भी हैण्ड पम्प के बारे में एक व्यवस्था सुनिश्चित करें शहरी क्षेत्र के लिए। एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां सीवर लाईन की योजना थी जो 1975 से चल रही है और आज भी उस पर कार्य अधूरा है। उसे पूरा कराया जाय, 150 लाख रुपये खर्च किये गये मगर आज तक वह सुचारू रूप से नहीं चल सके। मैं कहना चाहता हूँ कि केवल लखनऊ का ही सौन्दर्यीकरण न करें। आज प्रदेश के हर जिले में विकास की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अवस्थी जी, जरा संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी-

मान्यवर, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं साधुवाद उन सदस्यों को देना चाहता हूँ जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव पर बल दिया और उससे ज्यादा साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ उन माननीय सदस्यों को जो सत्ता पक्ष में बैठने के बाद भी कटौती के प्रस्ताव को बल दे रहे थे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ माननीय मंत्री जी अपने विभाग की बजट की राशि घटाकर मात्र एक रुपया कर दें जिससे कि कम से कम आने वाले वर्ष में जब हमलोग बजट लिए बैठे तो यह कमियां है दूर कर सकें। मैं 3-4 प्रश्नों का उल्लेख करना चाहता हूँ। आपने एक लाख आवास की बात कही है लेकिन अपने बजट भाषण में उस धनराशि का उल्लेख नहीं किया जो कि आपने इस हेतु आवंटित की है। एक लाख आवास बनाने के लिए योजना मद में कितने धन का आवंटन किया गया जिससे वे आवास बनेंगे। एक बात और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ आपके क्षेत्र का ताजा मामला है आपके निर्वाचन क्षेत्र में एक अदद पार्क था अभी 3 घंटे पहले कब्जा हुआ है उस पार्क का। पार्क का नाम है चेतन विहार, अलकापुरी, सेक्टर-सी अलीगंज लखनऊ। उस पार्क को विकास प्राधिकरण के दो अवर अभियन्ताओं ने 4 लोगों को प्लाटिंग कर दी। आप इसकी नोटिस ले लें और जो कार्यवाही समझें करवा लें। मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने एक चीज स्वयं स्वीकार की कि पेयजल की उपलब्धता और उत्पादकता बढ़ रही है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस वर्ष गम्भीर संकट है पेयजल का। आपने हम विधायकों को बहुत सारी सुविधायें देने की बात कही। अन्य कोई सुविधा न दें वह तो आपके ऊपर निर्भर करता है लेकिन एक सुविधा अवश्य दे दें कि ग्रामीण क्षेत्र में एक एक विधायक 100-100 हैण्ड पम्प की स्थापना कर सके तो अच्छा होगा। मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ कि प्रत्येक जनपद में एजेन्सियों का आवंटन हुआ है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र का निर्धारण आप करेंगे। कुछ दिन पहले भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री और उनके कुछ अधिकारी कह रहे थे कि इसमें पाँच-छः विभाग आते है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता और आपसे यह अपेक्षा नहीं है कि यह कहकर निरूत्तर मत करिये कि ग्राम विकास यह कार्य कर रहा है।

जल निगम की उपादेयता हैं। कुछ कमियां है लेकिन उन कमियों के बाद भी एक बात की प्रशस्ति करनी पड़ेगी कि तुलनात्मक दृष्टि से आपका जल निगम अन्य विभागों की तुलना में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। एक काम और करें कि जल निगम के माध्यम से प्रत्येक ब्लाक में हैण्ड पम्प हमको भी दे दें। पहले

भी हैण्ड पम्प लगे हैं लेकिन श्रीमन्, आप निरीक्षण करें क्षेत्रों का वहां 30-40-45 प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब हैं। हम जब किसी ब्लाक या मुख्यालय में जाते हैं यहां तक कि ब्लाक बैठक में अवर अभियन्ता उपलब्ध नहीं होते हैं इसलिए आप कोई एक धनराशि सुनिश्चित कर दें जिससे बिगड़े हुए पम्प का रख रखाव किया जा सके क्योंकि जब पूछा जाता है तो अधिशासी अभियन्ता से लेकर अवर अभियन्ता तक एक ही जवाब होता है हमारे पास मेन्टीनेंस के लिए कोई पैसा नहीं है, परिणामतया: वह लगे हुए हैण्ड पम्प सफेद हाथी की तरह दिखाई देते हैं, लोग कहते है कि हैण्ड पम्प काम नहीं कर रहे हैं, मैं अपेक्षा करूँगा, दो भावनायें हमारी हैण्ड पम्प के सम्बन्ध में हैं हैण्ड पम्प के स्थान की और हैण्ड पम्प के रख-रखाव की, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो इनके सम्बन्ध में भी घोषणा करने का कष्ट करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अम्बरीष कुमार-

जिन 18 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया उनको धन्यवाद देता हूँ, मान्यवर सबसे पहले यह बात कहना चाहता हूँ कि वाल्युशन कन्ट्रौल, प्रदूषण नियंत्रण आज की प्रमुख समस्या है, गंगा एक्शन प्लान में द्वितीय चरण का कोई काम स्वीकृत नहीं हो पा रहा है मेरा अनुरोध है कि प्रथम चरण के कार्यों की कोई उपादेयता नहीं रह जायेगी द्वितीय चरण के कार्यों को अगर स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रदूषण नियंत्रण में बाधा पड़ेगी। वायु, ध्वनि प्रदूषण शहरों में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण की स्थिति यह है कि धूल कणों की मात्रा भारत में सबसे अधिक है और धूल प्रदूषण से प्रतिवर्ष देश में 40 हजार व्यक्तियों की मौत होती है, लोगों का मानसिक तनाव होता है तो इसकी तरफ भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में भी कोई कानून बनाया जाना चाहिए प्रेशर हार्न सार्वजनिक स्थानों पर, इसी तरह की और भी चीजें हैं, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण फैलता है, इसको रोका जाना चाहिए ताकि प्रदेश का भला हो। मान्यवर, इसी तरह से गाँव से लगातार शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है इसका एक मात्र कारण यह है कि गाँव की अपेक्षा शहर में विकास की दर अधिक है। गरीबी बढ़ रही है लेकिन शहरों में कम हो रही है तो इस अन्तर को दूर कर पायेंगे यह सरकार समन्वय के आधार पर ग्राम्य विकास की योजना बनायें तो पलायन रुकेगा शहरों का अनियंत्रण विकास रुक जायेगा। पहले उद्योग नीति सरकार की यह होती थी कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगायेंगे इससे रोजगार मिलता था, तब शहर की तरफ पलायन कम होता था तो इस पर विचार करेंगे तो मैं आपका आभारी होऊँगा।

इसी तरह से कर्मचारियों की गम्भीर समस्या है कई वर्षों से स्थानीय निकाय और नगर निकायों में भविष्य निधि का धन जमा नहीं है तो इस पर भी ध्यान दिया जाये। केन्द्रीय सेवा के कर्मचारी हैं उनके पेंशन के लिए उच्च न्यायालय ने आदेश दिये कि जिला पंचायत के कर्मचारियों के समान नियम बनाये जाएं, लेकिन इस पर कार्यवाही नहीं हुई है [illegible] पर भी विचार कर लें। इसी के साथ-साथ मंत्री जी ने स्वीकार किया कि अतिक्रमण के बारे में पुलिस [illegible] नहीं मिल रहा है। यह संज्ञेय अपराध बनाने के बारे में है, समय कम है इसलिए पढ़ना नहीं चाहता हूँ, पुलिस वाले स्वयं अतिक्रमण करा रहे हैं तो पुलिस वाले स्वयं अतिक्रमण न करवायें इसे भी आप [illegible] करें। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ नागरिक अधिकार पत्र [illegible] दें। सफाई कर्मचारी काम पर नहीं आते है और हवलदार

उपस्थिति लगा देते हैं तो आप यह कर दें कि अमुक कर्मचारी का यह नाम है, उसका यह नाम है अगर आप ऐसा कर देते हैं तो नागरिकों को यह अधिकार होगा कि उसकी सूचना ऊपर दे दें, तो अनुपस्थिति उसकी दर्ज इस तरह की जा सकती है। इसी तरह से मान्यवर, मृत्यु और जन्म का रजिस्ट्रेशन होता है इसमें हम चाहेंगे कि नागरिकों और अधिकारियों के बीच एक बात तय होना चाहिए कि यह कितनी अवधि में बनेगा, इससे कार्य में पारदर्शिता आयेगी। और स्थानीय प्रशासन को बल मिलेगा, अगर यह कर दें तो नागरिकों के हित में यह हितकर होगा कूड़ा इक्ट्ठा करने का स्थान हो हम सब लोग कूड़ा वहां पर डालें कहीं और न डालें अगर इस प्रकार का अभियान चला पाये तो इससे भी बहुत फायदा होगा। दूसरी बात सब अड्डे जितने हमारे है यह अधिकार नगर पालिका को मिले वहां पर सफाई कर्मचारी लगाये जायें और नगर परिषदों से सफाई कर लगाया जाय। इससे भी वित्तीय हालत में सुधार आ सकता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री अम्बरीष कुमार-

इसी के साथ जो हरिद्वार का उल्लेख हुआ था मेलों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था क्या करने जा रहे हैं यह भी बता दें। संभल में दो ओवर हैड टैंक है और एक टैंक बना दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जितने प्रश्न उठे हैं अगर मैं सबका जवाब दूँ तो मुझे कई घंटे लग जायेंगे। मैं कुछ बिन्दु जो महत्वपूर्ण हैं उनका उत्तर दूँगा। मेरे मित्र अवस्थी जी ने कहा कि आप सहमत हैं उनकी बात से कुछ ऐसे प्रकरण हुए हैं लेकिन लखनऊ का उदाहरण देना चाहता हूँ। यहां पर दो स्थान ऐसे थे जहां 35 साल से मानव मल उसी जगह पर ढेर करते थे वह एक अल्पसंख्यक बस्ती थी और वहां पर बदबू आया करती थी हमने वहां पर बायो गैस प्लान्ट बना दिया। वहां पर जलने वाली गैस मिल रही है। यह हमारे समय में नहीं पड़ा था। लेकिन जब मैं आया तो मैंने इसकी व्यवस्था की और उसको वहां से समाप्त कर दिया। इसी तरह से जिन प्रकरणों पर उदाहरण दिया, एक भी ऐसा नहीं जो मेरे सामने हुआ हो, अगर ये हैं, जो असल हैं या जिनके भी नाम दिये गये हैं अगर माननीय सदस्य कहीं पर भी भ्रष्टाचार और दुरूपयोग के बारे में लिखित सूचना देंगे मैं यह आश्वासन देता हूँ कि मुझे उनसे कोई भी ममत्व नहीं है, जो निष्पक्ष हो सकेगा, जो आप कहेंगे उस स्तर से जाँच करा लेंगे। कुछ बातें और आयी जैसे उपाध्यक्ष के चुनाव की बात थी, हमारे एक साथी जो इस समय नहीं है,ने कहा कि यह रोक हटा ली गयी है? यह विवाद था उसके कारण रोका गया था लेकिन रोक हटा ली गयी है चुनाव शीघ्र हो जायेंगे। आगरा की बात आयी है। ताज ट्रैपिज्यम में वहां पर आगरे में पेयजल के लिए सौ करोड़ रुपया उपलब्ध है। आगरा बैराज भी स्वीकृत हो गया है। तकनीकी कारणों से विलम्ब हुआ। वह कार्य शुरू होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आगरे के इतिहास में अगर नजर डालें तो अकबर जैसा बुद्धिमान राजा भी आगरे को छोड़कर फतेहपुर सीकरी में बसा और फिर उसे भी छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा क्योंकि वहां पर पानी नहीं था। पाँच सौ साल पुराना इतिहास दिखायी दे रहा है।

वहां पर पानी नहीं है। इसे कोई अंधविश्वास भी कह सकते हैं भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बृज से लेकर द्वारिका तक-वहां पानी खारा ही रहता है। इसलिए आज कोशिश हो रही है जहां शताब्दियों से नहीं था वहां पर एक नही व्यवस्था बना दी जाय। मैं आपके सुझाव चाहता हूँ। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है। अभी पार्क पर कब्जे की बात कही गयी तो कल अधिकारीगण रिपोर्ट करेंगे कि वह कौन है और कहां कब्जा कर रहे हैं। यह बात आयी कि अपराध बढ़ रहे है आवास गोष्ठी थी उस गोष्ठी में मैंने समापन में कहा कि हमारी जो प्लानिंग है आवास के क्षेत्र हैं हमारा सुझाव था कि उसका नवीनीकरण होना चाहिए। क्योंकि बड़े-बड़े बंगले बन गये एक बंगले में चार नौकर हैं, अब वहां पर बड़े बड़े काम्पलेक्स बन गये है। वहां सब्जी बेचने के लिए, अखबार बेचने के लिए और जो हमारी रोज की जरूरत है उनके लिए उस योजना में कोई जगह नही है। लेकिन बहुत से लोग जो वहां सामान बेचने लगते हैं उनमें एक रिश्ता फिर पुलिस और अपराधियों से बन जाता है उसके अन्दर अपराधी पैदा होते जा रहे हैं। अपराधी का जो ट्रेडीशनल ग्राफ है वह बहुत कम हुआ है और जो नान ट्रेडीशनल हैं उनका ग्राफ बढ़ रहा है। यह नियोजन में कमी है बेरोजगार भटक रहे हैं योजनाओं में उनका कहां स्थान हो यह मेरे वहां करने का आशय था योजना बनाते समय इन सबके लिए व्यवस्था करें।

जो बड़े शहर हैं उनमें ट्रांसपोर्ट नगर बन रहे हैं। सड़कें तो भारी वाहन के लिए नहीं बनी थी उस पर कितना लोड चढ़ रहा है। इन्क्रोचमेंट की बात आयी, गरीबी में कहीं ठेला लाकर किसी तरह से कर रहे हैं लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो बड़ी बड़ी जमीनों का इन्क्रोचमेंट कर रहा है। 900 एफ0आई0आर0 दर्ज हैं हिन्दुस्तान में केवल उ0प्र0 राज्य है जिसमें सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। हमें स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है कि हम उसका पालन नहीं करा सके। आई0ए0एस0 लेबिल पर बात आयी है कि कानून लागू किया जाय। लेकिन उसके पीछे भ्रष्टाचार है वहां तक हाथ डालने के लिए बहुत शक्ति और बहुत समय चाहिए। जो हमारी सीमायें हैं उसके अन्दर कोई बचेगा नहीं। जन सहयोग से जन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं हमने गोमती की सफाई का जन अभियान प्रारम्भ किया, जगदम्बिका पाल जी भी पहले दिन थे। दुनिया के इतिहास में नदी की सफाई नागरिक कर रहे हैं, 40 फीसदी नदी साफ हो गयी। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की बात आयी। अब क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ अभी तक एक सिस्टम था कि सीवेज और गन्दे नाले का पानी उनके पानी को साफ करके उसे नदी के डाउन स्टेटा में वह पानी डाल दिया जाता इसके लिए 42 करोड़ रुपये सेक्शन हो गये थे। इसी बीच किसी बुद्धिमान की यह बुद्धिजाग्रति हो गयी और उसने कह दिया कि यह पानी भी नदी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होते हैं। 25 लाख लोगों का पेशाब, मल गन्दगी बहती जाय तो कुछ नहीं और यहां पानी डाल देंगे साफ करके तो बैक्टीरिया हो जायेगा।

मुझे आशा है कि जल्द ही वह पैसा आ जायेगा और नाले का पानी जाना बन्द हो जायेगा। मान्यवर, 10 साल पहले 400 करोड़ रुपये की योजना ब्रिटिश सरकार के सहयोग से बनी थी अब उस योजना में 100 करोड़ की आवश्यकता है जिसमें पूरी नदी इतनी साफ हो जायेगी जो और नदियों में हजारों करोड़ रुपया खर्च करके भी नहीं होगी। आज जन आन्दोलन चला पर्यावरण के बारे में, आज जो हम देख रहे हैं कि नदियों में जैसे गोमती का जिक्र कर रहे हैं उसके अन्दर सारे जल जीव खत्म हो गये, इतना पानी

एक स्थान पर हो गया। इसमें 100 ट्रक रोज कचड़ा जा रहा है, गन्दा पानी जा रहा है यह सब रोक दिया गया अब गन्दा पानी जा रहा है लेकिन सालिड बेस नहीं जा रहा उसको रोककर नालों से हटाया जा रहा है यह सब जनता कर रही है इसमें मदद कर रहे हैं कुछ आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 अधिकारी भी हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं जहां पाप करते होंगे यहां एक पुण्य का काम कर रहे हैं। एक नदी की सफाई में लगे हुए हैं। पोलीथीन के बारे में कहा गया सब चीजे सरकार से अपेक्षा की जायेगी तो कैसे काम चलेगा। जल जीव मरने की बात, मान्यवर, लखनऊ में कोई चिड़िया दिखाई देती थी। कुछ ऐसे पक्षी भी कुदरत ने पैदा किये थे जो मरे हुए जानवरों को खाकर साफ कर देते थे। अब वह गिद्ध समाप्त हो गये क्योंकि कहीं किसी ने प्रदेश में उनको देखा है ऐसा लगता है कि वह विलुप्त हो गये। हम डायनासोर का स्ट्रक्चर बनाकर देख रहे हैं। हमारे सामने देखते देखते यह सारी धरोहर खत्म होती जा रही है। पर्यावरण विशेषज्ञ यह स्वयं कह रहे हैं कि पर्यावरण के लिए ध्यान देना चाहिए यह उतना ही घातक आपके लिए है जितना हमारे लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, दल की बात नहीं है। जब मैं लखनऊ की बात करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जब मुझे आदरणीय तिवारी जी, नारायण दत्त जी मिलते हैं तो वह पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं कि आपने लखनऊ को बड़ा सुधार किया है, मुलायम सिंह यादव जी मिलते हैं तो वह कहते हैं कि बहुत ठीक काम कर रहे हैं मुझे प्रशंसा होती है। उन लोगों का आशिर्वाद मिल रहा है। हमारे वरिष्ठ यादव जी यहां पर हैं, वह मुख्यमंत्री थे तब का लखनऊ और आज उनसे पूंछ लीजिए। तो हम तंगदिली से नहीं सोचना चाहिए। पानी की कमी है भूगर्भ जल नीचे जा रहा है रिचार्जिग नहीं हो रही है यह खतरा बना हुआ है लेकिन उपाय क्या है, नदी का पानी पीने लायक नहीं है कोई स्रोत नहीं है। जो आपने कहा वह संकट वास्तव में हैं जो मंडरा रहा है। लेकिन हम विवश हैं कि कल क्या होगा, कल कुछ भी होने वाला हो लेकिन जो जीवन के लिए आवश्यक है वह करना होगा।

मान्यवर. मैं आप सब लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूँ, आप सबने बड़ी शालीनता के साथ मुझको सुना और आपने जो सुझाव दिये हैं, वह मूल्यवान हैं। एक बात और बता दूँ, हैण्ड पम्प की बात आपने कही, बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र में हैण्ड पम्प खराब हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि बीच में इनका काम पंचायतों को सौंप दिया गया और पंचायतों ने जब तक अपना काम संभाला, उसके बाद व्यवस्था फिर बदली हैं, अब 10 करोड़ रुपया जल निगम को रिलीज कर दिया गया है, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा। यह तय किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने हैण्ड पम्प लगे हैं, उसमें जितने रीबोर करने की जरूरत हो, रीबोर कर दिये जायें और जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है, उनकी मरम्मत कर दी जाय। इसी प्रकार शहरों में जो 50 दे रहे हैं, उसमें भी कितने ट्यूबवेल हैं, जिनको हम लोग रीबोर करवा रहे है। मैं बताना चाहता हूँ कि तमाम योजनायें ऐसी हैं जो पिछले 5-5 साल से अधूरी पेयजल की पड़ी हुई है। कोई योजना 10 करोड़ की है, उसके लिए 50 लाख दे दिया, नतीजा यह हुआ कि वह योजना पूरी नहीं हुई और वह योजना धीरे-धीरे 10 से 12 करोड़ की हो गई। इस तरह से तमाम पैसा पानी में बह गया। आज तमाम बनी हुई टंकियां लोगों को मुंह चिढ़ा रही है।

अब हमने तय किया है कि जो टंकियां बन गई हैं, पाइप पड़ गये हैं, ट्यूबवेल भी बन गये हैं, अगर वहां पानी सप्लाई नहीं हो रहा है तो हम हाउस में घोषणा करते हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ

कार्यवाही करेंगे और कोई उनकी सिफारिश नहीं करेगा, मैं उन्हें दंडित करूंगा। जब भारत में कोई प्रधानमंत्री जेल जा सकता हैं तो उन अधिकारियों की हैसियत क्या हैं, जो भ्रष्टाचार में डूबे होंगे, उन्हें भी जेल काटनी होगी, लेकिन यह सब होने के लिए एक सहमति चाहिए इन बातों पर। हम सब मिलकर इस कार्य को करना चाहेंगे, तभी यह कार्य हो सकता है। तब यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य का यह सदन क्या निर्णय नहीं कर सकता है। हम दक्षिण के राज्यों को देखेले हैं, वहां सरकार, विरोधी दल के नेता, मुख्यमंत्री के साथ किसी भी निर्णय पर डेरा डाल देते हैं और अपना काम पूरा करा लेते हैं। यह चीज अभी हम उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाये हैं। मैं आह्वान करता हूँ, माननीय नेता विरोधी दल का और सभी दलीय नेताओं का, कि इस बारे में हम आप बैठें। मैं पिछले कई बार से देख रहा हूँ कि सदन आहूत करने के पहले एक परम्परा है, सभी दल के नेताओं की बैठक बुलाने की, उसमें कई लोग नहीं आ रहे है।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि नेता विरोधी दल और नेता सदन, हम सब लोग मिलकर प्रदेश की बेहतर खुशहाली की ओर ले जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में हम यह कहना चाहेंगे कि सत्ता पक्ष के चाहे मिनिस्टर हों और चाहे मुख्यमंत्री हों, कभी भी कोई परामर्श लेने के लिए, किसी भी विरोधी दल के विधायक को नहीं बुलाया और मुझे तो कभी कहा ही नहीं है, यह सब कोरी-कोरी बातें हैं। केवल कहने की बातें हैं। मैं तो सुझाव दे रहा हूँ कि हाउस की सर्वदलीय कमेटी बना दी जाय, विकास के लिए, जो इसके लिए अपना कार्य करें और सुझाव दे।

श्री लाल जी टण्डन-

कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय दलीय नेताओं को बुलाते हैं। सदन बुलाने के पहले भी बैठक बुलाई जाती है, लेकिन कई बार से देख रहा हूँ कि कोई नहीं आ रहा है। यह न आने का कारण क्या है। हमारे बीच में कहीं न कहीं विमति उभर आई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ही रथ के पहिये हैं। और हमें कहीं न कहीं सहमति बनाकर कुछ राज्य के लिए करना होगा। मान्यवर, अभी मुरादाबाद की बात आयी, मैं वहां के लिए इतना कुछ करने जा रहा हूँ कि वहां पर एक इण्डस्ट्रीयल एरिया नया बन रहा है।

श्री धनीराम वर्मा-

अभी आपने कहा कि कई वर्षो से मुख्यमंत्री जी विभिन्न दल के नेताओं को बुला लेते हैं लेकिन जब सदन चलने वाला होता हैं, सदन की कार्यवाही चले केवल इसलिए, किसी भी विकास कार्य का एजेण्डा किसी माननीय विपक्ष के नेता के पास भेजा हो कि फलां-फलां कार्य के लिए हमें सहमति चाहिए, कोई भी बता दे। मुख्यमंत्री जी या मंत्री कोई भी बता दे। यह कहने की बात है।

श्री लालजी टण्डन-

मैं आमंत्रित करता हूँ आपको कि एक ऐसा वातावरण शुरू हो। मान्यवर, मुरादाबाद के बारे में माननीय सदस्य कह रहे थे। मुरादाबाद को हम एक एक्सपोर्ट करने वाली नगरी की तरह विकसित करना चाहते है लेकिन अफसोस है कि कई बार समीक्षा करने के बाद भी मेयर साहब की कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दी। हमने अतिरिक्त संसाधन दिलाने के लिए एक योजना बनायी है कि जो प्रस्ताव पास करके भेज देंगे, सारे महानगरों का बनवा रहे हैं, एक प्लान, डेवलपमेंट प्लान, हर जगह टास्कफोर्स बना दी है और यहां पर सचिवालय स्तर पर जो नगर विकास से जुड़े हुए जितने विभाग हैं उनके विभागाध्यक्ष मिलकर बैठेंगे और मिल करके योजना बनायेंगे। और जिले के स्तर पर भी व्यवस्था लागू होगी और सारे जो प्रोग्राम हैं जो लखनऊ में हो रहे है, वह सब जगह हो रहा है महानगरों के बारे में, कानपुर जाकर देखें आपको बदला हुआ दिखेगा। कुछ क्षेत्रों की बात अलग है। बालचन्द्र मिश्र जी के क्षेत्र की समस्या अलग है। वहां इतना बड़ा अवैध कब्जा है, अविकसित कालोनी बसी है यदि बुल्डोज किया जाये तो हजारो लोग बेघर हो जायेंगे इसलिए हम उनको नियमित करेंगे। सहकारी संघ की बात आपने कही है, जो हाउसिंग बोर्ड में

सहकारिता सेल का देखने वाले लोग थे, जो सोसाइटी के नाम पर जो चलायी जा रही है उन्होंने शहरी विकास को एकदम चौपट किया है। सहकारी समिति बनाने से हम रोक नहीं सकते लेकिन हम व्यवस्था बना रहे हैं। जो बिन्दु आये थे मैंने उनका जहां तक सम्भव हुआ, मैंने कोशिश की है। आपके लिए एक खुशहाली बताना चाहता हूँ, आश्वासन न समझें क्योंकि मेरा विभाग नहीं है, बरेली और मुरादाबाद इन दोनों को हवाई मार्ग से जोड़ दिया जायेगा और प्रयास हो रहा है एक शहर के विकास के लिए केवल सड़क और नाली ही नहीं है शहर के विकास का मतलब औद्योगिक विकास भी होता है, उसको समग्र दृष्टि से देखते हुए हम विकास की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अवस्थी जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी-

नहीं।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

यह प्रश्न है कि अनुदान संख्या-2-आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,51,60,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री रामबाबू यादव-

अधिष्ठाता महोदय, हमारे मैनपुरी जनपद में करहल टाउन एरिया में एक टंकी जल निगम की बनी हुई थी और दूसरी टंकी 2 साल से बनी खड़ी हुई है। दोनों टंकियां बंद है और वहां पर पानी का इंतजाम नहीं है। वहां पर पानी की व्यवस्था कब तक करवा देंगे।

श्री लालजी टण्डन-

मुझे एक हफ्ते का समय दें, मैं इसकी समीक्षा करवा कर जल्दी से जल्दी व्यवस्था करवा दूँगा।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में कहा था और मैंने भी अनुरोध किया था कि हरिद्वार मेले के लिए कुछ अतिरिक्त संसाधन देने की कृपा करें इसके बारे में मंत्री जी बता दें।

(माननीय मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,60,07,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,93,49,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी इसमें सहमति बन चुकी है कि इस बजट पर संक्षिप्त चर्चा होगी तो कृपा करके बहुत संक्षेप में बात रख दें।

श्री पटेल रामकुमार वर्मा-

मान्यवर, सहकारिता विभाग का उद्भव वर्ष 1904 में ग्रामीण अंचलों में ऋण वितरण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में प्रारम्भ हुआ था जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीब किसानों को महाजनों के चंगुल से छुटकारा दिलाते हुए उन्हें सहकारी समितियों के रूप में संगठित करके उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास कराना था।

मान्यवर, सहकारी समितियों को विधिक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1904 एवं 1912 में सहकारी समिति अधिनियम बने। वर्तमान में सभी प्रकार की सहकारी समितियों का नियंत्रक अधिनियम उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 है।

सहकारी समितियों का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक होने के कारण निबन्धक, सहकारी समितियों के अधिकार 9 विभाग यथा-गन्ना, उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, आवास, दुग्ध, हथकरघा, मत्स्य, रेशम एवं उद्यान विभाग के विभागाध्यक्ष को प्रदान किये गये ताकि वह उन पर नियंत्रण प्राप्त करें।

उत्तर प्रदेश में सहकारिता के अन्दर जन सहभागिता को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश में जो त्रिस्तरीय सहकारी समितियां है प्राथमिक समितियां, केन्द्रीय समितियां, राज्य स्तरीय समितियां एवं शीषर्थ समितियां, उनके अन्दर लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए उनकी प्रबन्ध समितियों का निर्वाचन सम्पन्न करा दिया गया है शेष समितियों में चुनाव कराने के लिए 30 जून, 2000 तक का समय निर्धारित किया गया है। अधिनियम की धारा 29 में संशोधन के बाद सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल 3 वर्ष हो गया है। लगभग 16000 निर्वाचन योग्य सहकारी समितियों में से लगभग 15000 समितियों में चुनाव सम्पन्न हो गये हैं। सभी 10 शीर्ष संस्थाओं के चुनाव पूर्ण करा लिये गये हैं। 60 जिला सहकारी बैंकों में 59 के चुनाव हो गये हैं। डी0सी0बी0 बदायूँ का चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम ओदश द्वारा स्थगित कर दिया गया है। निर्वाचन योग्य 54 उपभोक्ता भण्डार है जिनमें से 53 के चुनाव पूर्ण करा लिये गये हैं ललितपुर में कोई नामांकन न होने के कारण चुनाव रोका गया है। सहकारिता का उद्देश्य है ग्रामीण अंचल में किसानों को सहायता देना। विगत और वर्तमान वर्ष में इसी प्रकार की परिकल्पना है। न्याय पंचायत स्तर पर गठित 8,384 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों एवं 60 जिला सहकारी बैंकों की 1483 शाखाओं द्वारा वर्ष 1999-2000 (1.4.99 से 31.3.2000) तक में

45.05 लाख कृषकों को रु0 1141.02 करोड़ का अल्पकालिक फसली ऋण का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनता की आय में वृद्धि हेतु इस वर्ष रु0 4.75 करोड़ का मध्यकालीन ऋण भी उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2000-2001 में रु0 1185 करोड़ का अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि सदस्यों के लिए "किसान क्रेडिट कार्ड योजना" 1.12.99 से लागू की जा चुकी है जिसके अन्तर्गत कार्ड धारक स्वीकृत ऋण सीमा का परिचालन वर्ष में इच्छानुसार कभी भी कितनी बार भी कर सकता है। वस्तुत: यह योजना पासबुक के रूप में विभाग में वर्ष 88 से चल रही थी जिसे अब आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण अंचल में रहने वाले किसानों को मदद देने के लिए और उसमें बचत की भावना को बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से 1928 ऐसी समितियां हैं जिनमें मिनी बैंक की स्थापना की है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षिप्त कर लें।

श्री पटेल राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, यह बहुत की व्यापक विभाग है। आपकी आज्ञानुसार हम संक्षिप्त कर रहे हैं। कृषि निवेश का प्रमुख कार्यक्रम आज सहकारिता के माध्यम से हो रहा है। विभिन्न सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदेश में वितरित किये जाने वाले उर्वरक का 85 प्रतिशत से अधिक भाग सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरित किया जा रहा है जो प्रदेश के कुल उर्वरक वितरण का 29 प्रतिशत है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक द्वारा अपनी 321 शाखाओं के माध्यम से 580.11 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण वितरित किया गया है। वर्ष 2000-2001 में रु0 550 करोड़ का ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य है।

इस वर्ष सहकारी देयों की वसूली पर विशेष बल दिया जा रहा है,1.7.99 से 31.3.2000 तक 459.66 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण तथा 105.87 करोड़ दीर्घकालीन ऋण की वसूली की गयी। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गत वर्ष 10.03 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद के लख्य के सापेक्ष 6.22 लाख मै0 टन गेहूँ की खरीद की गयी है। इस वर्ष 10.75 लाख मीट्रिक टन गेहूँ क्रय का लख्य निर्धारित किया गया है और अभी तक 3.15 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई है। जड़ी बूटी योजना के अन्तर्गत हमारे पर्वतीय अंचल में काम हो रहा है। सहकारिता जगत ने इस क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। 17.25 लाख रुपये का इसमें भी लाभ अर्जित किया है। एकीकृत सहकारी योजना के अन्तर्गत कार्य को गति प्रदान की जा रही है। प्रदेश के 5 जनपदों वाराणसी, जौनपुर, रायबरेली, मथुरा, गोरखपुर में यह योजना चल रही है। बुलन्दशहर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, हरिद्वार में शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा। इस योजना के फलस्वरूप प्रदेश में निश्चित रूप से तमाम योजनाओं को लागू करने भण्डारण की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सहकारिता जगत में सहकारी बन्धु समितियों के माध्यम से लाभान्वित होते हैं। निश्चित रूप से सहकारी समितियों की स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तो सहकारिता जगत की परिकल्पना अधूरी रह जायेगी। इसको निश्चित रूप से सुदृढ़ करने पारदर्शी करने के कदम उठाये गये हैं। इसको गतिशील बनाने के लिए स्वच्छ प्रशासन लाने के लिए कठोर कार्यवाही भी की है। प्रमुख सहकारी समितियों के निरीक्षण पर बल दिया है निरीक्षण पर बल देते हुए ही अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही भी की है वर्ष 1999-2000 में 554 ऐसे शासकीय और संस्थागत अधिकारियों और

कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गयी है। 9 शासकीय 37 संस्थागत कर्मचारियों 223 सचिवों को निलम्बित किया गया है। 113 में से 99 ऐसे सचिव हैं जिनको सेवा में अलग किया गया है। इसी के साथ साथ 28 लोगों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की गई है। 144 को अन्य दंड दिये गये हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि समितियों को सुदृढ़ करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए जनप्रतिनिधियों को उसमें शामिल करने का प्रयास किया है। विगत वर्ष 16 हजार समितियों में 15 समितियों में चुनौतीपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराये। बैंलेश शीट समय पर बने जनता के सामने आय व्ययक की जानकारी रहे, समितियों की वार्षिक समीक्षात्मक बैठकें हो यह व्यवस्था की गई है। ताकि समितियों से लेकर शीर्ष सहकारी समितियों तक में समीक्षात्मक बैठकों की व्यवस्था की गई है। ताकि जनता के सामने सही तश्वीर आये। किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जा रही है। कृषकों को सभी सुविधायें मिल सकें इसकी व्यवस्था की जा रही है। सहकारिता विभाग में विशेष पुलिस अनुसंधान शाखा को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999-2000 में 356 मामलों की विवेचना पूर्ण की गई है, 113 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया 73 अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण किया है न्यायालय द्वारा 290 मामलों को निर्णीत किया गया है 156 अभियुक्त दंडित किये गये हैं। सहकारिता विभाग की जो उपलब्धियां है वह मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक ने कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जो मानक है कि किसी भी बैंक का खर्च 2 प्रतिशत से अधिक न हो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत वर्ष में जितने बैंक हैं इनमें इतना कम खर्च नहीं हुआ केवल 56 प्रतिशत खर्च हुआ। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक ने कृषकों की सेवा करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया है।

इसने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सारे प्रदेश के अन्दर जब निगमों की चर्चा होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि घाटे की स्थिति होगी। उत्तर प्रदेश भण्डारागार निगम जो सहकारिता विभाग की संस्था है उसने कीर्तिमान स्थापित किया है उसका स्थान बना हुआ है। हम सहकारिता के माध्यम से जनता की सेवा में जुटे हैं। कोआपरेटिव यूनियनों के माध्यम से हम लोग कार्यरत हैं जहां छोटी-छोटी संस्थाएं जो अब तक घाटे में थी मैं यह नहीं कहता कि किस किस के समय ऐसा रहा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सतत् प्रयास के बाद वह संस्थाएं लाभ की तरफ बढ़ी है। जब चर्चा होती है कि प्राथमिक संस्थाएं घाटे में है तो यह घाटे एक दो वर्ष का नहीं है विगत कई वर्षो की यह स्थिति है लेकिन हमारे सततप्रयास से वह लाभ की तरफ बढ़ी है। जब मैंने कार्यभार संभाला था तो उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में से 60 में से 35 घाटे में थे आज उनकी संख्या 25 रह गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आज लाभ की ओर बढ़े रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि हम सहकारिता जगत में आंदोलन खड़ा करके एक कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। जिससे सहकारी बन्धुओं के अन्दर एक भावना पैदा हो जिससे ग्रामवासियों को सुदृढ़ बनाया जा सके। किसानों की सहायता के लिए सहकारिता विभाग पूरी तरह से प्रयासरत हैं मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि इस बजट को जो कि गरीबों, किसानों का हितकारी बजट है सर्वसम्मति से पास करें।

श्री रामऔतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता मंत्री जी ने बड़े अच्छे भाषण को आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया और आंकड़ों के आधार पर अपने विचार रखे। आपने

कहा कि भण्डारण निगम फायदे में है तो यह स्थिति बहुत पहले से हैं। यहीं पर आपने यह नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन मृतप्राय होती चली जा रही है। इस संस्था के माध्यम से शिक्षा प्रशिक्षण होता है। इस संस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं निकल पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि पहले कोई रजिस्ट्रार हुआ करते थे उन्होंने सुपरवाइजर की भर्ती को डाइंग कैडर कर दिया था जिसके कारण सुपरवाइजरों की भर्ती नहीं हो पा रही थी, हालांकि विगत समय में कुछ सुपरवाइजर की भर्ती नहीं हो पा रही थी, हालांकि विगत समय में सुपरवाइजर की भर्ती हुई है। यह सबसे पुरानी शीर्ष संस्था उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन के लिए कोई ऐसा प्राविधान आप करते जिससे वहां के कर्मचारियों को विशेष सुविधायें मिलती शिक्षा प्रशिक्षण का वातावरण बनता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुछ अंश पी0सी0एफ0 संस्थायें दिया करती थी जो कि उन्होंने देना बन्द कर दिया है क्योंकि वहां यह संस्था मृतप्राय हो रही है। जरा इस ओर भी ध्यान दीजिये। जैसा कि मंत्री जी ने कहा सहकारिता जनआन्दोलन है। यह सही है इसका सरकारी करण नहीं होना चाहिए। सहकारिता का उद्देश्य जनकल्याण है, कोआपरेशन है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि सहकारीकरण के बजाय सरकारीकरण किया जा रहा है। जनता को लाभ देने के लिए यह विभाग बनाया गया था। मंत्री जी ने इस विभाग की पूर्व हिस्ट्री बता दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गाँव के गरीब किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो महिलायें हैं उनके लाभ के लिए, उनकी स्थिति कैसे ठीक हो इसलिए यह विभाग बनाया गया था। मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूँ जैसे कोई किसान खेत लेता हैं या और कोई चीज लेता हैं और अगर 10 हजार रुपये का ऋण लेता है और अगर वह ऋण नहीं दे पाता है तो आगामी वर्षों में उसका मूल धन से ज्यादा ऋण हो जाता है और 20 वर्ष तक नहीं दे पाया तो सारी सम्पत्ति कुर्क हो जाती है। तो जो ऋण आप देते हैं उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि उस किसान से उसके मूल धन से ज्यादा ब्याज न लिया जाय। एक महाजन व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी वहां चक्रवृद्धि ब्याज जाया करता था इसलिए उस किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाया करती थी। इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी और सहकारी आन्दोलन जो जनआंदोलन है, उसकी भावना किल हो जाती है इसलि वह जन आन्दोलन बना रहे आप कोई ऐसा प्राविधान करें जिससे यह महाजनी व्यवस्था समाप्त हो सके। आपने कुछ संस्थायें बनायी हैं जैसे भूमि विकास बैंक, पी0सी0एफ़0, भण्डारण निगम तथा पैक्सफेड और उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन। आपने जो यह कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका दी है इसके पृष्ठ वितरण हेतु क्रमशः 1185 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वहीं पेज तीन पर आप करते हैं कि वर्ष 2000-2001 में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से 118 करोड़ अल्पकालीन ऋण वितरित किये जाने की योजना है। एक ओर तो आप 1185 करोड़ की बात करते हैं और एक जगह पर 118 करोड़ की बात करते हैं। अभी वहीं पर विसंगति है। जब आप उत्तर भाषण दें तो इसे स्पष्ट कर दें। आपकी जो प्राथमिक समितियां हैं इनके माध्यम से कीटनाशक दवाईयां, बीज उपलब्ध कराना तथा खाद उपलब्ध कराना है।

विगत वर्ष आप खाद समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पाये थे। इसकी किल्लत हो गई थी। इसलि 50 परसेन्ट खाद आप अपनी समितियों से उपलब्ध करायें और 50 परसेन्ट ओपेन मार्केट में दे दें। ये

समितियां आपूर्ति करती भी हैं तो गलत तरीके से करती हैं जिससे किसान परेशान होता है। वे या तो इन कीटनाशक दवाइयों को गलत तरीके से पूँजीपतियों के यहां या फिर अन्य प्राइवेट एजेन्सियों को उपलब्ध करा देती हैं। यह सब आपकी असंतुलन नीति के कारण होता हैं, जिसके कारण किसान मारा-मारा फिरता रहता है इसलिए आप एक व्यवस्था सुदृढ़ करें।

भूमि विकास बैंक से जो ऋण दिया जाता हैं, कुछ काश्तकार डीजल इंजन लेते हैं, व्यावहारिक रूप से आपके विभाग में इतना गलत काम होता है कि फर्जी फोटो लग जाती है, फर्जी दस्तखत हो जाते हैं और जो डीलर होते हैं और आपकी इन संस्थाओं के जो सचिव होते हैं। मान्यवर, जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं सांठ गांठ करतें रहते हैं और किसान को पता नहीं चलता कब उसके नाम से इंजन निकाल लिया गया मैं चाहता हूँ कि इसमें भी आप एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि जो फर्जी कार्यवाही होती है, किसान का दोहन शोषण है उस पर भी रोक लग सके। इसी तरह से करेप्शन का मामला है, मैं ज्यादा नहीं करना चाहता, उन अधिकारियों के नाम नहीं लेना चाहता न व्यक्तिगत आक्षेप लगाना चाहता हूँ। आपके विभाग में जिन अधिकारियों ने करेप्शन किया, जिनका करेक्टर रोल गलत है, जो सरासर बेईमानी में लिप्त रहे उनको आपने अच्छी-अच्छी जगह पोस्ट कर दिया जो ईमानदार रहे, कर्तव्यनिष्ठ रहे उनको सही जगह पर पदस्थ नहीं किया। मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहूँगा। समय भी कम है। इसी तरह से ब्याज की बात . . .

श्री अधिष्ठाता-

शाक्य जी संविदा का उल्लंघन है। कुछ बात हुई थी। इतना समय न लीजिये।

श्री रामऔतार शाक्य-

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूँगा कि ब्याज के बारे में भी सुनिश्चित कर लें। आपने जनआन्दोलन और इतिहास बहुत लम्बा बताया। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अगर आपका सहकारिता आन्दोलन और सहकारिता विभाग बहुत स्वच्छ तरीके से काम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के जो किसान है, जो वहां की सहकारिता आन्दोलन है वह इतना अच्छा है। आप एक टीम वहां भेजें जो अध्ययन करें कि वहां का जो सहकारिता आन्दोलन है किसान उसमें इतना खुश क्यों है, क्यों वह आन्दोलन से जुड़ा है, वहां भ्रष्टाचार की समस्या क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की समस्या ज्यादा है। यहां की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जितनी वहां की हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था के तौर पर, प्रबन्धन के तौर पर उनका उदाहरण लेकर बहुत ही इफैक्टिव और ठोस तरीके से काम करें। एक शासनादेश जारी करें जिससे यहां की स्थिति भी ठीक हो सकेगी। ब्याज की बात कही है आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ब्याज की दर घटा दें क्योंकि सहकारिता जो . . . .

श्री अधिष्ठाता-

शाक्य जी अब समाप्त करें। आपको बोलते हुए लगभग 20 मिनट से ज्यादा हो गया है।

श्री रामऔतार शाक्य-

मान्यवर, बस एक मिनट। यह जो सहकारिता आन्दोलन है आपका, संस्थाएं हैं केवल लाभ के लिए नहीं किसानों के हित के लिए हैं। आपकी जो क्रय विक्रय समितियां हैं किसानों की उपज को खरीदती हैं। यह बैलेंस आपको बनाना होगा कि किसान की जो उपज है उसको इस हिसाब से खरीदा जाय कि किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिले। यदि किसान को उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है तो आपके इस विभाग का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जैसा भूमिका में भी कहा है और इसका इतिहास भी यह है कि जनआन्दोलन के तौर पर किसानों के हित के लिये यह बनाया गया है। किसानों का हित नहीं होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई बात नहीं इस पर बहुत रुपया खर्च होता है तनख्वाह में बहुत रुपया जाता है, प्रशासन पर भी खर्च होता है। आपने आंकड़े भी दिये हैं मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता हूँ इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि इसमें गुणात्मक सुधार करें उनके अधिकारों और कर्तव्यों में समन्वय हो जायं।

अधिकारी अपने कर्तव्यों की अवहेलना करके गांव में रहने वाले गरीब, किसान मजदूरों को लाभ नहीं दे पाते हैं कटौती अपने स्तर पर हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी जवाब देना चाहें तो कुछ शब्दों में दे दें।

डा0 कौशल किशोर-

आपने कहा कि सहकारिता के चुनाव करा दिये। गन्ना का भी कराने का कष्ट करें।

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा और डा0 कौशल जी ने भी कहा है चुनाव कराने की बात। यह सरकार प्रतिबद्ध है समितियों के चुनाव करा दें। सहकारी क्षेत्र में गन्ना क्षेत्र की समितियां हैं उसमें चुनाव हों। सहकारिता जगत में रूचि रखने वाले लोग नहीं होंगे तो व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होगी। प्रशिक्षण के बारे में भी चिन्तित है, मैं भी निश्चित रूप से इनकी चिन्ता से अपने को सम्बद्ध करता हूँ प्रशिक्षण की व्यवस्था अपना महत्व रखती है जिस चुस्त-दुरुस्तता से कार्य होना चाहिए वह नहीं हुआ है इसको हम स्वीकार करते हैं और आपका सहयोग चाहते हैं ताकि भविष्य में चुस्त-दुरुस्त कर सके। लाभ की बात चली कि पहले से लाभ में था, हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं लेकिन भंडारागार निगम में जो पहले लाखों का मुनाफा था इस सरकार के आने के बाद से करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। मान्यवर, 1997-98 में 224 लाख 68 हजार का मुनाफा हुआ 1998-99 में 886.93 लाख का मुनाफा हुआ, 1999-2000 में 1062 लाख का मुनाफा हुआ, तीनों वर्षो का मुनाफा जोड़कर, 21.73 करोड़ का लाभ हुआ है। तीन वर्ष में इतना लाभ हुआ है यह संगठन और मजबूत बने इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक का मुनाफा 1995-96 में 8.57 करोड़ था 1996-97 में यह मुनाफा 10.47 करोड़ हो गया और 1997-98 में 11.49 करोड़ हो गया 1998-99 में 12.57 करोड़ हो गया। यह 12.57 करोड़ से भी आगे मुनाफा जायेगा।

सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के बारे में कहा गया है लाभ की स्थिति में आगे है, व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हम प्रयासरत हैं। आपने उत्तर सुझाव दिए हैं मैं आदर करता हूँ। डीलर्स को बीच से हटाया जा रहा है इस ओर भी हम प्रयासरत हैं। किसानों को चेक देने की बात कही, किसानों को सुविधा देने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और उसको पूरा करेंगे। एक बात ब्याज की दर के बारे में कही गई वर्तमान में नाबार्ड ने डेढ़ प्रतिशत ब्याज को बढ़ाया है किसानों का बोझ कम करने के लिए हमने यह किया है कि जो बढ़ोत्तरी की गई है उसमें आधा प्रतिशत वह देंगे और एक प्रतिशत का बोझ सहकारी समितियां जो हैं वह उठाएंगी नाबार्ड ने डेढ़ प्रतिशत ब्याज लगाया है वह आधा प्रतिशत दे रहे है। गुजरात महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रबन्धन को ठीक करने के लिए सहकारी समितियों को ठीक करने के लिए हम प्रयासरत है। सदन के तमाम विद्वान सदस्यं हैं। यह व्यक्तिगत रूप से मिलकर सुझाव देते रहे हैं। सहकारिता विभाग कुछ कर सके प्रभावी भूमिका अदा कर सके इसके लिए हम प्रयासरत है। मैं निवेदन करूँगा कि शाक्य जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, राष्ट्रीयकृत बैंक में ब्याज की दर कम की गई है तो आपको उससे सबक लेकर किसानों के हित में ब्याज की दर एक प्रतिशत कर देनी चाहिए, तो आपका बड़ा उपकार होगा। आपका विभाग सीधा किसानों से जुड़ा विभाग है किसानों से जुड़ा होने की वजह से एक प्रतिशत कम करेंगे, किसानों के हित में कम करेंगे इसकी घोषणा आप कर दे कि एक प्रतिशत आप कर देंगे।

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

आदरणीय सदस्य ने जैसी अपेक्षा की है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि विगत वर्ष में एक प्रतिशत ब्याज हमने कर दिया था। नाबार्ड ने डेढ़ प्रतिशत बढ़ा दिया है फिर भी सहूलियत देने के लिए एक प्रतिशत सहकारी बैंकों से दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय शाक्य जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, जो समितियां डेड पड़ी है वह कैसे पुनजीर्वित हो। उन समितियों के क्षेत्राधिकार में आने वाला किसान कैसे लाभान्वित हो इसके बारे में माननीय मंत्रीजी ने कुछ नहीं कहा है। दूसरा जो कोल्ड स्टोरेज हैं वह सहकारिता विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं वह बन्द पड़े हैं. . . . . .

श्री अधिष्ठाता-

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, कैसे ले लें। यह कर नहीं रहे है. . . . .

श्री अधिष्ठाता-

इतना लम्बा उत्तर भाषण थोड़ा होता है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,93,49,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 15 मई, 2000 में, सदन के दिनांक 16 मई, 2000 के उपवेशन के लिए पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम के अतिरिक्त निम्नलिखित मदें भी सम्मिलित किये जाने की संस्तुति की है:-

1-निधन के निदेश अर्थात् निधन की सूचना।

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 2000 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा विषयक सूचना जो कि माननीय अधिष्ठाता द्वारा दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो कार्य मंत्रणा सम्बन्धी विषयक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज) अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) तथा अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग मुद्रण एवं लेखन सामग्री

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 7,16,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,77,82,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 27,60,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, राज्य की वर्तमान सरकार ने उ0प्र0 को, उद्योग प्रदेश के रूप में प्रतिष्ठापित करने का निर्णय लिया है। सरकार का यह विश्वास है कि प्रदेश के त्वरित एवं दीर्घकालिक विकास हेतु उद्योगों की निर्णायक भूमिका है तथा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से हटकर हमें उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करना है। इससे न केवल गरीबी दूर होगी, बल्कि रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे।

मान्यवर, वर्तमान उदारीकृत आर्थिक परिवेश में जब उद्यमी एवं निवेशकर्ता अपना गंतव्य चुनने के लिए स्वतंत्र है, यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने राज्य में ऐसी परिस्थितियां एवं वातावरण सृजित करें, जो निवेशकों तथा उद्यमियों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इस परिप्रेक्ष्य में उद्योग विभाग की भूमि में मूलभूत परिवर्तन आया है। उद्योगों के नियंत्रण, सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन तथा कच्चे माल के आवंटन का कार्य अब समाप्त हो चुका है। वर्तमान परिवेश में, उसका कार्य प्रोत्साहनपरक तथा सुविधा उपलब्ध कराने का है। पूर्व में उद्योग विभाग के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों का भी संचालन किया जाता था, परन्तु संसाधनों के अभाव तथा इस मूलभूत वैचारिक दर्शन के कारण कि राज्य को व्यावसायिक गतिविधियों से विरत रहना चाहिए, अब यह प्रयास किया जा रहा है कि सार्वजनिक उपक्रम वाणिज्य तथा उद्योग के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले उद्यमियों द्वारा ही संचालित किये जायं। उद्योग विभाग की गतिविधियां अब इस बिन्दु पर केन्द्रित हैं कि, प्रदेश में उद्योगों के लिए सहयोगी एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण स्थापित हों, जिसमें निवेशक अपने उद्योग सरलता से स्थापित कर सकें तथा उनका संचालन भी हस्तक्षेपों से मुक्त होकर, सुगमतापूर्वक कर सकें। आज के आधुनिक परिवेश मे, राज्य सरकार की भूमि का एक रैग्यूलेटर की नहीं, बल्कि पैसिलीटेटर की है एवं हमारी सरकार, इसी दिशा में प्रयासरत है।

यह उल्लेखनीय है कि बदलती हुई भूमिका के कारण उद्योग विभाग की बजट पर निर्भरता सीमित है। फैसिलीटेशन तथा समस्या निराकरण के अधिकांश कार्य बजट के बगैर ही किये जाते हैं। अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने तथा वित्त-पोषण के कार्य सामान्यत: नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, पिकप तथा उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा अपने संसाधनों से ही किये जाते हैं।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यह तो नोएडा, ग्रेटर नोयडा की बात कर रहे जहां भारी उद्योग है और वह मद अभी आई नहीं है।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

वहां छोटे उद्योग भी है।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, आप अपना क्रम संख्या और अनुदान संख्या बतायें।

श्री पटेल राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, अनुदान संख्या-4, 7 और 8 है।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या 10-4, 10-5 और 10-6 है और अनुदान संख्या 4, 7 और 9 है। यह पूरी तरह से आप आश्वस्त हो लें। जो मंत्री जी कह रहे हैं वह एजेन्डा के अनुसार हैं।

अब आप कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री सीता राम निषाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मुख्य खनिज के रूप में लाइम स्टोन है।

श्री अधिष्ठाता-

जितना माननीय मंत्री जी ने संक्षेप में बात कही है आप उतना ही संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री सीता राम निषाद-

मान्यवर, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा है।

श्री अधिष्ठाता-

जिस समय नगर विकास और आवास का बजट था, उस समय माननीय बाबू रामजी आप भी थे उस समय आपने कहा था कि बाकी जितने बजट आयेंगे उस पर अधिक चर्चा नहीं होगी इसका मतलब माननीय सदस्य चर्चा में भाग नहीं लेंगे और वह बजट ऐसे ही पास किया जायेगा। माननीय मंत्री जी अपनी बात रख रहे थे, मैंने उनको मना किया है, मैंने मंत्री जी को कहा कि संक्षेप में रख दें और कटौती करने वाले सदस्य को भी कहा कि संक्षेप में रख दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मद संख्या-4, 5 और 6 पर अभी तो माननीय मंत्री जी विषय भी पूरा नहीं कर पाये थे, मद संख्या 4 के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, मंत्री जी भी अपना विषय रख दें, जब विषय नहीं रख पायेगें तो आलोचना किस बात की होगी।

श्री पटेल रामकुमार वर्मा-

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह तीनों मांगें भारी उद्योग से सम्बन्धित है। मान्यवर, उद्योग विभाग के अधिकांश कार्य, अपने आन्तरित संसाधनों के माध्यम से किये जाते है। इस विभाग की

केवल कुछ चुनी हुई योजनाओं हेतु ही बजट से धनराशि प्राप्त होती है। वर्ष 2000-2001 में बजट के कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं प्रदेश में खनिजों के विकास हेतु इस वर्ष के बजट में खनिज विकास निधि की स्थापना हेतु एक करोड़ रुपये मात्र का प्राविधान किया गया है। प्रदेश सरकार को खनिजो से रायल्टी के मद में वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लगभग 180 करोड़ मात्र की वार्षिक आय प्राप्त होती है। इसमें कोयले से प्राप्त होने वाली आय 108 करोड़ रुपये मात्र है। कोयले को छोड़कर शेष खनिजों से प्राप्त होने वाले रायल्टी का 5 प्रतिशत इस निधि में स्थानान्तरित किया जायेगा। इस धनराशि से निम्न कार्य किये जा सकेगें। अन्वेषण एवं परीक्षण के लिये आधुनिक उपकरणों/साज-सज्जा प्राप्त करने हेतु प्राविधान है।

इसी प्रकार उद्यमियों के उपयोग के लिये आकड़ों का कम्प्यूटरीकरण एवं सभावित प्रतिवेदनों को तैयार करने हेतु व्यवस्था की गई है। आधारभूत सुविधाओं का सृजन/सुदृढ़ीकरण एवं खनिज इस्टेटों का सृजन किया जायेगा। खनन क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं भूमि के पुर्नस्थापन हेतु कार्य किया जायेगा। मल्लाह समुदाय के लिये कल्याणकारी योजनायें चलाने हेतु कार्य किया जायेगा। उक्त निधि में संचित धन के उपयोग का अनुमोदन एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष औद्योगिक विकास आयुक्त तथा सदस्यगण, प्रमुख सचिव/सचिव वित्त, नियोजन, औद्योगिक विकास, प्रबन्ध निदेशक पिकअप, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम तथा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय होंगे। खुर्जा (बुलन्दशहर) एवं सथरिया जौनपुर में ग्रोथ सेण्टर को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि इन क्षेत्रों के औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सके ग्रोथ सेण्टर की योजना भारत सरकार अनुमोदित है तथा इसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा सीडा के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा खुर्जा-बुलन्दशहर, बिजौली झांसी, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, दिबियापुर-औरैया तथा सीडा द्वारा सथरिया-जौनपुर की योजनाएं संचालित की जा रही है। खुर्जा, बुलन्दशहर ग्रोथ सेण्टर हेतु रु0 45 लाख तथा सथरिया-जौनपुर हेतु रु0 1.75 करोड़ की व्यवस्था वर्तमान बजट में की गई है।

बजट में पिकअप तथा उ0प्र0 वित्तीय निगम को शासन द्वारा प्रदत्त क्रमशः रु0 33.53 करोड़ तथा रु0 41.25 करोड़ के ऋण को अंश पूजी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है, ताकि इन निगमों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके तथा यह विभिन्न स्त्रोतों से अतिरिक्त संसाधन जुटा सके। बजट में रु0 1 करोड़ की प्रारम्भिक धनराशि फिल्म विकास निधि के लिये रखी जा रही है। इस निधि का स्त्रोत, प्रत्येक सिनेमा टिकट पर लगने वाला 50 पैसे का अधिभार है। इस निधि के माध्यम से प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित किया जायगा, फिल्मों का वित्त-पोषण किया जायगा, क्षेत्रीय फिल्मों को अनुदान दिया जायेगा, फिल्म संस्कृति के विकास हेतु फिल्म सोसाईटीज को अनुदान, फिल्मोत्सवों का आयोजन तथा पुरस्कार दिया जायगा एवं भारतेन्दु नाट्य अकादमी की सुविधाओं को उच्चीकरण करके, उसे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट के रुप में विकसित किया जायगा। इस निधि का प्रबन्धन पिकप के माध्यम से किया जाएगा। फिल्मों के वित्त-पोषण का कार्य नेशनल फिल्म डेवलमेण्ट कार्पोरेशन के साथ संयुक्त रुप से किया जाएगा तथा रु0 10 लाख तक का अनुदान भोजपुरी, ब्रज अवधी, बुंदेलखण्डी, कुमाऊंनी तथा गढ़वाली भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को निर्माण के पश्चात् प्रोसेसिंग-प्रयोगशालाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये निजी क्षेत्र की सहभागिता प्राप्त करने के लिये रु0 100 करोड़ के रिवांल्विंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट फण्ड की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार का यह मत है कि शासकीय क्षेत्र में निवेश इस प्रकार से किया जांए, ताकि वह निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित

एवं प्रोत्साहित करे। विभिन्न प्रकार की अवस्थापना योजनाओं में शाससकीय सहभागिता के लिये इस फण्ड का प्रयोग किया जाएगा। भारी एवं मध्यम उद्योग हेतु अनुदान संख्या-7 में आयोजनागत् पक्ष में रु0 192.08 करोड़ तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 45.02 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अनुदान संख्या-4 में खाने एवं खनिज हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 9.55 करोड़ की तथा अनुदान संख्या-8 में मुद्रण एवं लेखन सामग्री हेतु आयोजनागत पक्ष में रु0 77.26 लाख तथा आयोजनेत्तर रु0 41.37 करोड़ की व्यवस्था की गई। कुछ अलग उद्योग हैं, जिनमें बी0आई0एफ0आर0 की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

मान्यवर, रुग्ण लघु उद्योगों के पुनर्वासन हेतु राज्य स्तरीय बी0आई0एफ0आर0 गठित करने के सम्बन्ध में, वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श प्रचलित है। उनके विचारों का समावेश करते हुए राज्य सरकार शीघ्र एक नई व्यवस्था स्थापित करेगी। नई दिल्ली के समीप तथा लखनऊ-कानपुर के बीच में स्पेशल इकोनांमिक जोन की स्थापना हेतु प्रयास किये जायेगे। भारत सरकार की नई निर्यात नीति के तहत कुछ क्षेत्रों को चीन के इकोनांमिक जोन के रुप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इन क्षेत्रों में 100 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश वाली कम्पनियों को आमंत्रित किया जाएगा तथा इनमें उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा। इन जोनों की स्थापना से, राज्य में विदेशी पूंजीनिवेश को अत्यधिक गति प्राप्त होगी एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिल्ली से 18 कि0मी0 दूर, गाजियाबाद जनपद में स्थापित ट्रांनिका सिटी में, अपैरल पार्क स्थापित कराने के प्रयास किये जायेगे। इस अपैरल पार्क में बने बनाए परिधानों की इकाइयां स्थापित की जाएगी [illegible] इसके लिये आवश्यक विशिष्ट अवस्थापना का विकास किया जाएगा। जापान के उद्यमियों को, [illegible] की ओर आकर्षित करने के लिये, उनसे निरन्तर संवाद स्थापित किया जाएगा एवं उनकी समस्याओं क सतत् निराकरण के लिये शीघ्र एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथारिटी में फूड-पार्क तथा टैक्सटाईल्ससिटी स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे। लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा देहरादून के साफ्ट वेयर टेक्नोलांजी पार्को का कार्य आरम्भ कराया जायेगा। मुरादाबाद, बरेली एवं झांसी में सांफ्टवेयर टेक्नोलांजी पार्क की स्थापना की जाएगी। इन तीनों पार्को के लिये रु0 25-25 लाख का प्राविधान बजट में किया जा रहा है। यह पार्क निजी सहभागिता से स्थापित किये जाएंगे। लखनऊ तथा आगरा में एक इन्फोटेक सिटी स्थापित करने हेतु प्रयास किये जाएंगे आगरा के लिये रु0 100 लाख का प्राविधान बजट में किया गया है। डेढ़ सौ राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने के प्रयास किये जायेंगे। अप्रवासी भारतीयों के निवेश को आकर्षित करने के लिये, मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक परिषद का गठन किया जायेगा। आगरा में एक्सपोर्ट प्रमोशन इण्डस्ट्रियल पार्क के कार्य को प्रारम्भ किया जायगा। फिल्म-निधि के माध्यम से न केवल फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन किया जाएगा, बल्कि लखनऊ में फिल्म एवं टेलिविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ इस वर्ष एक राष्ट्रीय स्तर का, फिल्म-महोत्सव आयोजित किया जाएगा। औरैया जनपद के गैस प्लाण्ट के समीपवर्ती इलाकों में प्लास्टिक तथा अन्य उद्योगों की स्थापना के गम्भीर प्रयास किये जाएंगे। जापान सरकार के माध्यम से लखनऊ में जापानी उद्योगों की एक औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजित करने के प्रयास किये जाएंगे। इस आशय का अनुरोध जापान के राजदूत से, उनके लखनऊ भ्रमण के दौरान किया गया है एवं उन्होंने इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।

मान्यवर, 1999-2000 का जो बजट है, उसकी उपलब्धियों को आपके सामने रखना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में रु0 5217 करोड़ के 274 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इनमें से रु0 5160 करोड़ के 264 इच्छा पत्र एवं रु0 57 करोड़ के 10 आशय-पत्र प्राप्त हुए हैं। संख्या की दृष्टि से अखिल भारत में उ0प्र0 की स्थिति चतुर्थ रही। जबकि निवेश की दृष्टि से, हमारी स्थिति छठवीं रही है। वर्ष 99-2000 में भारी एवं मध्यम उद्योगों में कुल रु0 1770 करोड़ का वास्तविक निवेश हुआ। वर्ष 99-2000 में प्राप्त 274 प्रस्तावों में से रु0 928 करोड़ के 68 प्रस्तावों का क्रियान्वयन पूर्ण हो गया है और रु0 573 करोड़ के 22 प्रस्ताव सक्रिय रुप से क्रियान्वयनाधीन हैं। इस वर्ष में रु0 25 करोड़ के ऊपर के 29 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 का क्रियान्वयन पूर्ण हो गया है। संख्या और निवेश, दोनों की दृष्टि से उ0प्र0 की स्थिति, भारत में तृतीय है। उत्तर प्रदेश के आगे केवल महाराष्ट्र और गुजरात है। प्रस्तावों के क्रियान्वयन की दृष्टि से भी उ0प्र0 की स्थिति सम्मानजनक है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण रखना है, उद्यमियों का लगाव उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े इसके लिए और प्रयास करने की जरुरत है और जैसा मैंने कहा कि मित्र भाव पैदाकर ऐसा किया जा रहा है और इसका प्रयास जारी है।

श्री सीताराम निषाद-

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांगा की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, खानें और खनिज का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है, उसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को देश में 10वां स्थान है और खानें और खनिज का जो उत्पादन होता है वह केवल 2.6 प्रतिशत है। मान्यवर, उत्पादन 2.6 से बढ़ाने के लिए यह जो बजट पेश किया गया है, उसमें कोई सरकार की तरफ से कोई कार्य योजना इसमें नहीं प्रस्तुत की गयी है। मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें इस सम्बन्ध में यह क्या करेंगे, उनकी कोई कार्य योजना नहीं है कि उत्तर प्रदेश के खानें और खनिज की खदानों से जो हीरे मिल सकते हैं, सोना मिल सकता है, इसके लिए वृहद अन्वेषण की आवश्यकता है। लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, और यदि सरकार इस सम्बन्ध में कदम उठाये और वृहद अन्वेषण किया जाए तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश चूना पत्थर, गिलका, कैलसाइट राक फास्फेट की मांग बराबर बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार की तरफ से बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके और बाहर निर्यात करके उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। इस सम्बन्ध में भी कोई कार्ययोजना नहीं है। मान्यवर, इमारती पत्थरों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस उद्योग को भी विकसित करने की आवश्यकता है। मान्यवर, सस्ते मकान बनें, इमारती सामग्री सस्ती लोगों को मिले, ऐसी इस प्रदेशवासियों के लिए कोई कार्य योजना नहीं है और उच्च श्रेणी के मकानों को बनाने के लिए सामग्री जो प्राप्त की जा सकती है इस सम्बन्ध में भी इनकी कोई योजना नहीं है। इन सब का कारण यह है कि यहां पर वैज्ञानिकों की कमी है, उत्तर प्रदेश में मान्यवर, मानव संसाधन के क्षेत्र में केवल वाराणसी विश्वविद्यालय में वहां पर खनन में उपाधि का कोर्स पढ़ाया जाता है लेकिन जो और विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, अलीगढ़ रुड़की नैनीताल इन विश्वविद्यालयों में मान्यवर, खनन का पाठ्यक्रम जो है वह उसमें शामिल नहीं है तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ।

(इस समय 7 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अम्बरीष कुमार पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश में जितने खान ओर खनिज के क्षेत्र है उसका दोहन करने के लिए यहां पर वैज्ञानिक पैदा करने की आवश्यकता है। यहां पर विश्वविद्यालयों में खान और खनिज के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम लागू करने की कृपा करें। इसके अलावा जो औद्योगिक संस्थान हैं, पालीटेक्निक हैं उनमें भी आवश्यकता है कि खान और खनन का पाठ्यक्रम जोड़ दिया जाय। इससे छात्र डिप्लोमा कोर्स करके निकलेंगे और खानों तथा खनिजों का विकास किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करुंगा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी पालीटेक्निक हैं उनमें खाने और खनिज नीति का बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बयान किया है। 1998 में उ0प्र0 सरकार ने जो खनिज नीति निर्धारित की हैं उसमें खान और खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया है।

मान्यवर, यह अच्छी बात है कि उद्योग का दर्जा दिया गया है लेकिन इस सम्बन्ध में काफी काम करने की आवश्यकता है यदि इसको बढ़ावा देना चाहते हैं तो जगह-जगह पर जितनी खदाने हैं उसकी जानकारी के लिए प्रदेश के लोगों को आमंत्रित किया जाय, जो निजी पूंजी वाले व्यक्ति है उनको प्रोत्साहित किया जाय और नौजवानों को प्रोत्साहित किया जाय तथा इस सम्बन्ध में डिवेट सेमीनार और प्रदर्शनियां आयोजित की जायं जिससे प्रदेश के लोग जान सके कि हमारे प्रदेश में कौन-कौन से खनिज है और खनिज इस्टेट की स्थापना की बात कही गयी है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने खनिज इस्टेट की स्थापना के लिए कहीं स्थान चिन्हित नहीं किया है। मैं अनुरोध करुंगा कि सरकार इस दिशा में ध्यान दे। मान्यवर, बालू और मौरंग के खनन को, इन्हीं दो चीजों को लोग खान और खनिज के अन्तर्गत जानते है। इस सम्बन्ध में लोगों की जानकारी और बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार ने जो उद्योग नीति स्थापित की है उसमें खाने और खनिज बाहुल्य के 12 जिलों को चिन्हित किया गया है लेकिन कोई कार्य योजना बनाकर लागू नहीं की गयी है। बालू और मौरंग के खनन के सम्बन्ध में भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जिले जैसे-मिर्जापुर, सोनभद्र, हमीरपुर, बांदा, कानपुर, फ़तेहपुर और तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर यह बहुतायत में पाया जाता है वहां पर सरकार की तरफ से जो व्यवस्था पहले थी उस व्यवस्था को उन्होंने बदल दिया है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इन्होंने अपनी खनिज नीति में यह कहा कि हम इसमें जो मल्लाह समुदाय के लोग हैं जो नदी के तल से मौरंग खनन का काम करते हैं और जिनका परम्परागत पुश्तैनी पेशा है उनके लिए कल्याणकारी योजना बनायेंगे और इसमें खनिज विकास निधि की स्थापना की बात कही गयी थी, लेकिन यह इतना बड़ा प्रदेश हैं और इस समुदाय के लोगों की जनसंख्या एक करोड़ है, खनिज विकास निधि में अभी बताया है कि एक करोड़ रुपया रखा गया है तो इस प्रकार से इन्होंने एक रुपये प्रति व्यक्ति खनिज विकास निधि में रखा है तो इसमें कौन सी सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याणकारी योजना बतायेंगे, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

वास्तव में वर्तमान सरकार की नीति ठीक नहीं है। प्रदेश की सरकार की गलत खनिज नीति के कारण बालू और मौरंग के खनन में जो मल्लाह और केवट समुदाय के लोग लगे हुये थे उनको बेरोजगार बना दिया है। आपने 1 करोड़ रुपया खनिज विकास के लिये दिया है। एक करोड़ रुपये से कुछ होने वाला नहीं है 50 करोड़ रुपया यदि इस खनिज विकास में रखा जायेगा तभी इससे योजनायें बनायी जा सकेगी। इसमें उन्होंने कहा कि परम्परागत रुप से बालू मौरंग के खनन कार्यो में लगे मल्लाह और केवट आदि के लिए ट्रेनिंग सेण्टर, स्कूल चिकित्सालय आदि कैसे चलाये जा सकेंगे जिनको खनिज विकास के मद से किया जाना है। आप एक करोड़ रुपये से कौन सा काम करेगें। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि खनिज विकास नीति थी उसे लागू किया है, बालू मौरंग के खनन के लिये पट्टा दिये जाने के बारे में एक शासनादेश है। उसका पालन नहीं किया जा रहा है। एक शासनादेश 12 जून, 1985 में हुआ था और उत्तर प्रदेश खनिज़ नियमावली का धारा-9 (3) में यह व्यवस्था की गयी थी कि बालू-मौरंग खनन की ओपेन नीलामी नहीं की जायेगी। नीलामी प्रथा को समाप्त करके जिनकी जीवन वृत्ति है उन्हीं लोगों को, पंजीकृत समितियों को

बिना नीलामी के पट्टा दिया जायेगा। 12 जून, 1985 को शासनादेश लागू किया गया था लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने इस शासनादेश को संशोधित कर दिया और उसने पूंजीपतियों और माफियाओं को बालू और मौरंग के खनन का अवसर दिया। 1994 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी तो उन्होंने फिर से पुनर्विचार करके एक शासनादेश जारी किया।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री सीताराम निषाद-

मान्यवर, 22 सितम्बर, 1994 को नया शासनादेश लागू किया गया। धारा 9 (1) क जिसमें जो सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक रुप से पिछड़े हैं, उस जिले के निवासी हैं, मल्लाह और केवट समुदाय के लोग है उन्हीं को पट्टा दिया जायेगा लेकिन यह सरकार की गलत नीति है कि उन लोगों को नहीं मिल रहा है। जो पट्टा मिल रहा है वह पूंजीपतियों माफियाओं को ही मिल रहा है। मेरा सुझाव है कि जो शासनादेश है उसका कड़ाई से पालन किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठें।

श्री सीताराम निषाद-

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि 30 एकड़ का प्लाट बनाकर व्यक्तिगत रुप से उसको दिया जाय और 500 एकड़ का प्लांट बनाकर मल्लाहों की सहकारी समितियों को दिया जायें और नीलामी न की जाये। जब ऐसा सम्भव न हो तभी नीलामी की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री सीताराम निषाद-

मान्यवर, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि बी0पी0 सिंह खान अधिकारी है जिनकी 1986 में मिर्जापुर में पोस्टिंग हुई थी। जब से सोनभद्र जिला बना है वह वर्ष 1989 से वहां है। आज तक उस अधिकारी के भ्रष्टाचार के द्वारा 55 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उत्तर प्रदेश सरकार को हुआ है। अगर सरकार चाहती है कि खान और खनिज से इस प्रदेश का विकास किया जाये तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं उनको दण्डित करना पड़ेगा। खनिज निदेशालय एवं खनिज निगम है यह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सभी विभाग का काम ठीक से चलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-07 की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांगों की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-08 की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जिस सरकार के बजट के अन्दर यह घोषणा की गई हो कि औद्योगिक विकास 12 फीसदी बढ़ेगा और उसका जब डिपार्टमेंट का बजट पेश किया जाए तो उसके अन्दर कुल डेढ़ दो मिनट के अन्दर अपनी बात खत्म की दी जाए यह अफसोस की बात है। केवल बड़े बड़े बैनर लगाकर होर्डिंग लगाकर इस प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश नहीं कहा जा सकता है। इससे अगर बनता तो नोयडा में बहुत दिन से यह होर्डिंग लगे हैं इसी तरह से लखनऊ में लगे हुए हैं। मैं बिजनेश इंडिया की दो लाइनों को पढ़ना चाहता हूँ इसका हिन्दी अनुवाद यह है कि पूरे प्रदेश में औद्योगिक कार्यक्रम रुक गया है क्योंकि न तो एडमिनिस्ट्रेटिव व राजनैतिक इच्छा शक्ति सरकार के अन्दर है कि यहां उद्योग लगना चाहिए। यह बिजनेश इंडिया की बात है जब इच्छा शक्ति न हो तो उद्योग लगेंगे कैसे। मुख्यमंत्री जी को पिछले हफ्ते सी0आई0आई0 जो उद्योग की सबसे बड़ी संस्था है वह उन्हें बुलाती है लेकिन मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं होता है इससे इंडिस्ट्रियल ग्रोथ क्या बढ़ेगी। बजट में कहा गया कि 12 फिसदी बढ़ेगी जबकि हिन्दुस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ एवरेज 6 प्रतिशत बैठ रहा है। हमने बजट में दावा किया है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ 12 प्रतिशत बढ़ाएगें। यह कैसे करेंगे जब कि आपके इस साल की विकास दर 3.4 प्रतिशत है इसे 12 प्रतिशत तक कैसे लायेगी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले साल भी बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि 12 प्रतिशत इण्डस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी जबकि 3.4 प्रतिशत रही। औद्योगिक विकास दर क्या है 1951 से 56 तक औद्योगिक विकास 2.3 प्रतिशत है उत्तर प्रदेश के अन्दर सेकेण्ड प्लान के अन्दर 1956 से 61 तक 1.7 प्रतिशत हुआ। तीसरे प्लान में 1.2 प्रतिशत हुआ। सबसे ज्यादा पांचवे प्लान में हुआ। आज की स्थिति यह है कि इस वक्त 4.2 पर अटका हुआ है पिछले साल से और इस साल घटके 3.5 हो गया। एवरेज निकाले तो औद्योगिक विकास 3.4 आयेगा। आप 12 प्रतिशत कैसे कर देंगे, कौन से तरीके से कर देंगे। कितने आदमी काम करेंगे, कितने एग्रीकल्चर में रहेंगे, कितने आदमी काम करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े दे दूं। उत्तर प्रदेश में जो जमीन खेती की है 82 फीसदी है जो लोग जिनकी जमीन है वे हैं 74 प्रतिशत लगें हुये हैं। इसका माने यह है कि जमीन पर आदमी का भार ज्यादा है। जहां तक उद्योग है 15 फीसदी उसके अंदर इम्पलायमेन्ट है 8 फीसदी होना यह चाहिए कि सब बराबर होना चाहिए था। विकास निधि बढ़ती है तो विकास कार्य बढ़ते हैं। जो उत्तर प्रदेश में क्रेडिट डिपोजिट है रेशियों बता दूं। आपके यहां पैसा जमा हुआ है 1986 में पूरे एवरेज का 47.11 प्रतिशत और 98 तक 28.6 प्रतिशत रह गया। यह चिन्ता का विषय है। इस औद्योगिक विकास के अंतर्गत कोई फैसला नहीं होने वाला है।

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

यह उद्योग का बजट है गन्ने का नहीं।

श्री कौकब हमीद-

आप कहे तो बैठ जायं आप बोल लीजिए। मान्यवर, जो लोनिंग होती है इंडस्ट्रियल बैंक की लोनिंग उसके आंकड़े बता देता हूँ। आई0डी0बी0आई0 ने 1303 करोड़ की लोनिंग करी और उसमें एवरेज आया 11.4 प्रतिशत का, आई0सी0आई0सी0आई0 में 770 करोड़ की और एवरेज आया 6.8 प्रतिशत, नाबार्ड ने 483 करोड़ की और एवरेज आया 13.7 प्रतिशत और रुरल कार्पोरेशन ने 60 करोड़ उसमें 7.4 है आप दावा करते हैं कि आप कर्नाटक, आन्ध्राप्रदेश, महाराष्ट्र के करीब-करीब हैं अरे किस तरह से हैं।

मान्यवर, अब मैं यू0पी0एफ0सी0, जो कि आपका लोनिंग इन्सटीट्यूशन है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब आपका यही इन्सटीट्यूशन घाटे मे चल रहा है तो उद्योगों का क्या हश्र होगा। 1996-97 के अन्तर्गत 2607 इण्डस्ट्रीज के 70785 लाख के प्रस्ताव आये थे और आपने 1490 इण्डस्ट्री जो 70 लाखके एवज में 42 लाख 314 रुपए का लोन दिया। आपके पास 560 उद्यमी लोन लेने आये, परन्तु आपने दिया क्या, यह आपको मालूम होगा। आपने 4 साल का बैकलोन पूरा किया। आपने जो आंकड़ दिये हैं, मैं उसी

के अनुसार कहा रहा हूँ। 1996-97 में यू0पी0एफ0सी0 को हानि हुई, 1426 लाख की, 1997-98 में 2470 लाख की, 1998-99 में 4790 लाख रुपए की। तो इस प्रकार जब संस्था ही हानि में होगी तो आप उद्योग लगायेंगे कैसे और 12 परसेन्ट उद्योग की दर को पूरा करेंगे। यह जरुरी नहीं है कि आप अपने बजट स्पीच में कह दें कि इतने उद्यमी आ रहे है और हम इतना विकास दर प्राप्त कर लेंगे, आप यह कहें कि अभी उत्तर प्रदेश में हम उद्योग लगाने की स्थिति में नहीं है या उसके लिये तैयार नहीं है। आपके यहाँ उद्यमी क्यों आये? यहाँ काननू-व्यवस्था ऐसी है नहीं। नोएडा आज आपका रेजीडेन्सियल कालोनी बन गया है। वहां उद्योग नहीं लग रहे हैं। आप कहते हैं कि हम कर्नाटक के पीछे आ गये है। एक लाख की आबादी में आपका एक आदमी के पीछे कितना पैसा लग रहा है, इसके भी आंकड़ मेरे पास हैं और कितने आदमी नौकरी पर लगे हैं। उत्तर प्रदेश तो यहीं पर रहेगा, जो इण्डस्ट्रीज यहां पर लगेगी, वह हमारी ही तो होगी। यह तो मैंने आपके फाइनेन्शियल इन्सम्ट्यूशन के आंकड़े आपको दिये। आप किस तरह से 12 परसेन्ट उद्योग के विकास की दर को करेंगे, यह मैं आपसे जरुर पूछना चाहूंगा।

मुझे कोई लम्बा चौड़ा बोलने का शौक नहीं है। उद्योग के बारे में थोड़े विचार रखना जरुरी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्रोनोसिटी खुद मंत्री जी आपके बराबर में बैठे हैं 20 बार उधर से गुजरें होंगे। वहां 1300 एकड़ जमीन है और एक भी उद्योग नहीं आया है। यह चिन्ता का विषय है कि नहीं। आपने लैदर टैक्नोलोजी पार्क जो सेक्टर-20 में कानपुर जाते समय पड़ता है बनाया था वह पता नहीं मौजूद है कि नहीं, यह भी चिन्ता का विषय है। टैक्सटाइल सिटी का आपने कानपुर में 500 एकड़ जमीन पर निर्माण किया और मान्यवर उस कानपुर शहर के अन्दर ऐलगेन मिल और जितनी टैक्सटाइल मिल ठप्प पड़ी है। जो पुरानी हैं वह नहीं चल रही हैं आप नई लगाकर क्या करेंगे। पिछले सत्र में एक घोषणा हुई थी उस समय माननीय मंत्री जी ने बड़े जोर से कहा था कि हम एन0आर0आई0 जो हिन्दुस्तान से बाहर रहते हैं उन्हें मनाने के लिये या उनसे पैसा लेने के लिये हम एक डायरेक्ट्रेट बनाने जा रहे है। आपने वह डायरेक्ट्रेट बनाया और अपने रेजिडेंशियल कमिश्नर रैंक का आदमी दिल्ली में बिठाया। जिसका काम था एन0आर0आई0 या दूसरे मूल्कों से बात करना कि वह हमारे यहां पैसा लगायें। मैं जानना चाहता हूँ कि कितना डालर 2 से 100 तक उस डायरेक्ट्रेट ने लाकर लगाया है। पूरा सदन यह जानना चाहता है। आखिर उस डायरेक्ट्रेट का क्या हुआ। आपने एक घोषणा और की थी वन डोर, वन विन्डो, 'वन रुम' वन अम्ब्रैला। वह सिस्टम कहां गया आपका वन विन्डों वाला। कोई उद्योग लगाने आपके यहां नहीं आ रहा। कोई उस खिड़की पर नहीं आ रहा है जो हाथ डालकर कहे कि हमको फार्म दे दे हम उद्योग लगाना चाहते हैं। आज उसको बिजली मिलेगी नहीं तो वह क्यों आयेगा। आज 132 कारखाने दिल्ली से हटाये गये। उत्तर प्रदेश जो कि वहां से 20 किमी0 दूर पर है कोई उद्योग नहीं आया। सब राजस्थान, हरियाणा चले गये क्योंकि आपके यहां न उन्हें बिजली मिलेगी न आप सुरक्षा दे पा रहे हैं। आपका यही कानून था और आज भी वही स्थिति है। अगर आपको उद्योग लगाने हैं तो ईमानदारी के साथ कहें कि विकास दर जो 5-4 है। उसको 12 प्रतिशत तक ले आयेंगे। जब आज पूरे हिन्दुस्तान में 12 प्रतिशत नहीं है तो आप कहां से ले आयेंगे।

श्री 'पटेल' राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ जैसा कि माननीय निषाद जी ने खनिज के बारे में बात रखी है। खनिज के बारे में चिन्ता स्वाभाविक है। यह सोचना सही है। यह पहली सरकार है जिसने खनिज नीति बनाई और खनिज विकास निधि की स्थापना पहली बार हुई। इसको हमने बजट में भी स्वीकार किया है और निवेदन भी किया कि वास्तव में कोयले से प्राप्त रायिल्टी को छोड़कर शेष जितने खनिज हैं उसमें प्राप्त रायल्टी का 5 प्रतिशत रोयिल्टी खनिज विकास निधि में जायेगा। खनिजों के विकास के लिये कोई नई

योजना बनी। उसके अन्वेषण और परीक्षण के लिये सोचा गया। आपने प्रशिक्षण की बात कही। जब तक प्रशिक्षण की बात नहीं होगी निश्चित रुप से व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पायेगी। उद्यमियों को विशेष रुप से प्रशिक्षित करने की बात आई है इसके लिये सरकार प्रयासरत् है। मल्लाह समुदाय के प्रति चिन्तित हैं।

कल्याणकारी योजनायें बनाने की बात आई है, जो समिति का निर्धारण हुआ है तो उच्च स्तर पर बैठकर इसको सुनिश्चित करायेंगे। खनिज के संबंध में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाएगी। खनिज अन्वेषण में कुछ व्यवस्था की है इसमें यह योजना है कि अब विस्तार से इसको देखा जाएगा, बजट में सारी चीजें अलग से दर्शायी गई है। कौकब साहब ने चिन्ता व्यक्त की वह स्वाभाविक है, निश्चित रुप से जिस तरह से तथ्यों को किनारे करने की कोशिश की है उसको समझना होगा। पूंजी निवेश की स्थिति है उसका यथार्थ समझना होगा, जो वस्तु-स्थिति है 91 से लेकर 4 हजार 144 के पूंजी निवेश के प्रस्ताव आए हैं उनके कार्यान्वयन की स्थिति है वह आपके सामने हैं प्रस्तावों के क्रियान्वयन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वह सम्मानजनक है इन प्रस्तावों में से 1 हजार 38 का क्रियान्वयन हो चुका है निश्चित रुप से जो चिन्ता है वित्तीय स्थिति क्या है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उद्यमी यू0पी0एफ0सी0 पर आधारित नहीं है वह बैंकों और मार्केटों की धनराशि खर्चा करके सीधे आपके बीच में आ रहे हैं।

श्री कौकब हमीद-

हमने आंकड़े दिए हैं।

श्री 'पटेल' रामकुमार वर्मा-

जो कार्यकलाप है उनको समझना पड़ेगा आप केवल झूठलाकर वातावरण खराब करने का प्रयास न करें इससे निराशा का वातावरण होता है, उद्यमी प्रदेश में आ रहे है आपने कहा कि मुख्य मंत्री जी नहीं गए माननीय मुख्य मंत्री जी सी0आई0आई0 की बैठक में भाग लेने गए थे, कलराज मिश्रा जी को उन्होंने भेजा था वह वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने प्रदेश की स्थिति वहां रखी। शायद आपकी जानकारी अधूरी थी, आपने जो झुठलाने का प्रयास किया इस कारण यथार्थता को सामने रखा है। कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की तरफ से चर्चा कम नहीं की गई, आप स्वयं नहीं चाहते थे कि इस विषय पर चर्चा हो आपने जल्दी के कारण ऐसा किया तो अब आप जल्दी में इस कटौती के प्रस्ताव को भी वापस ले लें।

श्री बाबूराम यादव-

दो-तीन सवाल पूछने हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो शासनादेश है वह यह है कि बालू खनन के पट्टे जो हैं वह नदियों के किनारे बसे मल्लाह जाति को मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका उद्योग विभाग सम्पन्न विभाग हैं उसके कर्मचारियो को पंचम वेतन आयोग के आधार पर वेतन नहीं मिल रहा है तो इसको सुनिश्चित करायें।

श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर, उद्योग नीति के तहत, प्रदेश समस्त मिलें जो हैं उसमें 16 चीनी मिलें बन्द हुई हैं।

श्री अधिष्ठाता-

चीनी उद्योग अलग है।

श्री अरविन्द गिरि-

उद्योग नीति के तहत ही सारी मिले हैं। उन मिलों को खरीदने के लिए कौन से उद्योगपति बाहर से आये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

इसके लिए अलग से विभाग है। वह इससे संबंधित नहीं है।

श्री सीताराम निषाद-

मान्यवर, मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 9 (क) और 53 (क) का अतिक्रमण हो रहा है और माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, लखनऊ, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हुए हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि इससे पूंजीपतियों और माफियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। निषाद कल्याण सभा उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन 22-4-2000 को दिया था। मैं प्रति माननीय मंत्री जी को पहूंचा दूंगा। इस पर कार्यवाही करें।

श्री 'पटेल' राम कुमार वर्मा-

आप दे दें। श्री बाबू राम जी ने जो बात रखी हैं, वह बिन्दु रखा है वह निश्चित रुप से समस्या है और हम इसका समाधान करेंगे।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, आपके रहते हुए इसमें बहस तो हो नहीं पा रही है और यह गम्भीर मामला है। करोड़ों लोगों की निगाह इसमें लगी हुई है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा0 अरविन्द जैन)-

मान्यवर, गम्भीर मामला है और उधर कोई नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

जब आप भी उधर जाओगे तो आप भी नहीं रहोगे।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

जब गंभीर मामला है तो जैन साहब को नहीं बोलना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम रोज पढ़ते हैं और देखा भी है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, भारी उद्योग की उत्तर प्रदेश में जितनी से तेजी से गिरावट हो रही है। जो बजट आज आप पस्तुत कर रहे है इस बजट में अगले आने वाले दो चार महीनों में कोई ऐसा उद्योग सरकार लगाने जा रही है, अगर जा रही है तो उसका नाम बता दीजिये। मेरी जानकारी के मुताबिक भारी उद्योग नहीं लग रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कौकब जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री 'पटेल' राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, मैने पहले ही उत्तर दे दिया है कि उद्यमियों को आकृष्ट करने के लिए वातावरण बना दिया है। और भारी संख्या में इसमें प्रस्ताव आ रहे है।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 04-उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,16,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,77,82,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 08-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 27,60,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 19,21,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

मान्यवर, आज खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का वर्ष 2000-2001 का बजट सदन में प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं संक्षेप में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा मुख्य रुप से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बेरोजगार व्यक्तियों को खादी ग्रामोद्योग की इकाइयां स्थापित कराकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है।

मान्यवर, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने की जो परिकल्पना की है हमारे विभाग का प्रयास है कि ग्रामीण औद्योगिकरण के माध्यम से उस दिशा में ठोस कदम उठाये जायं। मान्यवर, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक रुपया

सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह जो भी अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे, उसका हम अनुपालन करेंगे और चूंकि आप लोगों का मैं प्रिय हूं, इसलिये आप कटौती के नाम कटौती प्रस्ताव नहीं लायेंगे, मुझे आपसे ऐसी आशा है॥

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है और इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता से यह संबंधित है। आपके विभाग की दिलचस्पी का नतीजा सरकार में यह है कि मात्र 19 करोड़ का बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने आपको दिया है। जबकि माननीय मंत्री जी बड़ी दुहाई दे रहे थे कि इसके ऊपर कटौती न लाइये, साथ ही 7 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा भी कर रहे थे। कितना रुपया पड़ेगा एक आदमी पर, 400 रुपये से ज्यादा एक आदमी के हिस्से में नहीं आयेगा, इसमें आपको अपने खर्चे भी चलाने हैं। दफ्तर भी चलाना है॥ इतने कम बजट का मतलब यह है कि आप इस विभाग के साथ खिलवाड़ कर रहे है। आपको हम जानते हैं, आप भले आदमी हैं। आपको अच्छा विभाग देना चाहिये था, लेकिन शायद इस सरकार को भरोसा नहीं है कि आप इस बजट का ठीक प्रकार से उपयोग कर पायेंगे भी कि नहीं, इसलिये आपके बजट में कटौती कर दी है॥ मैं यह चाहता हूं कि इसका बजट और बढ़ाया जाय। आपने जो बुकलेट बांटी है, उसमें कहीं नहीं दिया है कि कितना रुपया आप अनुदान देंगे, कितने का ऋण देंगे? जो लोग आपके यहां प्रार्थना-पत्र लेकर आते हैं, जो आपके यहां रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनके समिति के रजिस्ट्रेशन कराने में कई जोड़ जूते-चप्पल घिस जाते हैं। बाद में वह इतना मायूस हो जाता है कि जो योजना वह लगाना चाहते हैं, वह योजना की बदल जाती है, वह सोचता है कि अब इसके लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। वह सोचता है कि यदि हम इतने दिनों में बैंक से 10,20,25 हजार मांगते तो मिल जाता। कहां तक वह इंतजार करें, कितने लोगों की जी-हजूरी करें, बड़ी मुश्किल से तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आपने 100 की सूची दे रखी है, उसमें भी उसका बैंक ही जाना है क्योंकि सब्सिडी आप दे नहीं रहे हैं। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि इस प्रदेश के जो नौजवान बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी संभव नहीं है और वह अपनी रोजी/रोटी का इन्तजाम खुद करें, तो उसके साथ मजाक नहीं होना चाहिये। आप जो इतने लोगों को नौकरी देने का दावा कर रहे हैं, यह उनके साथ मजाक हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि इसमें कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया जाय और इस पर चर्चा हो जाय। हम लोग आपस में बैठ लें, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से कोशिश करें कि इसका बजट बढ़ाया जाय अभी आपने सही मनन नहीं किया है, गंभीरता से विचार नहीं किया॥ विभाग की जरुरत के मुताबिक इस विभाग का बजट होना चाहिये। आज मुख्यमंत्री जी नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी ने बुलवा लिया है, [x x x x] यह बात मंत्री जी ने मुझसे बतायी थी कि [****] लिया गया है॥ आपका नाम मैं नहीं लेना चाहता था लेकिन ले लिया है।

श्री आचार्य भट्ट-

मान्यवर, यह कार्यवाही से हटा दिया जाय, यह अनावश्यक है।

नोट- [x x x x] यह अंश श्री अध्यक्षता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)-

जिसकी बुनियादी नहीं है वह बेबुनियाद बात कर रहे हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

बुनियाद इधर है, सरकार बेबुनियाद है। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि बजट बहुत जल्दी में बना है यह जनता को हताशा करने वाला है, यह खिलवाड़ है खादी ग्रामोद्योग के साथ और यह गांधी जी के सपनों को पूरा नहीं करता हैं इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग, (खादी एवं ग्रामोद्योग) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 05- उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,21,55,000 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय व्यय में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग(हथकरघा उद्योग)

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,01,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, अनादिकाल से कपड़ा उद्योग, वस्त्रों का काफी महत्व रहा है। आपके (श्री बुनियाद हुसैन अंसारी) मन में अगर बुनकरों के प्रति पीड़ा है तो आप अपना कटौती का प्रस्ताव न रखकर हमारे प्रस्ताव का समर्थन करें। मान्यवर, कृषि के बाद हथकरघा उद्योग में सबसे अधिक व्यक्ति लगे हैं और आज भी लगभग 7 लाख व्यक्ति हथकरघा से जुड़ हुये हैं और मात्र 2.30 लाख हथकरघे हैं। इसके बावजूद भी सकल वस्त्र उत्पादन का 10 प्रतिशत वस्त्र हथकरघा उद्योग उत्पादन करता है। जहां आज पूरी दुनियां में वैश्वीकरण की एक आंधी चली हुयी है वहीं सरकार इस विभाग द्वारा बुनकरों के समग्र विकास की कई योजनायें संचालित कर रही है। इनके हथकरघा बुनकरों के समग्र विकास के लिये प्रोजेक्ट पैकेज योजना हथकरघा बुनकरों के लिए सामूहिक बीमा योजना का प्राविधान किया गया है। माननीय अधिष्ठाता जी, हथकरघा प्रोजेक्ट पैकेज योजना में 135 समितियों को 16 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार के द्वारा और लगभग 11.45 करोड़ उ0प्र0 की सरकार के द्वारा सहायता दी जा चुकी है। सामूहिक बीमा में 10 से 75 वर्ष की आयु के लोगों का 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम दर के हिसाब से 13360 बुनकरों को आच्छादित किया गया है। महिला बुनकरों के लिये संचालित राज राजेश्वरी महिला बुनकर योजना के माध्यम से 6250 महिलाओं को आच्छादित किया गया है। बुनकरों के लिये सामाजिक सुरक्षा के लिये थ्रिफ्ट फण्ड योजना,

हेल्थ पैकेज, शक्तिपालित करघा योजना, बुनकर बहबूदी फण्ड आदि इन तमाम तरह की योजनाओं के द्वारा बुनकर उद्यमियों को जहां लाभ पहुँचाने का काम शासन के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद भी जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप बुनकरों को लाभान्वित नहीं किया जा रहा है। बुनियाद भाई ने जो बुनियाद रखा है। उसी को हम मजबूत कर रहे है। 4 करोड़ रुपया युपिका और हैण्डलूम कारपोरेशन पर बुनकरों का बकाया है। यदि इनके मन में पीड़ा है तो उन बुनकरों के बकाये के भुगतान के लिये कटौती प्रस्ताव को जरुर वापस लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अभी तो कटौती का प्रस्ताव रखा ही नहीं है।

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिये प्रत्येक जनपद स्तर पर बुनकर बंधु का गठन किया गया है जहां पर त्रैमासिक बैठकें होती है और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया है। वाराणसी इस उद्योग का एक बहुत बड़ा केन्द्र रहा है और इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है। वाराणसी में इस समय धागे के उत्पादन के लिए एन0एस0डी0सी0 के माध्यम से जो धागे की अनुपलब्धता थी उसे उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, अंग्रेजी समय में बर्मिघम पैलेस को सजाने का काम इस प्रदेश के बुनकरों ने किया है। लखनऊ के चिकन का काम विश्व विख्यात है। आज यहां के बुनकरों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। ऐसी स्थिति में रहते हुये भी हम सकल उत्पादन का 10 प्रतिशत कथकरघा से पैदा करते हैं। अगर 10 वर्गमीटर की आवश्यकता आम आदमी की मान ली जाये तो उत्तर प्रदेश में काफी कपड़े की खपत है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश कपड़े का सबसे बड़ा आयात करने वाला प्रदेश है, बाहर से कपड़ा मंगाकर ही अपने तन की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में विचारणीय संचालित की गयी है। हमारा दोनों पक्ष के सम्मानित जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि विद्या विकास परियोजना में सहयोग करे ताकि यहां के बुनकरों को रोजगार का अवसर मिले और जो बकाया भुगतान बाकी है उसका भुगतान करने का प्रयास किया जा सके। शासन स्तर पर हमारा एक विचारणीय बिन्दु है उसकी भी चर्चा यहां पर करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संरक्षण हमें प्राप्त है। उसके द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों/कर्मचारियों का सहयोग मिले। तो बुनकरों के लिए 300-350 करोड़ की राशि हम उपलब्ध कराने का आपसे विचार विमर्श करके व आपके सहयोग से यह कल्याणकारी योजना संचालित की जा सकेगी। सम्मानित बुनियाद भाई जो पहले भी इस विभाग को सम्मानित कर चुके हैं उनके द्वारा रखी गई बुनियाद जो कमजोर थी उसे मजबूत करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एवं बुनियाद जी से अनुरोध है कि वह कटौती प्रस्ताव के द्वारा हमें सहयोग प्रदान करें।

*श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

मान्यवर, यह प्रदेश और देश का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि इस देश की पहचान किसानों से है और किसानों में सबसे ज्यादा कुटीर उद्योग बुनकरों की है यह कुटीर उद्योग घरों में वर्षो से पल रहा है मैं ज्यादा बात न कहकर कुछ बिन्दुओं पर सुझाव देना चाहता हूँ। किसी शायर ने कहा था, तुम आसमाँ की बुलन्दियों से जल्दी लौट आना हमें जमीर के मसयाल पर बात करनी है। लेकिन यह तो शायर ने कल्पना की थी मुख्यमंत्री जी ने इसको सच करके दिखा दिया सच ऐसे कर दिया कि हमारे बड़े भाई

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिनका मैं सम्मान करता हूँ वह साइंस और टेक्नालाजी विभाग देख रह थे साइंस और टेक्नालाजी 21 वी सदी की ओर जा रहा है यह दुनियां को नई दिशा दे रहे थे उसमें से हटाकर इन्होंने हथकरघा विभाग के जमीन में गाड़कर गड्ढे में डालने का काम किया। यह विभाग करोड़ों लोगों से सम्बन्धित विभाग है। इसकी इतनी छोटी सी बजट पुस्तिका छपी है यह मजाक है बुनकरों के लिए आप क्या बजट दे रहे हैं। मैं साबित कर दूँगा कि यह उत्तर प्रदेश सरकार बुनकर विरोधी सरकार है, यह बुनकरों के साथ घोर दुश्मनी कर रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े सदन में देना चाहता हूँ। पूरे देश में 39 लाख हैण्डलूम हैं जिसमें से सबसे ज्यादा 5 लाख हैण्डलूम उत्तर प्रदेश में हैं इसी प्रकार पूरे देश में 13 लाख पावर लूम हैं जिसमें से पौने दो लाख उत्तर प्रदेश में हैं इस पुस्तिका में इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। फीगर्स नहीं है इस विभाग में कितने पावर लूम हैं मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो बतायेंगे कि कितने पावर लूम रजिस्ट्रेशन किये गये हैं। आबिद हुसैन कमीशन रिपोर्ट है यह पार्लियामेंट में पेश हुई थी थोड़े दिन पहले जिसने रिपोर्ट दिया है कि एक लाख हैण्डलूम पूरे देश में हथकरघा बन्द हो रहे हैं इसमें 5 लाख का रेशियों निकाल लें आप देख लें इस देश म प्रदेश मे जिसके हाथो में दस्तकारी भरी हुई है जिसमें हुनर है जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया अंग्रेजा ने उनकी उंगलियां इसलिए नहीं कटवा ली थी कि वे निकम्मे थे इसलिए कटवा ली थी क्योकि उनक हाथ म दस्तकारी थी। इंटरनेशनल मार्केट में उनका कारोबार पिछड़ा रहा था और आज बुनकर रोजी रोटी के लिए पत्थर तोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 प्रतिशत सहकारी समिति में हैं बुनकर और बाकी 90 प्रतिशत के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है यह किताब इसकी गवाह है। आज वे अपना काम अपने बलबूते पर करते हैं। टैक्सटाइल मण्डी मछली बाजार की तरह है जैसे मछली एक साइज की नहीं मिलती कभी मोटी कहीं पतली कोई लम्बी छोटी उसी तरह से जो रॉ मेटीरियल होता है जो कपास होता है जो सूत होता है उसके भाव दिन में तीन बार बदलते हैं। इन गरीब बुनकरों के पास कास्ट करने की कीमत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोआपरेटिव मिलें हैं चाहे संडीला में हो महमूदपुर में है, इटावा में हो, बन्द पड़ी है। प्रदेश की जनता को क्या पैगाम देरा चाहते हैं। यह जो रूग्ण मिले पड़ी हैं उनको चलाने के लिए सरकार क्या कर रही है। इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है। यदि है तो बता दें। आप स्वयं ही संवेदनशील नहीं है। पावरलूम और हैण्डलूम में कोई झगड़ा नहीं है। इस किताब में पावरलूम की कोई योजना नहीं है। पावरलूम को आप अलग क्यों कर रहे है। आप इन्हें दो श्रेणियों में बाटकर जुल्म कर रहे हैं। इनके पास दो कार्पोरेशन हैं एक निगम है और एक यूपिका। यह 1977 में कार्पोरेशन बना था उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम। यह इसलिए बनाया गया था कि रामसहाय कमीशन की रिपोर्ट थी कि बुनकरों का माल खरीदकर शोरूम में रखकर बेचा जाय। सरकार ने एक जनता धोती योजना शुरू की इसमें 650 करोड़ की सहायता दी गई। वहां के एम0डी0 और अन्य उच्च अधिकारी वह पूरा का पूरा 650 करोड़ रुपया खा गये। पूरा भ्रष्टाचार किया गया। जांच हुई लेकिन आज तक कोई दोषी पाया भी गया तो कार्यवाही नहीं की गई। हथकरघा निगम मरणासन्न अवस्था में है। मंत्री जी एक-एक खून की बूंद बहा दें तो भी उसकी हालत ठीक नहीं हो सकती। इसलिए कि सरकार के पास धन देने के लिए नहीं है। 1987 में यह तय किया गया था कि बिना स्वीकृति के किसी को भी नौकरी नहीं दी जायेगी परन्तु वहां पर जो आई0ए0एस0 आफिसर बैठे उन्होंने 427 लोगों की भर्ती कर दी, जिसके कारण कार्पोरेशन पर व्यय भार बढ़ा और उसने दम तोड़ दिया। मैं नाम लेकर बताना चाहता हूं एक परियोजना अधिकारी थे रिजवी साहेब, उन्होंने 1 करोड़ 25 लाख रुपये का गबन कर दिया, क्या आप में हिम्मत है इस पैसे की रिकवरी के लिए। 500 रुपये, 1000 रुपये तथा 2 हजार रुपये जिनके ऊपर है, उन्हें आप जेल में बन्द कर रहे हैं। करोड़ों रुपये का गबन है और रिपोर्ट भी है, उसे आप नहीं पकड़ रहे है, उन्हें आप जेल में बन्द कर रहे हैं। करोड़ों रुपये का गबन है और रिपोर्ट भी है, उसे आप नहीं पकड़ रहे हैं। बाम्बे के शो-रूम के जो रिजनल मैनेजर थे श्री सीम साहेब, उन्होंने एक करोड़ रुपये का गबन किया, पत्रावली में वह है, आप में हिम्मत है तो आप इसकी रिकवरी कीजिये। इसके बावजूद भी आप कहते है कि हमारे पास धन नहीं है। जिस कार्पोरेशन को बहबूदी के लिए

बनाया गया था, उसी ने बर्बाद कर दिया। बंगलोर शो-रूम की जांच होती है और 80 लाख रुपये का माल शार्ट पाया जाता है। आपने इसमें क्या कार्यवाही की। एक सी0एम0एम0 थे गोपाला कृष्णनन तथा सीनियर मार्केटिंग आफिसर थे मल्होत्रा साहेब, करोड़ों रुपये लोग खा गये, आडिट रिपोर्ट आयी, माल पहुंचा नहीं। आज भी वह अधिकारी ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं।

आप कितने ही रुपये दे दीजिये, उसे भी वह खा जायेंगे। ऐसे में बुनकर ही तबाही नहीं होगी तो क्या होगी। जो यह करोड़ रुपये का घाटा हुआ, इसकी मंत्री जी जॉच करवा लें। एक सुनन्दा प्रसाद आई0ए0एस0 आफिसर थी, बिजीलेन्स की जॉच बैठा ली गई थी, 7 करोड़ रुपये की गबन की रिपोर्ट हैं, आज भी वह बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। भारत सरकार के ऊपर यू0पी0 हैण्डलूम का सब्सिडी के रूप में 18 करोड़ रुपये बकाया है, चूंकि वहां भी बी0जे0पी0 की सरकार है और प्रदेश में भी बी0जे0पी0 की सरकार है, इस वक्त आप उस 18 करोड़ रुपये को ले लीजिये। यदि इस वक्त वह 18 करोड़ रुपये आ जाय तो जिस तरह मरीज को ग्लूकोज मिलता है वह खड़ा हो जाता उसी तरह पैसा मिल जायेगा और कार्पोरेशन खड़ा हो जायेगा, इसलिये मैं कह रहा हूं। मान्यवर, मैं मांग करना चाहता हूँ कि वाकई में अगर बुनकरों का भला सरकार चाहती है। 1973 में एक कमीशन 'राम सहाय कमीशन' बना था उसने घर घर जाकर बुनकरों का जायजा लिया था कि कैसे जिन्दगी ये गुजारते हैं और कैसे जीवित रहते हैं। यह कमीशन 1973 में बना था आज इतने वर्ष हो गये है एक नया कमीशन उत्तर प्रदेश में बने जो सिर्फ इनकी स्थिति का जायजा ले कि कैसे अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं, क्या हुनर है। इनके हुनर को थोड़ा डेवलेप हो जायेगी। विदेशों से बहुत बड़ी पूंजी भारत में विदेशी मुद्रा के रूप में यहां लाकर देंगे। जो एक्सपोर्ट होता है विशेषकर हथकरघा हैण्डलूम का होता है। सरकार इन कताई मिलों को चलाने केलिए एक समिति बना दे और वह समिति का जायजा ले कि जो करोड़ों रुपये की मिल लगी है आप इनकी थोड़ी मदद कर दीजिये। उत्तर प्रदेश में 4600 सोसाइटीज रजिस्टर्ड थीं और मान्यवर, आजकी तारीख में 3 हजार डिफाल्टर हो गई। एक आई0ए0एस0 आये और एक कलम से 3 हजार सोसाइटीज को बर्बाद करके रख दिया। आज 1500 सोसाइटीज चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वे बन्द मिलें हैं। बीमार पड़ी कोआपरेटिव सोसाइटी हों, हथकरघा मिलें हो। कोई आदमी बीमार होता है?

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। मंत्री जी से ज्यादा आप बोल चुके हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी-

कटौती के प्रस्ताव में कोई समय सीमा नहीं होती है। मैं इसे संक्षेप कर रहा हूँ। इस पर और कोई बोलने वाला भी नहीं है। मैं ही बोल रहा हूँ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस तरह से बीमार आदमी की खुराक आम आदमी की खुराक से फर्क होती है। जो बीमार होता है उसे घर पर खुराक अच्छी दी जाती है। बाकी सदस्य यह नहीं कहते है कि इसे दूध क्यों दिया जा रहा है, मक्खन क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि डाक्टर कहता है कि स्वस्थ होने के लिए ज्यादा रिच डाइट देनी चाहिए। जो कोआपरेटिव सोसाइटीज मरण अवस्था में हैं, रुग्ण मिल हैं, सिक यूनिट्स हैं उनके इलाज के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में पैसा निकालिये और ज्यादा पैसा हथकरघा विभाग को दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये। मंत्री जी से दो गुना आप बोल चुके हैं। आधा घंटा हो चुका है अब इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी-

मैं पांच मिनटं में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस इन्डस्ट्रीज पर और बुनकरों पर तरस खाइये। इतनी योजनाएं दिखाई है लेकिन इसमें उत्तर प्रेदश का कुछ नहीं है। मैं अपनी बात समाप्त करने की दृष्टि से कह रहा हूँ कि कई योजनाएं हैं और इत्तेफाक यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद हैं अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो मान्यवर, हम यह चाहते हैं जो सरकार की योजनायें कुछ ऐसी हैं जिसमें जितना खर्चा पैसा करेंगे वह देंगे सरकार ने अपना पैसा लगाना बन्द कर दिया जिसकी वजह से भारत सरकार ने पैसा देना बन्द कर दिया, पिछली बार बुनकर कल्याण के लिये पैसा दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने हिस्सा नहीं दिया इसलिए वह आगे पैसा नहीं दे रहे हैं। सामूहिक बीमा योजना में 120 रुपये में से 60 रुपया भारत सरकार को देना चाहिए चालीस रुपया राज्य सरकार को देना चाहिए, लेकिन 40 रुपया राज्य सरकार द्वारा देने का बजट में प्रोवीजन नहीं किया गया है। थ्रिफ्ट योजना में 1-3 भारत सरकार का लगता है 1-3 बुनकर का लगता है भारत सरकार जो 1-3 देती है उसका बजट में कोई प्रोवीजन नहीं किया गया है, यह योजना भी बन्द हो जायेगी। 48 लाख रुपया पिछली बार आपने मकान बनवाने के लिए दिया था, इस बार आपने लिखा है-"जिसके सापेक्ष अब तक 795 आवास पूर्ण हो चुके हैं। 500 मकानों के निर्माण हेतु राज्यांश के स्थान पर रु0 6,000 का हडको से आसान ऋण बुनकरों को दिलाये जाने हेतु द्वारा देने का निर्णय लिया गया है।" जो योजना पहली बार चल रही थी इसकी भी बजट में कटौती कर दी, आप कहते हैं बुनकरों के लिए इनके दिल में बहुत हमदर्दी है, लेकिन यह कहां से हमदर्दी का सबूत दे रहे हैं, यह बता दें। जो बुनकरों की बहबूदी का फंड है उसके लिए सरकार की कोई योजना नहीं है मै कहना चाहता हूं सरकार का एक धेला भी इसमें नहीं लगा है, नुमाइन्दों ने एग्जीविशन लगाई, वह बुनकर बहबूदी फंड से लगी है, इसमें अफसर तय करते हैं, अफसर खर्चा करते हैं, बुनकर बहबूदी के फंड हरामखारों के बंगला खरीदने, गाड़ी खरीदने गाँव की सड़क बनवाने के लिए नहीं, यह बुनकरों का पैसा है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

इन्होंने इसी तरह से "दीन दयाल विकास योजना" नाम रख दिया, मैं पूछना चाहता हूँ कि दीन दयाल जी ने बुनकरों के लिए क्या किया, उनका बुनकरों के लिए क्या सहयोग था? आप "कबीर" रख देते, कुछ और रख देते, [****] मंत्री जी से कहना चाहूँगा इन्होंने चरखा कभी नहीं चलाया।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

यह इतना बड़ा विभाग है इस पर तरस खाते हुए अन्तिम बात कहना चाहता हूँ, बुनकरों की जितनी आबादी प्रदेश में है, उस पर कर्जा बकाया है 24 करोड़ रुपया, बुनकर का जो है वह 30 करोड़ रुपया है हैण्डलूम और यूपिका पर, अगर बुनकरों को पैसा बयाज सहित नहीं दे सकते हैं. . . . .

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

(श्री रवीन्द्र शुक्ला के कुछ कहने पर)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

शुक्ला जी आप इतने अल्पसंख्यक विरोधी होंगे मुझे आपसे यह आशा नहीं थी, मैं समाप्त करने जा रहा हूँ अब गाड़ी स्टेशन पर रुकते-रुकते ही तो रुकेगी, अन्तिम बात कहना चाहता हूँ संसदीय कार्य

नोट- [x x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मंत्री जी व्यवधान न डालें, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मान्यवर, गरीब बुनकरों का 30 करोड़ का बकाया है दोंनों कारपोरेशन का और 24 करोड़ का और बकाया है तो वह पैसा कब तक बुनकरों को दे दिया जायेगा। तीन साल चार साल कब तक दे दिया जायेगा। करोड़ों रुपया है यह इनको मिले।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस पैसे से वह तनख्वाह दे रहे हैं। जो इनका बकाया है वह क्यों नहीं दे रहे है। अंत में मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और यह मांग करता हूँ कि बुनकरों की वसूली रोकी जाय और इनका पैसा ब्याज सहित दिलाने का कष्ट करें।

श्री हरिशंकर तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता जी अभी हमारे सम्मानित साथी अपने विचार रख रहे थे। कटौती के प्रस्ताव पर अपने कुछ बिन्दु पर उन्होंने चर्चा किया। हम उनको अवगत कराना चाहते हैं माननीय बुनियाद भाई आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश में पावर लूम की संख्या कितनी है तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में लगभग 70 हजार पावर लूम हैं जो अपनी क्षमता का 80 प्रतिशत उत्पादन करते हैं और 707 मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा तैयार करते हैं। आपने यह पूछा कि सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, तो यह रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड होती है। जो हमारे कपड़े की आवश्यकता है उसके अनुरूप हम पूरा कपड़ा तैयार नहीं कर पाते हैं। आपने कहा कि सूती मिले बन्द कर दी गयी तो किसने यह मिलें बन्द की। किसके कार्यकाल में यह बन्द हुई? इसका कौन जिम्मेदार है? आपने भ्रष्टाचार के बारे में कहा। आपको बधाई देना चाहता हूँ और आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि विभागीय कार्यवाही ने 107 कर्मचारी और अधिकारी के विरुद्ध जॉच चल रही है उसमें से 14 कर्मचारी/अधिकारी की सत्यनिष्ठा की जॉच चल रही है। 1999-2000 में 18 कर्मचारियों को सेवा में मुक्त किया गया है। उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जॉच संस्तुत की गयी और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितनी भी, और जिनके भी विरुद्ध भ्रष्टाचार अवगत करायेंगे हम उसका स्वागत करेंगे और उस पर शीघ्र व न्यायोचित कार्यवाही करेंगे और कठोर से कठोर दण्ड देंगे। बम्बई शो रूम और 125 करोड़ की बात कही गयी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पूरे भ्रष्टाचार को आप लिखित दें ताकि इसका संज्ञान लेकर इसकी जांच करायें। जो आपने 18 करोड़ का बकाया भारत सरकार का कहा है, जो जनता धोती सप्लाई की गयी थी, उसकी जांच हो गयी है। इसकी जांच सी0बी0आई0 से चल रही है और यह बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री लालू यादव से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय मंत्री जी अपना खून पसीना देकर भी, तो हम इसके लिए तैयार है। हम वादा करना चाहते हैं कि आपका स्नेह और सहयोग हमें मिलता रहे तो स्थिति को और सुधारेंगे। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इसकी बहबूदी के लिए एक करोड़ रुपया भी दिया है। इसलिए हमारी सरकार और माननीय मुख्य मुख्य मंत्री जी चिंतित है। अगर बुनकरों के लिए आपके मन में मोह है तो जो आपने बुनियाद रखी है उस नीव को मजबूती दें और कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, जो 4-5 वर्षो से करोड़ों रु0 बकाया है उसका भुगतान कब तक करा देंगे।

श्री हरिशंकर तिवारी-

वित्तीय स्थिति मान्यवर हथकरघा विभाग की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है जैसे ही स्थिति अच्छी होंगी उनका तत्काल वरीयता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 21,01,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

लघु उद्योग मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,20,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

कारागार मंत्री (श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, अजगर करै ने चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गये सबके दाता राम। मान्यवर, प्रस्ताव पारित करायें।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह-

मान्यवर, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का विशिष्ट योगदान है।

एक सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह-

बहुत सुन्दर बजट है कटौती का प्रस्ताव न लाते हुए इसे पारित कराने में योगदान करें।

श्री अधिष्ठाता-

विपक्ष से कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहेंगे।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, हम मंत्री जी का भाषण सुनना चाहते हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (लघु एवं नियति प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, इस विभाग में चाहे जितनी गड़बड़ियां हों लेकिन माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी है और जो यहां के ऊपर उनके साथियों का व्यवहार रहा है वह जो व्यवहार कर रहे है

उससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। यह तो बड़े शरीफ भले आदमी थे और अब इतने दिन रहकर देख लिया है। मान्यवर, इस सबको देखते हुए मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,20,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कांत बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घंटे की निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या 77 मा0 सदस्य के अनुरोध पर 17.5.2000 के लिए स्थगित की गयी।

इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भूगर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियन्त्रण हेतु भूगर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित किये जाने सम्बन्धी श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-12 मा0 मंत्री जी के अनुरोध पर दिनांक 17.5.2000 के लिए स्थगित किया जाता है।

प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित एक घंटे की चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या 13 मा0 मंत्री जी के अनुरोध पर दिनांक 17.5.2000 के लिए स्थगित किया जाता है।

इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत एन0जी0ओ0 की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनाये जाने सम्बन्धी डा0 लक्ष्मी कांत बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

नियम 103 के अन्तर्गत डा0 लक्ष्मी कांत बाजपेयी सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 8 मई, 2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) की कार्यप्रणाली को पारदर्शी निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय।"

अगर कोई सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो इसमें अपने विचार रखें।

(किसी माननीय सदस्य के न खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि नियम 103 के अन्तर्गत डा0लक्ष्मी कांत बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 8 मई, 2000 को प्रस्तुत प्रस्ताव "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन की सहमति से अस्वीकृत हुआ)

इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समान नीति बनाने एवं सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किये जाने सम्बन्धी डा0 लक्ष्मी कांत बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

नियम 103 के अन्तर्गत डा0 लक्ष्मी कांत बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 4 मई, 2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेद-भाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय।"

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, माननीय सदस्य अस्वस्थ हैं, वह हैं नहीं इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

यह 17.5.2000 के लिए स्थगित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों तथा नगर निगमों को संविधान के 73 वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित डा0 लक्ष्मी कांत बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घंटे की निर्धारित चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

कोई माननीय सदस्य उक्त विषय पर अपने विचार रखना चाहते हों, तो रखें।

(किसी के द्वारा विचार न रखे जाने पर)

यह चर्चा समाप्त की जाती है।

सदन की सहमति से यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता हैं कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किये जाने सम्बन्धी डा0 लक्ष्मी कांत बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

कोई माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में भाग लेना चाहते हों तो विचार रख दें।

(किसी के द्वारा विचार न रखने पर)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत प्रस्ताव "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के

सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय," को स्वीकार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन की सहमति से अस्वीकृत हुआ)

प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जनजीवन पर हो रहे हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति विषयक श्रीराम कुमार एडवोकेट द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों के अनुरोध पर यह चर्चा कल तक के लिए स्थगित की जाती है।

इस संदन का सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जन स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी डा0 लक्ष्मी कांत बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा।

श्री अधिष्ठाता-

कोई माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर अपने विचार रखना चाहें?

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करे दे रहा हूँ, इस पर आप चर्चा जारी करा दीजिये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगाई जाये।"

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, यह चर्चा 17.5.2000 के लिए स्थगित हुई।

प्रदेश में आई0एस0आई0 की गतिविधियों के विस्तार से आतंक फैलाने तथा जाली नोटों का प्रचलन होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा।

श्री अधिष्ठाता-

इस चर्चा में कोई माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हों तो वह अपने विचार रखें।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा विचार न रखे जाने पर)

यह चर्चा समाप्त की जाती है।

प्रदेश में मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु मध्यांचल विकास निधि की स्थापना किये जाने सम्बन्धी डा0 कौशल किशोर द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा।

श्री अधिष्ठाता-

इस विषय पर कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हों तो रखें।

डा0 कौशल किशोर-

पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए. . . .

श्री अधिष्ठाता-

ठीक हैं, यह चर्चा 17.5.2000 के लिए स्थगित की जाती है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल-26 सूचनाएं प्राप्त हुई। निम्नांकित विषयों पर उनके सम्मुख अंकित सदस्यों की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया:-

(1) श्री तेजभान सिंह	उपनिबन्धक, सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश, फैजाबाद द्वारा सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक, सुल्तानपुर के हितों के विपरीत आचरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
(2) श्री भाई लाल	जनपद मिर्जापुर में पत्थर का कार्य बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
(3) श्री राधेश्याम जायसवाल	हथकरघा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा जनपद सीतापुर के हथकरघा बुनकरों के हितों पर कुठाराघात किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
(4) श्री वसीम अहमद एवं श्रीमती उर्मिला देवी	जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा आर0सी0संख्या-163 दिनांक 13 मई, 2000 की वसूली तत्काल न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
(5) डा0 धर्मज्ञ मिश्र	प्रदेश में प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में यथावश्यक व्यवस्थाएं कराये जाने के सम्बन्ध में।
(6) श्री पूर्णमासी पंकज	जनपद संत रविदास नगर भदोही में निरन्तर विद्युत तारों के टूटकर गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
(7) श्री जगदीश नारायण राय	जनपद जौनपुर के जफराबाद-सरकोनी मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग के राज्य सेक्टर से कराये जाने के सम्बन्ध में।
(8) श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना	प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत चिकित्सकों को शासन की अनुमति व नियमों के विरुद्ध स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
(9) श्री राम स्वरुप सिंह	लखनऊ महानगर की शिवानी विहार कालोनी में थ्री फेस लाइन की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
(10)श्री प्रमोद कुमार	जनपद - रायबरेली स्थिति इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज एवं चीनी मिल द्वारा सई नदी में प्रदूषित जल प्रवाहित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(11)श्री अजय कुमार पोइया — जनपद मथुरा में मंडी परिषद् समिति द्वारा की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई-श्री जय प्रकाश, श्री विजयपाल सिंह, श्री संजय गर्ग, डा0 बकार अहमद शाह, श्री गोपाल कृष्ण, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री राजपाल सिंह, श्री बनारसी दास चांदना, श्री बाबू लाल, श्री प्रदीप कुमार, श्री सौलत अली एडवोकेट, श्री श्याम किशोर यादव एवं डा0 धर्मज्ञ मिश्र।

सम्पूर्ण प्रदेश में चिकित्सकों पर लगे लाइसेंसिंग शुल्क के कारण डाक्टरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)-

[डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा ने नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया है कि स्थानीय निकायों द्वारा लगाया गया लाइसेंस शुल्क चिकित्सकों, नर्सिंग होमों, एक्सरेक्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, पैथोलांजी क्लीनिक (लैब), प्राइवेट अस्पतालों पर 1000 रुपया से लेकर 3000 रुपया प्रतिवर्ष का शुल्क लगाया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय के स्टे आदेश के बावजूद वसूली में जबरदस्ती की जा रही है, निचले न्यायालयों में वाद योजित किये जा रहे है। समन भेजे जा रहे है।

लगाये गये शुल्कों में जहां विसंगति है, वही इसी प्रकार के अन्य व्यवसायों पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया।

खेद जनक यह भी है कि अदालत से जारी हो रहे समन में चिकित्सकों को अभियुक्त लिखा जा रहा है।

चिकित्सक को लाइसेंस तो आई0एस0ए0 तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मिलता है। तबकि नगर निगमों द्वारा दूसरे लाइसेंस व शुल्क का क्या औचित्य है। मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।

2- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-293-क के अन्तर्गत (नगर पालिका) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, किसी ऐसे संस्थान का, जहां जनता को प्रवेश की अनुमति हो और जहां पर (नगर पालिका) जनता के लिए स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकता है, उपयोग करने के लिए फीस अधिरोपित और उद्ग्रहीत कर सकता है। अधिनियम की धारा-294 में यह व्यवस्था है कि (नगर पालिका) किसी लाइसेंस, स्वीकृति या अनुज्ञा के लिए जिसे वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन देय का हकदार हो या देने की अपेक्षा की जाती हो, कोई फीस ले सकता है, जो उपविधि द्वारा निश्चित की जायेगी। इसी प्रकार उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-541 की उपधारा (41) में यह प्राविधान है कि इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अनुज्ञाप्ति स्वीकृति अथवा अनुज्ञा प्रदान करने के लिए शुल्क निश्चित की जा सकती है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 में उपविधियां बनाने और उपविधियों द्वारा नियत लाइसेंस व अन्य शुल्क प्रस्ताव किये जाने विषयक प्राविधान हैं।

3- उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा सुसंगत उपविधियों के प्राविधानों के अधीन अनेक विषय पर लाइसेंसिंग व अन्य शुल्कों की दरों में कोई वृद्धि न होने, वरन नागरिक सुविधाओं पर उत्तरोत्तर असीम व्यय निहित हो जाने के फलस्वरूप स्थानीय निकायों में पहले से लागू उपविधियों को लागू किये जाने तथा लाइसेंस फीस की दरों में पुनः संशोधन करने की

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर समय-समय पर गठित समितियों की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए शासनादेश संख्या-2399/नी-9-94-204 ज/90, दिनांक 27.10.1994 में नागर स्थानीय निकायों द्वारा लगायी जा रही लाइसेंसिंग व अन्य शुल्कों की दरों में वृद्धि करते हुए यह निर्देश दिये गये हैं कि सुसंगत उपविधियों में आवश्यक संशोधन दो माह में सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई स्थानीय निकाय निर्दिष्ट दरों से असहमत हो तो पालिका के संकल्प के आधार पर सम्पूर्ण औचित्य सहित शासन को प्रस्ताव भेजा जाय। इस हेतु निर्धारित 30 दिन में इस प्रकार की कोई असहमति शासन स्तर पर प्राप्त न होने के फलस्वरूप यह मानते हुए कि उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा अनुसूचित दरें सभी स्थानीय निकायों को स्वीकार है, शासनादेश दिनांक 31.12.94 के द्वारा निर्देशित किया गया कि शासनादेश दिनांक 27.10.94 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सुसंगत उपविधियों में आवश्यक संशोधन शीघ्र कर लिया जाय। उक्त शासनादेश जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से स्वालम्बी बनाया जा सके ताकि वे नागरिकों को समुचित नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।

4- कालान्तर में प्रदेश के व्यापारी वर्ग द्वारा उक्त शासनादेश का विरोध किये जाने पर नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में पुनः एक समिति गठित की गयी। जिसमें श्री बनवारी लाल कंछल तथा श्री श्याम बिहारी मिश्र भी सदस्य थे। उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार नागर स्थानीय निकायों द्वारा लगाई जा रही लाइसेंसिंग शुल्क की 39 मदों की दरों में वृद्धि विषयक शासनादेश संख्या-161 सीएम/नी-9-97-23 ज/97, दिनांक 16 दिसम्बर, 97 जारी किया गया है और इन मदों के लिए उल्लिखित दरों के अनुसार लाइसेंसिंग शुल्क लागू/आरोपित किये जाने के निर्देश स्थानीय निकायों को दिये गये हैं।]

जनपद बाँदा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पैलानी के भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं तथा निर्माण कार्य की टी0ए0सी0 द्वारा जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

माध्यमिक शिक्षा भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)-

[जनपद बाँदा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पैलानी के भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं पर मा0 सदस्य द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बाँदा जिसके अन्तर्गत उक्त विद्यालय निर्माणाधीन है, द्वारा अवगत कराया गया है भवन निर्माण में वांछित से कम लम्बाई में नीव हेतु पाइलिंग, चिनाई दोयम दर्जो के ईटों से कराना जैसे आरोप सही नहीं है। प्लास्टर में सीमेन्ट व बालू 1:11 के अनुपात में मिलाना जैसे आरोप भी सही नहीं है। भवन निर्माण में समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग के विशिष्ट मानक के आधार पर कराये गये है। भवन किसी प्रकार से असुरक्षित नहीं है। फिर भी मा0 सदस्य के अनुरोध को देखते हुए प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को निदेशित किया जा रहा है कि ये मुख्य प्राविधिक परीक्षक से निर्माण में हुई कथित अनियमितताओं की जांच करवा कर आख्या भेजें।]

जनपद मेरठ के खेकड़ा क्षेत्र में अनियमित रूप से बसाई जा रही अवैध कालोनियों तथा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नोट- [ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[माननीय सदस्य द्वारा विधान सभा में नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई थी कि विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी और साहिबाबाद क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पुलिस की मिली भगत से भू-माफियाओं द्वारा अनियमित रूप से अवैध कालोनियां बसाई जा रही हैं तथा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किये जा रहे हैं।

प्राप्त आख्यानुसार स्थिति यह है कि थाना लोनी तथा साहिबाबाद के क्षेत्रों में कालोनाइजरों द्वारा लोनी देहात, पाबी, सादिकपुर, बेहटा हाजीपुर, घरौटी खुर्द, खानपुर जप्ती, बन्थला, सिखरानी, टीला साहबाजपुर, भौपुरा, पसौंडा व अन्य गाँव के किसानों से विधिवत् भूमि क्रय करके, अपनी भूमि पर कालोनियों का निर्माण किया गया है और उन्हें अध्यासियों को बेचा गया है। इन कालोनियों के निर्माण के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों जैसे-नगर निगम, विकास प्राधिकरण गाजियाबाद, नगर पंचायत अथवा ग्राम समाज द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है और न ही कोई अभियोग उनके द्वारा पंजीकृत कराया गया है। अतः स्थानीय पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जहां तक सरकारी अधिकारी/कर्मचारी गण द्वारा पुलिस की मिली भगत से इन कालोनियों के निर्माण का प्रश्न है, यह आरोप भी निराधार एवं असत्य है क्योंकि इस प्रकार की कोई शिकायत स्थानीय निकायों द्वारा दर्ज नहीं करायी गई है।

उक्त गाँवों मे थाना क्षेत्रों में कालोनाइजरों द्वारा विकसित/निर्मित की गई कालोनियों में मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, श्रमिक तथा अन्य गरीब लोग निवास करते हैं जो यहां रह कर नौकरी/कारोबार/मजदूरी दिल्ली में करते हैं, अतः इनके अपराधी तत्व होने की सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं है। अन्य क्षेत्रों के अपराधी असामाजिक तत्वों के इस क्षेत्र में आकर बसने की बात भी निराधार एवं असत्य है। विगत 3 वर्षो की तुलनात्मक आपराधिक आंकड़ों के अवलोकन से यह पता चलता है कि इन क्षेत्रों की आपराधिक स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी कि अन्य क्षेत्रों की आपराधिक स्थिति है।]

"जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण भारत की भूमि पर नैपाली नागरिकों की अवैध कब्जादारी के सम्बन्ध में श्री गोपाल कृष्ण द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)-

[माननीय सदस्य श्री गोपाल कृष्ण, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण भारत की भूमि पर नैपाली नागरिकों द्वारा अवैध कब्जेदारी की गयी है।

2- मा0 सदस्य द्वारा दी गयी नोटिस पर जिलाधिकारी, पीलीभीत से आख्या मंगायी गयी, जिसके अनुसार "नो मैन्स लैण्ड" पर जगह जगह पर नैपाल वासियों एवं भारत वासियों द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। जहां तक भारत की भूमि पर नैपाल वासियों के कब्जे का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी से जांच करायी गयी। इस जांच आख्या से विदित हुआ है कि पिलर नं0 28 से 34 के बीच भारत की भूमि पर किसी नैपालवासी का कब्जा नहीं है।

3- दिनांक 19.4.2000 को उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार पूरनपुर को इन जनपद में पड़ने वाले सीमा स्तम्भों एवं उसके आस पास की "नो मैन्स लैण्ड" पर तथाकथित अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका मुआयना करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु पुन जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये थे और उप जिलाधिकारी

नोट- [ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

एवं तहसीलदार से इस सम्बन्ध में प्राप्त आख्या से स्पष्ट होता है कि भारत की भूमि पर किसी भी नैपाली का अवैध कब्जा नहीं है।]

जनपद गौतम बुद्ध नगर में किसानों की भूमि के प्रति कर पर आयकर तथा सरचार्ज की कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)-

[मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि आयकर विभाग नोएडा द्वारा एक पत्र संख्या आई0टी0ओ0/टी0डी0सी0/नोएडा मिसलेनियस 1999-2000/53, दिनांक 17.02.2000 अपर जिलाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर को लिखा गया है, जिसमें किसानों की अधिग्रहीत होने वाली जमीन के मुआवजे (प्रतिकर) पर 10% आयकर+1% सरचार्ज, कुल 11% की कटौती करने को कहा गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में न्याय विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 194 एल0 का सन्दर्भ लेना उचित होगा जिसमें यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसा व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति की भूमि अधिग्रहण के मामले में प्रतिकर की अदायगी का उत्तरदायी होगा वह भुगतान किये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि पर यदि ऐसी धनराशि एक लाख रुपये से अधिक होगी, तब 10% आयकर की कटौती करेगा एवं वर्ष 1999-2000 के लिए 1% सरचार्ज की कटौती करेगा।

यह व्यवस्था 01.06.99 से प्रभावी हुई है। अतएव प्रतिकर की अदायगी करने वाले प्राधिकरण का दायित्व है कि वह एक लाख रुपये से अधिक के प्रतिकर भुगतान के मामले में 10% आयकर व 1% सरचार्ज की कटौती आयकर के मद में करके इसे आयकर मद में जमा करें। प्रदेश शासन द्वारा इस सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रकरण में पुनर्विचार करते हुए कृषकों के हित में निर्णय लिये जाने हेतु ध्यानाकर्षण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद लखीमपुर खीरी के हैदराबाद क्षेत्रान्तर्गत श्री कालिका प्रसाद की हत्या तथा थाना मितौली में अबोध बालिका के साथ हुई दुराचार की घटना के संबंध में श्री अरविन्द गिरि, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[[प्रश्नगत प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी के माध्यम से करायी गयी। जांच से पाया गया है कि दिनांक 18.01.2000 को गोला में रेलवे लाइन पर ग्राम कोटा के पास ट्रेन से कटी एक लावारिस लाश मिली थी। इस संबंध में जी0आर0पी0 गोला द्वारा उक्त लाश का पोस्टमार्टम कराया गया।

नोट- [ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

उक्त लाश के लावारिस होने के कारण जी0आर0पी0 गोला द्वारा नियमानुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक के कपड़े को देखकर श्रीमती नन्दरानी पत्नी श्री कालिका प्रसाद ने उक्त लाश को अपने पति कालिका प्रसाद का होना बताया।

2- श्रीमती नन्दरानी ने थाना गोला पर आकर दिनांक 21.1.2000 को इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की कि उसके पति को रवीन्द्र वर्मा, विनय कनौजिया, लड्डन एवं राजेश कुमार राठौर द्वारा एक ड्रम मिट्टी के तेल की चोरी के आरोप में पकड़ कर मारापीटा गया और उसकी हत्या कर दी गयी। आवेदिका की इस सूचना पर थाना गोला पुलिस द्वारा जी0आर0पी0 गोला से सम्पर्क किया गया और घटना का क्षेत्र थाना गोला के अन्तर्गत पाये जाने पर दिनांक 27.5.2000 को गोला पर मु0अ0सं021/2000 धारा 302 भा0द0वि0 व 3 (2) (5) एस.सी./एस.टी. एक्ट बनाम रवीन्द्र वर्मा, विनय कनौजिया, लड्डन व राजेश कुमार राठौर पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी, गोला को सुपुर्द की गयी। विवेचना के मध्य मृतक कालिका प्रसाद के अनुसूचित जाति का न पाये जाने पर एस.सी./एस.टी. की धाराएं विलुप्त कर विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक से करायी गयी। विवेचनाधिकारी द्वारा पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर का बयान लिया गया और अपने बयान में डाक्टर द्वारा बताया गया है कि मृतक के शरीर पर आयी 8 चोटों में से अधिकांश चोटें वजनी ब्लन्ट आवजेक्ट से आयी चोटें है जो ट्रेन से कटने से आ सकती है। विवेचना द्वारा अभी तक की गयी विवेचना से उपर्युक्त नामित चारों अभियुक्तों के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिल पाये हैं, जिससे कि उनका जुर्म प्रमाणित हो सके। साक्ष्य के अभाव में पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। विवेचक द्वारा इस अभियोग की विवेचना गहरायी से की जा रही है।

3- थाना मितौली के अंतर्गत घटित घटना के संबंध में जांच से पाया गया कि दिनांक 12.3.2000 को वादी श्री काशी राम पुत्र श्री पोहकर पाल निवासी ग्राम पकहैया थाना मितौली ने इस आशय की सूचना थाना मितौली पर अंकित करायी कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री कु0 पूनम जो गाँव के दक्षिण में घास काटने गयी थी, किसी व्यक्ति द्वारा उसके साथ बलात्कार के उपरान्त उसके गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी गयी है। इस सूचना पर थाना मितौली पर मु0अ0सं0-33/2000 धारा 302/376 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा की गयी। विवेचना के मध्य अभियुक्त पुष्कर पुत्र शम्भू एवं टिन्कू उर्फ अनुज का नाम प्रकाश में आया। विवेचक द्वारा दिनांक 11.4.2000 को उक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और इस अभियोग में आरोप पत्र संख्या-22 दिनांक 20.4.2000 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। प्रश्नगत घटना का वादी दलित जाति का नहीं है।]

प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिये रोस्टरिंग के अनुरुप विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर. यह बहुत महत्वपूर्ण मामला हैं, इसमें पूरे प्रदेश का मामला निहित है।

श्री अधिष्ठाता-

दिनांक 17.5.2000 के लिए चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया ऋण तथा ऋणग्रस्तता को कम करने हेतु सरकार द्वारा विशेष कार्य योजना बनाये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

कोई सूचना दाता माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, इसलिए इस निरस्त किया जाता है।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में रोगियों हेतु दवाओं के मानकों में कथित विषमता होने विषयक डा0 सरजीत सिंह डंग आदि नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

इस पर दिनांक 17.5.2000 के लिए चर्चा जारी रहेगी। अब हम उठते हैं, कल दिनांक 16.5.2000 को 10.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 9 बजकर 14 मिनट पर अगले दिन के 10 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 15.5.2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये ता0प्र0सं0-1 का उत्तर पीछे पृष्ठ . . . . .पर।)

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

दयायाचिका के आधार पर वर्ष 1998 में मुक्त किये गये बन्दियों की सूची

क्र0सं0	बन्दी का नाम/पिता का नाम व जनपद/ सत्र परीक्षण संख्या	जेल का नाम	आदेश संख्या दिनांक जिसके द्वारा मुक्त हुआ
1	2	3	4
1-	बंदी सीताराम पुत्र युवराज सिंह बस्ती 12/75 धारा-302/323/147/148/149	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	3096/22-2-98-17 1/(98)/97 दिनांक 22-9-98
2-	देवेन्द्र प्रसाद पुत्र बंशराज जनपद गोण्डा 172/75 धारा-302/34/भा0द0वि0	जिला कारागार, फैजाबाद	जे-156/22-2-98-17/(247)/94 दिनांक 21-09-98
3-	ब्रम्ह सिंह पुत्र रोशन लाल जनपद मुजफ्फरनगर 136/78 धारा-302 भा0द0वि0	केन्द्रीय कारागार, आगरा	जे-167/22-2-98-17(94)/93 दिनांक 9-7-98
4-	हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र उदयभान तिवारी जिला-बस्ती 128/74धारा-302/34,307/34 भा0द0वि0	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	सं0-4749/22-2-97-17(44)/97 दिनांक 23-4-98
5-	हरशंकर पाण्डेय पुत्र सरजू जिला-मिर्जापुर 24/73धारा-302/307/201/149/148 भा0द0वि0	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	सं0-1450/22-2-98-17(147)/97 दिनांक 7-12-98
6-	जगदीश पाठक पुत्र भागीरथ जनपद गोण्डा 207/75 धारा-302/307/34 भा0द0वि0	जिला कारागार, गोण्डा	जे-76/22-2-98-17(63)/96 दिनांक 4-5-98
7-	हरिशंकर उर्फ गिन्नी पुत्र श्री लाला राम जनपद-कानपुर 547/80 धारा-302	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़	सी0एम0-133/22-2-98-17 (300)/94 दिनांक 15-9-98

संख्या : 2287 पी/22-491/1991

प्रेषक,

श्री एस0 एन0 शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त अधीक्षक, कारागार, उत्तर प्रदेश।
3-कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (कारागार) अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक : 6 फरवरी, 1992

विषय:- प्रदेश के विभिन्न कारागारों में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दियों द्वारा संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सजा घटाने, क्षमादान देने या सजा में अन्य प्रकार की कटौती किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु नियामक प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न कारागारों में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दियों की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत कारागार से समय पूर्व मुक्ति अथवा सजा में अन्य प्रकार की कटौती हेतु प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में एकरुपता लाने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय संविधान के अनुच्छेद-162 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नियामक प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु निम्न स्थाई आदेश देते हैं:-

(अ) दयायाचिकाओं के विचार हेतु पात्रता :-

दयायाचिकाओं के प्रार्थना पत्र पर तभी विचार किया जाएगा जब वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :-

(1) जिन बन्दियों के प्रकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-433 "ए" से आच्छादित हो, उनके प्रकरणों पर 14 वर्ष की अपरिहार सजा भुगतने के बाद ही विचार किया जाएगा।

(2) अन्य मामलों में बन्दी ने आधी सजा काट ली हो। ऊपर (1) के अतिरिक्त आजीवन कारावास की सजा से दण्डित बंदियों के मामले में आधी सजा का तात्पर्य 10 वर्ष की वास्तविक सजा से होगा।

(3) जिन बंदियों की दयायाचिका के आधार पर मृत्यु दण्ड की सजा घटाने अथवा आजीवन कारावास सीमिति अवधि के कारावास में बदलने का क्षमादान का लाभ पूर्व में प्राप्त हो चुका हो, उन्हें यह लाभ दुबारा अनुगन्य नहीं होगा।

(य) विचारार्थ पात्र मामलों में विचारणीय बिन्दु :-

ऊपर (अ) के अनुसार ग्राह्य मामलों में दयायाचिका स्वीकार किये जाने के लिये निम्न शर्तें पूरी होना आवश्यक हैं :-

(1) बन्दी अभ्यस्त अपराधी न हो। बन्दी की इससे पूर्व किसी अपराधिक मामलें में सजा न हुयी हो और उसका कोई दूसरा आपराधिक इतिहास न हो।

(2) बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक रहा हो तथा उसने कारागार के नियमों का पालन किया हो।

(3) अवकाश/पैरोल/जमानत की अवधि में बन्दी का आचरण संतोषजनक रहा हो।

(4) अवमुक्त किये जाने पर पुनः शान्ति भंग अथवा बन्दी द्वारा अपराध की संभावना न हो ।

(5) बन्दी के परिवार की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो और घर पर देखभाल करने वाला कोई वयस्क सदस्य न हो ।

(6) बन्दी के नामिनल रोल/फार्म ''ए'' के मामले में बोर्ड/समिति द्वारा की गई अनुशंसा को भी ध्यान में रखा जाय ।

(7) जो बंदी शारीरिक अशक्तता, वृद्धावस्था या बीमारी से पीड़ित हो, ऐसे मामलों में दयायाचिका पर विचार करते समय जेल मैनुअल के प्रस्तर 195, 196, 197 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर थी विचार किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल०–307 विधान सभा 26-2-2002–(572) (डी०टी०पी०)